खण्ड-409, अंक-4
बृहस्पतिवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(24 फरवरी, 1994 ई0)

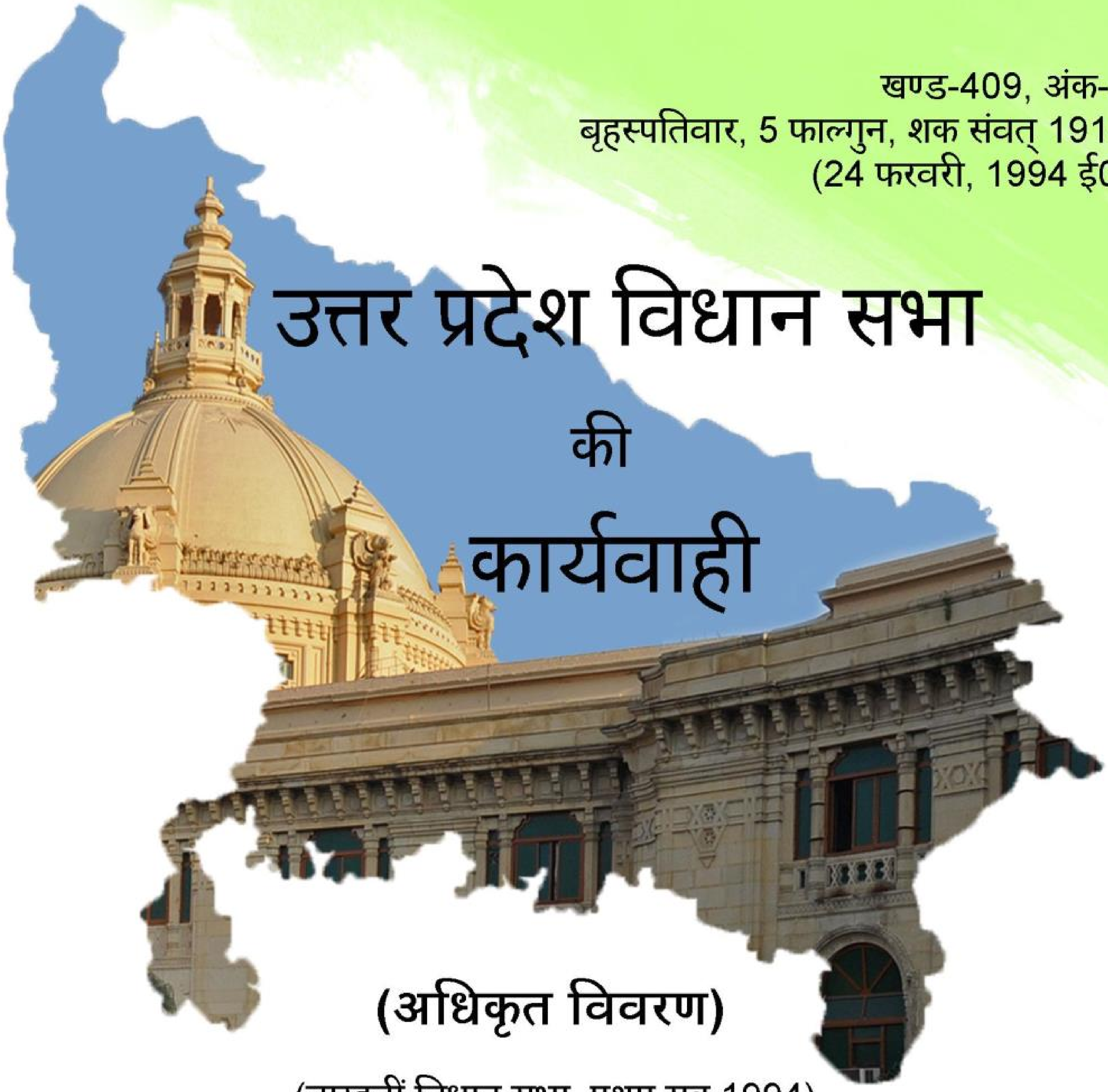

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास	
प्रश्नोत्तर	1–84
हुल्लड़ शब्द के प्रयोग पर उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ...	84–90
एक ही प्रश्न के दो अलग-अलग उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	90–91
कार्य सूची तथा प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	91–92
आगरा की तहसील किरावली के ग्राम त्रिपुरी, फतेहपुर सीकरी शाखा की पटरी के टूटने से फसलों की बर्बादी तथा मकानों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92–93
टिहरी बांध डूब क्षेत्र के गांवों का पुनर्वास तथा पुनर्वासित गांवों को राजस्व अधिकार देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
देवरिया नगर पालिका की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर चहार दीवारी बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	93
सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील के गांवों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
नैनीताल जनपद के अधिसंख्यक गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
लखीमपुर खीरी स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल लि०, बिलरायां द्वारा गन्ना किसानों के विकास मद के रूप में स्वेच्छापूर्वक कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
नियम 311 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुने जाने की मांग ...	95
औचित्य के प्रश्नों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	96–101
नियम 311 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना को क्रम से न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	101–102

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई बच्चों की लाश प्राप्त होने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष विषयक नियम 311 की सूचना	102–108
प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग ..... (जारी)	108
नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी शेष सूचनाएं	108–109
प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग ..... (जारी) ...	109
जनपद सीतापुर की रहीमाबाद, चन्दरपुर, त्रिलोकपुर तथा अल्लीपुर पम्प नहरों को विखण्डित किये जाने तथा इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	110
विशेषाधिकार हनन की सूचना को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .....(जारी)	110
प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग	110–111
विशेषाधिकार हनन की सूचना को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	111–112
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (जारी)	112–155
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव .....(स्वीकृत) ...	156–158
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	159
नत्थियां	160–347

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
4–किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
5–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
6–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
7–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
8–दीनानाथ भास्कर, श्री — वाराणसी
9–नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
10–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
11–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
12–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
13–ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
14–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
15–महराज सिंह यादव, इटैली, श्री — इटावा
16–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
17–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
18–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
19–रमेश पोखरियाल 'निशंक', श्री — गढ़वाल
20–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
21–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
22–राम दवर, श्री — जौनपुर
23–राम धनी, श्री — गाजीपुर
24–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
25–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
26–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
27–लाल मणि प्रसाद, श्री — बस्ती
28–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
29–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
30–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
31–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
32–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
33–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
34–सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
35–समीर भाटी, श्री — गाजियाबाद
36–सुरेश पासी, श्री — प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 311 में आपको दी है.....

श्री अध्यक्ष–

देखिये, नेता विरोधी दल के साथ बात में यह तय हुआ है, उन्होंने यह कहा है कि 311 न लिया जाए, उन्होंने कहा है कि मैं अपने सदस्यों से कहूंगा कि 311 आज नहीं लिया जाए, नहीं लूंगा । अगर आप इस पर सब लोग राजी हो जाएं तो ठीक है नियम 311 नहीं लिया जाएगा । किन्तु यदि आप चाहते हैं कि 311 लिया जाए तो जैसी अन्य लोगों की राय हो, अन्य नेताओं की बात हो तो उसे लिया जाए । किन्तु यदि इस बात पर राजी हो जाएं कि नियम 311 न लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि लखनऊ जैसे महानगर में युवकों की लाशें मिल रही हैं, इसी माह चार लाशें मिली हैं, जिन्हें यौनाचार के बाद हत्या करके सड़कों पर फेंक दिया गया है । उसी के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर में इससे एक आतंक व्याप्त हो गया है । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने जो अभी निर्देश दिये, उसे बड़े धैर्य और सम्मान से सुना, नेता विरोधी दल अभी आ रहे होंगे, आपसे परामर्श के बाद जैसा होगा, उससे अवगत करा देंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बाद में इस पर मुझे सुन लीजियेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति

**1–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वेतन विसंगति समिति के समक्ष राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित वेतन विसंगति

के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी समस्त विसंगतियों का निराकरण मार्च, 1994 तक कर दिये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मुख्य सचिव समिति के समक्ष राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित प्राप्त मामलों में अधिकांश मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। किन्तु कुछ मामले अभी विचाराधीन हैं।

इस संबंध में शीघ्र निस्तारण हेतु समिति को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है।

किसानों का गन्ना मिलों पर बकाये की धनराशि का भुगतान किये जाने की प्रक्रिया

**2–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों की कितनी धनराशि गन्ना मिलों पर बकाया है तथा उनके भुगतान के लिये शासन द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)–

दिनांक 15-2-94 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र, 1993-94 में देय 1135.65 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य में से 956.04 करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जा चुका है तथा 179.61 करोड़ रुपये (15.82%) बकाया है।

उक्त अवशेष मूल्य भुगतान की प्रक्रिया में है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले तो यह बता दें कि यह जो बकाया है 179.61 करोड़ रुपयों का, यह निगमों की मिलों पर, सरकारी मिलों पर और व्यक्तिगत क्षेत्र की मिलों पर क्रमशः अलग-अलग कितना बकाया है ? दूसरी बात यह है कि कुछ बकाया निगम की मिलों पर है, अधिग्रहण के समय जो किसानों का बकाया था, वह खटाई में पड़ा हुआ है, न तो उसकी जिम्मेदारी पहले के मालिकों ने ली और न निगम ही उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो उस बकाये के भुगतान के बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में 13 परसेंट और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में 14.14 परसेंट, निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में 14.13 प्रतिशत, भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन चीनी मिलों में 45.70 प्रतिशत बकाया है और मान्यवर, जो दूसरा सवाल सम्मानित वर्मा जी ने किया, उसको हम दिखवा लेंगे और उस पर भी कार्यवाही करवा लेंगे।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि किसानों का जो पैसा चीनी मिलों पर या निगमों की चीनी मिलों पर बकाया है, उसका ब्याज सहित भुगतान किसानों को कराये जाने की सरकार की नीति है ? 1994 के वर्ष में 94 रुपये पांच पैसा प्रति क्विंटल की जो वृद्धि की है वह मात्र जनवरी से लागू है । इसमें उन किसानों का क्या दोष है जिन्होंने माह नवम्बर, दिसम्बर में अपना गन्ना दे दिया है ? उनको भुगतान कराने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

हमारे माननीय विधायक जी ने जो ब्याज की बात कही है । ब्याज के लिये तो ऐसा है कि 15 दिन बाद जो भुगतान रह जाता है उस पर ब्याज दिया जाता है । चीनी मिलों के जो भुगतान हो रहे हैं, एक हफ्ते के अन्दर तक का है इसलिये इसमें ब्याज का सवाल है नहीं । माननीय सदस्य जी ने कहा है, उसको दिखवा लेंगे ।

श्री समरपाल–

मान्यवर, यहां पर लगभग सभी किसान बैठे हैं ! मान्यवर, जब किसान गन्ना बेचता है तो उससे किराया लिया जाता है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों से तीन रुपये जो किराया काटा जाता है यह क्यों काटा जाता है ? इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अपना सामान बेचे तो व्यापारी उससे किराया वसूल करे । क्या सरकार इस काटे गये किराये को किसानों को वापस करायेगी कि नहीं, यह बता दें ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

ऐसा नहीं है, फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से नीति संबंधी प्रश्नों के बारे में जानकारी करना चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात पूछी थी । सरकारी नियंत्रण में आने से पहले किसानों का बहुत रुपया उपक्रम, निगमों की चीनी मिलों पर बकाया था । शायद वर्मा जी जानते होंगे हरदोई चीनी मिल को गन्ना सीतापुर जिले से भी उपलब्ध कराया जाता था । मान्यवर, आपने कहा है कि इसको दिखवा लेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार उस बकाये की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर भुगतान करायेगी यह मेरा पहला प्रश्न है । दूसरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में किसानों पर कृषि देयों की वसूली की जा रही है और उधर किसानों को गन्ना का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है । किसानों की कुर्की की जा रही है । इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ? जितना रुपया कृषि देयों का किसानों पर बकाया है उसको किसानों को देय गन्ने के मूल्य से क्यों न वसूल कर लिया जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जो गुप्ता जी का पहला सवाल है उस संबंध में यह कदाचित उचित होगा कि उसके लिये अलग से प्रश्न करते । अनुपूरक प्रश्न जो किया गया है, उसमें इसकी सूचना देना सम्भव नहीं है । दूसरा प्रश्न कृषि देयों की वसूली के बारे में है । आप भी सरकार में रह चुके हैं, आज जो हमारे यहां भुगतान की स्थिति है वह आपकी सरकार से बहुत अच्छी है । 15 दिन के अन्दर भुगतान हो रहा है इसलिये कृषि देयों की वसूली में ढील की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने मंत्री जी से पूछा कि प्रदेश के गन्ना किसानों पर जो बकाया होता है उसमें सरकार ब्याज लेती है, तो यदि किसानों का सरकार पर देय है तो उस पर ब्याज मिलता है या नहीं ? क्या 15 दिन के बाद यदि डिले होता है तो क्या उस पर किसानों को ब्याज मिलेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि 179.61 करोड़ रुपया गन्ना किसानों पर बाकी है यदि उसमें 15 दिन की अवधि से ज्यादा भुगतान का होगा तो क्या उस पर ब्याज बनेगा वह किसानों को ब्याज दिलायेगी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, यह जानकारी नहीं है कि 15 दिन से ज्यादा का पैसा है अगर कोई माननीय सदस्य की जानकारी में हो तो वह लिखकर दे दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक घोषणा हो जाए यदि 15 दिन से ज्यादा का रुपया है तो ब्याज का रुपया किसानों को मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसी घोषणा सदन में करेंगे यदि 15 दिन से ज्यादा का बाकी है तो ब्याज सहित भुगतान होगा ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

नरेश अग्रवाल जी लिखकर दे दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह नरेश अग्रवाल का प्रश्न नहीं है लिखकर मैं दे रहा हूं कि 15 दिन से ज्यादा का बकाया है तो ब्याज दे दें । अध्यक्ष महोदय का काम मंत्री जी को बचाना नहीं हमको संरक्षण देना है । इसमें आप स्पष्ट घोषणा करा दें ।

(व्यवधान)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं.....

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मूल प्रश्न मेरा है और हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बाराबंकी के जो किसान हैं क्या वह 15 दिन से ज्यादा होने पर और ब्याज न मिलने पर, अपने ब्याज की लड़ाई के लिये आयुक्त महोदय के पास अपना प्रतिवेदन देकर लड़ाई लड़ रहे हैं ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दुबारा प्रश्न करा दें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बाराबंकी के गन्ना किसान 15 दिन से ज्यादा होने एवं ब्याज का भुगतान न होने के कारण अपने ब्याज के लिये आयुक्त के यहां अपना प्रतिवेदन देकर लड़ाई लड़ रहे हैं क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

बेनी प्रसाद वर्मा ज्यादती कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब किसान अपने बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो उनको उत्पीड़ित किया जाता है, 14 दिन तहसील में रखा जाता है । लेकिन अगर मिल मालिक किसान के गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे तो उनको भी क्या आप जेल भेजेंगे और प्रताड़ित करेंगे, जैसा कि हमारे शासन काल में हुआ था ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपके शासन काल से हमारे शासन काल में स्थिति ज्यादा बेहतर है आपके शासनकाल में जो कुछ हुआ था, वह हम सभी लोग जानते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर देने की स्टाइल पर घोर आपत्ति है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी सरकार किसानों की सच्ची हमदर्द है, इनकी तरह घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार नहीं है । आज पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य सबसे ज्यादा है । भुगतान की स्थिति के बारे में भी हमारी स्थिति पिछली सरकारों के मुकाबले बेहतर है । फिर भी हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 15 दिन के अन्दर किसानों को बकाये का भुगतान करा दिया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । आप मेरा उत्तर तो दिलवायें । मेरा प्रश्न यह था कि क्या आप किसानों की तरह मिल मालिकों को भी भुगतान न करने पर प्रताड़ित करेंगे ? उनको जेल भेजेंगे ? इसका मैं उत्तर चाहता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इससे यह प्रदर्शित होता है कि वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार की तरह किसान विरोधी है और यह मिल मालिकों और पूंजीपतियों की संरक्षक है इसलिये किसानों की विरोधी व मिल मालिकों को संरक्षण देने के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री राम आसरे वर्मा अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये तथा कांग्रेस पार्टी के श्री जगदम्बिका पाल बैठे रहे)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मूल प्रश्न मेरा है और मुझको इस पर बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और प्रश्न दूसरे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन के अन्दर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है और उन्हें कोई जानकारी नहीं कि 15 दिन के बाद किसी मिल पर बकाया है। राज्य मंत्री जी ने जो यह जवाब दिया है, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बस्ती में 44.24 प्रतिशत बकाया है, जबकि कह रहे हैं कि 75 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं। मैं मौखिक रूप से मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहा हूं लिखित मैं दे दूंगा। इतना महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 दिन के ऊपर का कहीं भुगतान बाकी नहीं है। तमाम मिलों पर बकाया है, कहीं पर 43 प्रतिशत, 46 प्रतिशत, नंदगंज पर 61 प्रतिशत बकाया है। तो जिन मिल मालिकों ने गन्ने का भुगतान नहीं दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? दूसरे यह कि 15 दिन के बाद का जिन मिलों पर बकाया है उसकी सूचना मंत्री जी को देनी चाहिए थी कि इन-इन मिलों पर बकाया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय पाल जी की चिंता स्वाभाविक है कि गन्ने का जो मूल्य है वह समय पर मिले। हम उसके लिये प्रयास भी कर रहे हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान कराने की दिशा में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जायेगी। सरकार की तरफ से हम सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों को, कम से कम जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी सरकार से बेहतर और समय के अन्दर पूरा भुगतान किया जाय। (शोर)

मान्यवर, उत्तर भी नहीं सुनेंगे और बीच में बोलना शुरू कर देंगे। जो मिल मालिक, गन्ना किसानों के नियमानुसार भुगतान जो हैं उसमें किसी प्रकार की कमी रखेगा उसके खिलाफ जो भी वैधानिक शक्ति हमारे पास है उसका उपयोग करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि किसानों की सरकार है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 15 दिन की बात कही गयी, मान्यवर, झूठ शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन सत्य से बिल्कुल परे बात कही गयी है। बाराबंकी में जो आन्दोलन हो रहा है उसकी उन्हें जानकारी नहीं। मैं महोली चीनी मिल के बारे में बताना चाहता हूं कि काश्तकारों ने गन्ने की सप्लाई करना बंद कर दिया है जिससे चीनी मिल बन्द हो गयी है। सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि पुराना जो बकाया है उसके भुगतान की सरकार की क्या नीति है। सदन को गुमराह किया जा रहा है। गन्ने के मूल्य का भुगतान, सबसे बड़ा प्राथमिक सवाल है। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ, सरकार की नीति के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, गन्ना किसानों पर गोली चलाने वाले लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य हमारे प्रदेश में किसानों को मिल रहा है। गन्ना किसान हमारी गन्ना नीति से संतुष्ट हैं। इसके बावजूद यह लोग अपने पुराने कारनामों पर कालिख पोतने के लिये यह नाटक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपसे सदन के सामने एक सूचना चाहता हूं। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि पिछले 2 वर्षों का कितना बकाया था और वह क्यों था ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, केवल इतना बता दीजिए कि क्या बकाया था और क्यों था और उसके लिये कौन दोषी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पाल जी जो चाहते हैं, किसानों के हित के लिये पूरा ध्यान रखा जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्रथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मेरठ के उपनगर कंकरखेड़ा में मृत शिशुओं को दफनाने वाले स्थान को आवंटित किये जाने का मामला

*1–श्री अमित अग्रवाल (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर के उपनगर कंकरखेड़ा में मृत शिशुओं को दफनाने हेतु जो स्थान है वह कथित रूप से परगनाधिकारी द्वारा एक शराब फैक्ट्री को पट्टे पर दे दिया गया है जिस पर कब्जे को लेकर क्षेत्र की जनता और फैक्ट्री मालिकों के बीच प्रतिदिन तनाव रहता है ? क्या कब्जा अभी जनता के पास है ? क्या सरकार कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा लोक प्रयोग में आने वाली उक्त भूमि को भविष्य में भी जनता द्वारा प्रयोग की जाय, इस हेतु सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उक्त भूमि के गलत आवंटन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

जी नहीं।

ऐसा कोई आवंटन अथवा पट्टा परगनाधिकारी द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है अतः पट्टे की भूमि के कब्जे के प्रश्न पर क्षेत्र की जनता व फैक्टरी मालिकों के बीच तनाव का प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

[गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कतिपय जिलों में वर्ष 1993 में हुई अतिवृष्टि से क्षति हेतु राहत दिये जाने का विवरण

*1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि माह सितम्बर, 1993 में अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के कई जनपदों में व्यापक तबाही हुई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में

जानमाल/मकान/खेत खलिहान की कितनी क्षति हुई थी ? उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कितनी राजकीय सहायता अभी तक मुहैया की जा चुकी है और भविष्य में राहत कार्य हेतु क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

1–जनहानि–

(अ) मृतक	16
(ब) घायल	9

2–पशुहानि–

(अ) बड़े	86
(ब) छोटे	68

3–मकान क्षति पक्के–

(अ) पूर्ण	428
(ब) आंशिक	1487

कच्चे मकान–

(अ) पूर्ण	50
(ब) आंशिक	26

4–कृषि को हुई क्षति जनपद पिथौरागढ़ में माह सितम्बर, 93 में अतिवृष्टि के कारण 652.540 हे० भूमि भूस्खलन तथा जल कटाव से प्रभावित हुई । ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को क्षति का आंकलन रु० 30.197 लाख है ।

1–राहत हेतु निम्नलिखित राजकीय सहायता पीड़ितों को उपलब्ध करायी गयी है :

(अ) अहेतुक सहायता	रु० 1.51 लाख
(ब) अनुग्रह अनुदान (प्रधान मंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए)	रु० 10.20 लाख
(स) गृह निर्माण सहायता	रु० 12.57 लाख
कुल	रु० 24.28 लाख

(रुपये चौबीस लाख अट्ठाईस हजार)

रु० 8.00 लाख की धनराशि प्रधान मंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को वितरित करने हेतु प्राप्त हुई । राज्य सरकार के संसाधनों से तथा प्रधान मंत्री राहत कोष से प्राप्त सहायता को सम्मिलित

करते हुए प्रति मृतक के परिवार को 60 हजार की दर से (अधिकतम प्रति परिवार 1.80 लाख) अनुग्रह राशि उपलब्ध करायी गयी है ।

आपदा राहत निधि से विभागों को सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 1993 में हुई बाढ़/अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक कार्यों हेतु यथा सड़कों, विद्युत व्यवस्था; पेयजल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था आदि तथा मानव एवं पशु चिकित्सा हेतु उपलब्ध करायी गयी रु० 26,65,17,240 (रुपया छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख सत्तरह हजार दो सौ चालीस) धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि (अपने बजट के अतिरिक्त) विभागों द्वारा पिथौरागढ़ को सार्वजनिक कार्यों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन व चिकित्सा व्यवस्था हेतु उपलब्ध करायी गयी :—

(अ) लोक निर्माण विभाग	75.00 लाख
(ब) सिंचाई विभाग	15.00 लाख
(स) जल संस्थान	10.00 लाख
(द) पशुधन विभाग औषधियों आदि हेतु	4.30 लाख
(य) चिकित्सा विभाग द्वारा मानव स्वास्थ्य हेतु	1.00 लाख
योग ..	रु० 1.530 करोड़

(रुपये एक करोड़ पांच लाख तीस हजार)

भविष्य के लिये कोई नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर पढ़ने से छूट गया है, उसे भी पढ़ दें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, थोड़ा अंश रह गया है इसे पढ़ दे रहा हूं ।

(उत्तर का शेष भाग पढ़ा गया ।)

दैवी आपदा से क्षति की स्थिति में राहत कार्य सम्पादित किये जाते रहते हैं तथा विभागों के बजट के अतिरिक्त आपदा राहत निधि से दैवी आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक कार्यों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन हेतु धन आवंटन किये जाते रहते हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह ठीक है, लेकिन मान्यवर, आपत्ति दो तीन बिन्दुओं पर है, जिन पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें । और मुझे आश्वस्त भी करें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसको देख लें उसमें दिया हुआ है कि पूर्ण क्षति वाले मकान 428 हैं और आंशिक क्षति वाले मकान 1487 हैं । कच्चे मकान जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं वह 50 हैं और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं वह 26 हैं । और आपने इतने मकानों की क्षति के विपरीत जो धनराशि दी है वह केवल 12.57 लाख रु० है । तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यह पता चल जायेगा कि दो हजार से ज्यादा रु० नहीं मिला है, जो मुआवजा दिया गया है वह दो हजार रुपये है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों का, 500 रु० आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों का और 400 रु० थोड़ी क्षतिग्रस्त वाले मकानों का है । ब्रिटिश काल में यह मापदण्ड तो सही था लेकिन कांग्रेस की सरकारें आईं उन्होंने भी इस मापदण्ड को नहीं बढ़ाया है और उनकी नीति पर ही चलते रहे । तो अब आप आये हैं तो क्या आप भी दो हजार रु० ही देंगे अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा क्योंकि वहां पर दो हजार रु० में मकान बन नहीं पाता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विभिन्न विभागों को जो धनराशि आवंटित करते हैं उसमें बड़ी अनियमिततायें होती हैं उदाहरण के लिये पशुधन विभाग को आपने 4.39 लाख रु० दिया है । उनको औषधि खरीदने के लिये दिया है । यह औषधि यहीं से खरीदी जायेगी और और उसका बन्दरबाट हो गया होगा । शिक्षा विभाग के भवन इतने ध्वस्त हो गये हैं कि उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है । सारे प्रपोजल जिले से बनकर आ जाते हैं मेरा निवेदन है कि आप क्षतिग्रस्त मकानों का जो मुआवजा देते हैं उसकी धनराशि बढ़ायें । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के भवनों को कोई पैसा नहीं दिया गया है । माननीय मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दें ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऐरी जी को बताना चाहता हूं, माननीय ऐरी जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और पर्वतीय विकास के लिये सदैव संलग्न रहते हैं । लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है कि शिक्षा विभाग की जो पाठशालाएं हैं उनको पैसा नहीं दिया गया है । लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्हें पैसा दिया गया है । इस समय आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है इसलिये सारे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन अगर ऐरी जी जानकारी करना चाहते हैं तो मेरे कक्ष में आ जायें, उनका स्वागत है, मैं उन्हें सारी जानकारी दे दूंगा ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दैवी आपत्तियां जो आती हैं उनमें धन प्रदान का मानक क्या है, आपने क्या मानक माना है महाराष्ट्र में क्या मानक है, उत्तरकाशी में क्या मानक है और पिथौरागढ़ में क्या मानक है ? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहाड़ों पर आपत्ति आयी थी तो महामहिम राज्यपाल ने वहां का एरियल सर्वे किया था और एरियल सर्वे करने के उपरान्त उन्होंने 8 करोड़ रु० की सहायता की घोषणा की थी लेकिन वह आज तक पिथौरागढ़ को उपलब्ध नहीं कराई गई है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि महाराष्ट्र में क्या मानक हैं और उत्तर प्रदेश में क्या मानक है ? इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर जिस तरह का संकट आता है उसी तरह से वहां पर सहायता पहुंचाई जाती है । जब घोर संकट आता है तो धनराशि पर विचार नहीं किया जाता है । इस समय तो यही ध्यान में रखा जाता है कि पीड़ित लोगों को किस प्रकार से अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाय । वहां पर मानक नहीं देखा जाता है । जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी पैसा मिल जाता है लेकिन जो मानक निर्धारित हैं उसके अनुसार पूरी सहायता दी जाती है ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, मैंने केवल यही माननीय मंत्री जी से पूछा था कि महामहिम राज्यपाल ने जो ऐरियल सर्वे किया था और एरियल सर्वे करने के बाद जो 8 करोड़ रु० की सहायता देने की घोषणा की थी उस पर इस सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, इस बारे में कई बार बयान दिये जा चुके हैं कि महामहिम श्री राज्यपाल ने जो घोषणायें की हैं उनका आदर किया जायेगा, उनका सम्मान किया जायेगा । माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न किया है उसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है इसलिये इसका उत्तर देना समीचीन नहीं है । महामहिम राज्यपाल जी ने जो घोषणायें की हैं उनका इस सवाल से कुछ सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वह बाढ़ है, सूखा है, आगजनी है । इनकी क्षतिपूर्ति के संबंध में जो वर्तमान में धनराशि दी जाती है, क्या उसको बढ़ाने का प्रस्ताव है । जो सरकार सहायता सुलभ कराती है उसकी न्यूनतम अवधि क्या है और क्या व्यवहार में विभाग उसका पालन करते हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरी सरकार प्रयत्नशील है कि जो भी आवश्यक सहायता होगी वह देगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(शोर)

एक-एक घंटा एक-एक प्रश्न पर देना सम्भव नहीं होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें मैं पूछ रहा हूं कि यह धनराशि प्राथमिकता के आधार पर कब तक सुलभ करायी जायेगी ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री हरक सिंह रावत–

जब एक सवाल पूछा जा रहा है तो इस विषय पर मुझे भी प्रश्न पूछने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

यह पहाड़ से संबंधित सवाल है, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है इसलिये मुझे इस विषय पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह काफी कीमती समय है, आप लोग समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह काफी कीमती समय है, माननीय सदन का समय बरबाद न करते हुए मुझे सवाल पूछने की अनुमति दी जाय ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा लगातार प्रश्न पूछने की अनुमति मांगे जाने पर सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

यह धनराशि कब तक सुलभ करा दी जायेगी ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा करा दी जाय । यह पर्वतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण सवाल है । यह सरकार पहाड़ों की हिमायती बनती है लेकिन इस सरकार द्वारा इसका जो उत्तर दिया जा रहा है, वह ठीक नहीं दिया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं, पहले उन्हें बैठायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे दल के सभी सदस्य बैठे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं वह कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके सदस्य ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और अनुशासनहीनता करते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह आपका आरोप है, इसे मैं सुनने को तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, निवेदन है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित न हों।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप बिल्कुल बर्दाश्त न करें, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित न हों। मैंने इशारा किया, सब बैठ गये।

श्री अध्यक्ष–

आपको इशारा करना चाहिये था पहले ही।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण सवाल है, सभी दलों के सदस्य इस मामले में व्यग्र और चिन्तित हैं। कृपा करके नियम 49 में इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वीकार करता हूं लिखकर दे दीजिये।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्त जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, कानून के ज्ञाता हैं, इस सदन की कार्यवाही के बहुत बड़े शिल्पी हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हों। गुप्त जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आक्षेप पीठ पर नहीं लगाना चाहिये, उसको वापस लेना चाहिये, तभी उनकी गरिमा रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री ने यह प्रश्न उठाया है, माननीय गुप्त जी से यह चाहूंगा कि उनकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, क्या वे चाहते हैं?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जद मान्यवर, एक आरोप लगाया कि मेरे दल के सदस्य अक्सर शोर करते हैं, आपसे निवेदन है कि यह जो आपका आरोप है, सभी दलों के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर आक्रोश में आते हैं और शोर मचाते हैं। इस सवाल के मामले में किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं और दलों के लोग शोर मचा रहे थे, निवेदन किया कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हों, नम्रतापूर्वक कहा कि बिल्कुल आक्रोशित न हों, अगर मैं यह कहता कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं.....

श्री अध्यक्ष–

तुलसीदास जी की एक चौपाई है, "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" यदि आपकी ऐसी ही भावना है, तो ऐसी ही हो सकती है।

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

[दूसरे बुध में ता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल में 14 ग्रामों की भूमि का नियमितीकरण करने तथा भू-स्वामित्व का अधिकार दिये जाने की मांग

*3–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में 14 ग्रामों की भूमि का नियमितीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि मुनि की रेती तपोवन, सिसमझाड़ी ढालवाला आदि ग्रामों में कृषकों को भू-स्वामित्व का अधिकार 60 वर्ष के ऊपर का समय बीत जाने पर भी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 14 ग्रामों में भूमि का नियमितीकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक वहां भूमि का नियमितीकरण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

9 ग्रामों की भूमि टिहरी बांध परियोजना हेतु शासन द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी है। इसलिये नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता। शेष 5 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य कराया जा रहा है।

जी नहीं।

मुनि की रेती में वर्ष 1934 में हुए सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये अधिकार अभी विद्यमान हैं। शेष तपोवन, ढालवाला ग्रामों का स्थानान्तरण जनपद देहरादून से जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1955 में हुआ था। सिसमझाड़ी नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है, अपितु ग्राम ढालवाला में ही सिसमझाड़ी नाम का क्षेत्र सम्मिलित है। उपरोक्त दोनों ग्रामों में जनपद देहरादून में वर्ष 1938 में हुए सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये अधिकार अभी विद्यमान हैं।

जी नहीं।

जिन 5 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें करायी जा रही हैं, उनमें कार्य पूर्ण हो जाने पर नियमितीकरण हो जायेगा।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1934 और 1955 में तीन बार सर्वेक्षण किया गया कि किन कृषकों का 60 वर्ष से ऊपर भूमि पर कब्जा है। क्या इस पर सरकार सर्वेक्षण ही करवाती रहेगी या भूमि का नियमितीकरण भी होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय सदस्य ने सूचना कहां से संकलित की है, मुझे पता नहीं जो सूचना अभिलेखों में है वह सूचना मैं दे रहा हूं आपके पास कोई सूचना हो और वह प्रमाणित हो तो मुझे भिजवा दीजिये।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भूमि का सर्वेक्षण किया गया तो भूमि का नियमितीकरण क्यों नहीं हो रहा है ? आप कह रहे हैं कि सरकार इसका सर्वेक्षण कर रही है तब जाकर नियमितीकरण होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जो भूमि टिहरी बांध के लिये अधिगृहित की गयी थी क्या उनके कृषकों को पुनर्वास के लिये भूमि दी गयी है या नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो पहला प्रश्न है कि बार-बार सर्वेक्षण किया जा रहा है ऐसा नहीं है। 1934 में जो सर्वेक्षण हुआ उसके अधिकार अभी तक विद्यमान हैं। पांच गांव जो हिटरी बांध से बचे हैं 9 का पहले अधिग्रहण किया जा चुका है, उसमें दोबारा अधिकार दिये जाने की प्रक्रिया कैरायी जा रही है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

कब्जा तो आलरेडी है। आप कह रहे हैं कि कब्जा दे दिया गया। यह आप स्वीकार कर रहे हैं। कृषक यह चाह रहे हैं कि भूमि हमारे नाम पर हो पर और वह अभिलेखों में अभी तक नहीं चढ़ी है। आपने कह दिया कि अधिकार दे दिया गया है लेकिन वह तो कब्जा चाह रहे हैं तो उसे कब तक करवा देंगे ? मान्यवर, आपने कहा है कि 1955, 1934 और 1938 में सर्वेक्षण कराया था मगर तीन बार सर्वेक्षण होने के बावजूद अभी तक उनका नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सरकारी अभिलेखों में उन सभी कृषकों का नाम दर्ज है जिन्हें अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अगर कोई नाम छूट गया है और माननीय सदस्य की जानकारी में है तो वे मुझे बता दें मैं उसे दर्ज करा दूंगा।

जनपद वाराणसी की ग्राम सभा कैथी, विकास खण्ड चहनियां में कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

*4–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कैथी, विकास खण्ड चहनियां, जनपद वाराणसी में कतिपय अराजक तत्वों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में श्री बी० एन० सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 5-11-1993 राजस्व सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

सदस्य, विधान परिषद् के पत्र के साथ संलग्न ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्य की जांच करायी गयी । जांच के फलस्वरूप अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122–बी के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है ।

श्री तेजभान सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है इसलिये वहां से अनधिकृत कब्जा हटाया जाना चाहिये था मगर वह हटाया नहीं गया है, तो क्या वह अनधिकृत कब्जा वहां से हटाया जायेगा या नहीं और 122–बी की कार्यवाही कब की जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जब भूमि पर अनधिकृत कब्जा होता है और वह क्लेम किया जाता है तो उसके लिये 122–बी की प्रक्रिया की जाती है और उक्त प्रक्रिया करने के बाद उसे बेदखल कर दिया जाता है यही नियमों में प्राविधान है ।

श्री तेजभान सिंह–

मुख्य राजस्व अधिकारी को 122-बी के पहले आदेश दिया गया था कि कब्जा हटा दीजिये, लेकिन उसका उन्होंने पालन नहीं किया । उसके बाद अदालती निर्णय भी हुआ, लेकिन फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया । 122–बी की कार्यवाही तो मामले को लिंगरआन करने के लिये है, वह तो केवल जुर्माने के लिये है मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक उपयोग की जमीन कब्जे से बाहर करके सरकार में निहित की जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि 122–बी में केवल जुर्माना होता है और कब्जा नहीं हटता है । मैं बताना चाहता हूं कि 122–बी बहुत ही प्रभावी धारा है और इसके अन्तर्गत कब्जा हट जायेगा । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य कोई और चीज चाहते हैं, तो वह मेरे कक्ष में बैठ लें, हम बात कर लेंगे । आपकी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है, लेकिन प्रक्रिया जो नियमों में है, वह सही है और सही चलाई गयी है ।

श्री रंग नाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बात बताई कि 122–बी के अन्तर्गत मुकदमें करने के बाद बेदखल किया जाता है, लेकिन जहां पर ऐसी घटनायें हुयी हैं कि 122–बी के बगैर ही मुकदमें चलाकर मकानों को एस० डी० एम० द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, क्या ऐसे मामलों में मुआवजा देंगे/क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री बाबूराम यादव–

आप मुझे पहले मामला संदर्भित करें कि कहां का मामला है ? माननीय सदस्य ने पूर्व में जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आ गया, उसके अलावा दूसरी कोई चीज पूछना चाहते हैं, उसके लिये आप मुझे अलग से भेजिये ।

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

122–बी की प्रक्रिया सालों लम्बी चलती है और तमाम बार एस० डी० एम० के चक्कर काटने पड़ते हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल सके । क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में तहसीलदारों को कुछ निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, फिर भी कुछ कहना चाहें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सम्मानित सदस्या से अनुरोध है कि यह प्रक्रिया लम्बी जरूर है परन्तु मानक निर्धारित हैं, अगर कोई मुकदमेबाजी होती है तो उसमें टाइम लग जाता है । माननीय सदस्या मुझे लिखकर भेजें, जो कुछ भी सम्भव हो सकता है, वह किया जायेगा ।

चित्रकूट धाम, कर्वी को जिले का दर्जा दिये जाने की मांग

*5–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के अन्तर्गत उप जिले का दर्जा प्राप्त चित्रकूट धाम, कर्वी को जिले का दर्जा प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया । जो मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर नहीं आया, मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं ? बांदा जिला इस समय प्रदेश में सबसे बड़े क्षेत्रफल का जिला है और पहले मिर्जापुर सबसे बड़े क्षेत्रफल का जिला था, लेकिन सोनभद्र जिला बन जाने के बाद बांदा जिला ही सबसे बड़े क्षेत्रफल का जिला बचा है । इतने बड़े क्षेत्रफल के जिले को दो भागों में बांट कर कर्वी को क्यों नहीं जिला बनाया जायेगा ? कर्वी को जिला बनाये जाने के संबंध में जब आन्दोलन चलाया जा रहा था तो उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री बैजनाथ कुरील जी ने वहां जाकर आश्वासन दिया था कि जो भी जिला बनाया जायेगा उनमें कर्वी पहला जिला होगा । लेकिन मान्यवर, सोनभद्र, पडरौना और कई अन्य जिले बनाये गये लेकिन कर्वी का नम्बर नहीं आया ? ऐसा क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नया जिला सृजित करने का एक मानक है, दूसरे राजनैतिक इच्छा शक्ति है, तीसरी जनभावना है । यह सब चीजें इकट्ठी होती हैं तब नया जिला सृजित होता है । इनमें से कोई भी चीज अभी कर्वी में उपलब्ध है, ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नया जनपद सृजित करने के लिये कौन-कौन से मानक हैं और क्या चित्रकूट को जिला बनाया जाना मानक में नहीं है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री बाबू राम यादव–

अध्यक्ष जी, नये जनपद की स्थापना के विषय पर राजस्व परिषद् विभिन्न निर्माण इकाइयों एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से परामर्श करने के बाद एक जिले का मानक तैयार करती है ।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जिला बनाने के लिये क्या मानक है ? उसके संबंध में पूछा है ।

श्री बाबू राम यादव–

मैं वही बता रहा हूं मान्यवर, 14 लाख जनसंख्या होनी चाहिये, घनत्व होना चाहिये, परिसीमन होनी चाहिये और उसी के आधार पर तहसीलें होनी चाहिये, ऐसे जिला बना दें कि छोटे जिलों से भी कम हो जाये उसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की भावना से लगता है कि सरकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति है । इनके 4-4 मंत्रियों ने पौड़ी और अल्मोड़ा में जाकर हमारे प्रतिनिधियों से पूछा कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने जिले होने चाहिये और कितनी तहसीलें होनी चाहिये ? इसका तात्पर्य यह है कि इनकी राजनैतिक इच्छा शक्ति है । जनमत भी है । पर्वतीय क्षेत्र में नये जिलों के सृजन की मांग चल रही है । रुद्रप्रयाग और बागेश्वर को जिला बनाने की मांग चल रही है । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग व बागेश्वर को नया जिला बनाया जायगा ? पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या यह सरकार वहां पर नये जिलों का सृजन करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि यहां पर बांदा में कर्वी को जिला बनाने की मांग हो रही है पता नहीं वह बागेश्वर को कहां से बीच में ले आये ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने तो यह जानना चाहा था कि क्या इस सरकार की नये जिलों को सृजन करने की इच्छा शक्ति है ?

श्री अध्यक्ष–

काफी प्रश्न आ गये हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। पूरी तरह से किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या–6 के प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिये प्रश्न संख्या–7 ले रहा हूं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी का आपके पास लिखकर भी आया है। आज वह सदन में उपस्थित नहीं है, आपकी आज्ञा से मैं उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं।

जिला जौनपुर की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण कोटे की स्थिति

*6–श्री राम दवर (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण का कोटा राजस्व विभाग में पूरा है ? यदि हां, तो क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

विवरण संलग्न है।

दिये गये विवरण में कारण स्पष्ट कर दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 160–161 पर)

जनपद हरदोई की बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में जंगली गायों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने का मामला

*7–श्री विश्राम सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के अरवल, दहलिया, सैतियापुर, बम्हटापुर, चिल्लौर, चचरापुर तथा सिराच मऊ आदि क्षेत्रों में सैकड़ों जंगली गायें इस क्षेत्र के किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को चरकर उजाड़ देती हैं, जिससे इन क्षेत्रों के किसान रोजी रोटी को मोहताज हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जंगली गायों को पकड़वाने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

हरदोई जनपद में जंगली गायों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने की छिटपुट सूचना प्राप्त होती है, किन्तु इससे किसानों के रोजी रोटी से मोहताज हो जाने की सूचना अतिरंजित है।

जी नहीं। जंगली गाय वन्य जीव परीक्षण अधिनियम से बाहर है, अतः वन विभाग द्वारा इन्हें पकड़वाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विश्राम सिंह–

मान्यवर, यह केवल हरदोई जनपद की ही समस्या नहीं है, दूसरे जिलों में भी ऐसी समस्या है। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उत्तर में कहा गया है कि छिटपुट की

सूचनायें प्राप्त होती हैं । मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इलाके में कम से कम 25-30 हजार एकड़ जमीन जोत जमीन है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप प्रश्न रखियेगा ।

श्री विश्राम सिंह–

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो गायें किसानों की फसलें चर जाती हैं इस संबंध में सरकार कोई राहत या मुआवजा देने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं करेगी, तो किसके सहारे किसानों को छोड़ा जायेगा ? दूसरा यह कि वन विभाग उन जंगली जानवरों को पकड़ नहीं पा रहा है तो क्या प्राइवेट टीम से पकड़ने का प्रयास करने पर सरकार सहयोग करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जंगली गायें कहीं बाहर से नहीं आती हैं किसान जिन गायों को छोड़ देते हैं (कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है । मामला वन मंत्री का है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी की ओर से स्पष्ट सूचना नहीं आयी हो, तो .....

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

पहले मेरी बात माननीय सदस्य सुन लें मेरे पास पूरी सूचना है (व्यवधान) पहले मेरी बात सुन लीजिये । जंगली गाय से मतलब माननीय सदस्य नील गाय से समझ रहे हैं । ऐसा नहीं है जंगली गायों का संबंध माननीय प्रश्नकर्ता, माननीय सदस्य का मतलब उन गायों से है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, नील गाय से नहीं है (व्यवधान) पहले सुन लीजिये, समझ लीजिये जंगली गाय का मतलब जो गायें बेकार हो जाती हैं जिन्हें लोग छोड़ देते हैं और घूमती रहती हैं और खेत खाती हैं और बैठी रहती हैं । नील गाय दूसरी चीज है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जंगली गायों का जिक्र किया, जंगली गाय और नील गाय अलग गायें हैं, जंगली गायें यानी जैसा मंत्री जी ने कहा जिन्हें लोग छोड़ देते हैं यह सही है । उनका इतना बीहड़ रूप हो जाता है जहां वह जाती हैं पूरे क्षेत्र को वीरान कर देती हैं, तो उन्हें पकड़ने की बात है, नील गायें भी कम नहीं हैं उनकी समस्या भी प्रदेश व्यापी है । लेकिन नील गायों का संबंध वन विभाग से हैं और जंगली गायों का संबंध पशुपालन विभाग से हैं । यह मामला पशुपालन विभाग से संबंधित है । तो क्या वह पशुपालन विभाग को निर्देशित करेंगे, जिन जिनका जिक्र यहां किया गया है उनको पकड़वाने की व्यवस्था पशुपालन विभाग करे ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे माननीय मंत्री जी चाहें तो उत्तर दे सकते हैं (व्यवधान) पशुपालन विभाग का जैसा आपने कहा संबंध है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन है कि चूंकि प्रश्न में आया है कि क्या वन मंत्री बतायेंगे इसलिये सवाल वन विभाग में चला गया इसका संबंध पशुपालन विभाग से है । हरदोई में मेरे क्षेत्र में भी पिछले तीन सालों में काफी प्रकोप था ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया मेरी बात सुन लें । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पशुपालन विभाग को निर्देशित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लें, यह बात आप पहले कह चुके हैं, पुनरावृत्ति हो रही है । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरी बात का जबाब नहीं आया क्या पशुपालन विभाग को निर्देशित करेंगे इसका जबाब दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, माननीय मंत्री जी क्या आप स्वयं निर्देशित करेंगे पशुपालन मंत्री जी को अथवा दूसरे तरीके से माननीय सदस्यों से कहेंगे कि वह इससे संबंधित प्रश्न डाल कर स्थिति स्पष्ट करा लें, आप क्या चाहते हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा जी से मेरा निवेदन है कि सवाल वन विभाग से पूछा गया है और विभाग ने जवाब दिया लेकिन यदि दूसरे विभाग से अपेक्षा है तो निवेदन है कि पशुधन मंत्री से उनके कक्ष में वह मिलकर बात कर लें और जानकारी प्राप्त कर लें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा अभी पूरी नहीं हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जिज्ञासा कभी पूरी नहीं हो सकती है, इसलिये आप बैठ जायें चूंकि स्पष्ट उत्तर आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने उत्तर में कहा कि हरदोई में इस प्रकार की छुट-पुट घटनाओं की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, तो उन्हें कितनी छुटपुट घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है और उससे कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिये सरकार ने क्या नीति बनाई है ?

दूसरा प्रश्न जैसा श्री वर्मा जी ने पूछा है और मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जंगली गायों के संबंध में पशुधन मंत्री जी से पूछें, तो मैं जानना चाहता हूं कि नील गायों को पकड़वाने के लिये वन विभाग का जो अधिनियम है उसके अन्तर्गत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, श्री नरेश अग्रवाल जी ने जो पहला प्रश्न पूछा है कि छुटपुट कितनी घटनायें हुई और कितना नुकसान हुआ और सरकार ने उसके बारे में क्या संस्तुति किया है तो उन्होंने यह जो सवाल पूछा है यह उनके स्तर से बहुत हल्का प्रश्न है ।

छुटपुट घटनाओं से मतलब है कि कोई मवेशी छूटकर जब नुकसान कर देता है तो इसमें न तो कोई राहत दी जाती है और न राहत का कोई प्रश्न है न उसकी सूचना राज्य सरकार तक आती है । जहां तक नील गायों का सवाल है यह उनसे परे है ।

(हंसी)

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री धनराज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन गायों को लेकर प्रश्न किया गया है, साथ ही नील गायों का भी गांवों में बड़ा आतंक है । पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा अंदाजा है कि पचासों जिलों में इन वन गायों और नील गायों का इतना अत्याचार है किसानों पर कि आज किसान बेबस है ....

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न रखिये ।

श्री धनराज यादव–

तो मैं प्रश्न करता हूं, इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या वन मंत्री इस समस्या को हल करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगे ?

श्री अध्यक्ष–

वन मंत्री जी, थोड़ा संतुष्ट कर दीजिये इनको ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय सदस्य और पूर्व वन मंत्री, जिन्होंने प्रश्न किया है वन गायों के संबंध में, जब आप सरकार में थे, तो गाय संरक्षण कानून आपने बनाया, आप उनके लिये कोई व्यवस्था कर नहीं पाये, उनकी पूंछ आप पकड़े रहे .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये । मुझे सूचना देनी है अब आप बैठिये । प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये शासन के अधीन विचाराधीन योजनाएं

*8–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग लोगों के लिये विकलांगता पेंशन के अतिरिक्त अन्य कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जो पूर्ण रूप से विकलांग हैं उनके पुनर्वास हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

विकलांगों के लिये विकलांगता पेंशन के अतिरिक्त उनके कल्याण के लिये निम्नलिखित योजनायें भी शासन के विचाराधीन है :–

(I) प्रशिक्षण प्राप्त विकलांगों को स्वतः रोजगार स्थापित करने हेतु देय बैंक ऋण पर अनुदान ।

(II) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार ।

(III) विकलांगों को कर्मशाला/दुकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता ।

(IV) नेत्रहीन के लिये हाकिंग बुक स्टूडियो तथा ब्रेल ट्रांस क्रिप्शन यूनिट की स्थापना।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ण रूप से विकलांग भी उपर्युक्त योजनाओं से आवृत है ।

ये योजनायें उपरिलिखित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री चैनसुख भारती–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर को जिला बनाने की मांग

*10–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है ? यदि हां, तो कब तक इसे जिला बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद देवरिया में भाटपार रानी को तहसील बनाये जाने की मांग

*11–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर बहुत बड़ी तहसील है और इसमें अभी भी 1500 ग्राम हैं ? इतनी बड़ी संख्या के फलस्वरूप संचालन में बाधा को देखते हुए क्या भाटपार रानी को तहसील बनाने हेतु आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक तहसील स्वीकृत न होने का क्या कारण है ? क्या भाटपार रानी को तहसील बनाने की स्वीकृत देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को यह प्रकरण संदर्भित कर दिया गया है समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है ।

*12–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[तीसरे गुरुवार के लिये स्थगित]

पौड़ी गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय होने के बाद भी मण्डल स्तर तक के कार्यालयों का पौड़ी में न होना

*13–श्री हरक सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय होने के बाद भी मण्डल स्तर के कार्यालय पौड़ी में स्थित नहीं है ? यदि हां, तो कब तक इनको पौड़ी में स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में कार्यरत राजस्व विभाग के कर्मचारियों की अवमानना संबंधी याचिकायें

*14–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में कार्यरत राजस्व विभाग के कर्मचारियों की अवमानना संबंधी याचिकायें तथा रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ? अब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कितने अन्तरिम आदेशों का पालन विभाग ने किया है तथा कितने आदेशों का पालन करना शेष है ? क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के सभी आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21 अन्तरिम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है । शेष 17 मामलों में तथ्यों को छिपाकर अन्तरिम आदेश प्राप्त किये गये हैं जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पोषनीय नहीं है जिनका प्रतिवाद किया जा रहा है ।

प्रदेश में नवीन जनपदों भदोही व पडरौना के सृजन व गठन की जानकारी

*15–श्री अम्बिका सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ नवीन जनपद के सृजन का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो नवीन जनपदों का गठन कब तक किया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रदेश में वर्तमान जनपद वाराणसी को विभाजित कर नया जिला भदोही व वर्तमान जनपद देवरिया को विभाजित कर नया जिला पडरौना बनाये जाने का शासन ने निर्णय लिया है । अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर व हरिद्वार में जंगली हाथियों द्वारा ग्रामीणों की जानमाल की घटनायें

*16–श्रीमती रानी देवलता–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिहारीगढ़ व रानीपुर थाना के अन्तर्गत सहारनपुर व हरिद्वार में कई वर्षों से हर साल नरसंहार तथा गरीबों की फसलों को जंगली हाथियों द्वारा नष्ट किया जाना अब तक जारी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे हाथी द्वारा जन-धन की हानि होने से रोकथाम के साथ-साथ सरकार कोई बीमा पालिसी निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

बिहारीगढ़ व रानीपुर थानान्तर्गत सहारनपुर एवं हरिद्वार में जंगली हाथियों द्वारा ग्रामीणों की जान माल की क्षति की छुट-पुट घटनायें हुई हैं ।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये वन विभाग द्वारा वन्य जन्तुओं को खेत से भगाने, पकड़ने एवं मारने की कार्यवाही की जाती है । व्यक्तियों अथवा मवेशियों को घायल करने अथवा मारे जाने की दशा में विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस प्रकार की घटना वन जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती है, अतः शासन द्वारा कोई बीमा पालिसी निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

दैवी आपदाओं से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं राहत की जानकारी

*17–श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दैवी आपदाओं से किसानों को बचाने के लिये अधिक आर्थिक सहायता देकर राहत पहुंचाने का सरकार का निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

ओलावृष्टि तथा भूकम्प जैसी दैवी आपदाओं से पीड़ित किसानों/व्यक्तियों को अधिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय पूर्व से ही है । अन्य दैवी आपदाओं के संबंध में अधिक आर्थिक सहायता की दरों में संशोधन किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

उत्तरांचल क्षेत्र के जनपदों में जिला परिषदों की स्थाई सेवा से विगत दशक में सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि के भुगतान का विवरण

*18–श्री बची सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र के जनपदों में जिला परिषदों की स्थायी सेवा से विगत दशक में सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ? क्या इन सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और मासिक पेंशन का अद्यावधिक भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुमन्य ग्रेच्युटी व मासिक पेंशन का अद्यावधिक भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

उत्तरांचल क्षेत्र के जनपदों की जिला परिषदों के विगत दशक में स्थायी सेवा के 142 अधिकारियों/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ।

केवल 76 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अद्यावधिक ग्रेच्युटी/पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शेष 66 अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी का अद्यावधिक भुगतान नहीं किया जा सका है ।

समस्त जिला परिषदों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुमन्य ग्रेच्युटी व पेंशन का अद्यावधिक भुगतान करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

*19–श्री बी० आर० वर्मा–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जिला वाराणसी के गांव कठिरांव, परगना पन्द्रहा के चकबन्दी के गायब सभी नक्शे की जांच एवं कृत-कार्यवाही

1–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव कठिरांव परगना पन्द्रहा, तहसील व जिला वाराणसी के सभी चकबन्दी के नक्शे गायब कर दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि आज तक चकों की पैमाइश नहीं की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और चकबन्दी विभाग का कैम्प लगवाकर सभी चकों की पैमाइश कराने का आदेश देगी और नक्शा गायब करने हेतु दोषियों को दण्डित करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

केवल चक भू-चित्र वर्ष 1985 में गायब होने का मामला प्रकाश में आया था ।

जी नहीं । चकों की पैमाइश वर्ष 1978 में की जा चुकी है और उसी वर्ष कब्जा परिवर्तन भी करा दिया गया था ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी जा चुकी है व दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है । अतः पुनः जांच व पैमाइश कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

2–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर), श्री जवाहर यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 24 के उत्तर के संबंध में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि संबंधित जांच उनकी शिकायती-पत्र 1989 के आधार पर चल रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह जांच कब प्रारम्भ की गयी है तथा अब तक फाइनल होकर शासन को न प्राप्त होने के क्या कारण है ? सतर्कता अधिष्ठान को इस संबंध में अब तक कितनी बार स्मरण कराया गया है तथा उसमें सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अब तक क्या-क्या कारण बताया गया है ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी के लखनऊ में तैनात होने तथा अवैधानिक रूप से प्रभावित करने के कारण अब तक उक्त रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । शिकायती-पत्र 1989 के आधार पर सतर्कता जांच नहीं चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त, फैजाबाद को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, सुल्तानपुर को पृष्ठांकित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

3–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, फैजाबाद को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, सुल्तानपुर को पृष्ठांकित श्री शिवराज सिंह, प्रधान, पूरे शोहरत सिंह, परगना जगदीशपुर, सुल्तानपुर का दिनांक रहित पत्र जिसमें दिनांक 8-8-93 को एक फर्जी प्रस्ताव पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) द्वारा तैयार करके ग्राम सभा व प्रधान के कागजातों में दर्ज न करके शासन को देने की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस गम्भीर प्रकरण पर शासन स्तर पर अब तक जांच न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार तुरन्त जांच करके सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

तत्काल जांच की गयी ।

जी हां ।

जांचोपरान्त दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को समाप्त किये जाने के निर्णय की जानकारी

4–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन अधिनियम, 1980 विकास कार्यों में अवरोधक होने के कारण क्या उत्तर प्रदेश शासन इस अधिनियम को समाप्त करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को करेगी ? क्या यह सत्य है कि वन अधिनियम के कारण जखोली भीरी, धनसाली पांवली-अखौड़ी, तिलवाड़ा-सौराखाल, बडियार-कांडा-सौराखाल, कीर्ति नगर, सिल्काखाल-पाणव, दुगड्डा-चौकी, पिपली धार, लक्ष्मोली हिंसरिया खाल, जामनी खाल, बागवान, जमनीखाल, गूलरगजा, आगराखाल-कुसरैला, गजाशिवपुरी, कौडियाला-मिन्डाथ, मूलगढ़-धार्ती, चिरबटिया पटागणियां आदि मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल में अधूरे पड़े हुये हैं ? क्या इन मोटर मार्गों का निर्माण करवाने हेतु वन भूमि की स्वीकृति शासन शीघ्र प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को समाप्त किये जाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

धनसाली-पांवली-अखोड़ी, कीर्तिनगर-डांगधारी, सिल्काखाल-पाण्डव तथा कण्डियालां-मिन्डाथ मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जामनीखाल-गूलरगजा, आगराखाल-कुसरैला, गजाशिवपुरी, तथा चिरबटिया पटागणियां मोटर मार्गों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव वन विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । शेष मामलों में भारत सरकार ने अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु कहा है ।

लम्बित मोटर मार्गों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत, भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जाना सम्भव है ।

5–श्री उमाकान्त यादव–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 185 द्वारा उत्तरित]

जिला देवरिया में मुन्नी एवं मिश्री निवासी ग्राम मल्होवा टप्पा, बटेसरा, तहसील पडरौना द्वारा पट्टा मुंसूखी हेतु जिलाधिकारी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही

6–श्री भगेलू राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्नी एवं मिश्री निवासी ग्राम मल्होवा टप्पा, बटेसरा, तहसील पडरौना, जिला देवरिया ने दिनांक 4-5-91 को पट्टा मुंसूखी हेतु एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी देवरिया को दिया था ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां, वाद दिनांक 4-5-91 को जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसको निस्तारण हेतु दिनांक 14-10-91 को मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था । उक्त वाद पक्षों द्वारा पैरवी न किये जाने के कारण दिनांक 24-3-92 को अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है । पुनः वादी मुन्नी एवं मिश्री द्वारा कायमी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, वादी मुन्नी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके लड़के रामाश्रय ने प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र दिया है तथा

6 प्रतिवादीगण की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान को फरीक मुकदमा बनाये जाने का भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है । विधानतः मृतक के वारिसान को प्रतिस्थापन करने हेतु नोटिस जारी करते हुए दिनांक 24-1-94 की तिथि निश्चित की गयी थी । उक्त तिथि में वारिसान पर नोटिस तामील नहीं हुई जिसके कारण 25-2-94 की तिथि प्रतिस्थापन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु नियत की गयी है ।

जनपद रामपुर में पाठशालाओं, छात्रावासों आदि के सुधार एवं विस्तार के मद में स्वीकृत धनराशि

7–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1993-94 के जनपद-रामपुर के जिला प्लान में विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं, छात्रावासों तथा पुस्तकालयों के सुधार एवं विस्तार मद में नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर प्राइमरी पाठशाला, मंगोली, शाहाबाद, रामपुर के भवन निर्माण हेतु रुपया 75,000.00 की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति आदेश जारी न करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त धनराशि की स्वीकृति जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर, नगरा एवं पन्दह में चकबन्दी के दौरान अनुसूचितों को पट्टे पर दी गयी भूमि का विवरण

8–श्री संग्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड चिलकहर, नगरा एवं पन्दह में दौराने चकबन्दी किन-किन गांवों में अनुसूचितों को कितनी-कितनी भूमि पट्टे पर दी गयी है ? क्या उन सभी पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के विकास खण्ड चिलकहर एवं नगरा के अन्तर्गत किसी भी ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं हुआ है । तहसील बांसडीह में विकास खण्ड पन्दह के अन्तर्गत चकबन्दी के दौरान ग्राम फिरोजपुर परगना सिकन्दरपुर पूर्वी में अनुसूचित जाति के 25 आवंटियों को, प्रत्येक को 0–02 डि० भूमि दी गयी है ।

सभी आवंटियों को कब्जा दखल दिनांक 12-11-82 को ही करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[तीसरे गुरुवार के लिये स्थगित]

10–श्री राम आसरे वर्मा–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

11-13–श्री राम औतार मिश्र–

[दूसरे बुधं में अता० प्र० सं० 184-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ब्लाक प्रतापपुर कमैचा की गांव सभा ईसीपुर के मजरा अरजे के चक मार्ग नं० 173 को अवरुद्ध किये जाने की शिकायत

14–श्री राम औतार मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ब्लाक प्रतापपुर कमैचा की गांव सभा ईसीपुर के मजरा अरजे के चक मार्ग नं०–173 जो आम जनता, पशुओं, किसानों के आने-जाने का मार्ग था, जिसको देवराज, उदयराज, मनोजराज ने अपने चक में तोड़कर मिला लिया है, जिससे आवागमन बन्द हो गया है ? क्षेत्रीय जनता द्वारा परगनाधिकारी, कादीपुर को दिये अनेकों शिकायती-पत्र पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी अविलम्ब उक्त चक मार्ग पर से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर, रास्ते को ठीक करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शिकायती-पत्र की जांच कराई गई ।

चकमार्ग सं०–173 स्थित ग्राम अरजों पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रधान द्वारा मिट्टी डलवाई गई है । चकमार्ग जनसाधारण के लिये खुला हुआ है एवं कोई अवरोध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निराश्रित विधवाओं के भरणपोषण की व्यवस्था हेतु सहायता अनुदान विषयक शासन के नियम

15–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधवाओं को पेंशन देने की शासन द्वारा क्या नियम प्रतिपादित किया गया है ? प्रदेश में कितनी विधवाओं को पेंशन मिल रही है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विधवा पेंशन में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को कितना प्रतिशत कोटा शासन द्वारा निर्धारित है ? क्या उनके प्रतिशत के अनुसार उन्हें पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बस्ती जनपद में कुल कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन मिल रही है ? इनमें से कितनी अनुसूचित जाति/जन जाति की महिलाओं को मिल रही है ?

श्री राज बहादुर–

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण की व्यवस्था हेतु सहायता अनुदान देने की नियमावली के अन्तर्गत निम्न नियम हैं :–

(1) उ० प्र० में निवास करने वाली निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि हेतु व्यक्तिगत रूप से मासिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

(2) ऐसी निराश्रित विधवायें जो भारत की राष्ट्रिक हों और जो प्रार्थना-पत्र देने के लिए तिथि से कम से कम एक साल पहले से उत्तर प्रदेश में निवास करती हों, इस सहायता की पात्र होंगी।

(3) इस नियमावली के अन्तर्गत निराश्रित विधवा वह महिला मानी जायेगी :–

(क) जिसका कोई लड़का या पोता (लड़के का लड़का) न्यूनतम 20 वर्ष की आयु का न हो अथवा यदि हो तो संबंधित महिला का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या न करता हो,

(ख) जिसके पास सभी स्रोतों से होने वाली आय कुल मिलाकर 225 रु० मासिक से अधिक न हो,

(ग) जो किसी ऐसी संस्था की संवासिनी न हो जहां उसका भरण-पोषण निःशुल्क किया जा रहा हो तथा

(घ) जिसको शासन के किसी विभाग द्वारा वृद्धावस्था या कोई अन्य पेंशन न मिल रही हो।

2,49,089 विधवाओं को अनुदान मिल रहा है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत अनुदान देने में निम्नलिखित श्रेणी की विधवाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी :–

(1) जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।

(2) जो शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग हों।

(3) जो किसी गम्भीर रोग से पीड़ित हो।

(4) जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति से संबंध रखती हो तथा इस श्रेणी की विधवाओं के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 20 प्रतिशत का आरक्षण भी रहेगा।

श्रेणीवार सूचना एकत्रित नहीं की जाती है।

बस्ती जनपद में 3153 विधवाओं को अनुदान मिल रहा है।

695 अनुसूचित जाति की विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान मिल रहा है।

16–श्री मित्रसेन यादव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं०–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

17–श्री मित्रसेन यादव–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला जालौन की तहसील कोंच के कतिपय गांवों को जोत/आवासीय पट्टे दिये जाने की जानकारी

18–श्री चैनसुख भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कोंच, जिला जालौन में विभिन्न गांवों में ऐसे कौन-कौन लोग हैं, जिन्हें जोत/आवासीय पट्टे तो दे दिये गये हैं, परन्तु कब्जे नहीं दिये गये ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु शासन कटिबद्ध है ? यदि हां, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

कोई नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मथुरा नगर के मध्य मनोहरा पुरा एवं मटिया गेट तथा शरणार्थी पंजाबी कालोनी (सुभाषनगर) से अनुसूचित जाति तथा अन्य हिन्दू समाज द्वारा जमीन बेचकर पलायन करने को रोकने की मांग

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर के मध्य मनोहरा पुरा एवं मटिया गेट तथा शरणार्थी पंजाबी कालोनी (सुभाषनगर) से अनुसूचित एवं अन्य हिन्दू समाज अपनी निवास स्थान भूमि को प्रलोभन एवं भयभीत होने पर बिक्री कर पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो पलायन को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्र के विगत 3 वर्षों के बैनामों में किस वर्ग द्वारा कितने मकान खरीदे गये ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

भय एवं प्रलोभन के कारण अनुसूचित एवं अन्य हिन्दू समाज के लोगों के पलायन की सूचना सही नहीं है । प्रश्नगत कालोनी के काफी पुराने होने एवं घनी आबादी होने के साथ ही अधिक परिवारों के बढ़ने के कारण लोग शहर से बाहर बनी हुई कालोनियों में आवासित हुए हैं ।

उक्त के क्रम में संबंधित नहीं है ।

विगत तीन वर्षों में वर्ष 1991 में 36, वर्ष 1992 में 29, एवं वर्ष 1993 में 43 बैनामें हुए हैं । बैनामें में विक्रेता या क्रेता की जाति का उल्लेख नहीं होता है, अतः किस वर्ग ने कितने मकान खरीदे, सूचित करना संभव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ब्लाक प्रतापपुर कमैचा के गांव सभा ईसीपुर का गाटा संख्या–83 पर अनधिकृत कब्जा

20–श्री राम औतार मिश्र, श्री राम विशुन अजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तहसील कादीपुर के ब्लाक प्रतापपुर कमैचा के गांव सभा ईसीपुर का गाटा संख्या–83 एक बीघा 16 बिस्वा, जो ग्राम समाज के खाते में बंजर अंकित है, में पक्के मार्ग के किनारे की बहुमूल्य जमीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भूमि पर गांव सभा का प्रधान ने अधिकारियों को मिलाकर लाखों की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करके अपने परिवार वालों के नाम से दुकाने बनवा ली हैं, जिससे गांव सभा को भारी क्षति हुयी है ? यदि हां, तो क्या तत्काल मौके की जांच कराके अनधिकृत उक्त जमीन पर से कब्जा हटाकर दोषी व्यक्ति को दण्डित कर ग्राम समाज सम्पत्ति से बेदखल करके शासन की नीतियों का परिपालन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

गाटा सं० 83/1-16-0 खाता सं० 227 श्रेणी 6(4) ग्राम ईसीपुर ऊसर अंकित है यह भूमि कादीपुर, चांदा पक्के मार्ग के किनारे स्थित है, इस भूमि में मौके पर 0-2-0 क्षेत्रफल में सहकारी बीज भंडार 0-15-0 क्षेत्रफल में प्राथमिक पाठशाला ईसीपुर, 0-3-0 क्षेत्रफल में श्री चन्द्रभान सुत देवी सेवक का मकान व ट्यूबवेल तथा 0-3-0 क्षेत्रफल में श्री विश्राम सुत श्री राम फल हरिजन का मकान स्थित है। 0-13-0 भूमि खाली है, जिसमें 5 पेड़ महुआ, 3 पेड़ आम है कोई दुकान नहीं बनी है तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमला प्रसाद सुत श्री माता प्रसाद ग्राम सभा ईसीपुर में दिनांक 10-7-1967 को ग्राम समाज ईसीपुर द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि गाटा सं० 104 (जो वर्तमान गाटा सं० 83 का चकबन्दी के पूर्व का नम्बर है) में 0-15-0 भूमि प्राथमिक पाठशाला निर्माण हेतु दी जाय तथा 0-10-0 भूमि श्री चन्द्रभान मिश्र को बाग लगाने व मकान बनाने हेतु इजाजतनामा का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 2-9-1967 को करवाया गया है। श्री विश्राम सुत श्री राम फल हरिजन का मकान 35 वर्ष पुराना है, वर्तमान समय में श्री चन्द्रभान के पुत्र श्री मनोराज ग्राम प्रधान हैं, परन्तु सन् 1967 के प्रस्ताव के समय यह प्रधान नहीं थे। श्री चन्द्रभान का कब्जा ग्राम समाज के रजिस्टर्ड इजाजतनामा के आधार पर सन् 1967 से है।

प्रश्न नहीं उठता।

21–श्री राम औतार मिश्र तथा श्री राम विशुन आजाद–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

22-23–श्री राम औतार मिश्र–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 189–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

24–श्री दौलत राम––

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय को स्थानान्तरित किये जाने की सरकार की नीति

25–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल से जिला मुख्यालय नई टिहरी को कब स्थानान्तरित हुआ है ? नरेन्द्र नगर से कितने कार्यालय नई टिहरी गये हैं ? क्या नरेन्द्रनगर पर्वतों की रानी में से एक पर्यटक स्थल है ? क्या यह नगर जिला मुख्यालय हटाने से वीरान हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगर को फिर से बसाने हेतु किसी अन्य कार्यालय को स्थानान्तरित करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक इस नगर में अन्य राजकीय कार्यालय भेजे जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

1–जनपद टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से नई टिहरी स्थानान्तरित किया गया।

2–पूर्व जिला मुख्यालय नरेन्द्र नगर से अब तक निम्न कार्यालय नई टिहरी स्थानान्तरित किये गये हैं :–

1–जिला कार्यालय ।

2–जिला निर्वाचन कार्यालय ।

3–जिला निबन्धक कार्यालय ।

4–पुलिस अधीक्षक कार्यालय ।

5–मुख्य चिकित्साधिकारी एवं दो उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालय ।

6–जिला पूर्ति कार्यालय ।

7–उप दुग्धशाला विकास अधिकारी ।

8–अल्प बचत कार्यालय ।

9–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ।

10–जिला सूचना कार्यालय ।

3–इसका सम्बन्ध पर्यटन विभाग से है ।

4–पूर्व जिला मुख्यालय नरेन्द्र नगर अभी वीरान नहीं हुआ है क्योंकि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/अपर जिलाधिकारी (परि०) के अतिरिक्त कई जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय अभी यहां हैं जिनमें प्रमुख है जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारिता, जिला पंचायत राज अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी (कृषि) आदि । इसके अतिरिक्त इस नगर को वीरान होने से बचाने के लिए टिहरी स्थित निम्न कार्यालय नरेन्द्र नगर स्थानान्तरित किये गये हैं :–

1–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–द्वितीय ।

2–अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, सिंचाई विभाग ।

3–सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ।

4–विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (संयुक्त संगठन) ।

इस संदर्भ में यह नीति निर्धारित की गयी है कि स्थान नरेन्द्र नगर से केवल उन्हीं कार्यालयों को स्थानान्तरित किया जाय जिसका जिलाधिकारी से नित्यप्रति सम्पर्क होता है ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम भोगपुर एहतमाली व दारानगर एहतमाली, तहसील धनौरा के गाटा संख्या 1 से 70 तक के कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही

26–श्री गजराज सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भोगपुर एहतमाली व दारानगर एहतमाली, तहसील धनौरा, जनपद मुरादाबाद के सरकारी पट्टेदारों को ग्राम गुलालपुर एहतमाली, तहसील धनौरा के गाटा संख्या 1 से 70 तक के कब्जे से बेदखली की कोई भी कार्यवाही न किये जाने के आदेश दिनांक 23-7-92 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दे दिये थे ? क्या दिनांक 27-9-92 से कुछ

असामाजिक तत्वों ने प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जिसके संबंध में अब तक 17 (सत्रह) प्रार्थना-पत्र प्रशासन को देकर सहयोग की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? कब तक प्रश्नगत स्थल से असामाजिक तत्वों को हटाकर उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि पर 260 व्यक्तियों को दिनांक 7-9-91 को पट्टे स्वीकृत किये गये थे जिस पर अमलदरामद दिनांक 2/3-7-92 को किया गया । वर्तमान में इस भूमि पर इन आवंटियों का कब्जा है । चूंकि यह पट्टेदार ग्राम सभा के बाहर के निवासी हैं । अतः इन पट्टों को खारिज करने हेतु धारा 198(4) के अन्तर्गत वाद अपर जिलाधिकारी (अर्बन सीलिंग) मुरादाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है । इन 260 आवंटियों द्वारा भी उक्त न्यायालय से दिनांक 16-9-92 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये । उक्त वाद के निर्णय के उपरान्त ही संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा कोटवा, तहसील फूलपुर की ग्राम सभा की भूमि र० नं०–1138 में अवैध कब्जे के संबंध में प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री राम सेवक सिंह तथा श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवान बख्श सिंह, सदस्य विधान परिषद् का दिनांक 26-5-92 का पत्र ग्राम सभा कोटवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा की भूमि र० नं०–1138 में अवैध कब्जा विषयक उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख था ? क्या उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर कार्यवाही पूरी करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, ग्राम सभा कोटिया, परगना मीरानपुर के प्रधान, श्री शेर मोहम्मद पर पद का दुरुपयोग करने की शिकायत

28–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, श्री शेर मोहम्मद, ग्राम सभा कोटिया, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, सुल्तानपुर ने ग्राम सभा की सैकड़ों एकड़ भूमि और तालाब का अवैधानिक पट्टा अपने सगे संबंधियों, भाई भतीजों के नाम आवंटित करके अपने पद का दुरुपयोग किया गया है ? क्या भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन के लाभ से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का प्रधान पद पर रहते हुये श्री शेर मोहम्मद ने कितने पात्रता की श्रेणी में न आने वाले व्यक्तियों को कुल कितनी भूमि का आवंटन किया है ? इस अनियमितता के संबंध में उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? कौन-कौन सी कार्यवाही अभी प्रस्तावित है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा कोटिया, परगना मीरानपुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर में श्री शेर मोहम्मद ग्राम प्रधान द्वारा अपने पद पर आसीन होने तथा इस ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् तहसील कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार कृषि भूमि का कोई पट्टा नहीं किया गया है । अतः अनियमित पट्टे के संबंध में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

29–श्री मित्रसेन यादव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा, ग्राम जिगनाही की ग्राम समाज की भूमि सं०–233 पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

30–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा, ग्राम जिगनाही की ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–233 स्थित तालाब, ग्राम प्रधान व लेखपाल की सांठ-गांठ से किसी ने अवैधरूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किसने ? क्या इस संबंध में अवैध कब्जाधारियों व अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा, ग्राम जिगनाही की ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–233 के 8 बिस्वा क्षेत्रफल पर श्री अमरनाथ पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी जिगनाही का अवैध कब्जा पाया गया । प्रधान व लेखपाल को इस कार्यवाही में प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाया गया ।

अवैध कब्जेदार श्री अमरनाथ पुत्र समर बहादुर के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में कार्यवाही की गयी है ।

जनपद महराजगंज के निचलौल ब्लाक में बढ़या, पैसिया के अनु० जाति के मुसहर, जुलाहा जाति के काश्तकारों को उनके द्वारा जोती जा रही भूमि से बेदखल करने की शिकायत

31–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनकसीया, जनपद महराजगंज के निचलौल ब्लाक में बढ़या, पैसिया के अनु० जाति मुसहर, जुलाहा जाति के काश्तकारों की खेती योग्य भूमि पचीसों वर्ष से जोतते बोते चले आ रहे हैं, उन रकबों को बाहरी लोगों द्वारा राजस्व अभिलेखों में विभाग के सांठ-गांठ से हेरा-फेरी कराकर फर्जी दर्ज कराकर अनु० जाति के जोत की भूमि से हटा रहे हैं तथा उत्पीड़ित कर रहे हैं ? क्या सरकार काबिज अनु० जाति काश्तकारों की भूमि पर की जा रही फर्जी इन्द्राज की जांच करवाकर अभिलेखों में हेरा-फेरी करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम बनकसिया, ब्लाक निचलौल, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज में ग्राम बढ़या, पैसिया के कतिपय निर्बल वर्ग के व्यक्ति अत्यधिक दिनों से अनाधिकृत रूप से जोतते-बोते थे, जब कि इनके नाम उक्त भूमि नहीं थी । उक्त भूमि पर कतिपय बाहरी लोगों ने चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान राजस्व अभिलेखों में फर्जी नाम दर्ज करा लिया था, किन्तु चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान जोत चकबन्दी अधिनियम

1953 की धारा–48 (3) के अन्तर्गत संदर्भ के माध्यम से फर्जी अमल दरामद निरस्त कर दिये गये हैं। उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नगत भूमि अनाधिकृत रूप से काबिजदारों के स्वामित्व में नहीं थी, अतएव चकबन्दी प्रक्रिया में वादों के द्वारा गुण-दोष के आधार पर मूल खातेदारों के नाम भूमि वापस कर दी गयी है। पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश जिलाधिकारी, महराजगंज को दिये गये हैं।

राजस्व अनुभाग 10 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्र के संदर्भ में जिलाधिकारी, बाराबंकी की अन्तिम आख्या पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी

32–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुभाग–10 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित अ०शा०पत्र सं०–57/1–X–91 आर-एम-6(53)/91-5/91, दिनांक 19 सितम्बर, 91 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अन्तिम आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो शासन ने सन्दर्भित प्रकरण में क्या निर्णय लिया है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

अग्निकाण्ड से बाग को हुई क्षति के मामले में लगान में छूट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः शासन स्तर पर इस प्रकरण को निक्षेप कर दिया गया है।

33–श्री तीरथ राज–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा भूमि आवंटन के संदर्भ में परगनाधिकारी, बीकापुर को दी गई जांच आख्या एवं कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी

34–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि आवंटन की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने अपने पत्र सं० 1941/एस०टी०/मिस-जन प्रतिनिधि/90, दिनांक 24-9-1990 द्वारा परगनाधिकारी, बीकापुर, फैजाबाद को क्या आदेश निर्गत किये थे ? उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, फैजाबाद ने परगनाधिकारी, बीकापुर को जांच कर स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया था। जांचोपरान्त प्रधान श्री सुरेन्द्र देव सिंह को दिनांक 28-9-91 को निलम्बित कर दिया गया था। ग्राम प्रधान ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ से दिनांक 21-10-91 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है एवं कार्यरत हैं। अनियमित पट्टों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–198-(4) की कार्यवाही मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद के न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है।

ग्राम सभा, मंझनपुर के प्रधान द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई अनियमितता न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन जातीय पेशा से सम्बन्धित धोबी और कुम्हारों हेतु जमीन की व्यवस्था न किये जाने की शिकायत

35–श्री मोलई–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन किन-किन गांव में जातीय पेशा से सम्बन्धित धोबी घाट, कपड़ा सुखाने की जगह, खेल कूद के मैदान, कुम्हार के लिये माटी निकालने का स्थान नहीं छोड़ा गया है ? सरकार द्वारा इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा अन्तर्गत 149 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है जिसमें से 75 ग्रामों में धोबी घाट, कपड़ा सुखवाने हेतु, 84 ग्रामों में खेल-कूद के मैदान हेतु तथा 85 ग्रामों में कुम्हारों को मिट्टी निकालने हेतु भूमि नहीं छोड़ी गयी है क्योंकि उक्त ग्रामों में जातीय पेशों से संबंधित धोबी अथवा कुम्हार जाति का कोई परिवार न होने तथा प्रधान, ग्राम सभा अथवा चकबन्दी समिति द्वारा स्थान छोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया । प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 162–164 पर)

श्री अवध नारायण सिंह (सेवा निवृत्त), सहायक चकबन्दी अधिकारी का निलम्बन अवधि के समय जीवन निर्वाह भत्ता आदि के भुगतान का मामला

36–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के रिंट संख्या–5080/83 में पारित आदेश दिनांक 23-1-89 एवं रिट याचिका संख्या 7802/89 में पारित आदेश दिनांक 30-8-90 के तहत श्री अवध नारयाण सिंह (सेवा निवृत्त), सहायक चकबन्दी अधिकारी का निलम्बन आदेश दिनांक 5-7-83 एवं 26-8-89 चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को निलम्बन अवधि का भत्ता, वेतन, सेलेक्शन ग्रेड, 1-7-82 से पेंशन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

श्री अवधि नारायण सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी (सेवा निवृत्त) को निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जा चुका है । दिनांक 1-12-93 से 31-5-94 तक अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 4-1-94 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान की स्वीकृति जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 23-4-92 महालेखाकार के आदेश दिनांक 12-8-92 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण देय तिथि से सेलेक्शन ग्रेड, वार्षिक वेतन वृद्धि व दक्षता रोक आदि का भुगतान अभी नहीं हो सका है।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज ऐथी के गाटा संख्या 3012 रक्बा 9 बिस्वा 10 धुर की सुरक्षित विवादित भूमि का अवैध पट्टा का मामला

37–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज ऐथी के गाटा संख्या 3012 रक्बा 9 बिस्वा 10 धुर तथा ग्राम रोहसी खुर्द में तमाम सुरक्षित व विवादित भूमि की नवईत बदलकर, बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव के परगनाधिकारी ने सीधे पट्टा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी को अवगत कराने के बावजूद भी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने हेतु अपात्र को पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराकर शीघ्र कार्यवाही करके पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

38–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर, ग्राम सभा कोटवा की भूमि संख्या–1138 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

39–श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोटवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा भूमि संख्या–1138 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु किन-किन लोगों पर तहसीलदार फूलपुर द्वारा कब वाद दायर किया गया था ? उक्त वाद पर क्या निर्णय लिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन व्यक्तियों पर कब्जा हटाये जाने हेतु वाद दायर किया गया था, उसमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण पहले से वर्तमान समय में ज्यादा क्षेत्रफल में कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक अवैध कब्जा हटवाकर ग्राम सभा की उक्त भूमि को ग्राम को वापस करा दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

40–श्री जोखू लाल यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

समाज कल्याण विभाग के शोध संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान के धन के दुरुपयोग की शिकायत

41–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग के शोध संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान के धन का अनियमित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या वर्ष 1986-87 एवं 1988-89 की पी० एल० ए० में जमा धनराशि तथा स्टेट बैंक, गोमती नगर के संस्थान के खाते का प्रयोग अनियमित रूप से हो रहा है ? यह धन किन-किन मदों के लिये स्वीकृत है तथा किन-किन मदों में खर्च हुआ है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

जी नहीं, उक्त अवधि में संस्थान का खाता स्टेट बैंक गोमती नगर में नहीं था ।

यह धनराशि कार्यालय व्यय, मशीन साज-सज्जा, उपकरण/संयत्र आदि मदों हेतु स्वीकृत की गयी थी तथा इन्हीं मदों में व्यय की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बैतालघाट के अतिवृष्टि से प्रभावित कतिपय ग्रामों को अन्यत्र बसाये जाने की मांग

42–श्री बंशीधर –

क्या सरकार को जानकारी है कि बेतालघाट विकास खण्ड जिला नैनीताल के अनेक गांव बाढ़ की अति वृष्टि में लगभग खत्म हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसमें मलियाल गांव, घंघरेटी, टंग्यूडा इत्यादि प्रमुख हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें अन्यत्र बसाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में माह सितम्बर, 1993 में अतिवृष्टि के कारण ग्राम–घंघरेटी, टंग्यूडा, ग्राम सोन गांव, चक तथा भलियाल गांव आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । ग्राम सोन गांव, चक, भलियाल गांव के 22 प्रभावित परिवारों को इसी ग्राम के अन्तर्गत भूमि देकर बसाया गया है ।

राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा स्थायी संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए बनायी गयी सूची

43–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा स्थायी संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद के पदोन्नति के लिये वर्ष 1989 में एक ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के समय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने दिनांक 6 फरवरी, 1992 व 7 अक्टूबर, 1993 को पदोन्नति देते समय

राजस्व परिषद् के द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदोन्नति को निरस्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त पदोन्नति मंडलायुक्त द्वारा दिनांक 7-10-93 को स्थानीय व्यवस्था में तीन माह के लिए की गई थी ।

उक्त पदोन्नति का कार्यान्वयन नहीं हो पाया था और 3 माह की अवधि समाप्त होने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो गया था । अतः उक्त पदोन्नति को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम पेरासरैया, इसौली में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का आवंटन

44–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पेरासरैया, इसौली, सुल्तानपुर में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का अब तक आवंटन किन-किन पात्र लोगों में किया गया है ? कितने भूमिहीन पात्र लोग आवंटन के लाभ से वंचित रह गये हैं ? कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूमिहीन न होते हुए भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से काबिज कराया गया है ? उनके विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम पीरोसरैया, परगना बरोसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में कुल 257 पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन हुआ है । (सूची कार्यालय में उपलब्ध है)

तहसील अभिलेखों के अनुसार इस ग्राम में कोई भी पूर्णतः भूमिहीन पात्र व्यक्ति आवंटन से वंचित नहीं है ।

ग्राम पीरोसरैया में केवल तीन व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से काबिज पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार सदर के न्यायालय में बेदखली का वाद विचाराधीन है ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम उमरा, परगना इसौली में भूमिहीन परिवारों को ग्राम समाज/सीलिंग की भूमि का आवंटन

45–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरा, परगना इसौली, सुल्तानपुर में कितने ऐसे भूमिहीन परिवार हैं जिनको अभी तक ग्राम समाज/ सीलिंग की भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त गांव में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि और सीलिंग भूमि का आवंटन गांव में पात्रता की शर्तें पूरी न करने वाले लोगों को कर दिया गया है ? क्या जबरिया उन्होंने कब्जा भी उक्त भूमि पर कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त गांव में कितने भूमिहीन हैं, जो आवंटन के लाभ से वंचित हैं ? अब तक किन-किन लोगों को नियम के विरुद्ध भूमि को आवंटित किया गया है ? कितनी भूमि पर किन-किन लोगों का अवैध कब्जा है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम उमरां, परगना इसौली, तहसील मुखाना में कुल 20 भूमिहीन परिवार हैं, जिन्हें ग्राम सभा अथवा सीलिंग भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ।

ग्राम उमरा में सीलिंग भूमि नहीं है । कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का पट्टा कुल 60 व्यक्तियों को किया गया था । सभी व्यक्ति पात्रता सूची में अंकित हैं तथा पात्र होने के कारण भूमि का आवंटन किया गया था । पट्टे के अनुसार ही पट्टेदारों का भूमि पर कब्जा है ।

इस गांव में कुल 20 भूमिहीन परिवार हैं जिनको ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण कृषि भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है ।

उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है जिसके समाप्त होने के पश्चात् ही अवैध कब्जे के संबंध में विवरण तैयार किया जा सकेगा ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम मंझनपुर,तहसील बीकापुर के वर्तमान प्रधान द्वारा गांव सभा की कृषि योग्य भूमि का दुरुपयोग

46–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मंझनपुर, तहसील बीकापुर, फैजाबाद के वर्तमान प्रधान ने गांव सभा की कृषि योग्य भूमि को अपने सगे संबंधियों एवं परिवारजनों को आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मिल्कीपुर-अमानीगंज रोड स्थित अमरगंज बाजार में ग्राम सभा की कीमती भूमि पर राइस मिल लगाकर, दुकानें बनवाकर लाखों रुपये की सरकारी सम्पत्ति को हड़प लिया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषीजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

यह सही है कि मिल्कीपुर अमानीगंज रोड स्थित अमरगंज बाजार में ग्राम सभा की भूमि संख्या 689 पर ग्राम प्रधान द्वारा पक्का कमरा बनवाकर सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया है जिसके संबंध में धारा 122-बी उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय तहसीलदार बीकापुर के यहां से निर्णीत होकर मु० 52.00/–का जुर्माना ग्राम प्रधान श्री रणविजय सिंह के विरुद्ध कर, उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया था जिसकी निगरानी ग्राम प्रधान द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद के यहां की गयी है जो उक्त न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

अबैध कब्जेदार ग्राम प्रधान के विरुद्ध गांव सभा की भूमि से बेदखली हेतु उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122–बी की कार्यवाही की गयी है । अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध निगरानी दायर की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बहराइच में कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा शासनादेश के तहत कोटे के अनुसार नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की मांग

47–श्री मयंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 9,626/1-587जी/90, दिनांक 26-9-90 के अन्तर्गत कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी बहराइच कोटे के अनुसार नियुक्त सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मात्र मूल वेतन दिया जा रहा है, अन्य महंगाई भत्ते स्वीकृत नहीं है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सहायक अभिलेख अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–13/9/90–कार्मिक–1/1990, दिनांक 8-6-90 के अधीन नियत वेतन पर अनुसूचित जाति के सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं ।

उक्त शासनादेश के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को केवल नियत वेतन ही दिया जाना है, अतः इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं ।

उक्त समस्त कर्मचारियों ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें प्रस्तुत कर रखी हैं जिनमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

48–श्री अजय कुमार पोइया–

[तीसरे गुरूवार के लिये स्थगित]

समाज कल्याण निगम में महाप्रबन्धक वित्त एवं प्रबन्धक प्रशासन श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप एवं कृत कार्यवाही

49–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण निगम में महाप्रबन्धक वित्त एवं प्रबन्धक प्रशासन श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत शासन को प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो शिकायतों के मुख्य बिन्दु क्या थे ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

श्री अग्रवाल, महाप्रबन्धक के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति करने, अनियमित रूप से सम्पत्ति अर्जित करने, अपने पिता के उपचार हेतु निगम से धन लिए जाने, कर्मचारियों का उत्पीड़न करने, निगम के ड्राइवर को सेवा से पृथक किये जाने, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण न दिये जाने, कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे से शेयर खरीदने, पी० एल० ए० से धन आहरण अथवा बैंकों में डिपाजिट करने, ऊंची दरों पर निर्माण सामग्री क्रय करने, कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदि किये जाने की शिकायतें हैं ।

शिकायतों की जांच उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक से करायी गयी । प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त जांच आख्या में सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं इसलिए इन पर किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषदों की स्थाई सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान राजकोष से करने की मांग

50–श्री बची सिंह रावत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषदों की स्थाई सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभों का आहरण/वितरण उनके गृह जनपद के राजकोष से किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी नहीं ।

जिला परिषदें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं । जिला परिषदों के अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उनके वेतन/पेंशन का भुगतान राजकोष से किये जाने की व्यवस्था नहीं है बल्कि सम्बन्धित जिला परिषदें ही अपने निजी स्रोतों से प्राप्त आय से उक्त व्यय वहन करती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर के मौजा कुरैचा में चकबन्दी के दौरान हुई अनियमितताएं

51–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर के मौजा कुरैचा में चकबन्दी नियमों के विरुद्ध हुयी है ? यदि हां, तो क्या वहां चकबन्दी पुनः करवाई जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर में पूर्ण चकबन्दी वाले ग्रामों का विवरण

52–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर के कितने गांवों में अभी तक चकबन्दी हो चुकी है ? कितने गांव शेष रह गये हैं ? क्या शेष गांवों में भी चकबन्दी कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर के 174 ग्रामों में से 159 ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शेष बचे 15 गांवों में से 10 गांवों में धारा–4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त उसका राजकीय गजट में प्रकाशन भी हो चुका है। शेष 5 ग्रामों की भूमि निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत कृषि योग्य न होने के कारण इन ग्रामों को चकबन्दी योजना में शामिल नहीं किया जा सकता।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड ससपना के प्रधान पर जालसाजी का आरोप

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ससपना, विकास खण्ड जिला फैजाबाद के प्रधान को गम्भीर जालसाजी के आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या सम्बन्धित ग्राम प्रधान का चार्ज उप प्रधान को दिलाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित प्रधान द्वारा आयुक्त, फैजाबाद मण्डल की अदालत में कोई रिवीजन उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध कायम किया गया था ? यदि हां, तो कब और क्या ? क्या सम्बन्धित रिवीजन में आयुक्त महोदय का कोई निर्णय हुआ ? यदि हां, तो कब और क्या ? क्या उक्त आदेश के आधार पर उस प्रधान को चार्ज दिलाया गया ? यदि हां, तो कब ? चार्ज विलम्ब से दिलाने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध विभाग कार्यवाही करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां।

दिनांक 4 जून, 1992 को।

जी हां।

दिनांक 7-9-92 को।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

परगनाधिकारी द्वारा पारित निलम्बन आदेश 4-6-92 के विरुद्ध दिनांक 15-6-92 को रिवीजन दायर किया गया।

जी हां।

दिनांक 15-9-93 को रिवीजन निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

54–श्री ऊदल–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फैजाबाद, तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा की ग्राम समाज की भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटन किये जाने की मांग

55–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा घोड़वल तहसील बीकापुर, परगना खण्डासा, जिला फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि संख्या 876 रिक्त पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि का आवंटन अनुसूचित जातियों को करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम घोड़वल में भूमि संख्या–876/रकबा (एक बिस्वां एक बिस्वांसी) 0-1-1/सार्वजनिक चकमार्ग (चकरोड) के रूप में रिक्त है ।

चूंकि यह भूमि सार्वजनिक मार्ग के रूप में सुरक्षित है इसलिये भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत भूमि चकमार्ग है इसलिये आवंटन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद, तहसील बीकापुर में भूमि संख्या 1023 की भूमि ग्राम समाज अजरौली के खाते में अंकित होने तथा इस भूमि को भूमिहीनों को आवंटित न किये जाने का कारण

56–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम कलुआमऊ, मजरे अजरौली, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद की भूमि संख्या 1023 स्थित ग्राम उपरोक्त ग्राम समाज अजरौली के खाते में अंकित है ? यदि हां, तो उक्त भूमि को गांव के पात्र भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर गांव के किसी सरकस व्यक्ति का अनियमित कब्जा है ? क्या उक्त गांव में अनुसूचित जाति का प्रधान होने के नाते उक्त भूमि के आवंटन किये जाने में प्रधान को कब्जेदारों से जान का खतरा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । ग्राम समाज के खाते में अंकित है । जिसमें रकबा 1-16-0 (एक बीघा 16 बिस्वा) का कुल 6 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटित हो गया है । शेष 2-6-12 क्षेत्रफल जलमग्न भूमि है जो आवंटन योग्य नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ?

जिला फैजाबद की तहसील बीकापुर, ग्राम मोहली, परगना खण्डासा में उपलब्ध ग्राम समाज की भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन

57–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मोहली, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद में उपलब्ध ग्राम समाज में कृषि योग्य भूमि का आवंटन उक्त ग्राम के पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो गांव में कुल उपलब्ध कृषि योग्य भूमि कितनी थी ? अब तक उक्त भूमि को किन-किन और कुल कितने पात्र व्यक्तियों में आवंटित किया गया है ? क्या सरकार अवशेष कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि को गांव के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां, पात्र व्यक्तियों में आवंटन कर दिया गया है ।

कुल कृषि योग्य भूमि रकबा 32–6–0 (32 बीघा 6 बिस्वा) थी ।

अब तक कुल 46 पात्र व्यक्तियों में रकबा 32–6–0 (32 बीघा 6 बिस्वा) भूमि का आवंटन किया गया है ।

ग्राम में कृषि योग्य कोई भूमि अवशेष नहीं है, अतएव आवंटन कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद के ग्राम पालपुर, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर के कतिपय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मकान हेतु आवंटित भूमि पर कब्जा न दिये जाने की शिकायत

58–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पालपुर, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद के निवासी भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त गांव की भूमि संख्या 1450 में श्री कन्ताहू, भोदत्त, बदलू, रामताख्न, रघुनाथ, जगरूप, श्रीनाथ अनु० जाति को आवास हेतु एक-एक बिस्वा भूमि वर्ष 1976 में आवंटित की गयी थी ? क्या उस भूमि पर आवटियों के पक्ष में न्यायालय अपर आयुक्त, फैजाबाद ने दिनांक 4-12-93 की डिग्री दे दी है ? यदि हां, तो क्या इसके बावजूद भी आवंटियों को आवासी पट्टे की भूमि पर अभी तक कब्जा व निशानदेही नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन लोग दोषी हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर की आरक्षित भूमि अपात्र व्यक्तियों में आवंटन के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर से की गयी शिकायत पर कृत कार्यवाही

59–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-12-93 का पत्र, जिसमें ग्राम ऐंधी, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर के गाटा सं० 3012 खाद गढ्ढे हेतु

आरक्षित भूमि की नवइय्यत बगैर न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बदलकर अवैधानिक तरीके से अपात्र लोगों को सोमोटिव से परगनाधिकारी द्वारा पट्टा करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्या उक्त अनियमितता के संबंध में कोई कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच परगनाधिकारी, गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर द्वारा की गयी है ।

आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है । इसलिए कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर के ग्राम रोहसी खुर्द, तहसील गौरीगंज में हुए अवैध पट्टे के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही

60–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री गंगा बख्श सिंह आदि ग्राम रोहसी खुर्द, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18-12-93 को अग्रसारित कर दिया गया था ? जिसमें उक्त ग्राम में अवैध पट्टों की शिकायत अंकित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच तहसीलदार, गौरीगंज द्वारा माननीय विधायक की उपस्थित में की गयी है ।

जांच में कोई भी आवंटन अनियमित नहीं पाया गया, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र 31–कुन्दरकी में अनुसूचित जाति के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

61–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 31–कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ते हैं ? जिनके रहने के लिए कोई अम्बेडकर छात्रावास नहीं है जिससे छात्रों को दूर से आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अम्बेडकर छात्रावास बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में छात्रवास निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । उल्लेखनीय है कि संबंधित जिलाधिकारी से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाता है ।

जिला हरदोई, ग्राम सभा अटवा असिगांव, विकास खण्ड हरयांवा में भूमि संख्या 1227 में बने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मकान से बेदखल करने का मामला

62–श्री राम पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अटवा असिगांव, विकास खण्ड हरयांवा, जिला हरदोई, में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम असिगांव में भूमि संख्या 1227 पर किस अनुसूचित जाति का आवास था ? क्या यह सही है कि उक्त भवन को ग्राम प्रधान द्वारा गिराकर उक्त भूमि को अनियमित रूप से किसी व्यक्ति को पट्टा करके कालोनी बनवा दी गयी है ? यदि हां, तो जांच कराकर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्नगत भूखण्ड पर श्री वेद प्रकाश पुत्र रेवती अनुसूचित जाति का निजी मकान व सहन लगभग 2800 वर्ग फुट पर बना है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरी, तेजवापुर रोहनायीरा में भूमि आवंटन में हुई अनियमिततायें

63–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरी, तेजवापुर, रोहनायीरा में भूमि का आवंटन 1975 से 93 तक बीच में किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अनु० जाति एवं भूमिहीन का कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

भ्रमण के दौरान कब्जे की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, मौके पर पुनः पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीनगर (गढ़वाल) में तहसील स्थापना का प्रस्ताव

64–श्री हरक सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) में तहसील स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तहसील की स्थापना की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम फैजल्लापुर में खेतान केमिकल्स की निर्माणाधीन फैक्ट्री द्वारा पानी निकासी हेतु अवैध कब्जा की शिकायत

65–श्री भगवत शरण गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज के ग्राम फैजल्लापुर में खेतान कैमिकल्स की निर्माणाधीन फैक्ट्री द्वारा उक्त ग्राम के पानी निकासी का नाला बनाये जाने हेतु ग्राम समाज व एक चक रोड पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

यह सच है कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम फैजल्लापुर में खेतान केमिकल्स की निर्माणाधीन फैक्ट्री पानी निकासी के नाले के 0.190 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है । नाले की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेने के कारण उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122–बी के अन्तर्गत बेदखली व हर्जाने का वाद तहसीलदार, नवाबगंज के न्यायालय में दायर किया गया है, जो विचाराधीन है । चकरोड मौके पर विद्यमान है, इस पर कोई कब्जा फैक्ट्री ने नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैंण में स्थित ग्राम सभा रौली में हो रहे भू-स्खलन के कारण पूरे गांव को खतरे से बचाने की योजना

66–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैंण में स्थित ग्राम सभा रौली में वर्षों से भू-स्खलन हो रहा है, जिससे पूरा गांव खतरे में है ? क्या इस ग्राम सभा को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई उपाय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस गांव को सुरक्षा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम समाज को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उप वन संरक्षक भूमि एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा योजना बनायी जा रही है ।

जिला स्तर से योजना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री विश्वनाथ–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 187 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया के रामचित्र सिनेमा के सामने व पीछे की जमीन पर ग्राम प्रधान, करनपुर द्वारा अनाधिकृत कब्जा

68–श्री उमाशंकर तथा श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, करनपुर, जनपद गोण्डा (विकास खण्ड छपिया) ने रामचित्र सिनेमा के सामने व उसके पीछे दर्जनों एकड़ भूमि पर ग्राम सभा के कुछ अन्य लोगों की मिली भगत से अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्नगत गांव में ग्राम सभा की ऐसी भूमि रामचित्र सिनेमा हाल के आगे-पीछे नहीं है, जिस पर ग्राम प्रधान का कब्जा हो ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाये जाने का मामला

69–श्री धनराज यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटा देने के लिए कोई विभागीय निर्देश दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि शासनादेश के अनुसार 240 दिन लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत कर्मचारियों का छंटनी आदेश वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

नियमित नियुक्तियां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ही किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला महराजगंज में महराजगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मार्च, 1990 में सीजनल अमीनों व चपरासियों की नियुक्ति

70–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाराजगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मार्च, 1990 में सीजनल अमीन और चपरासियों के पदों पर कोई नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या इन नियुक्तियों में अभ्यर्थियों के नाम व पते सही हैं ? क्या इनकी निवास सत्यता की पुष्टि की गयी है ? क्या यह भी सही है कि इनके नाम पर आहरित वेतन अनर्ह कर्मचारियों ने प्राप्त किये हैं ? क्या इस विषय में तत्कालीन जिलाधिकारी ने कोई जांच करवायी है ? यदि हां, तो उसमें कौन दोषी पाया गया ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

मार्च, 1990 में 4 सीजनल अमीन और 4 सीजनल चपरासियों की नियुक्ति की गयी थी । यह नियुक्तियां तहसील सदर में की गयी थीं ।

इन नियुक्तियों के नाम व पते सही हैं ।

हां, पुष्टि की गयी है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में वर्ष 1990 से 1993 तक अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सरकारी कृषि योग्य आबंटित भूमि पर कब्जा देने की मांग

71–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1990 से 1993 तक कितने अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सरकारी असिंचित व कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिये गये हैं ? क्या सभी को कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन लोगों को अभी तक पट्टों पर कब्जा नहीं मिला है उन्हें कब तक इन पट्टों पर कब्जा मिल जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

बस्ती जनपद में वर्ष 1990 से 1993 तक कुल 1652 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषिक भूमि का पट्टा दिया गया है । इस जनपद में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद व ब्लाक चमरौआ में वर्ष 1993 में बाढ़ से पीड़ित ग्रामों के व्यक्तियों को दी गयी बाढ़ राहत सहायता

72–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद व ब्लाक चमरौआ में वर्ष 1993 में कौन-कौन ग्राम बाढ़ की चपेट में आये ? किन-किन ग्रामों में किन-किन लोगों को कितनी-कितनी सहायता राशि किन-किन अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी ? क्या मंत्री जी बाढ़ राहत पाने से वंचित व्यक्तियों को भी शीघ्र राहत दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वर्ष 1993 में जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद में आयी बाढ़ में 36 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें से 4,549 व्यक्तियों को शासनादेशों के अनुरूप 18,28,000.00 रु० की सहायता राशि 5 अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी । इसी प्रकार ब्लाक चमरौआ के 59 ग्राम प्रभावित थे, जिनमें 3119 प्रभावित व्यक्तियों को रु० 12,75,150.00 की सहायता राशि 6 अधिकारियों द्वारा वितरित की गई । अब किसी ग्राम में किसी पात्र व्यक्ति को सहायता राशि दिया जाना शेष नहीं है ।

ग्रामवार राहत के विवरण की सूची अवलोकनार्थ मेरे कक्ष में उपलब्ध है । मा० सदस्य अपनी सुविधानुसार उक्त सूची देख सकते हैं ।

जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में पीराही जाति को मुस्लिम पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने की मांग

73–डा० सियाराम सागर–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तहसील फरीदपुर जनपद बरेली, उ०प्र० में पीराही जाति निवास करती है, जिसका नाम मुस्लिम सूची में नहीं है ? क्या सरकार पीराही जाति को मुस्लिम (पिछड़ी जाति) में सम्मिलित कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

विभिन्न जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित अथवा निष्कासित करने आदि एवं तत्सम्बन्धी प्रस्ताव आदि पर सम्यक रूप से विचार करने हेतु उ०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है । अतः पीराही जाति को भी पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र को विचार हेतु उ०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जा चुका है ।

जनपद हरदोई में 5वीं तहसील बनाने का प्रस्ताव

74–श्री विश्राम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में 5वीं तहसील बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां और वह तहसील कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगी ? क्या प्रस्तावित स्थान में परिवर्तन करने पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

मुख्यालय नियत करने का प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय मार्गों एवं प्रमुख मार्गों के किनारे लगे पुराने पेड़ों को कटवाने का शासन का विचार

75–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्गों एवं प्रमुख मार्गों के किनारे लगे पुराने पेड़ों जिनकी अवधि समाप्त हो गयी है और जो खराब हो रहे हैं, उन्हें कटवाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो क्या काष्ठकला को प्रोत्साहन देने हेतु आरा मशीनों को नये लाइसेन्स देने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

पूर्णतयः सूखे व उखड़े वृक्षों का निस्तारण उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम हसनपुर लोढ़ा में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को जिला परिषद् गाजियाबाद द्वारा एलोपैथिक चिकित्सालय के रूप में संचालन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी

76–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हसनपुर लोढ़ा जनपद गाजियाबाद में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालय के रूप में संचालन हेतु जिला परिषद्, गाजियाबाद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकार करके कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री राम लखन वर्मा–

जिला परिषद्, गाजियाबाद द्वारा संचालित ग्राम हसनपुर लोढ़ा, गाजियाबाद में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को एलोपैथिक चिकित्सालय के रूप में संचालन हेतु जिला परिषद् गाजियाबाद द्वारा शासन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था वरन् उक्त चिकित्सालय को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव जिला परिषद् से प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, मेरठ के माध्यम से कतिपय सूचनायें मांगी गई हैं । सूचना प्राप्त होने के बाद गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

77–78–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 153–154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

79–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[तीसरे गुरुवार के लिये स्थगित]

जिला सुल्तानपुर के ग्राम मायंग, परगना बरौसा में कृषि योग्य भूमि का भूमिहीनों में आवंटन

80–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम मायंग, परगना बरौसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीनों पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कितने व्यक्तियों का कब से अवैध कब्जा है ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा मायंग परगना बरौसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में कृषि योग्य भूमि का आवंटन कुल 31 व्यक्तियों को वर्ष 1978 में हुआ है । (पात्र व्यक्तियों के नामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है) ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र दुद्धी वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता की तोड़ाई आदि की मजदूरी में खर्च का ब्यौरा

81–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र दुद्धी वन प्रयाग के ओर ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत वन निगम द्वारा डी० एल० एम० द्वारा रेनकूट, डी०एल०एम० ओबरा दुद्धी के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 91-92 और 92-93 में कितना मानक बोरा और कितना वजन का तेन्दूपत्ता प्रभागवार तोड़ा गया ? मजदूरों को उस मानक बोरा के मुताबिक कितनी तोड़ायी की मजदूरी दी गयी ? उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में तेन्दूपत्ता संग्रहण में मदवार व ब्यौरावार खर्च का विवरण क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि तेन्दुपत्ता संग्रहण कार्य में जितना खर्च बैंक के ब्याज सहित हुआ क्या वर्षवार अन्तिम वर्ष में वन निगम को उतना फायदा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद सोनभाद्र के रेनुकूट, ओबरा लौगिंग प्रभागों व तेन्दूपत्ता प्रभाग, दुद्धी में वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में निम्न तालिका के अनुसार तेन्दूपत्ता के मानक बोरों का संग्रहण हुआ :–

प्रभाग का नाम	उत्पादन	प्रति वर्ष	(मानक बोरा)
	90-91	91-92	92-93
रेनुकूट	77242.440	81764.635	84573.219
ओबरा	65626.918	79572.806	72031.550
दुद्धी	69046.603	71917.331	756447.468

संग्रहण के दौरान तेन्दूपत्ता का क्रय वजन के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि संख्या के आधार पर किया जाता है ।

वर्ष 1990-91 में भण्डारण के समय तौल की प्रक्रिया नहीं थी । 1991-92 में यह प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परन्तु केवल सामान्य ग्रेड की पत्तियों तक ही सीमित रखी गयी । वर्ष 1992-93 से सभी पत्तियों के भण्डारण के समय तौल की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

प्रभाग का नाम	उत्पादन (किलो ग्राम में)	
	1991-92	1992-93
	सामान्य पत्ती	सभी पत्ती
रेनुकूट लौ०प्र०	1459408.50	3534550.00
ओबरा लौ०प्र०	2120931.60	3351522.50
दुद्धी लौ०प्र०	1622804.30	2997628.80

तेन्दूपत्ता की प्रति मानक बोरा तोड़ाई सीधे मजदूरों को न देकर वन निगम के प्रतिनिधि को (फड़ मुंशी) शासन द्वारा निर्धारित दरों पर दी जाती है, जिसका वर्ष वार–प्रभागवार विवरण निम्नवत् है :–

प्रभाग का नाम	तेन्दु पत्ता क्रय के विरुद्ध भुगतान की गयी धनराशि (रुपये में)		
	90-91	91-92	92-93
रेनुकूट	13903639.20	19623512.45	20297572.56
ओबरा	11812845.24	19097473.45	17287572.00
दुद्धी	12428388.54	17260159.44	18155392.32

सम्बन्धित विवरण सलंग्नक–1 में दिये गये हैं †

तेन्दूपत्ता संग्रहण के अन्तिम वर्ष 1992-93 में हुए व्यय एवं वन निगम को हुए लाभ का विवरण निम्नवत है :–

प्रभाग का नाम	व्यय (रुपये में)	लाभ (रुपये में)
रेनुकूट	43138959.09	18934136.01
ओबरा	37445421.86	28146601.51
दुद्धी	39910887.10	12905211.80

अपर जिला विकास वित्त निगम, समाज कल्याण, रामपुर द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बनी दुकानों का आवंटन

82–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिला विकास वित्त निगम, समाज कल्याण, रामपुर द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विकास खण्ड शाहबाद स्तर पर कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया है ? उन दुकानों में से कितनी दुकानें शहरी व कितनी दुकानें ग्रामीण व्यक्तियों के नाम आवंटित की गई हैं ? कितनी दुकानें अभी आवंटित होना शेष हैं ? क्या शेष दुकानों का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

स्पेशल कम्पोनेट प्लान योजनान्तर्गत विकास खण्ड शाहबाद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र दुकान निर्माण योजना तथा शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल 91 दुकानों का निर्माण कराया गया है ।

निर्मित दुकानों में से ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को 63 तथा शहरी क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को 28 दुकानें आवंटित की गई हैं ।

शून्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद बलिया में वर्ष 1980-81 से कार्यरत संग्रह अमीन को स्थायी किये जाने की मांग

83–श्री बनवारी सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1980-81 से आज तक लगातार संग्रह अमीन के पद पर कितने कर्मचारी अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं ? क्या यह भी सच है कि उक्त संग्रह अमीनों से निरन्तर कार्य लिया जाता रहा है ? क्या यह भी सही है कि निरन्तर काम लेने के बावजूद भी अप्रैल, 1992 से अब तक का वेतन उनको नहीं दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संग्रह अमीनों का स्थायीकरण करने के लिये कोई पत्रावली राजस्व परिषद्, उ०प्र० में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रावली का निस्तारण कराकर इन संग्रह अमीनों का स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन विभाग मुख्यालय लखनऊ में स्थित प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त में सात वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

84–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग मुख्यालय लखनऊ स्थित प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त में कार्यरत तकनीकी कर्मी सिने कैमरा मैन व साहित्यिक सहायक के अतिरिक्त यहां कितने कर्मचारी जनसम्पर्क कार्यों से सीधे जुड़े नहीं हैं ? क्या शासन ऐसे तमाम कर्मचारियों की संख्या मे कमी लाने पर विचार करते हुए यहां सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण शासन की नीतियों के अन्तर्गत करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत 12 कर्मचारी कार्य के हित में कर्मचारियों की संख्या में कमी का औचित्य नहीं है । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वृत्तवार संवर्ग है । अतः वृत्त के बाहर स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की ग्राम सभा गौरा विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर के भूमिहीनों को पट्टा दिये जाने की सरकार की नीति

85–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के भूमिहीनों को गोमती नदी के किनारे अथवा अन्य खाली जमीन पर कितने पात्र व्यक्तियों को वर्ष 1993 तक पट्टा दिया गया है ? उन पर कौन-कौन लोग काबिज हैं ? उनकी गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल क्या है ? क्या यह सही है कि अभी तक कुछ लोगों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और कब्जा उन्हें न मिलने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम गौरा विकास खण्ड बदलापुर तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर के 29 पात्र भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि हेतु तथा 5 पात्र व्यक्तियों को आवास स्थल हेतु वर्ष 1993 तक पट्टा दिया गया है ।

सूची संलग्न है ।

कृषि भूमि आवंटी जेठू को आवंटित गाटा संख्या 462/3/1 क्षेत्रफल 0.15 एकड़ व आवंटी जंगली को आवंटित गाटा संख्या 462/3/2 रकबा 0.15 एकड़ पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका था, इसका कारण यह है कि चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चकबन्दी न्यायालय द्वारा क्षेत्रफल दो बार अंकित होने के कारण पट्टेदार के खाते से निरस्त कर दिया गया है । चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के कारण उपरोक्त गाटा पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही सम्भव नहीं है । आवंटी जेठू को गाटा संख्या 503/1/1, रकबा 0.10 एकड़ तथा गाटा संख्या 436/30 रकबा 0.0 एकड़ व आवंटी जंगली को गाटा संख्या 470 रकबा 0.05 एकड़ व गाटा संख्या 503/1/2 रकबा 0.10 एकड़ पर कब्जा मिल चुका है ।

(देखिये सूची नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 165–166 पर)

86–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

87–श्री श्याम लाल रावत–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा –

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र में लौगिंग प्रभाग, रेनूकूट के डी० एल० एम० श्री ओ० पी० सिंह द्वारा वन कटान तथा सुरक्षा खाई खुदाई में दी गयी मजदूरी का सत्यापन

89–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में लौगिंग प्रभाग, रेनूकूट के डी० एल० एम० श्री ओ० पी० सिंह द्वारा वन कटान तथा सुरक्षा खाई खोदवाने का कार्य भी कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त कार्य में सरकार द्वारा कितनी मजदूरी दर निर्धारित की गयी है ? मौके पर मजदूरों को किस रेट से भुगतान किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त दोनों कार्यों में कार्यरत मजदूरों को, जो मजदूरी भुगतान की गयी है, उसका मौखिक सत्यापन करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

प्रकाष्ठ कटान के लिए 50 रुपये प्रति घनमीटर तथा जलौनी कटान हेतु 20 रुपये प्रति घनमीटर अधिकतम नार्म्स निर्धारित हैं । खाई खुदान हेतु सामान्य भूमि में 1.20 मी० × 1 मी० × 0.75 मी० की साइज के खुदान हेतु 7 रुपया प्रति रनिंग मीटर तथा पथरीली भूमि पर 9 रुपया प्रति रनिंग मीटर अधिकतम नार्म्स निर्धारित है ।

मौके पर निर्धारित दर से भुगतान किया जा रहा है ।

श्रमिकों को भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर सत्यापन के पश्चात् ही किया जाता है।

जनपद सोनभद्र के वन निगम लौगिंग प्रभाग रेनूकूट के अन्तर्गत दुद्धी विक्रय डिपो के निर्माण में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का सत्यापन

90–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के वन निगम लौगिंग प्रभाग, रेनूकूट के अन्तर्गत डी० एल० एम० श्री ओ० पी० सिंह द्वारा आश्रम मोड़, गोविन्दपुर में विक्रय डिपो की बाउण्ड्री वाल निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी ? क्या दुद्धी में विक्रय डिपो पहले से मौजूद था ? यदि निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी, तो किस अधिकारी के आदेश से दुद्धी का डिपो आश्रम मोड़ में लाया गया और निर्माण कराया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डिपो की बाउण्ड्री के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी गयी ? सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को कितनी मजदूरी देने की घोषणा की गयी है ? क्या मजदूरों को भुगतान किये गये मजदूरी धन का भौतिक सत्यापन सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रबन्ध निदेशक, वन निगम द्वारा 29 सितम्बर, 1993 को वित्तीय स्वीकृति दी गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डिपो की बाउण्ड्री का निर्माण ठेका पद्धति पर कराया गया ? अतः श्रमिकों को मजदूरी देने तथा उसका सत्यापन करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट लौगिंग प्रभाग वन निगम के डी० एल० एम० द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

91–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-93 को जनपद सोनभद्र के रेनूकूट लौगिंग प्रभाग वन निगम के डी० एल० एम० द्वारा किये जा रहे घोर भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निवर्तमान प्रबन्ध निदेशक, वन निगम द्वारा किये गये भ्रष्ट क्रिया-कलापों के विरुद्ध महामंत्री वन निगम कर्मचारी कल्याण संघ का पत्र एवं उच्च स्तरीय जांच में हुई प्रगति की जानकारी

92–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महामंत्री वन निगम कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश का दिनांक 24-9-93 का पत्र जो उ० प्र० वन निगम के निवर्तमान प्रबन्ध निदेशक के भ्रष्ट क्रिया-कलापों

से निगम को करोड़ों रुपये की हानि की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

मामले में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन निगम के छटनीशुदा स्केलर कर्मचारियों को बहाल करने हेतु मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ का अन्तरिम आदेश

93–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम के छटनीशुदा स्केलर राधेश्याम मिश्र और विश्वम्भर नाथ वर्मा को उनका वेतनमान पूर्ववत् की भांति देते हुए बहाल करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ का अन्तरिम आदेश संख्या–2408/93, दिनांक 2-4-93 प्रबन्ध निदेशक, वन निगम उ० प्र० को प्राप्त होने के बाद भी उक्त कर्मचारियों को बहाल न करने का क्या कारण है ?

श्री भगवती सिंह–

श्री राधेश्याम मिश्र तथा श्री विश्वम्भर नाथ वर्मा, वन निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर सीजनल कर्मी के रूप में रखे गये थे । कार्य समाप्त होने पर दिनांक 31-7-93 से सीजन अवकाश दे दिया गया । निर्देश याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

कन्नौज को जिला बनाने की मांग

94–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी व महाराजा हर्ष की राजधनी होने के कारण कन्नौज को जिला बनाने की कोई कार्यवाही शासन में चल रही है ? यदि हां, तो कब तक जिला बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत गठित दो लागिंग प्रभाग

95–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं कार्य की अधिकता को देखते हुए वन निगम की दो लागिंग प्रभाग (रेनूकूट व दुद्धी) का गठन किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से दुद्धी लागिंग प्रभाग को तोड़कर रेनूकूट में मिला दिया गया है ? क्या यह सही है कि इसी वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्य करने में कठिनाई हो रही है ? क्या मंत्री जी जनहित में दुद्धी लागिंग प्रभाग को पुनः बहाल करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

कार्य की कमी के कारण दुद्धी तेंदू पत्ता प्रभाग समाप्त कर दिया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कार्य की कमी के कारण पुनः बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के वन विभाग में रेनूकूट लौगिंग के डी० एल० एम० श्री ओ० पी० सिंह द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

96–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने विभाग में अपने अधीन अपने सगे-संबंधी या रिश्तेदार को ठेका या अन्य लाभ के कार्य नहीं दिला सकता ? यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जनपद सोनभद्र के रेनूकूट लौगिंग के डी० एल० एम० श्री ओ० पी० सिंह अपने भतीजे या नजदीकी रिश्तेदार के नाम से (आनन्द टिम्बर्स वर्क्स) तेन्दूपत्ता ढुलान, तेन्दू पत्ता क्रय करने का कार्य और ओबरा लौगिंग प्रभाग के डी० एल० एम० श्री आर० सी० श्रीवास्तव ने अपने साले के नाम तेन्दू पत्ता का ढुलान आदि का काम दिया था ? क्या यह सही है कि इन लोगों के नाम से कोई वाहन/ट्रक आदि नहीं थे ? क्या ऐसे टेण्डर्स निरस्त कर दिये गये थे जो कम रेट पर तेन्दू पत्ता अपने ट्रक से ढोना चाहते थे ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

जी हां । उ० प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में इस आशय का प्राविधान है ।

प्राप्त सूचना का परीक्षण किया जा रहा है ।

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार न्यूनतम दर देने वाले सभी वैध टेण्डर वालों को ढुलान कार्य दिया गया ।

परीक्षणोपरान्त अनियमितता मिलने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रमाण-पत्रों में मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का ही उल्लेख करने की व्यवस्था हेतु आदेश निर्गत किये जाने की मांग

97–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह ज्ञात है कि पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) में कई अन्य उपजातियां भी हैं एवं उनका उल्लेख जाति प्रमाण-पत्रों को बनाने में किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन उपजातियों का उपयोग शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों एवं अन्य कार्यों में भी करना पड़ता है, जिसका बुरा असर इन जातियों पर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के जाति प्रमाण-पत्र बनाने, शिक्षण संस्थाओं/नौकरी इत्यादि

में इन "उपजातियों" का उल्लेख करना "प्रतिबन्धित" करने पर विचार करेगी ? क्या प्रमाण-पत्रों में मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का ही उल्लेख करने की व्यवस्था/आदेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो किस तिथि तक "उपजातियों" के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

यद्यपि प्रश्न का यह अंश स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रश्न के अनुसार पिछड़ा वर्ग में (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) को जोड़ा गया है । वर्तमान स्थिति के अनुसार शासनादेश संख्या 1432/26-3-86-11(वि०स०)/86, दिनांक 10 जुलाई, 1986 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में 66 जातियां, अनुसूचित जनजाति की सूची में 5 जातियां तथा उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में 35 हिन्दू जातियां एवं 21 मुस्लिम जातियां सम्मिलित की गयी हैं । जाति प्रमाण-पत्र इसी शासनादेश के आधार पर बनाये जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों आदि में आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनाने से बुरा असर पड़ने का कोई आधार नहीं है ।

सम्प्रति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को उपरोक्त शासनादेश में अंकित जातियों के अनुसार ही प्रमाण-पत्र दिये जाने की व्यवस्था है । शासनादेश के अनुसार जातियों का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि कोई अन्यथा अपात्र व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों को देय अनुमन्य लाभों का गलत लाभ न उठा सकें ।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम हटौली की आबादी की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही

98–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम हटौली में आबादी की भूमि को, विशेष तौर पर भूखण्ड संख्या–446 रकबा 29 बीघा में से 21 बीघा का भूमिहीन एवं अल्पभूमि वाले लोगों को पट्टा दिये जाने हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव तहसील स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा होने के कारण कर्मचारी एवं अधिकारी पट्टा संबंधी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्ड से अनाधिकृत कब्जा हटा कर पट्टा संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जांच कराने पर प्रश्नगत गांव में 3 बीघा 8 बिसवा पर 5 व्यक्तियों का अनाधिकार कब्जा पाया गया था जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है । यह कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बाराबंकी में तहसील नवाबगंज के ग्राम पल्हरी में प्रतापगंज के कतिपय भूखण्डों पर अवैध कब्जा को हटाकर पात्र व्यक्तियों में आवंटन का मामला

99–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में तहसील नवाबगंज के ग्राम पल्हरी में परगना प्रतापगंज भूखण्ड संख्या–1 से 13 तक एवं 919, 1017, 166, 120, 1225, 127, 1228, 1229

आदि ग्राम सभा के भूखण्डों पर वन विभाग का अनधिकृत कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त भूखण्डों को 1965 से भकोसा, कुरीलपुर, किदवई नगर कोला गह बड़ी आदि गांवों में पुनर्वासित अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लगभग तीन सौ परिवारों के बीच वितरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भूखण्डों पर वन विभाग का अनाधिकृत कब्जा होने की स्थिति में कब्जा छुड़ाने का प्रयास करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वर्णित गाटों में मात्र एक गाटा संख्या 120 मि०/0.099 हैक्टेयर ग्राम सभा का है जिस पर वन विभाग का कब्जा नहीं है । अन्य कोई भी गाटा संख्या गांव सभा का नहीं है ।

गाटा संख्या 120/0-99 हैक्टेयर को किसी अन्य गांव के निवासियों में वितरित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनाधिकार कब्जा नहीं है । अतः कब्जा छुड़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में चकबन्दी शीघ्र शुरू करने की सरकार की नीति

100–श्री हरक सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में चकबन्दी शीघ्र शुरू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी के 7 ग्राम आरम्भिक स्तर पर चकबन्दी योजना में शामिल किए जा चुके हैं जिनका दिनांक 23-11-91 को शासकीय गजट में प्रकाशन हो चुका है ।

उक्त में से 3 ग्रामों में अभिलेखों का अमलदरामद किया जा चुका है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्य अभिलेख भी तैयार किये जा चुके हैं परन्तु ग्रामों के कृषक, चकबन्दी समिति के सदस्य व प्रधान, ग्राम सभा द्वारा चकबन्दी न करने के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति के कारण चकबन्दी की अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध है । शेष 4 ग्रामों के चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(2) के प्रकाशन के समय ही कृषकों एवं प्रधान, ग्राम सभा के विरोध के कारण इन ग्रामों की चकबन्दी की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी । जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सुझाव भेजें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम डेहरियावां, असरखपुर परगना इसौली तहसील मुसाफिरखाना में ग्राम समाज की भूमि को पात्र व्यक्तियों में आवंटित किये जाने का मामला

101–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि डेहरियांवा, असरखपुर, परगना–इसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला–सुल्तानपुर में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन ग्राम के पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है ?

उपरोक्त गांव में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर उक्त गांव के कितने अपात्रों का अभी कब्जा है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में असरखपुर नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

ग्राम डेहरियांवा, परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना में सन् 1976 में 71 व्यक्ति को, वर्ष 1982 में 1 व्यक्ति को, कुल 72 पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है । इनमें से 57 अनुसूचित जाति, 14 पिछड़ी जाति तथा 1 अन्य जाति के व्यक्ति हैं । चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् अभी कुछ भूमि अवशेष है । जिसमें आवंटन की कार्यवाही के अभिलेखों की तैयारी की जा रही है ।

ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया से निकलकर सितम्बर, 1993 में प्राप्त हुआ है । अभिलेखों की तैयारी की जा रही है । उसके पश्चात् भूमि का भौतिक सत्यापन करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कितने अपात्रों का अभी कब्जा है । और तदोपरान्त उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी सम्भव होगी ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लऊसासाथ के निवासी श्री खखनु यादव के खेतों के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय के बाद हुई कार्यवाही की जानकारी

102–श्री मुक्तिनाथ तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मऊ अन्तर्गत विकास खण्ड–फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लऊसासाथ, निवासी श्री खखनु यादव पुत्र स्व० श्री बहादुर का मुकदमा नं० 376/245 दिनांक 17-4-89, में इनके खेत की पैमाइश कराने का आदेश एस०डी०एम० घोसी द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक कानूनगो व अन्य कर्मचारियों द्वारा उक्त पैमाइश न कराने के क्या कारण है ? क्या उक्त प्रकरण की पत्रावली आदि को दबाकर रखने की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

दिनांक 26-7-89 को भूलेख निरीक्षक द्वारा पैमाइश करके आख्या प्रस्तुत की गई और न्यायालय परगनाधिकारी, घोषी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 17-4-90 को इसकी पुष्टि करके कार्यवाही समाप्त कर दी है ।

उक्त के क्रम में संदर्भित नहीं है ।

जनपद बरेली के केसर इण्टर प्राइजेज लि०, बहेड़ी के कृषि फार्म की भूमि के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

103–श्री मंजूर अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केसर इण्टर प्राइजेज लि०, बहेड़ी, जनपद बरेली के कृषि फार्म की भूमि सीलिंग अधिनियम मे आती थी ? यदि हां, तो क्या उक्त फार्म की जमीन सीलिंग में निकाली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त फार्म मालिक को

लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त कृषि फार्म के खिलाफ सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत शासन से कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । केसर इण्टर प्राइजेज व केसर सुगर वर्क्स एक है तथा केशर सुगर वर्क्स की भूमि सीलिंग अधिनियम में आती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उपरोक्त कृषि फार्म के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

वर्ष 1974 में कृषि फार्म के विरुद्ध सीलिंग वाद संख्या–216/74 चलाया गया । सम्प्रति कृषि फार्म द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में तेन्दू पत्ता के बिक्री का मानक रेट एवं विक्रय नियमावली के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी

104–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र में तेन्दू पत्ता सीजन वर्ष 1993 में कितना मानक बोरा/वास्तविक बोरा उत्पादन हुआ और कितना मानक बोरा/वास्तविक बोरा किस रेट से बिक्री हुआ ? वर्तमान समय में कितना तेन्दू पत्ता अवशेष है ? कितने क्रेता अपनी किस्त समय से जमा करके तेन्दू पत्ता उठा चुके हैं ? कितने क्रेताओं की समय से किस्त न अदा करने पर नियमानुसार जमानत राशि फारफिट हुयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने क्रेताओं को तेन्दू पत्ता उठाने हेतु मियाद वृद्धि दी गयी है ? क्या यह छूट नियम के अनुसार है ? यदि हां, तो बाकी क्रेता को किस नियम से मियाद वृद्धि के लाभ से वंचित रखा गया है और क्यों ? क्या मंत्री जी तेन्दू पत्ता विक्रय नियमावली के अनुसार उन समस्त क्रेताओं की जमानत धनराशि फारफिट करेंगे, जिन्होंने समय से किस्त अदा नहीं की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद सोनभद्र मे वर्ष 1993 में तेन्दू पत्ता का कुल उत्पादन 139800.898 मानक बोरा/170062 वास्तविक बोरा हुआ । अब तक रुपये 19.80 प्रति किग्रा० (792.00 प्रति मानक बोरा की औसत दर से 129883.580 मानक बोरा/158257 वास्तविक बोरा की बिक्री की जा चुकी है । दिनांक 31-1-1994 तक 9917.307 मानक बोरा/11805वास्तविक बोरा तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु अवशेष है ।

कुल 29 क्रेताओं द्वारा अपनी किस्त जमा करके तेन्दू पत्ता का उठान कर लिया गया है ।

समय से किस्त न जमा करने के कारण 4 क्रेताओं की जमानत राशि जब्त कर ली गयी है ।

कुल 51 क्रेताओं को तेन्दू पत्ता उठाने हेतु मियाद वृद्धि दी गयी है ।

जी हां । वन निगम द्वारा किसी क्रेता को मियाद वृद्धि से वंचित नहीं किया गया है, अपितु बिक्री की शर्त संख्या–18 अ के अन्तर्गत आवेदन पत्र न दिये जाने के कारण बाकी क्रेता स्वतः वंचित हो गये हैं ।

जी हां ।

जनपद सोनभद्र के रेनुकूट लौगिंग प्रभाग में तेन्दू पत्ता के लाटों की नीलामी रेट का विवरण

105–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र के रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में दिनांक 7-1-94 को किन-किन तेन्दू पत्ता लाटों को नीलाम किया गया और किन-किन रेट पर ? क्या उपरोक्त लाटों की बिक्री हेतु टेन्डर (निविदा) निकाली गयी थी ? यदि हां, तो उसमें उक्त लाटों के क्या रेट आये थे ? यदि दिनांक 7-1-94 के नीलामी रेट से अधिक रेट निविदा द्वारा आये थे, तो उन्हे स्वीकृत न करने के क्या कारण थे ?

श्री भगवती सिंह–

दिनांक 7-1-1994 को रेनुकूट वन प्रभाग के तेन्दू पत्ता लाटों की निम्न प्रकार से विक्रय किया गया :–

लाट संख्या	विक्रय दर (प्रति किग्रा०)
23/93	10.40 रुपये
32/93	11.40 ,,
37/93	7.50 ,,
44 ब/93	11.10 ,,
46/93	10.90 ,,
47 अ/93	7.50 ,,
48/93	8.10 ,,
51 ब/93	7.50 ,,
5/93	7.00 ,,
7/93	9.00 ,,
16/93	6.75 ,,
45/93	6.80 ,,

जी हां ।

विवरण सलंग्नक–1 में दिया गया है ।

प्राप्त निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु गठित समिति ने किसी लाट विशेष को ध्यान में न रखकर सभी लाटों से होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर यथोचित कार्यवाही की ।

(संलग्नक हेतु देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 167–170 पर)

जनपद सोनभद्र के रेनुकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत तेन्दू पत्ता के बिक्री हेतु निकाली गयी निविदा एवं उससे हुई हानि की उच्च स्तरीय जांच

106–श्री विजय सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत तेन्दू पत्ता सीजन 1993 में कितने बार तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा निकाली गयी ? पहले निविदा में कतने लाट बिक्री हुई और कितने लाटों को फारफिट किया गया ? क्या निविदावार लाटों की बिक्री का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या पहली बार जिस लाट पर, जो क्रेता निविदा दिया था, फारफिट होने के बाद पुनः निविदा द्वारा, निगोशियेशन द्वारा और नीलामी द्वारा उसी लाट को उसी क्रेता को तथा उससे सम्बन्धित व्यक्तियों को कम दाम पर दी गयी है ? क्या उपरोक्त प्रक्रिया डी०एल०एम० श्री ओ० पी० सिंह और तेन्दू पत्ता क्रेताओं के मिलीभगत से हुई है, जिससे वन निगम को करोड़ों की क्षति पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में वर्ष 1993 में तेन्दू पत्ता की बिक्री हेतु कुल 6 बार निविदायें आमंत्रित की गयी ।

पहली निविदा मे कुल 90 लाटों की बिक्री हुई, जिसमें से 3 लाटों को जब्त किया गया ।

निविदावार लाटों की बिक्री का ब्योरा सदन के पटल† पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद मे एस० बी० एस० इण्टर कालेज कन्नौज को सरकार द्वारा प्राप्त भूमि पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाये जाने की योजना

107–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत सरकार में एस० बी० यस० इण्टर कालेज कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा दी गयी भूमि पर अनु० जाति छात्र आवास बनने की स्वीकृति दी गयी थी ? क्या अब तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ ? क्या सरकार उक्त छात्रावास बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

31 मार्च, 1995 तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

---

† सदन के पटल पर रख दी गयी ।

108–श्री रिजवान जहीर खां–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर नं०–1 से बर्डपुर नं०–14 तक के बड़े-बड़े गांवों को विभाजित करके 83 राजस्व गांव बनाने की योजना

109–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर नं०–1 से बर्डपुर नं०–14 तक के बड़े-बड़े गांवों को विभाजित करके 83 राजस्व गांव बनाने की कार्यवाही चल रही है ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त प्रस्ताव राजस्व परिषद् से स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उसमें अभी कौन सी कार्यवाही अवशेष है ? शासन द्वारा कितने दिन में कार्यवाही पूर्ण होगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जिला सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के बर्डपुर नं०–1 से बर्डपुर नं०–14 तक के बड़े-बड़े गांवों को विभाजित कर राजस्व गांव बनाने की कार्यवाही चल रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल क्षेत्र में सर्दी के दिनों में वन विभाग द्वारा बिक्री किये जाने वाले कोयले के दामों में वृद्धि के कारणों की जानकारी

110–श्री बची सिंह रावत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल क्षेत्र में सर्दी के मौसम में वन विभाग द्वारा बिक्री किये जाने वाले लकड़ी के कोयले के दामों में इस वर्ष छः गुना वृद्धि कर दी गयी है, जिससे गरीब तबके के लोगों के लिये सर्दी का सामना करना कठिन हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लकड़ी के कोयले के दामों में की गयी वृद्धि को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

उत्तरांचल में अप्रैल, 1993 से कोयले का मूल्य रु० 300 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया था, जो अब घटाकर रु० 200 प्रति कुन्तल कर दिया गया है ।

गढ़वाल मण्डल में वन अधिनियम के कारण प्रभावित अधूरे मार्गों की संख्या एवं उन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही

111–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में वन अधिनियम के कारण कितने मार्ग कब से अधूरे पड़े हुये हैं ? उनमें से कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र जनपद पौड़ी एवं चमोली में कुल कितने मार्ग विकास कार्य वन अधिनियम से अवरुद्ध हैं ? उक्त कार्य कितने वर्षों से अवरुद्ध हैं ? क्या संबंधित विभागों ने उस दिशा में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने दिनांक 25-10-80 के कारण गढ़वाल मण्डल में अब तक कुल 65 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रभावित है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली, जिसमें कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित है, में कुल 26 मोटर मार्गों का निर्माण कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम से प्रभावित है ।

कुल लम्बित 65 प्रस्तावों में से 20 प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को पूर्वानुमति प्रदान करने हेतु सन्दर्भित है तथा 45 प्रस्तावों में भारत सरकार ने राज्य सरकार/ याचक विभाग से अनुपालन आख्या/अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने को कहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड कमिश्नरी के गठन की तिथि

112–श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों को मिलाकर उत्तराखण्ड कमिश्नरी का गठन किस तिथि को किया गया था ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त कमिश्नरी (डिवीजन) के गठन से पूर्व उपरोक्त जनपद किस कमिश्नरी में सम्मिलित थे ?

श्री बाबू राम यादव–

उत्तराखण्ड कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर में नई तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव

113–श्री श्यामसुन्दर शर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत स्थित मिल्कीपुर नामक स्थान पर एक नई तहसील बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नई तहसील के गठन के लिये अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ? क्या सरकार इस नई तहसील के भवन आदि निर्माण के लिये आगामी बजट में धन की व्यवस्था का प्राविधान भी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर में नई तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव धनाभाव के कारण वर्तमान में स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर की परगना अमेठी तहसील गौरीगंज के परगनाधिकारी को चकबन्दी में हुई गड़बड़ी की जांच हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

114–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री जगदेव सिंह, ग्राम दखिन गांव, परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 21-12-93 को प्रेषित प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम सभा की 18 बीघा जमीन को लेखपाल द्वारा फर्जी चकबन्दी अधिकारी

का आदेश बनाकर इन्द्राज करने की शिकायत मय सबूत के दी गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जांच में अब तक कोई कार्यवाही दोषी के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट व कृत कार्यवाही को मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच कराने पर प्रथम दृष्टया इन्द्राज जाली पाये जाने पर उसे निरस्त किया जा चुका है तथा लाभार्थियों के विरुद्ध थाना गौरीगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जा चुकी है ।

जी हां । †

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम भूमर में भूमर माइनर के कुल्लाबा नं० 3 को ग्राम प्रधान द्वारा पाट लेने की जिलाधिकारी से शिकायत एवं उनके निरीक्षण की रिपोर्ट की जानकारी

115–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–167 के उत्तर के सन्दर्भ में राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित प्रधान, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी थी, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्देश किस तिथि को जिलाधिकारी को भेजे गये ? जिलाधिकारी को कब आदेश प्राप्त हुए ? जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किस तिथि को किया ? अन्तिम निर्णय क्या लिया गया तथा किस तिथि को लिया गया तथा इस समय मौके की स्थिति क्या है ? मामले में हुए विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

उक्त आदेश आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना जवाहर भवन, प्रथम तल, लखनऊ के द्वारा दिनांक 12-3-92 को दिया गया था तथा 17-3-92 को प्राप्त हुआ ।

मौके का निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा नहीं बल्कि क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा परगनाधिकारी सदर द्वारा किया गया एवं समस्या के निदान हेतु खण्ड विकास अधिकारी को नाली बनवाने हेतु निर्देशित किया गया । अग्रिम कार्यवाही से पूर्व संबंधित प्रभावित व्यक्तियों ने मा० जिला जज के न्यायालय से दिनांक 20-8-92 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । फलतः अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी । मा० जिला जज के निर्णयोपरान्त इस मामले में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† सदन के पटल पर रख दी गयी ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम असेसर परगना खण्डासा तहसील बीकापुर में सीलिंग की बचत भूमि को पात्र व्यक्तियों में न बांटे जाने के कारण विवाद

116–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम असेसर परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद में सीलिंग की बचत भूमि को गांव के पात्र व्यक्तियों में आवंटित करके कब्जा और दखल करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या राजस्व अधिकारियों की साजिश से पट्टेदारों का पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किसके पट्टा निरस्त हो रहे हैं तथा इसके लिए कौन से लोग दोषी हैं ? पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही का कारण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया गया था परन्तु न्यायालय द्वारा आवंटन आदेशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध है ।

जी नहीं ।

मामला न्यायाधीन है । पट्टों के निरस्तीकरण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष/प्रधान द्वारा वाद अपर आयुक्त फैजाबाद के न्यायालय में संस्थित किया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम जरई, परगना इसौली में ग्राम समाज की भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन न होने की शिकायत

117–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जरई, परगना इसौली, सुल्तानपुर ने अब तक कृषि योग्य उपलब्ध ग्राम समाज भूमि को किन-किन पात्र व्यक्तियों को कुल कितनी भूमि आवंटित की गयी है ? कितने पात्र व्यक्ति आवंटन के लाभ से वंचित हैं ? क्या यह सही है कि कृषि योग्य भूमि पर उक्त गांव में भूमिहीनों के अतिरिक्त अवैधानिक और अनियमित रूप से लोग कब्जा किये हुए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम जरई कलां, परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में अब तक कुल 128 पात्र व्यक्तियों को 139 बीघा 15 बिस्वा 10 विस्वांसी भूमि का आवंटन किया गया है । इनमें से 126 अनुसूचित जाति, 1 पिछड़ी जाति (भू० पू० सैनिक) तथा 1 अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटित की गयी है । (सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है)

इस ग्राम सभा में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 129 भूमिहीन खेतिहार मजदूर पात्र व्यक्ति हैं जो आवंटन के लाभ से वंचित हैं ।

ग्राम जरईकलां, परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं । चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिलेख प्राप्त होने पर ही अवैधानिक और अनियमित रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव होगी ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड चन्दौस, ग्राम समाज बामौती की जमीन पूर्व प्रधान द्वारा वन विभाग को आवंटित जमीन को वर्तमान प्रधान द्वारा पट्टा किया जाना

118–श्री हरि शंकर माहौर–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ विकास खण्ड चन्दौस, ग्राम समाज बामौती की 42 एकड़ जमीन वर्ष 1988-89 में पूर्व प्रधान बच्चू सिंह द्वारा वन विभाग को आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब चार वर्ष बाद अपने प्रधान पद का दुरुपयोग करते हुए वर्तमान प्रधान द्वारा उक्त जमीन में अवैध पट्टे करके धन कमाया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन ने इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की ? वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां । पूर्व ग्राम प्रधान बामौती श्री बच्चू सिंह द्वारा वर्ष 1988 में वृक्षारोपण हेतु कुल 40 हे० भूमि वन विभाग को दी गयी थी ।

उक्त 40 हे० भूमि के वृक्षारोपण क्षेत्र में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी खैर द्वारा कुछ पट्टे स्वीकृत किए गए है ।

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी द्वारा पट्टे स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर प्रभागीय निदेशक, सा० बा० वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अपर जिलाधिकारी (ग्रामीण) अलीगढ़ को स्थिति से अवगत कराते हुए पट्टे स्वीकृत न किए जाने तथा पूर्व स्वीकृत पट्टों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

वृक्षारोपण क्षेत्र में पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में वन विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

119–श्री हरि शंकर सिंह माहौर–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा पाली, परगना बरौसा में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के आवंटन में अपात्र व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा

120–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा पाली, परगना बरौसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर अपात्र व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा पाली परगना बरौसा तहसील व जिला सुल्तानपुर में कुल 69 भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन हुआ है जिसमें 34 व्यक्तियों को वर्ष 1976 में, 18 व्यक्तियों को वर्ष 1987

में तथा 17 व्यक्तियों को वर्ष 1988 में आवंटन हुआ है । (सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है)

उक्त ग्राम में ग्राम समाज की 0-748 हे० भूमि पर 11 व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है।

अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर की तहसील सुल्तानपुर के ग्राम सभा बिसावां परगना बरौसा की भूमि पर अपात्र व्यक्तियों का अवैध कब्जा

121–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा बिसावां, परगना बरौसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कितने व्यक्तियों का कब से अवैध कब्जा है ? उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा बिसांवा परगना बरौसा तहसील व जिला सुल्तानपुर में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में 58 व्यक्तियों को वर्ष 1977 में तथा 47 व्यक्तियों को वर्ष 1988 में आवंटन हुआ है । कुल 105 व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन हुआ है । (सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है) ।

इस ग्राम में 3 व्यक्तियों का 0-343 हैक्टेयर भूमि वर्ष 1992 से तथा एक व्यक्ति का 0-013 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 1993 से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा है ।

अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा परानजोत, परगना बरौसा में कृषि योग्य भूमि पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर कार्यवाही

122–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा परानजोत, परगना बरौसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कितने व्यक्तियों का कब से अवैध कब्जा है ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

परानजोत राजस्व ग्राम राधोपुर, परगना बरौंसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर का मजरा है । इस ग्राम में कुल 27 भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन हुआ है । जिसमें 17 व्यक्तियों को वर्ष 1975 में तथा 20 व्यक्तियों को वर्ष 1991 में आवंटन हुआ है । (आवंटन सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है) ।

उक्त ग्राम में 3 व्यक्ति ग्राम सभा की 0–077 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से एक वर्ष की अवधि से काबिज पाये गये ।

अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122बी के अन्तर्गत प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम पैरौ सरैया पाली और परानजोत में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर अपात्र व्यक्तियों का अवैध कब्जा

123–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तहसील सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम पेरौ सरैया, पाली और परानजोत में अब तक ग्राम समाज में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का आवंटन ग्राम के पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो पात्र व्यक्तियों की सूची क्या हैं ? भूमि आवंटन की कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण क्या है ? आवंटन योग्य बचत भूमि पर किन-किन लोगों का अवैधानिक कब्जा है ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम पोरौसरैया परगना बरौसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में कुल 257 पात्र व्यक्तियों, ग्राम पाली में 69 पात्र व्यक्तियों को तथा ग्राम परानजोत (राजस्व ग्राम राधोपुर) परगना बरौसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में कुल 37 पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन हुआ है । (सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है) ।

ग्राम पोरौसरैया परगना बरौंसा तहसील व जिला-सुल्तानपुर में 179 पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा द्वारा दिनांक 21-1-76 को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा 22-2-76 को किया गया था । इसी ग्राम में 79 व्यक्तियों का प्रस्ताव दिनांक 21-4-1986 को किया गया था जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा 77 पात्र व्यक्तियों के पक्ष में 12-2-88 को किया गया था । दो व्यक्तियों के अपात्र होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया, एक व्यक्ति के पक्ष में भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिनांक 18-4-93 को किया गया, जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 30-4-93 को किया गया था ।

ग्राम पाली परगना बरौंसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में 34 व्यक्तियों का प्रस्ताव दिनांक 14-2-76 को ग्राम सभा द्वारा किया गया, जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा 22-2-76 को किया गया । 18 व्यक्तियों का प्रस्ताव दिनांक 15-2-87 को ग्राम सभा द्वारा किया गया जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-87 को किया गया, 17 व्यक्तियों का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा दिनांक 7-2-88 को किया गया जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 19-3-88 को किया गया ।

ग्राम परानजोत (राजस्व ग्राम राधोपुर) परगना बरौंसा, तहसील व जिला सुल्तानपुर में 17 व्यक्तियों को ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव दिनांक 24-10-75 को किया गया जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 24-11-75 को किया गया तथा 20 व्यक्तियों को ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव दिनांक 16-9-90 को किया गया जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा 24-8-91 को किया गया।

ग्राम पोरौसरैया परगना बरौंसा, तहसील व जिला-सुल्तानपुर में 3 व्यक्तियों, ग्राम पाली परगना बरौंसा तहसील व जिला सुल्तानपुर में 11 व्यक्तियों तथा ग्राम परानजोत (राजस्व ग्राम राधोपुर) परगना बरौंसा तहसील व जिला सुल्तानपुर में 3 व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम कापां, परगना बरौसा में कृषि योग्य भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन

124–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम कापां, परगना बरौंसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों का, कब से अवैध कब्जा है ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

ग्राम कापां, परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में कृषि योग्य भूमि का आवंटन वर्ष 1976 में ग्राम सभा द्वारा दिनांक 11-2-76 व 27-2-76 को प्रस्ताव पारित करके ग्राम के 38 अनुसूचित जाति के भूमिहीनों में भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है)।

ग्राम कापां, परगना इसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिलेख प्राप्त होने पर ही अवैधानिक व अनियमित रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

सामाजिक वानिकी प्रभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

125–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामाजिक वानिकी प्रभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

श्री भगवती सिंह–

सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही नियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

दैनिक श्रमिक कार्य के अनुसार रखे जाते हैं, जिनकी संख्या अस्थिर रहती है।

126-127–श्री उमाकान्त यादव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 167-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

128–श्री उमाकान्त यादव–

[पुनरावत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश की विधवा महिलाओं तथा विकलांगों को पेंशन आदि दिये जाने के संदर्भ में सरकार की योजना

129–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विधवा महिलाओं तथा विकलांगों को अनुमन्य सुविधायें जैसे-पेंशन आदि अवश्य मिलने के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजबहादुर–

जी हां । निराश्रित विधवा/विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को प्रत्येक तिमाही में अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यवाही के लिए जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील सुल्तानपुर के ग्राम सभा मझवारा, परगना बरौंसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटन तथा अवैध कब्जे पर शासन की कार्यवाही

130–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील व जिला सुल्तानपुर के ग्राम सभा मझवारा, परगना बरौसा में कृषि योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन ग्राम के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसको ? उक्त ग्राम में ग्राम समाज की कितनी भूमि पर कितने व्यक्तियों का कब से अवैध कब्जा है ? क्या शासन द्वारा उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा मझवारा परगना बरौंसा तहसील व जिला सुल्तानपुर में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का आवंटन 48 व्यक्तियों को वर्ष 1976 में तथा 12 व्यक्तियों को वर्ष 1985 में हुआ है । कुल 60 व्यक्तियों को आवंटन हुआ है । (सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है) ।

उक्त ग्राम में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से 3 व्यक्तियों का 0-109 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 1991 से तथा 3 व्यक्तियों का 1–726 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 1993 से अवैध कब्जा है । कुल 6 व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से काबिज पाये गये ।

अवैध काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122बी की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1992-93 में आयी बाढ़ से घिरे गांवों का विवरण एवं दी गयी राहत सामग्री

131–श्री स्वयंवर चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1992-93 में आयी बाढ़ में कितने गांव (मैरून्ड) बाढ़ के पानी से घिरे थे ? मैरून्ड गांवों में कितनी राहत सामग्री बांटी गयी ? कितने मैरून्ड गांवों में अनुदान नहीं बांटा गया है ? क्या किसी अधिकारी की लापरवाही से राहत सामग्री नहीं बांटी गयी ? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वित्तीय वर्ष 1992-93 में कोई बाढ़ नहीं आयी थी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के श्री राम हर्ष मौर्या, तहसीलदार, महोना के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

132–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम हर्ष मौर्या, तहसीलदार, महोना, जनपद मेरठ के विरुद्ध राजस्व परिषद् में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच की कार्यवाही कई वर्षों से लम्बित पड़ी है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री राम हर्ष मौर्य के विरुद्ध परिषद् स्तर पर कोई भी जांच लम्बित नहीं है ।

जिला सुल्तानपुर, ग्राम नेवादा भैदपुर, तहसील व परगना मुसाफिरखाना में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

133–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवादा, भैदपुर, तहसील व परगना मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो कब और किनको ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गांव में किन-किन अपात्र व्यक्तियों का ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम नेवादा, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1976 में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन 52 अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों में किया गया है ?

ग्राम भैदपुर, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1976 में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन कुल 15 पात्र व्यक्तियों में किया गया है । इनमें से 9 अनुसूचित जाति, 4 पिछड़ी जाति, 2 अन्य जाति के व्यक्ति हैं । (आवंटियों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है) ।

ग्राम नेवादा में ग्राम सभा की भूमि पर 16 व्यक्तियों एवं ग्राम भैदपुर में ग्राम सभा की भूमि पर 4 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखौली को पूर्ण तहसील बनाने की मांग

134–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप तहसील जखौली, टिहरी गढ़वाल को पूर्ण तहसील बनाने का प्रस्ताव जिले से आया है ? यदि हां, तो कब तक इस उप तहसील को पूर्ण तहसील कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

135–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

136–श्री सत्य प्रकाश तथा श्री मयंकर सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

मृतक श्री रेहान हैदर अब्बासी, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ के अवशेषों के भुगतान का मामला

137–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रेहान हैदर अब्बासी, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ जिनका 17-12-89 को निधन हो चुका है और उनकी पत्नी जीवित नहीं हैं व कोई सन्तान भी नहीं है, डी० सी० आर० जी० की धनराशि का भुगतान उनकी माता को प्रशासन, चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है, परन्तु सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान नामित व्यक्ति उनके सगे भाई श्री सुल्तान हैदर एवं जी० पी० एफ० का भुगतान उनकी माता को अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों देय धनराशियों को भुगतान कराना कब तक सुनिश्चित करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

स्व० श्री रेहान हैदर अब्बासी, कनिष्ठ लिपिक का निधन 17-12-89 को हुआ था । उनकी पत्नी के जीवित रहने अथवा न रहने तथा संतान न होने के संबंध में चकबन्दी निदेशालय को कोई प्रमाणित सूचना उनके परिवार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है । मात्र उनकी माता द्वारा यह सूचित किया गया कि उनके बेटे स्व० श्री रेहान अब्बासी ने विवाह ही नहीं किया था जबकि अभिलेखों के अनुसार 1-6-81 से 30-6-81 तक उन्होंने अपने विवाह के लिए अवकाश उपभोग किया था । सामूहिक बीमा योजना निदेशालय द्वारा लगायी गई आपत्ति दिनांक 18-4-91 का निराकरण उनके परिवार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है । सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में नामित उत्तराधिकारी उनके भाई श्री सुल्तान हैदर और उनकी माता के बीच विवाद होने के कारण जी० पी० एफ० भुगतान लम्बित है एवं नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र 425–क पर आवेदन भी नहीं किया गया है ।

स्व० श्री रेहान हैदर अब्बासी के परिवार द्वारा आपत्तियों का निराकरण एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने पर भुगतान की कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जिलाधिकारी, बस्ती के आदेश द्वारा लेखपालों की प्रोन्नति तथा भूलेख निरीक्षक पद से प्रत्यावर्तन के विरुद्ध लेखपाल संघ का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बस्ती के आदेश दिनांक 14-12-93 द्वारा लेखपालों की पदोन्नति और भू-लेख निरीक्षक पद से प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष, बस्ती, श्री जगरनाथ मौर्य ने जिलाधिकारी, बस्ती को पत्र दिनांक 17-12-93 द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? क्या मंत्री जी कृत कार्यवाही तथा जनपद बस्ती में कार्यरत क्राप कटिंग निरीक्षक और भू-लेख निरीक्षकों की जाति/उपजाति सहित लेखपाल कोटिक्रम सूची अनुसार क्रमांक, क्षेत्रवार, नियुक्ति तिथि, विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 2 प्रतिशत का निर्धारित कोटा दि० 14-12-93 को घटा दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती, श्री संजय अग्रवाल के खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थानीय रूप से कार्यवाही की गयी जिसका विवरण साथ में संलग्न है । जनपद बस्ती में कार्यरत क्राप कटिंग के निरीक्षक और भू-लेख निरीक्षकों की कोटि क्रम सूची संलग्न है । जी नहीं । यह कोटा स्थानीय स्तर पर पूर्ण है ।

उक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 171–175 पर)

139–श्री लालमणि प्रसाद–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती, तहसील हर्रैया में कार्यरत श्री जगरनाथ मौर्य, अध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ पर तहसील हर्रैया बस्ती के प्रांगण में प्राणघातक हमले की जांच

140–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगरनाथ मौर्य, अध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ, शाखा जनपद बस्ती के ऊपर तह० हर्रैया, जनपद बस्ती के प्रांगण में दिनांक 29-3-93 को प्राणघातक हमला होने पर हमलावरों के खिलाफ न्यायिक जांच जिलाधिकारी ने करायी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना सत्य पाने के बाद हमलावर जो कि राजस्व विभाग में ही कर्मचारी है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अब तक न किं जाने का क्या कारण है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं, प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30-3-93 के अनुपालन में उप संचालक, चकबन्दी द्वारा की गयी । उनकी जांच आख्या के आधार पर इस प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी । प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासनिक आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी एवं रजिस्ट्रार कानूनगो को तहसील हर्रैया से तहसील खलीलाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या–68/93 अन्तर्गत धारा–323/504/506 भारतीय दण्ड विधान, थाना हर्रैया में पंजीकृत है । विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा स्थानीय स्तर पर किसी विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती के भू-लेख अनुभाग में भू-लेख निरीक्षक व क्राप कटिंग के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

141–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कार्यालय बस्ती, भू-लेख अनुभाग में भू-लेख निरीक्षक और क्राप कटिंग निरीक्षक की कुल कितने पद हैं ? उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी 30 जून, 1993 तक कार्यरत रहे ? क्या श्री मंगरे प्रसाद, लेखपाल, अनुसूचित जाति की स्थानीय व्यवस्था में स्थानापन्न पदोन्नति दिनांक 13-7-93 को मुख्य राजस्व अधिकारी, बस्ती के आदेश द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 14-12-93 को जिलाधिकारी, बस्ती, श्री संजय अग्रवाल ने श्री रामभरत, रामराज, रामधनी और मंगरे प्रसाद, भू-लेख निरीक्षकों, जो अनुसूचित जाति के हैं, को भू-लेख निरीक्षक पद से लेखपाल के पद पर प्रत्यावर्तन आदेश पारित करके उक्त लोगों से कनिष्ठतम तथा सामान्य जाति के लेखपालों की पदोन्नति करके उक्त स्थानों को भरा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती भू-लेख अनुभाग में कुल 31 पद भू-लेख निरीक्षक के स्वीकृत हैं जिनमें 3 पद क्राप कटिंग के हैं । दिनांक 30-6-93 तक 7 भू-लेख निरीक्षक अनुसूचित जाति के कार्यरत है, अनुसूचित जनजाति का कोई भू-लेख निरीक्षक कार्यरत नहीं है ।

जी हां । जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 5-7-93 के अनुपालन में इनकी प्रोन्नति की गई थी ।

इस जनपद में भू-लेख निरीक्षक के स्वीकृत 31 पदों में अनुसूचित जाति के निर्धारित कोटे से अधिक कार्यरत होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भू-लेख निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित किया गया तथा स्थगन प्राप्त लेखपालों को उनके स्थान पर कार्य कराया गया । सर्वश्री राम भरत, राम राज, रामधनी और मंगरे प्रसाद से कनिष्ठ किसी लेखपाल की प्रोन्नति जिला स्तर पर नहीं की गयी है वरन् अनुसूचित जाति के 10 भू-लेख निरीक्षक निर्धारित कोटे से अधिक कार्यरत होने के कारण कनिष्ठता के आधार पर उनका प्रत्यावर्तन किया गया था जिसमें श्री राम भरत को आयुक्त, गोरखपुर के आदेश के अनुपालन में कार्यरत कराया गया है । इस प्रकार अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ।

परगना अधिकारी गौरीगंज, जिला अधिकारी, सुल्तानपुर तथा मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री ललता प्रसाद मिश्र, उप प्रधान, श्रीमती बड़का देवी आदि का मनमाने ढंग से भूमि आवंटन विषयक पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

142–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम पत्र 1992 के आठवें गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या–104 द्वारा उत्तरित प्रश्नगत मामले में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 122(4) में की गयी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में कृत कार्यवाही से तथा प्रभावित लोगों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–122 बी (4–एफ) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पांच व्यक्तियों–सर्वश्री रामअंजोर पुत्र गोप, माताफेर पुत्र शंकर, राम सुमेर पुत्र ननकू, बाबूलाल पुत्र सरजू एवं रामसमुझ पुत्र ननकू को लाभान्वित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री हरेन्द्र सिंह–

[दूसरे बुधवार में अता० प्र० सं०–169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद के ग्राम गुलालपुर, एहतमाली, तहसील धनौरा की ग्राम सभा की भूमि के अनियमित पट्टों की जांच एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144–श्री गजराज सिंह–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि ग्राम गुलालपुर, एहतमाली, तहसील धनौरा, जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा की भूमि में अनियमित रीति से 260 पट्टों की स्वीकृति पिछली तिथियों में देकर दिनांक 2/3 जुलाई, 1992 में माल कागजात में अमलदरामद करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नगत आवंटित भूमि में से गाटा सं०–1 से 70 तक के भूखण्ड का प्रकरण तद्दिनांक को शासन स्तर पर विचाराधीन चल रहा था, जिसका शासन ने दिनांक 13-7-92 को निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार से आवंटित भूमि उस समय रिक्त नहीं थी ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्यवाही के लिये कौन दोषी है और उनके विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त अनियमित पट्टों को निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रश्नगत अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम गुलालपुर, एहतमाली, तहसील धनौरा, जनपद मुरादाबाद की भूमि के 260 पट्टों की स्वीकृति दिनांक 7-9-91 को की गयी थी और इन पट्टों का अमलदरामद दिनांक 2/3-7-92 को किया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

इस संबंध में तत्कालीन लेखपाल, श्री राम सेवक, भू-लेख निरीक्षक, श्री सत्येन्द्र प्रकाश, तहसीलदार, श्री सी० डी० शर्मा एवं परगनाधिकारी, श्री राजबीर सिंह यादव अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं। इन पट्टों को खारिज करने हेतु धारा 198(4) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (अर्बन सीलिंग) के न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसके निर्णय के उपरान्त ही संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद की सदर तहसील के परगना व ग्राम अमसिन के सर्वे में की गयी अनियमितता के बाद भी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रोन्नति दिया जाना

145–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फैजाबाद जिले के सदर तहसील के परगना व ग्राम अमसिन का सर्वे मैप 2 जरीब छोटा बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी दुरुस्ती के लिये चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा इस हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फैजाबाद जिले के तहसील सदर परगना व ग्राम अमसिन के ग्राम का प्रथम स्तर का चक बनाते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा 436 आने की मालियत डबल एलाट कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति देकर शासन द्वारा चकबन्दी अधिकारी बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम बाबू यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही शासन स्तर पर नहीं की जाती है। केवल कार्यहित में चकबन्दी अधिकारी के पद पर सीमित समय के लिए स्थानापन्न पदोन्नति द्वारा काम चलाया गया है।

जनपद फैजाबाद की तहसील सदर के ग्राम व परगना अमसिन में सहायक चकबन्दी अधिकारी, अंकरीपुर द्वारा दिये गये कब्जे की जांच की मांग

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जनपद के तहसील सदर के ग्राम व परगना अमसिन में सहायक चकबन्दी अधिकारी, अंकरीपुर द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी का स्तर समाप्त होने के पूर्व ही सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये भी गाटा संख्या 554 की स्थल पर खड़ी फसल पर 8 फरवरी, 1990 को सहायक चकबन्दी अधिकारी, अंकारीपुर द्वारा नियम विरुद्ध स्थल कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम अमसिन के

गाटा संख्या 554 व 555 के संबंध में चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 22-9-90 को पारित आदेश अनियमित होने के कारण सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फैजाबाद द्वारा इसे निरस्त करके पुनः पैमाइश के लिये आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो चकबन्दी अधिकारियों द्वारा इन आदेशों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

संबंधित पक्षों द्वारा अभी तक साक्ष्य पूर्ण न करने के कारण प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित है ।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम हेमनापुर, परगना इसौली की ग्राम समाज की भूमि का अपात्र व्यक्तियों में आवंटन

147–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हेमनापुर, परगना इसौली, जिला सुल्तानपुर में गांव समाज की भूमि का अपात्रों में आवंटन कर गम्भीर अनियमितता की गयी है और अनुचित लाभ उठाया गया है ? यदि हां, तो भूमि का आवंटन किन-किन लोगों में कब-कब किया गया है ? वह मूल निवासी कहां के हैं और उनकी पात्रता क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया कलेक्ट्रेट, देवरिया में बिहार प्रदेश के निवासी, श्री सुमन प्रकाश की नियुक्ति का मामला

148–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कलेक्ट्रेट देवरिया में बिहार प्रदेश के निवासी, श्री सुमन प्रकाश लाल दास जो एक दिन भी कलेक्ट्रेट में न तो काम किये थे और न ही बिहार प्रान्त में कार्य किये थे, की तदर्थ नियुक्ति वर्ष 1992 में की गयी जबकि कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के छटनी शुदा कर्मचारी, श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल,राम शरण त्रिपाठी, शंकर मिश्र, दीप नारायण कुशवाहा, राकेश कुमार श्रीवास्तव, गिरजेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री सुबाष प्रसाद (अ० जा०) की नियुक्ति किन कारणों से नहीं की गयी ? क्या इन कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में शासन कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्न में उल्लिखित श्री सुमन प्रकाश लाल दास यद्यपि कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परन्तु जिला सेवायोजन कार्यालय, देवरिया में पंजीकृत होने तथा जनपद का निवासी होने एवं आशुलेखन व टंकण की अच्छी जानकारी होने एवं काफी समय से रिक्त पद को भरने के लिए इनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से दिनांक 13-2-92 को प्रथमतः तीन माह के लिए की गई थी और पुनः तीन माह के लिए सेवायोजित किया गया तदोपरान्त उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गई । तदोपरान्त कलेक्ट्रेट में काफी समय से रिक्त चले आ रहे आशुलिपिक पद पर विधिवत् चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन समिति द्वारा श्री सुमन प्रकाश लाल दास तथा एक अन्य की दिनांक 16 फरवरी, 1993 को नियुक्ति की गई ।

प्रश्न में उल्लिखित अन्य कर्मचारीगण कलेक्ट्रेट के छटनी शुदा कर्मचारी नहीं है इसलिए उन्हें सेवायोजित करने का प्रश्न नहीं है ।

149–श्री विजय सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

150–श्री विजय सिंह–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आम के पेड़ों की कटान पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद आम की लकड़ी का बेचा जाना

151–श्री नसीम, श्री दरोगा तथा श्री फौजदार प्रसाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि आम के पेड़ों की कटान पर पहले से ही शासन ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो प्रदेश स्तर पर विशेषकर लखनऊ नगर के ऐशबाग आरा मशीनों पर तथा लकड़ी की मण्डी में भारी मात्रा में आम की लकड़ियों की खुली बिक्री का क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश स्तर पर स्थानीय पुलिस थानों की मिली भगत से आम के पेड़ों का भारी मात्रा में अवैध कटान जारी है ? यदि हां, तो क्या निजी भूमि पर लगे शीशम के पेड़ों के कटान की भी छूट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

पुराने वृक्षों जिनकी फलदायी क्षमता समाप्तप्राय हो जाती है, के पातन की अनुज्ञा विशेष परिस्थितियों में उद्यान अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाती है ।

जी नहीं । जिले के बाहर से चोरी छुपे लकड़ी लाने की सूचना प्राप्त होने पर छापे मारे जाते हैं । जनवरी, 1994 में मारे गये छापे में 7 ट्रक लकड़ी जब्त की गई । शीशम के वृक्षों के कटाने पर छूट देना उपयुक्त नहीं है, इससे आरक्षित वन में शीशम के अवैध पातन को प्रोत्साहन मिलेगा ।

हुल्लड़ शब्द के प्रयोग पर उठाई गई आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था †

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है मैं स्वयं सदन का ध्यान कल के उस शब्द की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो मैंने सदन में 'हुल्लड़' कहा था– हुल्लड़ न करिये । इस सन्दर्भ में हमारे कांग्रेस दल के नेता प्रमोद तिवारी जी और सारे लोग कह रहे थे कि यह शब्द असंसदीय है । जनता दल के नेता किरन पाल सिंह और राम आसरे वर्मा और तमाम दूसरे सदस्य इसको असंसदीय कह रहे थे । भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी तो नहीं थे, गुप्त जी शायद आप सब लोग कह रहे थे कि यह शब्द असंसदीय है । इस संबंध में मैं पहले तो उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी की जो डिक्शनरी है और शब्दकोश है उससे मैं 'हुल्लड़' शब्द का अर्थ बताना चाहूंगा...(व्यवधान) आप लोग मेरी बात तो सुनें, शोर मत मचाइये, मेरी बात पहले सुनिये । मेरी बात गलत है तो मैं क्षमा याचना करूंगा, किन्तु आप लोग-पहले डिक्शनरी देख लीजिए, उसी से मैं बता रहा हूं । मुझे आपने स्पष्ट आरोपित किया था, फिर भी मुझे नहीं सुनियेगा ? उर्दू की जो डिक्शनरी है,

---

† दिनांक 23 फरवरी, 1994 की कार्यवाही में उठाई गयी आपत्ति ।

इसमें 'हुल्लड़' शब्द का साफ अर्थ लिखा है हंगामा कैरना, शोर करना । अंग्रेजी डिक्शनरी में हुल्लड़ शब्द का अर्थ डिस्टर्ब्स है, जो नाऊन है । और इसके बाद आप देखिये 'हुल्लड़' शब्द का हिन्दी में अर्थ है शोर-गुल, हल्ला और उत्साह । यह आप देख लीजिये हिन्दी शब्दकोष में यह अर्थ लिखा है । इसके अलावा माननीय गुप्त जी आप देखें, आपके समय की बात है । हमारे पीठासीन अधिकारी थे त्रिलोक चन्द जी वह उपाध्यक्ष थे । आपका वार्तालाप है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरे दो शब्द सुन लें , मान्यवर ।

(व्यवधान)

आपने स्वयं व्यवस्था दी है आज के सन्दर्भ में कि बिल्ला लगाना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बिल्ला लगाना कभी उचित नहीं है । आज के ही सन्दर्भ में नहीं, हाउस में कभी भी बिल्ला लगाना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

यह सदन की व्यवस्था का सवाल है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सूर्य प्रताप शाही अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस प्रकरण को कार्यवाही का हिस्सा न बनने दिया जाय । आपकी व्यवस्था उचित है । मैं आपकी व्यवस्था से असहमत नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया था, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दे दी कि बिल्ला नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार का प्रदर्शन सदन में नहीं होना चाहिए लेकिन यह जो हमारे सामने सदस्य बैठे हैं यह हुल्लड़बाजी कर रहे हैं आधे घण्टे से । न तो नेता सदन बोल रहे हैं न आप कुछ कह रहे हैं । क्या हाउस में हुल्लड़बाजी करनी चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष–

'हुल्लड़बाजी' किसी को नहीं करनी चाहिए । सदन में हुल्लड़बाजी अच्छी नहीं होगी ।

श्री मनोहर लाल–

x x x

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष के ऊपर कोई बात नहीं पूछी जा सकती । इसमें कोई सवाल नहीं । मनोहर लाल जी, आप बैठिये । आप तो पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं । अध्यक्ष पीठ के ऊपर कोई बात नहीं उठाई जा सकती ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको यह प्रकरण बताया । मेरे ऊपर कल सदन में यह आरोप लगाया गया था कि मैंने असंसदीय शब्द कहा है । मैंने आपसे कल कहा था कि अगर 'हुल्लड़' शब्द असंसदीय होगा तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा मैंने जो कहा था उस पर टिका हूं । अब आप लोग स्पष्ट करें कि यह शब्द असंसदीय है या नहीं । असंसदीय नहीं है तो आप आरोप वापस लीजिये । अगर असंसदीय नहीं है तो आप जो इस तरह से आरोपित कर रहे हैं, क्या उसको वापस नहीं लेना चाहिए ? मैं यह सवाल सारे सदन के सामने रखता हूं सारे सदस्य विचार करें । यह डिक्शनरी रखी हैं, देख लें और कहें उसके बाद अगर आप कहें कि मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए तो मैं तैयार हूं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, कल जब 'हुल्लड़' शब्द की बात आई तो मान्यवर, हम लोगों का यह आशय नहीं था और मैं समझता हूं कि आपका भी आशय यह नहीं था लेकिन मान्यवर, इस तरह के शब्दों से सदन की गरिमा में गिरावट आती है । अब देखिये मान्यवर, शब्दों की हेरा-फेरी का कुछ उदाहरण देता हूं । खाना खाने चलो, खाना भक्षने चलो । अर्थ एक ही है परन्तु कहने के प्रयोग से खराब लगता है । इसी तरह से मान्यवर, अगर हुल्लड़ के स्थान पर शोर शराबा कह देते तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होता । वैसे भी मान्यवर, आप अध्यापक रहे हैं । हम तो वैसे भी आपको अपना गुरू मानते हैं, हम तो आपके शिष्य हैं । आपको गुरू मानकर कुर्सी पर बैठाया है । गुरू के बताये रास्ते पर शिष्य चलेगा । मान्यवर, अगर इस तरह के शब्द प्रयोग करने की परम्परा इस सदन में पड़ी तो उससे सदन की गरिमा गिरेगी साथ ही साथ बाहर की जनता के बीच जो मैसेज जायेगा मान्यवर, मैं नहीं कहता कि क्षमा मांगें, ऐसा मैं कतई नहीं समझता हूं । आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं हम लोग आपसे क्षमा मांग लेंगे । जो सदन में कहा जाएगा वह इतिहास बन जाएगा । सदन की गरिमा के लिए, आपके बैठने के बाद ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, यह कहा जाए यह हम कतई नहीं चाहेंगे । आप 'हुल्लड़' की जगह शोर-शराबा लिखवा दें ।

•श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, कल के प्रकरण में मैं समझता हूं जिसने आपके मन में व्यथा और वेदना पैदा की है इसलिए आपने यह विषय प्रस्तुत करके अपने श्रीमुख से कहा कि "हुल्लड़" शब्द असंसदीय होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा और कार्यवाही से निकाल दूंगा, मान्यवर, आप क्षमा मांगें ऐसा आशय किसी माननीय सदस्य का नहीं था । सब माननीय सदस्य आपका सम्मान करते हैं ऐसा आशय किसी का नहीं होता है कि पीठासीन अध्यक्ष क्षमा मांगे । वह दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब गार्जियन से कहें कि वह क्षमा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मांगें । जैसा कि नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं, इससे पूर्व भी ऐसे क्षण आए हैं । हम सबका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि इन शब्दों को संसदीय असंसदीय आचरण, मर्यादाओं में परिभाषित न करें । इस सदन की गरिमा है, परम्परा है । उत्तर प्रदेश के सदन की गरिमा पूरे देश में मानी जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है कोई शब्द ऐसा कहा गया कि असंसदीय है या किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिससे लगे कि वह असंसदीय है तो अच्छा नहीं लगता है । अब वह बात कल आई और खत्म हो गई । सदन से आप क्षमा मांगें ऐसा नहीं कहा जा रहा है और सारा सदन इससे सहमत होगा । लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल न किया जाए जो असंसदीय सा लगे, सदन के माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि आप क्षमा मांगें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कल चर्चा चल गई उससे आप दुखी हुए । दुख की सीमा क्या है वह आज प्रकट हो रहा है, उसका एहसास आज हो रहा है । मैं तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता हूं । संसदीय शब्द वांछनीय, अवांछनीय, उचित, अनुचित आरोपित नहीं किया गया इस प्रकार के शब्दों की परिभाषा दी गई है । कहां वांछनीय और अवांछनीय प्रकार के, शब्दों की परिभाषा होगी मतलब वह नहीं है मतलब इस बात से है कि जो कहने वाला कह दे और दूसरा व्यक्ति उसका जो अर्थ समझे, वही अर्थ है । आपने तो व्याकरण में इसको समझाया होगा । उससे आपको दुख हुआ, श्रीमन् आपका स्थान सर्वोपरि है मैं ज्यादा विवाद में न पड़कर इतना कहना चाहूंगा कि माननीय पाल जी ने और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा, कल पूरी चर्चा चल गई कि आपने क्या कहा, और हमने क्या कहा इस सबको सदन की कार्यवाही से निकाल दें । इस सदन की गरिमा है और आपका स्थान सर्वोच्च है । आपने अपने मन से कोई बात सही कही लेकिन समझने वाले उसको गलत समझें, ऐसा नहीं होना चाहिए । कल जो इस विषय पर चर्चा हुई उसे आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री समर पाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुराने लोगों के अनुसार–कोई क्षति नहीं है और आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम तो वहां पैदा हुए हैं जहां हुल्लड़ मुरादाबादी नाम विख्यात है । जैसा कि माननीय जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी कहा आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, कल की कार्यवाही मंगाकर आप देख लें किसी ने भी यह नहीं कहा कि आप क्षमा-याचना करें या खेद प्रकट करें । जैसा कि पूर्व में श्री गुप्त जी ने श्री नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल जी ने भी कहा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । यहां प्रश्न यह उठा है कि कौन शब्द संसदीय है और कौन शब्द असंसदीय है ? यह सदन बहुत वर्षों में उच्चकोटि की मर्यादाएं और उच्चकोटि की परम्पराएं कायम कर सका है । यहां शब्दों का चयन करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे कि दूसरे की मर्यादा कायम रहे । यहां विरोधी दल के सदस्यों को भी जब सम्बोधित किया जाता है तो माननीय सदस्य कहकर सम्बोधित किया जाता है । इसके पीछे अपेक्षा की गई है और उद्देश्य यही है कि सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी तो सारे सदन की गरिमा बढ़ेगी । जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो सारे सदन का सम्मान बढ़ता है । कल जो हम लोगों ने बहिष्कार किया था कि आप कह रहे थे कि हम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि जब आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही हमसे यह कहेंगे कि हम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं तो क्या हमारे सदस्य यहां हुल्लड़ बाजी करने आते हैं। यहां जो लोग चुनकर आते हैं वह केवल अपने लिए नही कहते हैं कोई बात कहते हैं उसके पीछे जो लाखों की जनसंख्या है जिसने हम लोगों को कुछ आशा के साथ चुनकर भेजा है, कुछ अपेक्षाएं की हैं उसकी बातों को हम लोग यहां पर सदन में रखते हैं और अगर यहां पर हम लोग उनकी बात नहीं रखते हैं तो उनको थोड़ा कष्ट होता है। उसके पीछे इरादा यही होता है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जिसके तहत माननीय सदस्यगण यहां बैठे हुए हैं। अगर यहां तीन चार सदस्य एक साथ खड़े हो जायें तो आप उनको इंगित कर कह सकते हैं कि आप लोग बैठ जाइए या आप उनको इंगित कर सदन से बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और आप ही हमें हुल्लड़बाज बना देंगे तो उससे बाहर हमारी क्या छवि बनेगी। इसीलिए हम लोगों को कष्ट हुआ। हम लोगों ने उस समय भी आपसे क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा था। अगर हम लोगों की किसी बात पर आपको कष्ट होगा तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांग लेगे। हुल्लड़ शब्द संसदीय शब्द हो सकता है पर यह सम्मान जनक शब्द नहीं हो सकता है। कम से कम आपकी पीठ से तो ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाय जो सम्मान सूचक शब्द हों क्योंकि आप के प्रति सब सदस्यों ने विश्वास प्रकट किया है और आपको उच्च आसन पर आसीन किया है। इसलिए सब लोग आपसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं। अब हुल्लड़ शब्द के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस शब्द को कार्यवाही से निकलवाकर इसके स्थान पर अन्य कोई दूसरा उचित शब्द चयनित कर लें। क्योंकि जब आप ही सम्मानित सदस्यों को जनता के बीच में हुल्लड़ बाज के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो जो हुल्लड़बाजी करेगा वह हुल्लड़बाज हुआ। तो क्या सम्मानित सदस्य हुल्लड़बाज हो गये। अगर यह आपकी तरफ से आयेगा तो फिर हमें संरक्षण कौन देगा ? आपकी जो आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है, हम आपके आदेश के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। यह शब्द संसदीय हो सकता है लेकिन सम्मानजनक नहीं है। हमें हुल्लड़बाज कहलाने से बचायें। आपको कोई कष्ट हुआ है तो मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से खेद व्यक्त करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, आपने हुल्लड़ शब्द के बारे में डिक्शनरी में जो है उसे बताया। मैं समझता हूं कि आपने जो डिक्शनरी दिखाई है वह छोटी डिक्शनरी हैं। हुल्लड़ का मतलब शोर नहीं होता है। जब शोर अशिष्ट हो जाता है तो हुल्लड़ कहलाता है। हर शोर हुल्लड़ नहीं होता है। आप दूसरी डिक्शनरी देखिये। हर शोर हुल्लड़ नहीं होता हैं, शोर जब अशिष्ट हो जाता है तब हुल्लड़ होता है। हम लोग जो बोलते हैं उसके अर्थ में और आपके अर्थ में अंतर होता है। जब आप हुल्लड़ शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसकी गरिमा की ओर ध्यान देना चाहिये। हम लोग कभी-कभी एक साथ बोलते हैं तो यह समझा जायगा कि सदन के अंदर शोर हो रहा है लेकिन उस शोर में शिष्टता रहती है। लेकिन शोर की जगह पर यह कहा जाय कि हुल्लड़बाजी हो रही है तो यह संसदीय हो सकता है लेकिन मेरा कहना है कि यह शब्द अशोभनीय अवश्य है। संसदीय होते हुये भी इस पीठ से इस शब्द का प्रयोग करना सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि यह आपकी मर्यादा के विरुद्ध है अगर इस शब्द को निकाल देंगे तो आपकी मर्यादा बढ़ेगी।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

सबके विचार आ जाने दीजिये उसके बाद मैं कुछ कहूं उसको भी सुन लीजिये। मैं अभी निर्णय नहीं दे रहा हूं। जब तक इसकी व्याख्यायें नहीं आ जायेंगी तब तक मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब इस पर आगे चर्चा ठीक नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, क्या अंग्रेजी में भार्गव डिक्शनरी से बड़ी कोई और डिक्शनरी है, बतायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं है ।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें, मैं सदन को संतुष्ट कर दूंगा ।

[समय 12 बजकर 45 मिनट]

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह हम समझते हैं कि यह पहला अवसर है इस सदन में और इसमें कदाचित जो डिबेट शुरू हो गया है, यह उचित नहीं है । मान्यवर, यहां पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या संसदीय है और क्या असंसदीय है, इसका भी तो निर्णय आप ही को करना है । इस सदन में जो आप निर्णय कर देंगें, सबको मान्य होगा, इसलिए आपके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है । इसलिए श्रीमन्, आपका जो भी निर्णय हो, उसमें डिबेट करना न परम्परा है, न उचित है और न कदाचित वांछनीय है । हम सबसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रकरण को समाप्त करें और जो कुछ कहना हो, आपके कक्ष में जाकर कहें । इस प्रकरण को समाप्त किया जाय और आगे की कार्यवाही लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों के अभी-अभी विचार आये । इस तरह के और भी शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है । मैं उन शब्दों की और भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसको समाप्त कीजिए मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा मैं उदाहरण देना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभी यह कहा गया कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय, तो कार्यवाही से निकाला इसलिए नहीं जा सकता है कि यह प्रेस में पहुंच चुका है, तमाम अखबारों ने छापा है इसलिए इसे कार्यवाही से निकालना उचित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो कुछ करना हो, आप कर दें, लेकिन इसको समाप्त कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें एक शब्द साफ लिखा हुआ है....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसको समाप्त कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

राम आसरे वर्मा जी, आप सुन लीजिए पहले । देखिये वर्मा जी, आप किसी बात को मानते नहीं हैं । आप देखें, आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं ।

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया यह है कि अध्यक्ष के खड़े होने पर कोई भी सदस्य अपने स्थान से नहीं उठेंगे । आप कतई नहीं उठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप फिर खड़े हो गये । आप बैठ जायं ।

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भलीभांति समझ गया हूं और इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं और आगे चलता हूं ।

एक ही प्रश्न के दो अलग-अलग उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरे प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 ज्ञानपुर नहर की सफाई के संबंध में उत्तर आया है कि अर्जुनपुर माइनर की सफाई पांच किलोमीटर की गयी है, जबकि दूसरे प्रश्न संख्या 127 के उत्तर में अर्जुनपुर माइनर में 4 किलोमीटर तक पानी पहुंचने की बात कही गयी है । पानी नहीं पहुंचा तो सफाई कैसी ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह जो अपनी बात कह रहे हैं, वह किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं ?

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि आपने अपने मुख से कई बार कहा है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन प्रश्नोत्तर में यदि कोई प्रश्न बनता है, तो उसे प्रश्नकाल के समाप्त होने पर उठाया जा सकता है । इसलिये माननीय मिश्रा जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा है मान्यवर ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आप देखें, एक प्रश्न के दो उत्तर दिये गये हैं प्रश्न संख्या 127 में कहा गया है कि 5 किलोमीटर तक नहर की सफाई की गई है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सुन तो लें । आप जिस बात को कह रहे हैं मैं महसूस कर रहा हूं कि आपकी बात उचित है लेकिन औचित्य के प्रश्न पर कहना चाहेंगे तो उसके लिये सूचना दें और वह सूचना एक घंटे पहले मिल जानी चाहिये । मैं गुप्ता जी की बात को क्या कहूं गुमराह करने की कोशिश करते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप बहुत कठोर हो जाते हैं । मैं सदन से क्षमा याचना कर लूंगा, यदि यह परिपाटी न रही हो । यह परिपाटी सदैव रही है कि प्रश्नों के बारे में जब कोई विसंगति होती है तो प्रश्नोत्तर काल के बाद उसके संबंध में सुना जाता है । मान्यवर, माननीय रंगनाथ जी ने आपका ध्यान आकृष्ट कराया कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनके एक ही प्रश्न के दो उत्तर आ गये हैं । अगर मैं आपकी जगह होता तो कह देता कि इसको दिखवा लूंगा, लेकिन आपने अकारण ही मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसलिये बहुत पीड़ा हुई ।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवस्था उठाते तो मैं अनुमति दे देता लेकिन आपने औचित्य के प्रश्न को उठाया है मैं व्यवस्था की अनुमति दे रहा हूं औचित्य की नहीं ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरे एक ही प्रश्न के दो उत्तर प्राप्त हुए हैं एक उत्तर में यह कहा गया है कि माइनर में टेल के चार किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है और दूसरे उत्तर में कहा गया है कि....(व्यवधान) 5 किलोमीटर की सफाई नहीं हुई है, तो पानी नहीं पहुंचा है तो सफाई कैसी ? मान्यवर, इस प्रकार से यह उत्तर सदन को गुमराह करने के लिये दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का सही उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें मैं माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दूंगा ।

कार्यसूची तथा प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, कल भी हम लोगों को कार्यसूची नहीं मिली थी और आज भी नहीं मिल पायी है । उत्तर की प्रतियां अभी भी नहीं मिल पाई हैं । मान्यवर, आप निर्देशित करें कि एजेंडा हम लोगों को सही समय से मिले ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको दिखवाऊंगा कि कैसे नहीं पहुंचा है ? जिसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है मैं उसको दण्डित करूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हम लोग भी उसी में हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया कि दिखवाऊंगा ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, 21 तारीख से सदन चल रहा है लेकिन एजेण्डा मेरे पास तक नहीं पहुंचा है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं को जोड़ रहा हूं, मैं इसको दिखवा लूंगा । आज दिनांक 24-2-94 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री बदन सिंह की

आगरा की तहसील किरावली के ग्राम त्रिपुरी पर फतेहपुर सीकरी शाखा के टूटने से फसलों को हुई क्षति एवं मकानों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री ऊदल की वाराणसी विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की टिहरी बांध डूब क्षेत्र के कुछ गांवों का पुनर्वास किये जाने तथा पुनर्वास किये गये गांवों को राजस्व अधिकार देने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की देवरिया नगरपालिका की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर चहारदीवारी बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री धनराज यादव की सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील के कई गांवों में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में है । छठी सूचना श्री बंशीधर भगत की नैनीताल जनपद के अधिसंख्य गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना" की लखीमपुर खीरी स्थित सहकारी चीनी मिल लि०, बिलरांया द्वारा गन्ना आपूर्ति कर्ता किसानों से गन्ना मूल्य में से विकास मद के रूप में स्वेच्छा पूर्वक कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं । इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सात सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई)

आगरा की तहसील किरावली के ग्राम त्रिपुरी, फतेहपुर सीकरी शाखा की पटरी के टूटने से फसलों की बर्बादी तथा मकानों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, दिनांक 10/11 जनवरी, 1994 की रात्रि में जनपद आगरा, तहसील किरावली के ग्राम त्रिपुरी के पुल के निकट फतेहपुर सीकरी शाखा की कमजोर पटरी पचासों फिट टूट गयी । सिंचाई अभियन्ताओं की निष्क्रियता तथा लापरवाही के कारण दूसरे दिन तक टूटी हुई पटरी को नहीं मूंदा जा सका । ग्राम त्रिपुरी चारों ओर से चार-चार फिट पानी से घिर जाने के कारण दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए, बीसों पशुओं की अकाल मृत्यु हो गयी । बिटौरा, बुझझी तथा ईंधन सब बह गये । ग्राम त्रिपुरी भडीरी और गोवरा की हजारों एकड़ फसल गेहूं, लाहा, आलू, बरसीम सड़कर नष्ट हो गयी है । किसान इस फसल बरबादी से भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और आगरा प्रशासन इस बरबादी को आंख मूंद कर देख रहा है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर किसानों का लगान, आपासी, सभी ऋण व देय धनराशियों को माफ करने तथा नहर की कमजोर पटरी और ग्राम मार्ग को पक्का करने तथा दोषी सिंचाई अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[महोदय, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक महायोजना नं० 2011 का प्रारूप 450 गांवों की जमीन को शामिल करके 18306 हेक्टेयर ले लेने की योजना बना दी है । इसी तरह की एक महायोजना सन् 1961 से 1991 तक के लिये 14494.40 हेक्टेयर की बनायी थी जिसकी मंजूरी 1 अक्तूबर, 1973 में

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दी गयी बीस वर्षों में सिर्फ 31.5% कार्य हुआ और सिर्फ 5509 हेक्टेयर क्षेत्र पर है । वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पाण्डेयपुर, खुजरी, वाराणसी में काफी जमीन एक्वायर किया और आधे पर भी उक्त योजना के तहत सड़क, सीवर, जल निकासी आदि नहीं बन पायी । शेष जमीनें व्यक्तिगत लोगों ने दखल करके मकान बना लिये तथा बड़े लोगों की जमीनें विकास प्राधिकरण ने छोड़ दिया । नगर महापालिका, वाराणसी ने ऐसे लोगों से रिश्वत लेकर मकानों का नम्बर दे दिया । इसलिये इस महायोजना को रदद् किया जाय और गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि न ली जाय । दिनांक 29-1-1994 को किसानों ने आयुक्त, वाराणसी के यहां इसके विरोध में प्रदर्शन करके ज्ञापन भी दिया है ।

इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रथम महायोजना, पाण्डेयपुर, खुजरी हाउसिंग स्कीम की जांच कराने तथा नई योजना को रद्द करने की मांग करता हूं ।]

टिहरी बांध डूब क्षेत्र के गांवों का पुनर्वास तथा पुनर्वासित गांवों को राजस्व अधिकार देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं :–कि टिहरी बांध डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों का पुनर्वास कर दिया गया तथा कुछ को नहीं किया गया, शेष गांवों को पुनर्वास किये जाने हेतु एवं पुनर्वास किये गये ग्रामों को राजस्व अधिकार प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय जनता का आन्दोलन कभी-भी उग्र रूप धारण कर सकता है ।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।]

देवरिया नगर पालिका की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर चहारदीवारी बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[महोदय, देवरिया नगर पालिका सीमा में करना नाला पर रेलवे पुल लोक निर्माण विभाग की सड़क, सेतु निगम के पुल के बीच एक मजार कुछ वर्षों से स्थित है, जिसकी वास्तविक भूमि 3 डि० बताया गया है, दिसम्बर, 93 में मजार के प्रबन्धकों ने अवैध रूप से मानचित्र को स्वीकृत कराकर काफी जमीन कब्जे में लेकर चहारदीवारी का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है, मजार के बगल में इंडेन गैस का गोदाम, नगरपालिका का स्लाटर हाउस स्थित है । नागरिकों ने जिला प्रशासन नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, रेलवे सभी को पत्रक देकर अवैध जमीन जिसको राजस्व विभाग के रिकार्ड में गलत ढंग से दर्ज कराने की चर्चा है, रोष प्रकट करते हुए चेतावनी दी है । क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में गोपनीयता एवं सुरक्षा के संशय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है ।

आपके माध्यम से सरकार द्वारा अवैध रूप से राजस्व रिकार्ड में कराये गये इन्दराज को खारिज कर, अविलम्ब अवैध निर्माण को रोक कर सारे मामले की जांच निष्पक्षता से कराने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील के गांवों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के ग्राम भरमी, धर्मीली, भुसौला, अदाई, हरिवंशपुर, बहादुरपुर, भटौली, वजहा, जमुहवा, अगवा, पल्टादेवी, कटया, गौहनिया इत्यादि गांवों में यानी तप्पाभाटिन पार, तप्पा धौस, तप्पा एखिन, तप्पा बरहो तथा तप्पा खजहनी के सैकड़ों गांवों में फरवरी के प्रथम सप्ताह में ओला पड़ने से फसल बरबाद होकर चौपट हो गई ।

ओलावृष्टि से सरसों, मटर, अरहर, गेहूं, टमाटर, आदि एवं आम के बौर नष्ट एवं बरबाद हो गये, जिससे उक्त क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसान, मजदूर तबाह और परेशान हो गये और उनका भविष्य निराशापूर्ण हो गया है । सबसे दुखद यह है कि अभी तक शासन की ओर से कोई सहायता उन्हें नहीं पहुंचाई गई है ।

अतएव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय और सुनिश्चित प्रश्न को सदन के सम्मुख रखते हुए मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र के पीड़ित किसानों को अविलम्ब सहायता देने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

नैनीताल जनपद के अधिसंख्यक गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बंशीधर–

[मान्यवर, विगत वर्षों में अतिवृष्टि से हुई तबाही से पूरे नैनीताल जनपद में भीषण बर्बादी हुई है, जिससे अनेक गांव के गांव खत्म हो गये, पशु हानि, पेड़ों की हानि, भवन हानि यहां तक जन हानि में इस अतिवृष्टि में हुई इसके परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र की नहरें बर्बाद हो गयी, पेयजल लाइनें खत्म हो गयी हैं, जिसमें आने वाली फसलें सिंचाई के पानी के कारण खत्म हो जायेंगी तथा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि ऐसे लोकहित के प्रश्न पर चर्चा कराकर सरकार से पेयजल तथा सिंचाई व्यवस्था कराने को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

लखीमपुर खीरी स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल लि०, बिलरायां द्वारा गन्ना किसानों से विकास मद के रूप में स्वेच्छापूर्वक कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री निर्वेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से लोक महत्व की निम्नांकित सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, बिलरायां द्वारा अपने गन्ना आपूर्ति कर्ता किसानों से सड़कों, पुलों के निर्माण आदि हेतु विकास मद में गन्ना मूल्य में से स्वेच्छापूर्वक कटौती करके लाखों रुपयों की धनराशि जमा कर रखी गयी थी ।

गन्ना आपूर्ति हेतु कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु अपने हित में स्वयं चीनी मिलों को इस मद का व्यय भार उठाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कृषकों द्वारा अपने गन्ना मूल्य में से इस हेतु स्वेच्छापूर्वक कटौती करायी जाती है । जिससे जनपद के किसानों में भारी रोष व्याप्त हो गया है । स्थिति को विस्फोटक होने से बचाने के लिये कृषक हितों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी चीनी मिल संघ, उत्तर प्रदेश एवं गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी विकास मद में उसी समान अनुपात में अपना अंशदान करना चाहिए जितनी राशि का अंशदान कृषकों का कटौती द्वारा हो ।

मेरा सदन के माध्यम से प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त मद में सभी पिछले वर्षों को सम्मिलित करते हुए कृषकों के अंशदान के समान राशि सहकारी चीनी मिल संघ, उत्तर प्रदेश एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाय और भविष्य में भी समान अंशदान दिया जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे जनपद के किसानों का हित हो सके व स्थिति को विस्फोटक होने से बचाया जा सके ।]

नियम 311 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सिटी बोर्ड सीतापुर के नियमित कर्मचारियों को 14 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी की हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28, शारदा सहायक परियोजना खण्ड 40 एवं शारदा नहर खण्ड, लखनऊ से कई गांव में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । लेकिन चूंकि उक्त सभी सात लोग उपस्थित हैं इसलिये इनको नहीं लिया जा सकता है । माननीय सदस्यों के नाम ये हैं जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयी है — श्री सतीश भाटिया, श्री तेजभान सिंह, श्री मन्नू लाल कुरील, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री मुक्तिनाथ यादव, श्री मित्रसेन यादव, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री बची सिंह रावत, श्री हरवंश कपूर, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री हृदय नारायण । अब क्या 311 की ग्राह्यता पर सदस्यों को सुना जाय या 311 को ले लिया जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सुना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

एक ही दल की सूचना है, 6 सदस्यों ने दी है प्रमोद तिवारी जी, श्री जगदम्बिका पाल आदि ने दी है उसका विषय है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई बच्चों की लाशें प्राप्त होने से व्यापक आतंक के बारे में है ।

औचित्य के प्रश्नों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

सबसे पहले सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, 300 की बात मैं करता हूं, आप सुन लीजिए । 300 के बारे में स्पष्ट आपकी नियमावली में दिया हुआ है, आप भी देख लीजियेगा ।

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो और दूसरा है औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा इसके अतिरिक्त कोई विषय 300 में नहीं लाया जा सकता है जो सूचना जिन माननीय सदस्यों ने दी है, पहले हमें यह बता दें कि उनका विषय क्या है, क्या यह नियम के अन्तर्गत आता है ? मैं एक-एक सदस्य को बुला रहा हूं, पहले नियम बता दीजियेगा कि इस नियम के अन्तर्गत आता है तो सुनूंगा नहीं आता है तो नहीं सुनूंगा ।"

श्री नरेश अग्रवाल–

पहले ग्राह्यता पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर न बोलें, पहले नियम बतायें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

पहले ग्राह्यता पर सुन लें तभी तो बतायेंगे कि इस नियम के अन्तर्गत आता है ।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर तो बाद में सुनूंगा । पहले यह बतायें कि इस नियम के अन्तर्गत आता है कि नहीं ।

(व्यवधान)

पहले सुन लीजियेगा । आप यह बतायेंगे कि मेरा विषय यह है और यह जो नम्बर एक और नम्बर दो जो नियमावली में दिया हुआ है उसके अन्तर्गत आता है, तभी मैं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

* श्री हरेन्द्र सिंह–

यह हस्त पुस्तिका आपकी हम लोगों को प्राप्त हुई है । जो बिन्दु हम लोगों ने उठाये हैं, अपने आपको इन बिन्दुओं के अन्तर्गत मानते हुए यह बिन्दु उठाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

एक भी नियम के अन्तर्गत नहीं है । अगर इस तरह की बात करेंगे तो मैंने सब कैंसिल कर दिये हैं, एक भी नियम के अन्तर्गत नहीं है, इसलिये सब को मैंने कैंसिल कर दिया है । इन नियमों के अन्तर्गत एक भी नहीं आ रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, मैं आपको नियम बताना चाहूंगा । मैं आपको नियम बता रहा हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, अब आपका निर्णय आ गया है निर्णय के बाद बहस का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, मैंने सुनने के लिये कहा था लेकिन यह भी कहा था कि पहले नियम बता दें तो कहते हैं कि पहले ग्राह्यता पर सुन लीजिए । मैं समझता हूं कि नियमों के अन्तर्गत नहीं है इसलिये मैंने कैंसिल कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक सदस्य बोल रहे थे, जब वह बैठे तो मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आज नहीं सुनूंगा, मैंने कैंसिल कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप जो चाहे कर दें लेकिन आपने नियम बताने के लिये कहा था तो उस समय एक सदस्य बोल रहे थे इसलिये मैं नहीं बोला ।

श्री अध्यक्ष–

पीठ से निर्णय आ गया है । आप कक्ष में आकर वार्ता कर लें तो मैं इसको कल भी ले लूंगा, आप सबको बुला लूंगा ।

(व्यवधान)

मैं सभी माननीय नेताओं को बुला लूंगा और जो उसमें तय कर लेंगे वही करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

जो मेरा निर्णय हो गया उसमें कोई व्यवस्था नहीं होगी । क्या मेरे निर्णय पर भी आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

निर्णय पर व्यवस्था नहीं करेंगे लेकिन निर्णय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना का अधिकार तो रखते हैं ।

श्री मित्रसेन यादव–

औचित्य की व्याख्या है .....

श्री अध्यक्ष–

मैं इनको नियम संगत नहीं मानता हूं मैंने निर्देश दे दिया मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री हरेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मित्रसेन यादव–

औचित्य की जो बात हैं उसको तो कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम के तहत ही सदन चलेगा । अब मैं नियम 311 की सूचनाओं को टेक-अप कर रहा हूं । मैं श्री श्याम देव राय चौधरी जी को बुला रहा हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मैं बड़े ही नम्रतापूर्वक आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और मैं भारत के संविधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जो मैंने निर्णय दे दिया है कल आप दे दीजिये । इसके संबंध में कक्ष में मुझसे बात कर लीजिये जो निणर्य दे दिया, पुनः आप कैसे रखेंगे नियम आप पढ़ लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न है, उसके संबंध में जो नियम है.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने जो निर्णय दे दिया, वह दे दिया, कक्ष में सभी नेताओं को बुलाकर मैं बात कर लूंगा, आगे क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी क्या शिथिल किया जायेगा उस पर विचार कर लिया जायेगा, जैसी सबकी राय होगी वैसा करेंगे । नियमावली की बात करेंगे तो हम नियमावली की ही बात करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, पिता तुल्य हैं आपने कहा कि आप दलों के नेताओं को बुलायेंगे और इस पर निणर्य ले लेंगे यह बात शिरोधार्य करता हूं। दूसरे कहा कि जो नियमों की बात है तो नियमों की बात पर मुझे सुन लीजिये। आप इतने हठी कैसे हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अगर प्रक्रिया में ऐसा है तो मैं तैयार हूं। उसको भी पढ़कर सुना दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप तो उन्हीं को सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अध्यक्ष के विनिश्चय के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर इसे आप क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मानयवर, आपने जो व्यवस्था दी है उसे हम शिरोधार्य करते हैं। मान्यवर, पुराने दृष्टांत हैं, निर्णय हैं कि माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बाद उसे उठाया तो नहीं जा सकता लेकिन उस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जा सकती है इसलिये मैं भी इस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आप कृपया इसे स्वीकार कर लीजिये। आप 1952–57 तक के अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय का संकलन देखें उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के निर्णय के बाद कोई व्यवस्था नहीं होगी लेकिन पुनर्विचार की प्रार्थना की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई इस तरह के उदाहरण हैं तो यह कोई निश्चित नहीं है। अगर नयी परम्परायें डाली जा सकती हैं तो तोड़ी भी जा सकती हैं परिस्थितियों के अनुसार यदि वह नियमानुकूल न हो तो तोड़ा भी जा सकता है। यदि कोई नयी परम्परा पड़ गयी होती और वह कानून बन गया या नियम बन गया तो मैं उसे मानता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यहां परम्परायें तोड़ी जायेंगी तो जितनी भी आपके सचिवालय से हमको यह किताबें मिली हैं "अध्यक्ष पीठ के निर्णयों" की उन किताबों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है हमें तो उसे जला देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी भी पीठासीन अधिकारी के अधिकारों का हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन जो मेरी निजी राय है उसके संबंध में कह रहा हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है उस पर कोई भी अपील नहीं कर सकता है और हमें यह स्वीकार भी है । मैं दो बातें बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि इस संबंध में नेताओं की बैठक बुला लीजिये अपने कक्ष में और वहीं इस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में शीघ्र ही एक बैठक अपने कक्ष में बुला लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, दूसरी बात जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर नियमावली के प्रतिकूल और संविधान की धारा के विपरीत होगा तभी औचित्य का प्रश्न बन सकता है मैं उससे सहमत हूं । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब तक किसी सदस्य को इस संबंध में तीन-चार मिनट तक नहीं सुनेंगे, आप कोई समय सीमा रख दें कि दो मिनट के अन्दर अपनी भावना व्यक्त करके यह बता दें कि यह नियमों के विपरीत है या संविधान की धारा का उल्लंघन हो रहा है, तभी यह कह सकते हैं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता परन्तु बिना सुने अपना निर्णय न दें इससे न्याय नहीं मिल पायेगा । एक बात और कहना चाहता हूं, अभी माननीय जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के बाहर नीतिगत घोषणा की है । मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब सदन की बैठक आहूत हो जाये तो उसके बाद कोई भी घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए वह सिर्फ सदन के अन्दर ही सबसे पहले की जानी चाहिए और इस परम्परा का निर्वाह भी होना चाहिए । मान्यवर, संविधान की धारा 164 के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल पूरी तरह से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है । वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाये इसलिये संविधान की धारा–164 का उल्लंघन हुआ तो यह औचित्य का प्रश्न बन गया । जब यह प्रश्न बन गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे कृपापूर्वक सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाटरी के संबंध में एक घोषणा की थी । वह चाहते थे कि एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर इसकी घोषणा बाहर भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने सदन का आदर करते हुए कल विशेष रूप से इसकी घोषणा सदन में की । वही बात हम कह रहे हैं । जैसा कि अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि संविधान की धारा से अगर विपरीत है तो कृपया उसे देख लें । मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । माननीय मंत्रीगण किसी घोषणा को सदन में कहने के बजाय सुल्तानपुर में कहते रहे, बदायूं में कहते रहे तो यह गलत परम्परा है । यह आदरणीय सदन सर्वोच्च संस्था है और सदन से बाहर इस तरह की घोषणायें करना 164(2) का उल्लंघन है । जब सदन चल रहा हो अथवा सदन आहूत कर लिया गया हो तो सभी चीजें सदन में ही कहनी चाहिए, यही संसदीय परम्परा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, माननीय पाल जी, मैंने सुन लिया है और मैंने एक बात आपसे कह दी कि मैंने अपने विवेक से, जो सूचनायें नियम 300 की थीं, उनको निरस्त कर दिया है और कारण भी बता दिया है कि यह नियमावली के अन्तर्गत मेरी समझ में नहीं आ रही हैं । वैसे हम सभी नेताओं को बुला लेंगे और अगर आप सब लोग सहमत होंगे कि इस तरह से आ सकता है, आप अगले दिन दे दीजियेगा, मैं पुनः सुन लूंगा, इसमें कोई हमारी जिद नहीं है, मैं सुन लूंगा, पहले आप सब लोग सहमत तो हो जायें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसी संदर्भ में इस सदन में पूर्व दृष्टान्त हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन के दृष्टान्तों की बात भी मैंने कह दी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सदन किस तरह से चलेगा, यह आपको निश्चित करना है और नियम 300 में आपने सब सूचनायें निरस्त कर दीं । माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है और अभी एक भी सदस्य चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाये हैं । माननीय नेता विरोधी दल का भाषण भी नहीं हो पाया है । सदन का संचालन सुचारु रूप से हो, नियमानुसार हो, यह आपको निश्चित करना है, इसके पहले भी कठोर निर्णय होते रहे हैं, गुप्त जी भी जानते हैं कि इस तरह निर्णय लेकर नेता सदन, नेता विरोधी दल का भाषण करवाया जाता रहा है । यह निर्णय भी आज की परिस्थितियों को देखकर लिया गया है, हम इसको उचित मानते हैं और सभी लोग सहमत होंगे । जहां तक नियम 311 की सूचनाओं का संबंध है । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था कि 56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी, उसका आशय यही था कि शून्य प्रहर कम से कम चले और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें । लेकिन 56 की जगह 311 आ गया तो उस निर्णय का फिर कोई मतलब नहीं रह गया । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि 311 में यदि कोई बहुत आवश्यक हो तो उसे सुन भी लें, मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा । मैं चाहता हूं कि आज कम से कम शून्य प्रहर चले और माननीय नेता विरोधी दल का ज्यादा से ज्यादा भाषण हो, यही आपसे अपील है और सब लोगों से अपील है ।

नियम 311 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना को क्रम से न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

आपने मुझे बुला लिया है नियम–311 के लिये ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री नरेश अग्रवाल को बुला लिया है, उसके बाद आपको सुन लूंगा ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस 311 के प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 21 तारीख को इस सदन में प्रस्ताव करके कानून व्यवस्था के विषय पर हम सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की । उस समय मा० मुख्य मंत्री जी ने अपने व भारतीय जनता पार्टी दोनों के शासन की तुलना की कि तुलनात्मक रूप से अपराध प्रदेश में कितने हुए ? मैं न उनके दल की बात करता हूं न भारतीय जनता पार्टी की । (व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, यह सुनिश्चित है कि यह जो आदरणीय व सम्मानित सदन है, इसके जो सारे सदस्य हैं, सबको समान अधिकार है, बराबर अधिकार है । सारे सदस्य जनता के विश्वास से और उनके मत से चुनकर आते हैं । मैंने जो एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर 311 का एक सवाल उठाया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल को मैंने बुला लिया है, उसके बाद आपको सुन लूंगा । आप अन्यथा समझ रहे हैं। आप बैठ जायें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैंने लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न, जो कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से संबंधित है, को उठाया है । मान्यवर, जब यहां सम्बन्धित सूची पढ़ी जा रही थी तो उसमें मेरा नाम अन्त में कर दिया गया । यह कैसे हुआ ? मैंने जब सूचना दी थी तो मैं पहला सदस्य था, जिसने इस सूचना को रिसीव कराया, तो उसका क्रम कैसे बदल गया ? यह निश्चित रूप से अन्याय है । मैं सचिव महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । कैसे यह अन्याय हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आज यह आदेश दे रहा हूं अपने सचिवालय को कि जिस समय जो सूचना आये उसी समय इसमें एक-एक मिनट का समय डाल दिया जाये और जिसकी सूचना पहले आयेगी उसको पहले सुना जायेगा । यह गल्ती कल से नहीं होगी । मैंने आदेश दे दिया है । चौधरी साहब आप बैठ जायें, मैं आपकी बात सुन लूंगा ।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई बच्चों की लाश प्राप्त होने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष विषयक नियम 311 की सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं अपनी सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के ऊपर । 21 तारीख को बहस हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर घोषणा करी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था गिरी नहीं है और हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे । मैं माननीय मुख्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश को छोड़िये, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे पिछले 10 दिन में 4 बच्चों की निर्मम हत्या की गयी और हत्यारों ने एक ही तरीके से उनकी हत्या की जिससे आभास होता है कि अपनी हवस पूरा करने के बाद उन बच्चों की हत्या कर दी गयी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि शहर के उन इलाकों में उनकी लाश फेंक दिया गया। 18 फरवरी को जिस बच्चे की लाश फेंकी गयी वह स्टेट गेस्ट हाउस के पास फेंकी गयी, जहां हर वक्त पुलिस रहती है, आई० जी० भी रहते हैं, वहां दिन दहाड़े लाश फेंक दी गयी, एक लाश बटलर पैलेस, कालोनी के पास फेंकी गयी, एक लाश नरही के पास फेंकी गयी, और एक लाश लालबाग काम्पलेक्स के पास फेंकी गयी। मेरा श्रीमन्, स्पष्ट आरोप है कि पुलिस इस समय बहुत ही अकर्मण्य हो गयी है। या तो वह सरकार को सहयोग नहीं कर रही है या फिर वह अपराधियों से मिली हुई है। आज श्रीमन्, पूरे लखनऊ में अभिभावक परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक तीन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पायी है। आज राजधानी में प्रदेश के बाहर से जो बच्चे रोजगार के लिये आये हुए हैं, उनकी अस्मिता और प्राणों को खतरा हो गया है। यह एक गम्भीर विषय है और लखनऊ में आज भय व आक्रोश का वातावरण व्याप्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही इस सदन में घोषणा करें कि उन अपराधियों को कल तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा। उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्यवाही हो ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराध सक्रिय न होने पायें। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि सारे नियमों को निलम्बित करते हुए आज इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब श्री श्याम देव राय चौधरी जी अपनी बात कहें। सूचना एक ही है और शब्दावली भी एक ही है। ठीक है, आप तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं, परन्तु माननीय सदस्य की भी सूचना है। आपको भी मौका दूंगा। जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, सभी को मौका दूंगा। दोनों सूचनाओं को मैंने इकट्ठा कर दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, आपकी कृपा के लिये धन्यवाद। भविष्य के लिये भी आप निर्देशित कर दें कि जिस किसी भी माननीय सदस्य की सूचना जिस क्रम में आये, उनको उसी के अनुसार अवसर दिया जायेगा। एक संशोधन भी है। वह यह है कि एक ही स्थान पर सूचनाओं को दिया जाय। चाहे उन्हें पटल कार्यालय में दिया जाय, संसदीय अनुभाग में अथवा सचिव कार्यालय में दिया जाय। मगर एक ही जगह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जो नियम होगा, उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बी० जे० पी० के शासनकाल में अपराध अधिक हुए थे और वर्तमान सरकार में अपराध कम हो रहे हैं परन्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। 12 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के अन्दर-अन्दर 4 किशोर नवयुवकों की इस प्रकार जघन्य हत्या कर दी गई, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। पहली घटना 12 फरवरी को घटित हुई। बटलर पैलेस के सामने, जहां पर एक जज

महोदय का भी मकान है, वहां पर एक नवयुवक की लाश मिली । जहां पर लाश मिली, आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वहां पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक जी का बंगला भी है, जहां पर पुलिस व पी० ए० सी० बराबर लगी रहती है परन्तु अपराधियों ने उक्त नवयुवक के साथ यौनाचार किया, फिर उसकी हत्या करने के बाद आराम से उसकी लाश को कार में लाकर वहां फेंक गये और चले गये । यह कानून-व्यवस्था का ज्वलन्त प्रमाण है । इस घटना के ठीक 6 दिन बाद 18 फरवरी को एक और घटना हुई । स्टेट गेस्ट हाउस के सामने एक नवयुवक की लाश कार के नीचे मिली । उसकी पैंट उतरी हुई थी और उसके मुंह से खून आ रहा था । ऐसा कहा जा सकता है कि उसके साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार हुआ और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई । इन अपराधियों से ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो गया है तभी तो अपराधी आराम से आये और कार के नीचे लाश फेंककर चले गये । यह भी जानकारी करने पर पता चला, पहरे पर पुलिस वालों से कि एक लालबत्ती की गाड़ी आई थी, उन्होंने कहा हम लोगों ने समझा कि किसी वी० आई० पी० या वी०वी०आई०पी० की कार होगी इसलिये हम लोगों ने नोटिस नहीं लिया और न पूछने की हिम्मत की कि किस प्रयोजन के लिये आये हों । लगता है उसी कार द्वारा लाश लाकर छोड़ दी गयी । क्या आज इस शासन में लालबत्ती लगाकर जो इसके योग्य हैं उनके द्वारा इस प्रकार के जघन्य अपराध किये जा रहे हैं ? 23 फरवरी को दूसरी घटना होती है उसमें दो लाशें मिलती हैं एक ही टाइप की अपराधियों द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार के उपरान्त गला दबा कर हत्या हुयी । पुलिस वाले ऐसे अपराधियों को आज तक पर्दाफाश नहीं कर पाये । उनका गला नहीं पकड़ पाये तो इस प्रकार के काण्ड कर रहे हैं और उनके द्वारा लगातार हत्यायें की जा रही है । 23 फरवरी को नरही के पास लैटर बाक्स के पास एक और लाश लालबाग स्थित अफिसर्स कालोनी में पड़ी मिली । तो इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये अपराध कम होने के वह निरर्थक हैं, प्रदेश की जनता की आंखों में धूल डालने वाली बात है । लेकिन यह स्पष्ट है कि अपराधी स्वछंद हो गये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुण्डा एक्ट खत्म कर दिया जिससे प्रदेश में अपराध को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पूरी हो गयी आप समाप्त करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

गुण्डा एक्ट समाप्त करने के पीछे की मंशा क्या रही ? अपराधी स्वछंद घूम रहे हैं, कानून का भय समाप्त हो गया है जो चिन्ता का विषय है । मैं कहना चाहता हूं कि जो 4 जघन्य घटनायें नरपिशाचों के द्वारा की गयी हैं इसकी गम्भीरता से जांच होनी चाहिये, अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

इन अपराधिक घटनाओं से आज समाज के अन्दर असुरक्षा की भावना व्याप्त होती जा रही है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा होनी आवश्यक है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो विषय हमारे दल के द्वारा इस सम्मानित सदन में लाया गया है उसकी गम्भीरता अपने आप में स्पष्ट है उसने पूरी राजधानी में उद्वेलित कर रखा है और उससे पूरे प्रदेश और राजधानी के लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है । मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं, इसे साधारण रूप में न लिया जाय । मैं यह नहीं कहता हूं कि जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं वह निरर्थक है, एक तो कुछ आंकड़े उन्होंने दिये जिनका प्रतिवाद नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया । वह आंकड़े सच होंगे । शासन के आंकड़े सच होते हैं यह मान कर हम चलते हैं । मैं यहां आंकड़ों की चर्चा नहीं करता हूं कानून व्यवस्था के आधार पर कहना चाहता हूं कि आंकड़े हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल से कम हुए हों, लेकिन आज जो धारणा है वह कह रहा हूं । हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ''राजा राज्य नहीं करता है, उसका इकबाल राज्य करता है ''।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

यह आप सही कह रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा लोक महत्व की जो अविलम्बनीय और तात्कालिक घटना है दूसरी नहीं हो सकती है । पिछले दिनों जब यह सरकार बनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण की कुछ घटनायें हुई पूरे प्रदेश में एक पैनिक का वातावरण रहा माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये और उन्होंने उस पैनिक को समाप्त करने के लिये और जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के गिरोहों को सूची बद्ध किया जाय और किया तथा साथ ही यह भी कहा कि उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकड़ा जाय ।

मान्यवर, यहां राजधानी लखनऊ में 10-15 हत्यायें हो गयी हैं । अभी हाल ही में यहां लखनऊ में जो 4 हत्यायें हुई हैं उसमें 3 की शिनाख्त नहीं हो पायी है । मान्यवर, यह हत्यायें न तो प्रतिशोध के कारण और न आपसी रंजिश के कारण हुई हैं बल्कि ये हत्यायें ऐसी हुई हैं जो 12 से 16 वर्ष के लड़के हैं उनका अपहरण पता नहीं कहां से करके उनकी लाशें बटलर पैलेस, नरही, लालबाग काम्प्लेक्स के पास फेंक दी गयी । इनमें एक ही शिनाख्त हो गयी है और पता चला है कि वह लखनऊ का बच्चा है । लेकिन तीन की शिनाख्त नहीं हो सकी है कि वे बच्चे कहां के हैं और कहां से उन्हें अपहरण किया गया है ? मान्यवर, उन्हें अपहरण करके जिस तरीके से उनके साथ अमानुषिक कार्य किया गया है उससे बड़ा दूसरा जघन्य कार्य नहीं हो सकता है । इससे अपराधी की अपराधिक प्रवृति का पता चलता है और मैं समझता हूं कि यह कार्य किसी बड़े गैंग ने योजनाबद्ध तरीके से किया है । किसी स्कूल, से किसी मोहल्ले से या किसी जिले से वह गैंग हम उम्र बच्चों का पहले अपहरण करता है और उसके बाद अपनी काम पिपासा को शान्त करने के बाद बच्चों की हत्या कर देता है और इस तरह की लगातार 10 हत्यायें हुई हैं। मान्यवर, इससे राजधानी लखनऊ के अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है, इसलिये वह अपने लड़कों को स्वयं स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल से कहीं गायब न हो जायें । मान्यवर, इस तरह की घटनायें बस्ती जनपद में भी हो रहीं हैं । इसलिये मेरी राय में इससे गम्भीर चुनौती शासन के लिये कोई दूसरी नहीं हो सकती है । मान्यवर, यहां मुख्य मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौजूद हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करायें जिससे इन हत्याओं का पर्दाफाश हो सके।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा बन्द करके क्या इसी पर चर्चा करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नियम 311 में इस घटना को इसलिये उठाया क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां सरकार बैठी है उसी के सामने 12 तारीख को यह घटना हुई लेकिन शासन और प्रशासन ने उसको गम्भीरता से नहीं लिया। बटलर पैलेस जैसी कालोनी में एक जज के बंगले के पास, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की कोठी के पास हत्या करके एक युवक की लाश को फेंका गया और यह पता नहीं हत्या कहां की गयी थी ?

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य एक ही तरह की नोटिस देते हैं उसमें अपेक्षा की जाती है कि नये-नये तथ्य यहां उजागर किये जायें लेकिन यहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार-बार हो रही है जिससे समय बेकार हो रहा है। इसलिये आप नई बात संक्षेप में कह दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अपराधियों का साहस इस सीमा तक है कि हत्या कहां की गयी है पता नहीं है ? पहले उसके साथ यौनाचार किया या नहीं इसका पता नहीं है ? लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। 10 दिन में चार हत्यायें की जा चुकी हैं लेकिन उनकी हिम्मत देखें कि लाशों को स्टेट गेस्ट हाउस, बटलर पैलेस, नरही और लालबाग काम्पलेक्स जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के पास फेंका। इन लगातार घटनाओं के बाद भी प्रशासन अपराधियों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो रहा है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह किस गैंग का काम है और किस इरादे से किया गया है। इरादा यह भी हो सकता है कि अन्तिम घटना 23 तारीख को घटी और उससे पहले 12 व 18 तारीख को घटी 21 तारीख को मुख्य मंत्री ने यहां सदन में कहा कि अपराध घट रहे हैं। तो यह उनके कहने के बाद 23 तारीख की रात में दो-दो हत्याएं करके अपराधियों ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रदेश में अपराधों की क्या स्थिति है और उनमें कितनी हिम्मत है। आज लखनऊ की स्थिति यह है कि हर परिवार के अभिभावक परेशान हैं, अपने बच्चों की जिन्दगी और सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। उनका बच्चा जब पढ़ने के लिये जाता है तो उसके लौटने तक वह यह सोच कर चिन्ता में रहते हैं कि उनका लड़का सही सलामत वापस आ पायेगा या नहीं। इस नोटिस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अपने उत्तर में इसका प्रयास करने के बजाए कि वह अपराधियों का पता लगाने की हर सम्भव कोशिश करेगी चुनौती मानकर इसे करके दिखायें और हमें खुशी होगी जिस दिन सदन को सूचित किया जायेगा कि उन नराधम और नरपिशाच अपराधियों को सरकार ने बन्द कर दिया है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इन जघन्य हत्याओं में 8 फरवरी को पहली घटना होती है और 23 फरवरी की रात को अन्तिम घटना होती है। इससे स्पष्ट रूप से इसमें अविलम्बनीयता और तात्कालिकता है। इसमें चार-चार नौजवानों की जानें गयी हैं। आज अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल कालेज भेजने में डर रहे हैं। मान्यवर, नियम 311 की नोटिस में दो ही चीजें आवश्यक होती हैं, तो इसमें अविलम्बनीयता भी आ गयी है और यह परम लोक महत्व का भी प्रश्न है–लोक महत्व भी इसमें आ गयी है। चारों स्थानों पर जहां यह शव बरामद हुए हैं, वह सरकारी स्थान हैं, सरकारी कार्यालय या सरकारी आवास हैं और इसमें जिस प्रकार की गाड़ियों को प्रयोग की बात कही जाती है, वह भी सरकारी गाड़ियां हैं। इसलिये जनता के मन में भारी चिन्ता व्याप्त है। हो सकता है कि शासन को चुनौती देने के लिये, बदनाम करने के लिये यह कार्यवाही की जा रही हो। मैं इसमें एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ऐसी घटनाएं चाहे जहां भी हुई हों, देश के लिये जिस कोने में हुई हों, उनके पीछे कोई साजिश अवश्य होती है। चाहे कनपटीमार का कुकर्म रहा हो या फुटपाथ पर सोने वालों की हत्याएं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, घटनाएं होती हैं वह एक ही प्रकार से पता नहीं कब तक होती चली जायें। इसलिये मान्यवर, इस पर आप अपना निर्णय दें और निर्णय देकर आज नेता विरोधी दल को सुने हुए इस सदन को बहुत दिन हो गये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सब समाप्त करके उनको बुलवा लें और फिर आगे की कार्यवाही चल जाये।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, नियम 311 के माध्यम से जो प्रश्न उपस्थित है, नरेश अग्रवाल जी ने, पाल साहब ने और तिवारी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया, अन्य सदस्यों ने भी इसमें अपनी बात रखी। उसमें मुझे एक बात जरूर कहनी है सामने बैठे हुए लोगों से कि हर मामले में.....

(व्यवधान)

क्राइम विशेषज्ञ हैं यह बात जानता हूं। इस विषय को हम भी और हमारी सरकार बहुत गम्भीर मानती है और कम से कम ऐसे गम्भीर मसले पर राजनैतिक दृष्टिकोण तो नहीं उपस्थित होना चाहिए, जो लोगों ने उपस्थित किया। इसकी विवेचना एक विशेष जांच दल द्वारा कराई जा रही है। राजधानी में जो इस तरह का मामला प्रकाश में आया है, यह गम्भीर भी है और एक तरह से सरकार को चुनौती भी है। इस प्रकरण में हमारी सरकार चुनौती के रूप में लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी और कोशिश यह भी की जायेगी कि इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। आज ही कड़े निर्देश अधिकारियों को अलग से दे दिये जायेंगे।

[1 बजकर 45 मिनट].

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है अब मैं इसको तो निरस्त करता हूं। मद संख्या–4 में गुप्ता जी को बुला रहा हूं कि वह अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कौन-कौन सी सूचनाएं निरस्त कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, दूसरी सूचना थी श्री राजेनद्र कुमार गुप्त, श्री ऊदल और श्री लल्लू सिंह जी की, तीसरी सूचना थी श्री हरवंश कपूर जी की, चौथी सूचना श्री रंग नाथ और सुश्री पुण्डीर जी की, पांचवीं सूचना श्री मयंकर सिंह और श्री सुन्दर लाल दीक्षित की, छठी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और सातवीं सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी और आठवीं सूचना श्री धनराज यादव व श्री स्वयंबर चौधरी की । यह सूचनाएं निरस्त की जाती हैं । अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी है । मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी याचिका प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान)

प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये । अभी मंत्री जी ने कहा है । मैं प्रदेश में हो रही आतंकवादी .....

श्री अध्यक्ष–

मैं बाद में सुन लूंगा । अभी मैंने कहा कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है । आप लोग चाहते हैं तो मैं सबको सुन लूंगा ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, पूरा सदन नेता विरोधी दल को सुनना चाहता है । इनके दल के नेता इनको बोलने ही नहीं देना चाहते हैं । अगर इनके अन्दर कोई मतभेद भी है और आप उनको नेता नहीं बनाना चाहते तो उसके लिये अलग से सलाह कर लें इस तरह से सदन में उजागर न होने दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहता हूं कि अब कोई सूचना नहीं ली जायेगी इससे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सकेगी नहीं तो कल हमें 11.00 बजे तक बैठना पड़ेगा । हमारे नेता विरोधी दल ने भी कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाय परन्तु आप नहीं चाहते तो सारी सूचनाओं पर बहस करवा लेते हैं, और बाकी काम छोड़ देते हैं । मैं माननीय गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी याचिका प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही की जाय ।

नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी शेष सूचनाएं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत तो कर दूंगा क्योंकि आपने सूचनाएं खारिज कर दी हैं । आपकी व्यवस्था तो मान्य है ही । मान्यवर, आपने जो सूचनाएं निरस्त की हैं उनके विषय तो बताये नहीं, यह कार्यवाही में कैसे आयेगा ? आप यह नयी व्यवस्था कर रहे हैं, पुरानी परिपाटी तोड़ दी है । सूचनाओं के विषय तो बताना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बात को मान रहा हूं कि विषय नहीं बताये । विषय पढ़े हुये मान लिये जायेंगे ।

(निम्नलिखित अग्राह्य सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई)

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री लल्लू सिंह की बढ़ती हुई महंगाई को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित न कर पाने के बारे में, श्री हरवंश कपूर की प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों से उत्पन्न खतरे के बारे में, श्री रंगनाथ तथा श्री सुश्री शशि बाला पुण्डीर की प्रदेश के पश्चिमी जिलों एवं तराई क्षेत्र में आतंकवादियों के सक्रिय होने के बारे में, श्री मयंकर सिंह तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित की ब० स० पा० द्वारा रेल रोको आन्दोलन से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के बारे में, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री बदन सिंह की दिनांक 20 फरवरी, 1994 को पी० एम० एस० एसोशियेशन के सम्मेलन में मा० मुख्य मंत्री द्वारा डाक्टरों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने से सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों में व्याप्त रोष के बारे में, श्री मातबर सिंह कण्डारी की राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में कई वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के पदों को न भरे जाने के बारे में और श्री धनराज यादव तथा श्री स्वयंवर चौधरी की जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा डुमरियागंज तहसील के सैकड़ों गांवों के ओलावृष्टि से प्रभावित होने के बारे में ।]

(व्यवधान)

प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग–(क्रमागत)

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

मान्यवर, मैंने 311 में सूचना दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी मेरी बहन जी खड़ी हो रही थी । शायद पहली बार इन्होंने 311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है कहें.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनकी एक मजबूरी यह भी है कि नेता विरोधी दल सदन में हैं नहीं इसलिये शायद यह लोग समय ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात कल सुन लूंगा । फिलहाल आज की कार्यवाही होने दें । गुप्त जी कार्यवाही शुरू करें।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सीतापुर की रहीमाबाद चन्दरपुर, त्रिलोकपुर तथा अल्लीपुर पम्प नहरों को विखंडित किये जाने तथा इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में याचिका †

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं जनपद सीतापुर की रहीमाबाद चन्दरपुर, त्रिलोकपुर तथा अल्लीपुर पम्प नहरों को विखंडित किये जाने तथा इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने विषयक श्री विजय कुमार मिश्र, निवासी–आवास विकास कालोनी, सीतापुर तथा श्री जयदयाल, निवासी–ग्राम ठखिया, पो० अंगरासी, सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5, 6, 7, में कुछ नहीं है।

विशेषाधिकार की सूचना को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार का नोटिस था।

श्री अध्यक्ष–

उसका परीक्षण हो रहा है इसके बाद बी० आर० वर्मा की निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

(व्यवधान)

प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग–(क्रमागत)

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

आपने तो कहा था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनायें शेष बची हैं उन पर विचार कर लेंगे सब पर नहीं उस सब्जैक्ट को फिर सुनेंगे।

(व्यवधान)

आप लोग अपने नेता की बात को कतई नहीं मानते हैं, कतई ध्यान नहीं देते हैं। माननीय कल्याण सिंह जी को आप बुला लें, पूछ लें क्या उन्होंने स्वयं नहीं कहा है, आप अपने नेता की बात नहीं मानते हैं। आप अपने नेता के विपरीत चलते हैं। आप पहले उनको बुला लें, तब सदन चलाया जाये।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय गुप्ता जी पता नहीं क्यों सदस्यों को पुराने अनुभव नहीं बताते हैं। जब हम उधर बैठते थे तो जिस दिन नेता विराधी दल का भाषण होता था तो पूरे विपक्ष की कोशिश रहती थी कि शून्य प्रहर में

---

† छापी नहीं गयी।

कम से कम सूचनायें दें । विपक्ष का कर्तव्य होता है कि अपने नेता को बोलने का अवसर दें लेकिन आज उल्टी परम्परा डाली जा रही है । हम लोग कह रहे हैं कि नेता विरोधी दल को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए । नियम और संविधान को तो बराबर उठाने का समय मिलता रहेगा । कोई ऐसी बात है तो ज्यादा आवश्यक है उसको अध्यक्ष जी देखकर खुद अनुमति दे देंगे । नेता विरोधी दल को समय देने में कटौती न करें । हम लोग उधर बैठते थे तो नेता विरोधी दल का बहुत आदर करते थे । आप लोग अपने नेता विरोधी दल का क्यों आदर नहीं कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपका सुझाव सुना, नेता विरोधी दल को असीमित समय दें यह अधिकार उनके परिवार को निहित है यह अधिकार आपको निहित नहीं है । मान्यवर, हमने कहा था कि नियम-311 न लें लेकिन आपने एक सूचना ले ली, आप एक सुनेंगे फिर तो हमारे मन में टीस होगी ही, आपने हमारे मन में टीस पैदा कर दी एक सूचना को लेकर जिससे और सदस्यों के मन में आक्रोश पैदा हो गया । यह महिला सदस्य हैं यह बोलना चाहती हैं । इन्होंने एक दर्दनाक घटना के बारे में सूचना दी है चार सिक्ख मार दिये आतंकवादियों ने । लेकिन मैंने इशारा किया, यह बहन जी बैठ गई, इन्होंने प्रतिवाद नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं देख लें परीक्षण कर लीजिये व्यक्तिगत तरीके से, सारी सूचनायें ऐसी हैं, जो निरस्त करने योग्य थीं, इसलिये निरस्त कर दीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप नेता विरोधी दल का नाम क्यों घसीट रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने सूचनायें निरस्त कर दी हैं और नेता विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए और अपनी बात को मिलाकर निरस्त किया है ।

विशेषाधिकार हनन की सूचना को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न –(क्रमागत)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं ।

लोक निर्माण संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैंने तो श्री गुप्त जी से अनुरोध किया था । जहां तक अधिकार की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि अधिकार तो नेता विरोधी दल के नेता सदन से कम नहीं होने चाहिये । और मैं तो कहना चाहता हूं कि आप आजीवन नेता विरोधी दल की कुर्सी को सुशोभित करते रहें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

उस सीट पर जल्दी ही आप आ जायेंगे ।

मान्यवर, अगर आप सूची देखें तो नम्बर 5 पर मेरा विशेषाधिकार की सूचना थी आप मुझे सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर परीक्षण हो रहा है परीक्षण के उपरान्त जब आएगा तो इस पर सुन लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इस बात के लिये आपको धन्यवाद ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव–(क्रमागत)

* श्री अशोक बाजपेयी––

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिस सरकार ने चुनाव के समय जनता से जो वायदे किये थे, अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो कुछ जनता से कहा था, सत्ता में आने के बाद एक-एक वादे को पहले दिन से ही पूरा करने का काम शुरू कर दिया है । इतना ही नहीं प्रदेश सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को चुनाव घोषणा पत्र की कापी पहुंचाकर यह निदेश दिया गया कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उनको प्रमुखता के आधार पर किया जाय । मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री मा० मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव में किये गये वायदों को अपने ढाई महीने के कार्यकाल में पूरा करने का काम किया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, इस वर्ष की जो वार्षिक योजना है उसमें पिछली वार्षिक योजना के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक धन का प्राविधान है । पिछली बार 4250 करोड़ रुपये का वार्षिक आकार था जबकि इस बार 4762 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है । प्रदेश की नई सरकार अनुत्पादक व्यय को कम करके विकास को गति देना चाहती है । इसके पहिले जो प्रतिवादी शक्तियां पदारूढ़ हुई थीं उससे प्रदेश की विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी नहरों, सड़कों, अस्पतालों की चर्चा समाप्त होकर सारी चर्चा मंदिर-मस्जिद के मुद्दे पर समाहित हो गई थी । सेतु निगम जैसे महत्वपूर्ण निगम जो दूरगामी रास्तों को जोड़ने का कार्य करते हैं का कार्य ठप्प हो गया था । इन चुनावों में एक विकासशील सरकार पदारूढ़ हुई है । उसके बाद आज लगता है कि गांव गांव में विकास के काम शुरु हो गये हैं । गांवों में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं । प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को बधाई देना चाहती है । मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकता है त्वरित ग्रामीण विकास, किसानों की समस्याओं का निराकरण गांवों के लिये बजट का 70 फीसदी गांवों के लिये आवंटित किया गया है । मान्यवर, कभी किसी भी सरकार ने अपने बजट का इतना बड़ा भाग गांवों के विकास के लिये खर्च नहीं किया । यह पहली क्रांतिकारी सरकार है जिसने अपने बजट का 70 फीसदी हिस्सा गांवों के विकास के लिये खर्च किया है । इस सरकार का लक्ष्य है । गांवों के गरीबों, दलितों व पिछड़े हुए लोगों के होठों पर पुनः खुशी की बहार आए, खेती की जो उपज है उसका उचित मूल्य गरीबों को यह सरकार दिलाना चाहती है । मान्यवर, दो महीने का कार्यकाल किसी सरकार का मूल्यांकन करने के लिये बहुत छोटा कार्यकाल हुआ करता है लेकिन इन दो महीनों में इस सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको यदि देखा जायगा तो पता चलेगा कि सरकार ने हर क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य

दिनांक 23-2-94 की कार्यवाही ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किये हैं । गन्ने का मूल्य पहली बार सबसे अधिक मिला है । गन्ना क्रय केन्द्रों पर 60 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिला है उसके अलावा 70–80 रुपये क्विंटल गन्ने के दाम किसानों को मिले हैं । इस तरह से एक एकड़ में 25 हजार रुपये की आय गन्ना किसानों को हुई है । गन्ना किसानों के चेहरों पर खोयी मुस्कान आयी है । गेहूं, धान का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है । हमारी सरकार ने प्रदेश के उन शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों जिनको 40 वर्षों के विकास का लाभ नहीं मिला था उनके लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलायी हैं । एक-एक करके इन वर्गों के लोगों को सुविधायें दी जा रही हैं ।

जो हमारे कुम्हार जाति के लोग हैं उनको जमीनों के पट्टे दिये गये हैं । इन वर्गों के विकास के लिये जो हमारी नीति है यह उसका परिचायक है । कुम्हार जो छोटे-छोटे बरतन बनाते थे उनको बरतन बनाने के लिये मिट्टी का अभाव न हो इसलिये उनको पट्टे दिये गये हैं । ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है । हमारी पाल जाति के जो लोग हैं जो भेड़ पालने का काम करते हैं उनके लिये नयी निधि की स्थापना कर रहे हैं जिससे भेड़ पालन का कार्य वह सुगमता से कर सकें । इसी तरह से हमारी तेली जाति के जो लोग हैं उनके विकास के लिये खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से सस्ती दर पर और सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है ताकि वह अपने पैत्रिक तेलघानी के काम को फिर से स्थापित कर सकें । हमारे जो निषाद जाति के लोग हैं उनको तालाबों और घाटों के पट्टे देकर उनके जीवन में बहार लाने का काम सरकार कर रही है । मान्यवर, आज तक केवल हरिजनों, गरीबों को पट्टे देने का नारा लगाया गया लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने उनको पट्टे देने का काम किया है । पहले केवल कागज पर पट्टे देने का काम हुआ है लेकिन हमारी सरकार ने केवल कागज पर पट्टे न देकर मौके पर कब्जा दिलाने का काम शुरू किया है यह सरकार का एक क्रांतिकारी प्रयास है । महिलाओं की समाज में बराबर की भागीदारी देने का नारा, समता देने की बात कह कर सत्ता की राजनीति अब तक की जाती रही है लेकिन हमारी सरकार आगे आकर इसको मूर्त रूप देना चाहती है । पंचायती राज विधेयक को नये रूप में लाकर उसमें 30 फीसदी महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है । जिला परिषदों, विकास क्षेत्रों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को हमारी सरकार ने दिया है । इससे आगे आने वाले चुनावों में प्रतिभावान महिलायें इन संस्थाओं में आयेंगी और उनका पदार्पण इस विकास के क्षेत्र में होगा । यह प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी का पहला क्रान्तिकारी चरण होगा ।

हमारी सरकार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये कृतसंकल्प है । पिछले दिनों प्रदेश में एक ऐसी सरकार गठित हुई जिसने छोटे-छोटे अबोध बच्चों को काला कानून बनाकर हथकड़ियां लगाकर जेल भेजने का काम किया था । हमारी सरकार के बनते ही इस काले कानून को समाप्त कर दिया गया । हम परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता बनाये रखना चाहते हैं । हमारी सरकार ने इसके लिये एक कमेटी का गठन किया है । इस कमेटी ने संस्तुतियां दे दी हैं जिनके आधार पर परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का काम किया जायगा । उस काले कानून के अभाव में भी नकल रोकने का कार्य किया जायगा जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा । प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक जूनियर हाई स्कूल तथा विकास खंड स्तर पर एक हाई स्कूल खोलने के बारे में निर्णय लिया गया है इसी तरह से जहां पर कोई बालिका ल्यिालय नहीं है वहां पर राजकीय बालिका विद्यालय खोले जायेंगे । 900 विकास क्षेत्रों में से 500 विकास क्षेत्रों पर जहां पर बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहां पर प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक-एक राजकीय बालिका विद्यालय की स्थापना की जायगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, भाषा का प्रश्न बड़ा संवेदनशील है इसलिये भारतीय भाषाओं के प्रचार और प्रसार के लिये विभिन्न भाषाओं के पठन पाठन का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में तामिल, तेलगू, कन्नड़, मराठी जैसी भाषाओं का ज्ञान कराया जायगा और भारतवर्ष की भाषाओं के सम्मान को ऊंचा किया जायगा। हिन्दी का प्रयोग राजकीय कार्यों में सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी तरह से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनको स्वावलम्बी बनाने के लिये महिलाओं को तकनीकी शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न प्रौद्योगिकी का ज्ञान उनको दिलाकर उनको स्वावलम्बी बनाने का हमारी सरकार का निर्णय है। मान्यवर, वनीकरण और पर्यावरण योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार प्रदेश में सामाजिक वनीकरण और पर्यावरण के बारे में चिन्तित है। महामहिम श्री राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में इसके बारे में उल्लेख किया है और वह भी इस विषय पर चिन्तित हैं।

आज हमारी सरकार ने सत्तासीन होते ही यह निर्णय लिया कि जहां कहीं पर निर्बल वर्ग के उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उसका सीधा उत्तरदायित्व जिला प्रशासन पर ठहराया जायगा। यह सरकार समाज के निर्बल एवं पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों की सम्पूर्ण सुरक्षा के लिये कटिबद्ध है। इनके साथ जहां कहीं भी अन्याय होगा, प्रशासन को सीधा उत्तरदायी ठहराया जायगा। अल्प संख्यकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार विशेष संसाधन जुटाने पर बल दे रही है। राज्य अल्प संख्यक आयोग का गठन कर सरकार ने अल्प संख्यकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। छोटी-छोटी घटनाओं के लिये बड़े अधिकारियों को पहली बार प्रदेश में दंडित किया गया है। आज तक सरकारों ने मात्र घोषणा ही की होगी, परन्तु ऊंची कुर्सी पर बैठे बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाये थे। इस सरकार ने दोषी अधिकारियों को दंडित कर प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाया है।

इस सरकार ने समाज के दबे, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित वर्ग के लोगों को समाज की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष अवसर का सिद्धान्त जो अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दर्शाया था, उसे अक्षरशः लागू किया है। पिछड़ी जाति के भाइयों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लेकर कानून बना कर उसे लागू करने का काम किया है। हरिजनों के लिये अब तक 18 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है। समाज की जनजाति के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत् बनाया रखा गया है। नई आरक्षण नीति से समाज के दबे, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित वर्गों में नया विश्वास जगा है और सामाजिक न्याय की अवधारणा सही माने में पूरी हुई है। प्रदेश में ऊर्जा में सुधार और ग्रामीण विद्युतीकरण सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने सत्तासीन होते ही 16 घंटे गांव में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। सरकार ने 500 मेगावाट उत्पादन की आनपारा की नई थर्मल इकाई को चालू कर ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की है। यह सरकार प्रदेश के विद्युत संसाधन की उत्पादकता को बढ़ाकर प्रदेश को विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृतसंकल्प है। प्रदेश की थर्मल इकाई और जल विद्युत इकाई को सुदृढ़ कर उनके प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास सराहनीय है। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित कर देश की बेरोजगारी दूर करने के लिये विस्तृत योजना बनाने का निर्णय लिया। उसकी संस्तुति से प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। औद्योगिक वातावरण का सृजन कर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार ने इंस्पेक्टर राज की समाप्ति की है। उद्यमी को अब इन इंस्पेक्टरों के चक्कर

लगाने नहीं पड़ेंगें । जिला उद्योग केन्द्रों को प्रभावी बना कर नव उद्यमियों को अधिकाधिक उद्योग के अवसर उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है । लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त कर सरल बनाया जा रहा है । सरकार ने वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की है, जिससे प्रदेश का औद्योगिक वातावरण बनेगा ।

अम्बेदकर गांवों तक पहुंच मार्ग बनाने का निर्णय लिया है । अम्बेदकर गांवों तक यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के अधिक अवसर मिल सकेंगे । सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इसके लिये सरकार कृतसंकल्प है । इतने वर्षों की आजादी के बाद भी अब तक प्रदेश की जनता को शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं हो सका है । इस सरकार ने शुद्ध पेय जल की प्राथमिकता को निर्धारित किया है । पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये हमारी पार्टी पहले से ही वचनबद्ध है । सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है । पर्वतीय क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल परियोजना के अवसर बढ़ाने, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्वतीय अंचल की मूलभूत कठिनाइयों के निराकरण के लिये यह सरकार चिंतित है और प्राथमिकता के आधार पर पर्वतीय अंचल के विकास कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं ।

मान्यवर, सहकारी समितियों के चुनाव करा कर इस सरकार ने अपनी चौखम्बा राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया है । वर्षों से भंग पड़ी सहकारी समितियों के चुनाव गत सरकारों में सम्भव नहीं हो सके, इस सरकार के पदारूढ़ होते ही सहकारी समितियों के चुनाव कराने की घोषणा की, दो महीने के अन्तराल में उनके चुनाव करा दिया । सरकार ने सहकारी बोर्डों में सरकार द्वारा नामित किये जाने की प्रवृत्ति को समाप्त कर सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को पदारूढ़ होने का निर्णय लेकर तथा कानून बना कर उसे लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है । प्रदेश की जनता ने इस कदम की भूरि-भूरि सराहना की है । मैं इस कदम के लिये प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने लोकतंत्र में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए सहकारी समितियों के सरकारी नामीकरण की प्रक्रिया को समाप्त किया है और लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योगों में सुधार लाने के लिये हमारी सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है । मान्यवर, जो धन विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए वह धन निगमों के घाटों को भरने में चला जाता है इससे विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और जहां कहीं पर विकास के कार्य प्रारम्भ हो रहे हैं वह अधूरे पड़े हैं । मान्यवर, उनको दस प्रतिशत का लाभांश देना चाहिए लेकिन यह हानि उठा रहे हैं । हमारी सरकार का मत है कि जनता की गाढ़ी कमाई को बरबाद नहीं होने दिया जायेगा और इन निगमों को लाभकारी बनाने के लिये कृत संकल्प है ।

मान्यवर, प्रबन्धतंत्र को उपादेयता के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा । इसका परिणाम यह होगा कि जो निगम घाटे पर चल रहे हैं उनमें फायदा अवश्य होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी जो गरीब खेतिहर मजदूर थे जिनको मजदूरी कम मिलती थी और वे अपना पेट नहीं भर पाते थे उनकी मजदूरी में दस रु० की वृद्धि की गई है । हमारी सरकार ने यह एक सराहनीय कार्य किया है । अभी तक लोग मजदूरों का शोषण करते थे उनको मजदूरी के नाम पर बहुत थोड़ा पैसा देते थे जिससे उन गरीब मजदूरों का पेट नहीं भर पाता था । इसी कारण हमारी सरकार ने उनकी मजदूरी में दस रु० की वृद्धि करने का एक ठोस निर्णय लिया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों की दशा को सुधारने के लिये भी प्रयास किये हैं । अभी तक किसान अपनी उपज को अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाता था क्योंकि वह अपनी फसल को बाहर नहीं ले जा पाता था लेकिन हमारी सरकार ने अब बैरियर प्रथा को समाप्त कर दिया है और जो पहले अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा हुआ था और किसान अपनी फसल को बाहर नहीं ले जा पाते थे अब किसान उसको दूसरी जगह आसानी से ले जा सकेंगे और अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे जिससे कि उनको राहत मिली है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने औद्योगिक वातावरण पैदा करने का कार्य किया है । अभी तक व्यापारियों का शोषण होता था । इंस्पेक्टर राज था और व्यापारियों को परेशान किया जाता था इसी कारण हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून को समाप्त कर दिया है । इसके द्वारा व्यापारियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था उन पर मुकदमा चलाया जाता था । मुकदमें के दौरान उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता था और जब काफी लम्बे अरसे के बाद निर्णय सुनाया जाता था तो उसे दोषमुक्त पाया जाता था तो इस प्रकार से उन व्यापारियों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था । हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून को समाप्त करके व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त किया है ।

मान्यवर, कर प्रणाली का सरलीकरण करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है । बिक्री-कर वसूली के संबंध में व्यापारियों का बहुत शोषण होता था और जो कुछ कर वसूल होता था वह अधिकारियों और बिचौलियों की जेब में चला जाता था । हमारी सरकार ने एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को समाप्त किया है । बिक्री-कर को समाप्त करके ऐसी ठोस और चुस्त व्यवस्था की जायेगी जिससे प्रदेश को मिलने वाला राजस्व न कम हो और बिक्री-कर को समाप्त किया जायेगा । यह क्रान्तिकारी कदम प्रदेश सरकार ने पहली बार लिया है । धारा 3/7 की समाप्ति और बिक्री-कर की समाप्ति के निर्णय हमारी सरकार ने लिये हैं इससे गरीब जनता को और व्यापारियों को लाभ मिलेगा और प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर संवेदनशीलता के आधार पर कहीं पर कोई घटना होती है तो उसे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जायेगा और इसी कारण आज तक जो अधिकारी चैन से बैठे रहते थे लेकिन आज वही अधिकारी चिन्तित रहते हैं इस कारण इस प्रदेश के शासन की गुणवत्ता बढ़ी है । दो ढाई माह में तो कोई विशेष बात परिलक्षित नहीं हो सकती है लेकिन हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र को लागू करने का भरसक प्रयास किया है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया है ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों के बारे में जो कहा है वह सराहनीय है इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि जब तक वह आते हैं तब तक सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य अपनी बात कह दें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

आप उन्हें बुलवा लें ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में व्याप्त अराजकता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, जंगल राज की स्थापना, जातीय संघर्ष, हत्याओं, लूट, डकैतियों, अपहरणों और बलात्कारों की जघन्य अपराधों को रोकने में सरकार की विफलता की चर्चा और उन्हें रोकने के उपायों का उल्लेख किया और न पाकिस्तानी गुप्तचर तंत्र की तेजी से बढ़ती हुई घुसपैठ पर नियंत्रण लाने में सरकार की असफलताओं का उल्लेख तथा इन विदेशी तत्वों की गतिविधियों को समाप्त करने के कदमों की चर्चा की है।"

श्री अध्यक्ष–

शेष सदस्यों के जो संशोधन प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किये हुए मान लिये जायेंगे†।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और उनके अभिभाषण के संबंध में जो कुछ कहा जायेगा वह एक प्रकार से उनके प्रति नहीं बल्कि इस सरकार के प्रति कहा जायेगा। चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और महामहिम श्री राज्यपाल उसको केवल पढ़ते हैं। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि जिन बिन्दुओं को मैं उठा रहा हूं उनका संतोषजनक और सटीक उत्तर माननीय नेता सदन देंगे। मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के पद की गरिमा को बनाये रखते हुए वह उत्तर देंगे क्योंकि मैं पिछले दो बार से देख रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी जब उत्तर देते हैं तो वह व्यक्तिगत आधार पर कहना प्रारम्भ कर देते हैं जो मैं समझता हूं उचित नहीं है। वह उत्तर अवश्य दें। श्रीमन्, मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा और प्रस्तावक माननीय वर्मा जी के भाषण को भी सुना, समर्थक श्री बाजपेयी जी के भाषण को नहीं सुन सका परन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने भी लगभग वही बातें दोहराई होंगी जो श्री वर्मा जी ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि न तो प्रस्तावक के पास और न समर्थक के पास इस सरकार के कार्यों अथवा उपलब्धियों के बारे में कुछ कहने को है। श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का और उनके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दिशा का द्योतक होता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आगे आने वाला बजट कैसा होगा परन्तु इन दोनों कसौटियों पर कसने से देखता हूं तो यह अभिभाषण एक प्रकार से सारहीन अभिभाषण जैसा मुझे प्रतीत होता है। मैं श्रीमन्, प्रयास करूंगा कि कम समय लूं ताकि इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य अधिक समय लेकर बोल सकें। मैं अपने भाषण को तीन खण्डों तक सीमित रखूंगा। पहले खण्ड में उन बिन्दुओं को उठाना चाहूंगा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इंगित किये गये हैं, दूसरे खण्ड में उन विषयों को, प्रश्नों को उठाऊंगा जो आज की परिस्थितियों में सुसंगत हैं और तीसरे खण्ड में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी कुछ शब्द कहना होगा।

---

† शेष संशोधन प्रस्तावों के संबंध में देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 176–347 पर।

श्रीमन्, मैं पहला बिन्दु ले रहा हूं बजट के अभिभाषण में कहा गया है कि 1993 की वार्षिक योजना केवल 4250 करोड़ रुपये की थी और 1994-95 की वार्षिक योजना 4762 करोड़ रुपये की मंजूर हुई है लगभग 512 करोड़ अधिक की, 12 प्रतिशत धनराशि की अधिक योजना स्वीकार हुई है। किन्तु इस योजना के आकार और वित्तीय संसाधनों में लगभग एक हजार करोड़ का अन्तराल है। यह गैप कैसे भरा जायेगा ? क्या नये टैक्स लगाये जायेंगे ? यदि टैक्स लगा करके इसके अन्तराल को पूरा नहीं किया जाता तो क्या योजना का आकार घटाया जायेगा ? मैं इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि अपने भाषण में अवश्य इस बात का संकेत दें कि क्या-क्या वह सोच रहे हैं इस वार्षिक योजना के आकार को लागू करने के लिये, आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिये क्योंकि श्रीमन्, अभी तक का अनुभव यह रहा है, मैं पिछली 2 सरकारों की बात कर सकता हूं भाजपा सरकार के पहले की योजनाओं का आकार स्वीकार कर लिया गया परन्तु उसके लिये अपने यहां का अतिरिक्त आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाया परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष योजना के आकार में कटौती होती गयी और यह प्रदेश पिछड़ता चला गया। यह भाजपा की सरकार थी कि जिसने कई वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया था। हमने लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन बढ़ाया था। मैं सूचित करना चाहता हूं कि यदि उपरोक्त वित्तीय संसाधन नहीं बढ़ाये गये तो निश्चित रूप से इस योजना को पूरा नहीं किया जा सकेगा और फिर उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारा प्रदेश विकास के दौर में और अधिक पिछड़ जायेगा।

मैं अभिभाषण के दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभिभाषण में कहा गया है कि योजना व्यय की धनराशि का 70 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जायेगा तो अभी तो यह सरकार इसी दुविधा में है, यह योजना राशि है या बजट में से पैसा देंगे। अभिभाषण में तो कहा गया है कि योजना व्यय का कुल 70 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिये खर्च किया जायेगा। एक दूसरे मंत्री जी थे जिन्होंने बयान दिया कि बजट का 70 फीसदी देंगे। माननीय वर्मा जी ने भी कहा कि बजट का 70 फीसदी दिया जायेगा। हो सकता है कि इससे कुछ चूक हो रही है, सरकार की ओर से एक डायरी छपी है, इस डायरी में भी इन्होंने जो कुछ घोषणायें की हैं कि बजट में 70 प्रतिशत कृषि एवं ग्राम्य विकास पर व्यय किया जायेगा। श्रीमन्, एक तो योजना व्यय में और बजट में अन्तर क्या है, इसको समझना चाहिए। बजट का 70 प्रतिशत खर्च करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट घोषणा कर दें इसके कारण प्रदेश में एक गलतफहमी सी पैदा हो रही है। एक बात और भी जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे 52 प्रतिशत की धनराशि खेती के विकास के लिये खर्च करने की घोषणा की गयी। मैंने उस समय भी कहा था कि यह दावा सही नहीं है और मैंने यह भी कहा था कि अगर यह दावा सही है तो एक श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि 52 प्रतिशत योजना व्यय की धनराशि का खर्च किस-किस मद पर किया जायेगा। कभी 52 प्रतिशत कहा जाता है कभी 70 प्रतिशत की बात आ रही है, इसको मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन यह सदन और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 70 प्रतिशत योजना व्यय किस-किस मद में व्यय किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बारे में एक विस्तृत श्वेत-पत्र जारी करें जिसमें पूरा का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए।

श्रीमन्, एक तीसरा बिन्दु उठाया गया है कि जुलाई और अगस्त, 1993 में अवर्षण की स्थिति थी, उससे खरीफ को क्षति हुई है। उस क्षति को रबी की फसल में पूरा कर देंगे। सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी बिना पानी के फसल तो होती नहीं। दावा यह भी किया जा रहा है कि 16 घन्टे बिजली किसानों

को दी जा रही है । मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि 16 घन्टे बिजली नहीं दी जा रही है। किसी जिले में 8 घन्टे और किसी जिले में 10 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं जा रही है । यह कहा गया कि आदेश निर्गत कर दिया है । काश घोषणाओं और आदेशों से बिजली का उत्पादन हो गया होता ।

आज पी० एल० एफ० कितना बढ़ा है । हम जब गये थे तो 52 प्रतिशत छोड़कर गये थे और आज यह है 47 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । जब पी० एल० एफ० बढ़ेगा नहीं तब बिजली 16 घन्टे कैसे दी जायेगी ? मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर प्रकाश डाले कि पी० एल० एफ० बढ़ाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं । चौथा बिन्दु गन्ने के मूल्य के बारे में है । आपने कहा कि शीघ्र पकने वाले प्रजाति के लिये 61 रुपये और सामान्य प्रजाति के लिये 58 रुपये दिये जा रहे हैं । मान्यवर, आज तो लागत खर्च आ रहा है ईख की खेती पर उस पर लागत खर्च की तुलना में यह दाम कम है । इसलिये हमारी मांग यह है कि जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं उनके गन्ने का न्यूनतम मूल्य 65 रुपये प्रति कुन्टल होना चाहिए । इसी तरह से सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 62 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट लिखा था कि हम सरकार में आयेंगे तो गन्ने की कीमत किसान को 65 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से देंगे । श्रीमन्, आज एक ओर जो क्रशर हैं उन पर 70, 72 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना की कीमत किसानों को मिल रही है तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार गन्ना किसानों को कम से कम 65 रुपये प्रति क्विंटल देने में हिचकिचा रही है? एक बात अवश्य कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि गन्ना मिलों की स्थिति ठीक नहीं है उसे ठीक होनी चाहिए । जब एक ओर आप कहते हैं कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए तो मेरा ध्यान गन्ना मिलों के विकास पर भी है । केन्द्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि शीरे को नियंत्रण मुक्त करने का । उससे गन्ना मिलों को पैसा मिलता और किसानों को समय से पैसे का भुगतान हो जाता । वर्तमान सरकार ने उस नीति में परिवर्तन कर दिया । उसने 45 प्रतिशत शीरे पर नियंत्रण और 35 प्रतिशत नियंत्रण मुक्त कर दिया । मेरी जानकारी जहां तक है शीरे की तीन श्रेणियां होती हैं । पहली श्रेणी का शीरा 40 रुपये प्रति क्विंटल, दूसरी श्रेणी का शीरा 32 रुपया प्रति क्विंटल और तीसरी श्रेणी का शीरा 24 रुपये प्रति क्विंटल है और अधिकांश में द्वितीय श्रेणी का शीरा जो 32 रुपये प्रति क्विंटल है, लिया जाता है । खुले बाजार में शीरे का दाम 125 रुपये से 150 रुपया प्रति क्विंटल है । गन्ने के मिलों के विकास के लिये क्यों नहीं आप शीरे की कीमत को बढ़ा देते हैं और क्यों नहीं गन्ने की कीमत बढ़ाकर 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत देते हैं । मेरा साफ कहना है कि प्रदेश में कुछ खराब माफियाओं को खुश करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है जो न चीनी मिलों के हित में है और न ही किसानों के हित में है । मैं मानता हूं कि किसानों के जेबों में पैसा जाना चाहिए । किसान केवल उत्पादक ही नहीं है । प्रदेश और देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी किसान है । उसकी जेब में अगर पैसा जायेगा तो उसके खरीदने की ताकत बढ़ेगी । किसानों की जेब में गया पैसा उसकी क्रय शक्ति को बढ़ायेगा और उससे दुकान, व्यवसाय और उद्योगों का विकास होगा । किसानों के पास पैसा होने के मायने दुकान के पास ग्राहक । इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना है कि अगर किसान का हाथ खाली तो ग्राहक खाली, ग्राहक खाली तो दुकान खाली, दुकान खाली तो बाजार खाली, बाजार खाली तो कारखाना खाली, कारखाना खाली तो हाथ खाली और अगर हाथ खाली तो समझो कंगाली ही कंगाली ।

इसी विषय पर एक बात और कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्योग है। आज जितनी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग 106, वह कम है। उत्तर प्रदेश का जितना गन्ना पैदा होता है उसका केवल 32.5 प्रतिशत इन चीनी मिलों पर पेरा जाता है बाकी का 67.5 प्रतिशत खाण्डसारी या गुड़ बनाने में जाता है और चीनी की जो रिकवरी होती है वह केवल 9 से 10 प्रतिशत होती है। खाण्डसारी और गुड़ में रिकवरी 6 या 7 प्रतिशत होती है, शेष मिठास और चीनी की बगास बच जाती है वह भट्ठी में चली जाती है। उससे एक राष्ट्रीय क्षति होती है और दूसरी ओर किसानों का भी अहित है। जब मैं मुख्य मंत्री था तब मैंने उस समय प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था, उत्तर प्रदेश को कुछ चीनी मिलें देने के लिये। तब उत्तर प्रदेश के 82 स्थानों से 154 प्रार्थना पत्र आये हुए थे। वह बोले हम इतनी चीनी मिलें नहीं दे सकते। मैंने कहा 50 दे दीजिये तो केन्द्र सरकार ने कहा कि 50 भी नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा कि आप कितनी दे सकते हैं तो बोले केवल 16 दे सकते हैं तो मैंने कहा कि अच्छा 16 ही दो। इस प्रकार वायदा तो किया था, लेकिन वह 16 चीनी मिलें भी नहीं दी गयीं। केन्द्र के जो राज्य खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें लगाने के लिये घोषणा भी की। मुझे खुशी होगी, अगर इसका श्रेय वह लेना चाहते हैं, तो वह ले लें, लेकिन कम से कम चीनी मिल तो लगे। मेरी पार्टी का निश्चित मत है कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार उदारीकरण तथा डी-लाइसेसिंग की पालिसी बना रही है तो यह चीनी मिलों पर लाइसेंस का प्रतिबन्ध क्यों ? इसको लाइसेंस से मुक्त कर देना चाहिये और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री, यदि इससे सहमत हों तो केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह चीनी मिलों के लिये लाइसेन्स समाप्त कर दें, जिससे ज्यादा चीनी मिलें लगें, इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, किसान का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा।

इस अभिभाषण के अन्दर एक और बिन्दु कहा गया है कि कुम्हारी कला के विकास के लिये प्रजापति जाति के लोगों को भूमि का आवंटन किया जायेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने भाषण में बता दें कि क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कितने गांव हैं, किस-किस गांव में कुम्हारी का काम करने वाले कितने लोग रहते हैं, कितनी भूमि उपलब्ध है, जिसको आवंटन किया जायेगा। श्रीमन्, मेरी सूचना के अनुसार सरकार की घोषणा के बावजूद उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी प्रजापति जाति के भाई को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है और एक बात और भूमि के आवंटन के मायने क्या हैं, रेतीली भूमि, दोमट भूमि। बर्तन तो चिकनी मिट्टी से बनता है, दोमट से नहीं, रेतीली से नहीं, तो किस किस्म की भूमि यह देना चाहते हैं, इसका कहीं उल्लेख नहीं। कुम्हार को चिकनी मिट्टी चाहिए, तालाब की मिट्टी चाहिए। मैं नहीं जानता कौन से कुम्हार इस कला में इतने प्रवीण हो गये हैं, जो रेतीली मिट्टी से बर्तन बना देंगे, दोमट से बना देंगे, इसलिये अपने भाषण में यह बता दें कि चिकनी मिट्टी के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमन्, एक बिन्दु और उठाया गया है, 1 जनवरी, 1994 से जो भूमिहीन थे, उनके लिये कृषि योग्य अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जायेगा। आप अपने भाषण में बता दें कि जिस दिन से यह घोषणा की गयी है, तब से लेकर आज तक कितने भूमिहीनों को कब्जा दिलाया गया है। मेरा कहना है कि यह भी घोषणा मात्र रह जायेगी, इन गरीब भूमिहीनों को भूमि मिलेगी नहीं, क्योंकि भूमि तो कब्जे में पड़ी है, बड़े-बड़े लठैतों के पास और भूमि पर तो अवैध कब्जा अधिकांश उन लोगों का है जो आज सपा के समर्थक हैं और इस नाते से वह एक इंच भूमि तो देंगे नहीं, इसलिए यह कोरी घोषणा होकर रह जायेगी।

एक और बिन्दु कहा गया है। राजस्व विभाग के अन्दर जितने भी उत्तराधिकार के मामले थे, उनके निस्तारण के लिये मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लेकर बैकलाग जितना था, उसको पूरा किया था। एक और निर्णय लिया गया था कि पिछले जितने केसेस थे, उनका निस्तारण करने के बाद 30 दिन की अवधि में स्वतः उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण कर दिया जाय। हमने निर्णय लिया था कि अगर पिताजी की मृत्यु हो जाय तो उसके वारिसान का नाम 30 दिन के अन्दर-अन्दर दर्ज कर दिया जाय, यदि कोई विवाद नहीं है तो उस निर्णय का क्या हुआ ? नहीं तो यह निश्चित है कि मामले हमेशा लटके रहेंगे, किसान परेशान होता रहेगा, लेखपालों के पास, कानूनगो के पास मैं जानना चाहता हूं कि हमारे द्वारा लिये गये निर्णय का क्या किया गया है ? एक वाक्य आया, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण। बड़ी चर्चा हुई है उसकी, मैं भी उससे सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो।

श्री नरेश अग्रवाल–

क्या धर्मिक और जातीय विकेन्द्रीकरण भी चाहते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

विकेन्द्रीयकरण तो ये कर ही रहे हैं, टुकड़ों-टुकड़ों में बांटकर। विकेन्द्रीयकरण की बात कर रहे हैं, मा० मुख्य मंत्री जी अपने से प्रारम्भ करें। मेरी जानकारी के अनुसार 50 या 50 से अधिक विभाग अकेले मुख्य मंत्री जी के पास हैं। उनको समय भी नहीं मिलता होगा कि हर विभाग को देख सकें। इनके दल में और भी लोग हैं लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक-आध को छोड़कर सभी अपनी जेब में रखे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि सपा के लोग कितने खुश होंगे, बसपा के लोग कितने खुश होंगे, मान्यवर, विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए।

एक बिन्दु उठाया गया नकल के बारे में। मेरा कहना यह है कि मेरी सरकार ने नकल के पुराने रोग को रोकने के लिये कडुवी दवा दी थी। कभी-कभी जब रोग पुराना हो जाता है तो काढ़ा दिया जाता है, काढ़ा कडुवा होता है। उससे छात्रों का भविष्य हमने संवारा था, आज की सरकार ने नकल की छूट दे करके, केवल आज के ही छात्रों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मीठा जहर दिया है। अनुकूल वातावरण बन गया था, विद्यालयों में पढ़ाई आरम्भ हो गयी थी, छात्र भी प्रसन्न तो, अभिभावक भी प्रसन्न थे, मुझसे स्वयं अनेक लोग मिले और उन्होंने इस कदम की प्रशंसा की थी। यह मैं मान सकता हूं कि इस कदम के किसी निर्णय के क्रियान्वयन में कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे दूर किया जा सकता था। यह अच्छा कदम था, छात्रों के हित में था, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए था, विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण भी बन गया था। श्रीमन्, यह सस्ती लोकप्रियता के कारण आपने उसे निरस्त कर दिया और नकल करने की पूरी छूट दे दी और सच तो यह है कि नकल विरोधी कानून के निरसन के कारण इस सरकार ने नकल कराने वाले, नकल माफियाओं को पैसा कमाने की छूट दे दी है और सबसे बड़ा जो नुकसान है गांव के गरीब किसान के बेटे का होगा उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिये पैसा नहीं है, उसके पास किसी नकल माफिया को पैसा देकर नकल करने की सुविधा नहीं है। वह कक्षा में पढ़ सकता था लेकिन आज कक्षाओं में शिक्षण का वातावरण खराब हो गया, आज लिखाई-पढ़ाई नहीं हो रही है, श्रीमन्, आज शैक्षणिक वातावरण खराब हो गया है। इसलिये जो सबसे बड़ा अहित हुआ है वह गांव, गरीब किसान के बेटे का हुआ है। जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें जितनी अनुशंसायें आयी हैं, मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप शत-प्रतिशत

को लागू भी कर देंगे तो नकल रोक नहीं पायेंगे । नकल होगी, आने दीजिये परीक्षायें आप समाचार-पत्रों में पढ़ लीजियेगा । नकल रोकने वाले कानून के निरसन के बाद पहली परीक्षा कानपुर में हुई कानून की, उसमें खुलकर नकल हुई, उत्तर पुस्तिकाओं की छीना-झपटी हुई, किताबें रखकर नकल करने वाले नारे लगाकर कह रहे थे "मुलायम सिंह जिन्दाबाद," "अभी नहीं तो कभी नहीं ।" क्या होगा इसका परिणाम छात्रों की प्रतिभा का विकास कैसे होगा ? सरकार के इस कदम से छात्रों की प्रतिभा पर ग्रहण लग गया है ।

अब ट्यूशन की बात है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है इण्टरमीडिएट ऐक्ट के अन्तर्गत दो ट्यूशन की अनुमति है । ट्यूशन के नाम पर 50-50 ट्यूशन हो रहे हैं । गरीब बच्चों के पास पैसा नहीं है । अध्यापक के घर पर ट्यूशन पढ़ नहीं सकते । अध्यापक घर में पढ़ाकर थक जाते हैं कक्षा में पढ़ा नहीं पायेंगे तो गरीब बच्चे क्या करेंगे ? अगर अध्यापक के घर जा नहीं सकते, कक्षा में पढ़ाई होगी नहीं क्योंकि अध्यापक थक कर आयेगा तब गरीब छात्र का क्या होगा ? हमने ट्यूशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

एक असेवित ब्लाक में कन्या इण्टर कालेज होगा यह निर्णय लिया गया । तो कितने ऐसे असेवित ब्लाक हैं जिनमें यह कन्या विद्यालय खोल देंगे ? आज तो नहीं बजट में बतायेंगे शिक्षा की मद में कितनी धनराशि आपने दी है ? आपकी इस घोषणा को कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

विभागों में बहुत सी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, डाक्टरों के हजारों पद रिक्त हैं, अध्यापकों के हजारों पद रिक्त हैं । पहाड़ों की हालत तो और भी खस्ता है, कक्षायें पांच हैं अध्यापक एक । कभी वह उत्तर को मुंह कर कभी पश्चिम को मुंह कर, कभी इधर मुंह कर कभी उधर मुंह कर, कभी ऊपर कभी नीचे मुंह कर पढ़ाता है, यह स्थिति पहाड़ों की है । बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । आज पंचमुखी अध्यापक काम कर रहे हैं । अध्यापक एक है और कक्षायें पांच । शिक्षा के वातावरण में सुधार करने के लिए मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं । बनारस विश्वविद्यालय बन्द पड़ा है । शिक्षक कैसे पढ़ायेंगे ? विश्वविद्यालय कब खुलेगा क्या इस पर सरकार ने निर्णय लिया है ? मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं क्योंकि कई बिन्दु हैं ।

उत्तरांचल राज्य बनाने की बात कही गयी है । भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल राज्य बनाने के पक्ष में है । हमने इसी विधान सभा में उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजा था । केन्द्र सरकार ने इस पर पूछा कि इसका क्या औचित्य है ? क्या जस्टिफिकेशन है आप देखें पत्रावली में मिल जायेगा ? तीस पन्नों का नोट लिखकर डिटेल्स नोट बनाकर भेजा है जस्टिफिकेशन के लिए । मैं जानना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव लम्बित पड़ा है उसको पारित कराने के लिए सरकार क्या दबाव डाल रही है ? इस बिन्दु पर हमारी सरकार पूरा-पूरा समर्थन करेगी कि केन्द्र सरकार उत्तरांचल राज्य के प्रस्ताव को स्वीकर कर लें । कांग्रेस के मा० सदस्य भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि उत्तरांचल राज्य के बारे में उनका क्या कहना है ?

श्रीमन्, एक बिन्दु और दिया गया है कि कृषि मजदूरों की 10 रुपया प्रतिदिन मजदूरी बढ़ा दी गयी है । बड़ा विशाल प्रदेश है । गांव-गांव में खेतिहर मजदूर पड़े हैं । कौन सा तन्त्र होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे आप द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी मिल रही है या नहीं ? मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं, कदम अच्छा है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, परन्तु कोई तन्त्र विकसित करना होगा । इसलिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक लेबर इन्सपेक्टर इसी काम के लिये रखा जाय जो प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिला सके ।

अभिभाषण में एक बात आरक्षण के बारे में कही गयी है । मैंने पहले भी इस आदरणीय सदन में कहा है और आज भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम भी आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, पक्षधर हैं । 20 जुलाई, 1985 को भोपाल में बी० जे० पी० की राष्ट्रीय कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया 1993 में राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में भी एक सामाजिक नीति का वक्तव्य पारित किया आरक्षण के संबंध में । हमने साफ-साफ कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण यथावत् जारी रहना चाहिए । हमने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति व जनजातियों का पदोन्नति में भी आरक्षण रहना चाहिए । दूसरा हमने यह भी कह दिया कि मण्डल कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय । परन्तु पिछड़ों में जो अति पिछड़े हों, वह कहीं न छूट जायं इसलिए इस आरक्षण को वहां से प्रारम्भ करना चाहिए । हमने एक बात और कही कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के अलावा समाज में जो अन्य जातियों के लोग गरीब हैं, उन्हें भी गरीबी के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए । हमने यह भी कहा कि इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, जिससे आरक्षण समयबद्ध तरीके से लागू किया जाय । अगर कोई अधिकारी जानबूझकर आरक्षण पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके । आरक्षण की अब तक निर्धारित की सीमा कहीं 50 प्रतिशत से ऊपर न करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए । अब संविधान में संशोधन केन्द्र सरकार लायेगी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आप केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह आरक्षण के संबंध में, संविधान में जो कुछ भी संशोधन अपेक्षित है, अब 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए हो गया । परन्तु मुख्य मंत्री जी मुझे जो जानकारी अभी तक है, हो सकता है वह गलत हो, अभी तक 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है । अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ ? क्या हम मान लें कि श्री काशी राम जी के दबाव में ओ० बी० सी० का आरक्षण रोका जा रहा है । श्री काशी राम जी ने एक सार्वजनिक सभा में इस बात की घोषणा की है कि ओ० बी० सी० को आरक्षण नहीं होना चाहिए । इसे यह सरकार स्पष्ट करें । श्री काशी राम जी, इस सरकार के अन्तर्गत एक पार्टनर हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं । मैं भी उनका सम्मान करता हूं । उनका बयान आया कि ओ० बी० सी० का आरक्षण नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा है तो सरकार का स्टैण्ड क्या है ? क्या यह मान लें कि आरक्षण के संबंध में सपा और बसपा में एक बुनियादी अन्तर आ गया है ? आज इस तरह के बयान से पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच एक आशंका बनी हुई है कि कहीं श्री काशी राम जी के दबाव में उनको मिलने वाली आरक्षण की सुविधा समाप्त न हो जाय । इस सरकार के आने के बाद से जो दलितों के विकास की बात कही जा रही है तो सर्वेक्षण करा लें तो अभी तक 10 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

अब मैं रोजगार विकास और औद्योगीकरण के बारे में कहना चाहता हूं । जो अभिभाषण में कहा गया है गरीबी दूर करेंगे तो गरीबी हटाओ का नारा भले लगा लें लेकिन गरीबी नहीं हटेगी । इस नारे से गरीबी नहीं हट सकेगी । हटती वह चीज है जो होती है । मान्यवर, गरीबी स्वयं में कुछ नहीं है । गरीबी तो किसी चीज का नतीजा है और वह नतीजा है बेरोजगारी का । जिस घर में बेरोजगारी रहती है गरीबी उसी के वहां बिस्तर लगा कर बैठती है और जिस घर में रोजगार आता है, वहां से गरीबी बिदा होती है । हाथ में काम है तो जेब में दाम है और यदि जेब में दाम है तो आंगन में खुशहाली है । हाथ खाली हैं जेब खाली है । जेब खाली है तो आंगन में कंगाली है । इसलिए बेरोजगारी की जो समस्या है इसके बारे में जितनी गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ । मुझे लगता है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में गम्भीर नहीं है । क्या आप बेरोजगारी का सर्वेक्षण करायेंगे ?

कल ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि रोजगार दफ्तर में 24 लाख प्रदेश में बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं और भारत सरकार ने सर्वेक्षण कराया था तो एक करोड़ 4 लाख बेरोजगार हैं। मेरा कहना है कि यह संख्या एक करोड़ 4 लाख से भी ऊपर होगी। क्या आपने गांव-गांव का सर्वेक्षण कराया है ? कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं ? ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिये आपकी योजना क्या हैं ?

मान्यवर, हमने रोजगार की दो योजनायें चलाई थीं उसमें दीन दयाल विकास योजना का क्या हुआ ? हमने दूसरी रोजगार छतरी योजना बनायी थी जिसके अन्दर 11-12 योजनाओं को इकट्ठा करके छतरी योजना का नाम दिया था। उस स्कीम को रोजगार परक बनाया था। लेकिन हमारी "दीन दयाल" योजना को ठप्प कर दिया गया।

मान्यवर, इसी प्रकार से कम पैसा लगाकर गरीबों की स्थिति को मजबूत करने के लिये हमने मिनी डेरी स्कीम चालू की थी। निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के 29 जिलों को लाइसेंस मुक्त कर दिया जाए और प्रदेश के शेष जिलों को मुक्त करने की योजना थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस मिनी डेरी स्कीम का क्या हुआ ? क्यों ठप्प कर दिया गया ? इस प्रकार लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा जबकि रोजगार योजनायें ही ठप्प कर दी जाएंगी।

मान्यवर, श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने पढ़ा है इसलिये एक बात की ओर मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभिभाषण में छोड़ दिया गया है और वह मुद्दा है जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति का। लेकिन अभिभाषण में जनसंख्या पर रोक लगाने का कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, यह प्रदेश और राष्ट्र की समस्या है और हमारे पास मात्र 10 वर्षों का समय है। यदि इसमें जनसंख्या समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आगे उसका समाधान करना कठिन हो जाएगा।

श्रीमन्, हमें पांच चीजों का समन्वय करना होगा। पहली चीज है विकास दर, दूसरी रोजगार दर, तीसरी जन्म दर, चौथी मृत्यु दर और पांचवीं साक्षरता दर इनको एक रखना होगा। इन पांचों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। हिन्दुस्तान का साक्ष्य कहता है कि जिन राज्यों में साक्षरता की दर ऊंची है वहां मत्यु दर घटी है मृत्यु दर खटती है तो जन्म दर घटती है, फिर रोजगार दर बढ़ती है और विकास दर भी बढ़ती है। इन पांचों को आप अलग नहीं कर सकते। उस विकास दर का कोई अर्थ नहीं, जो रोजगार दर को सुनिश्चित न करे और रोजगार-दर व्यर्थ रहेगी, जब तक आप जन्म दर को नियन्त्रित नहीं कर सकते और इस जन्म दर को तब तक कम नहीं कर सकते, जब तक मत्यु दर को कम नहीं किया जाएगा। इसके लिए साक्षरता दर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या दर के बारे में सरकार ने कोई बात नहीं की है। बिना इसके सब कैसे होगा, यह चिन्ता की बात है।

कुछ बात औद्योगीकरण के बारे में कही गयी। दो बातें इस पर महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहीं हैं इंस्पेक्टर राज समाप्त करेंगे और लालफीताशाही समाप्त करेंगे। श्रीमन्, ये केवल दो ही कारण नहीं हैं, जो औद्योगीकरण के मार्ग में बधायें हैं। मेरे हिसाब से 6 बातें ऐसी हैं, जब तक वह नहीं होती हैं ठीक, तब तक औद्योगीकरण की वृद्धि अपने प्रदेश में नहीं हो सकती और जब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता तब तक खेती पर लगे हुए हाथों का भार नहीं घट सकता है। जब तक यह नहीं होता है प्रदेश में गरीबी नहीं घटाई जा सकती है। सबसे पहली आवश्यकता है औद्योगीकरण के लिए कि प्रदेश में चुस्त, दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था हो। यह होना चाहिए, किन्तु जब से यह सरकार

आई है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज यहां नहीं रह गई है । फिर औद्योगिकीकरण कैसे होगा ? किसी उद्योगपति के प्राण फालतू नहीं है कि वह अपने प्राणों को गंवाने के लिए यहां उद्योग लगाने आएगा । दूसरा कारण है, कर ढांचे का सरलीकरण और कर की दरों का युक्ति युक्तीकरण हमने कर ढांचे का सरलीकरण किया था और उसे युक्ति युक्त बनाया था और साथ ही व्यापारियों से व्यवसाइयों और उद्यमियों को 225 करोड़ रुपये की राहत भी दी थी, बिना कोई नया टैक्स लगाये ।

तीसरा है इंस्पेक्टर राज । अभिभाषण में उसका जिक्र है मैं भी उससे सहमत हूं, यह समाप्त करना आवश्यक है । लालफीताशाही का भी आपने जिक्र कर दिया है, मैं भी उससे समहत हूं । पांचवा कारण है विद्युत की अबाध आपूर्ति । बिना बिजली के तो पहिया नहीं घूमेगा और पहिया नहीं घूमेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारखाना नहीं चलेगा । क्या प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए सरकार विद्युत का उत्पादन बढ़ा पाएगी ? जो सरकार का उत्तर आएगा उस पर मैं सोंच लूंगा, लेकिन मेरा कहना है कि वह इसे नहीं बढ़ा पा रही है न बढ़ा पाएगी ।

श्रीमन्, अब एक छठवां बिन्दु है । किसी भी प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे इन्फ्रा स्ट्रक्चर फैसिलिटीज उपलब्ध हो जाये, अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो जायं । जब से केन्द्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, उस दिन से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश आगामी कितने वर्षों तक पिछड़े ही रहेंगे । उसका पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा । पहले एक प्राविधान था अगर कोई उद्योग लगाने के लिए लाइसेन्स लेना चाहता था तो उस पर एक शर्त रहती थी कि तुम अमुक प्रदेश के अमुक पिछड़े क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाओ । मैं जानता हूं कि जितना लाइसेंस, परमिट और कोटा रहेगा, उतना अधिक भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जननी है । लेकिन इस डिलाइसेंसिंग पालिसी से, उद्योगों पर लाइसेन्स लेने की शर्त पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के बाद से पिछड़ा राज्य और पिछड़ा रह जाएगा । क्योंकि कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी वहीं लगाएगा, जहां पर उसे अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी । जहां समुचित संचार व्यवस्था होगी, रेलवे व्यवस्था होगी, डाकखाने पोस्ट आफिस की व्यवस्था होगी, पानी-बिजली की व्यवस्था होगी, सड़कों, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था होगी । यह अवस्थापन सुविधाएं हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर जो क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो गया है इसे भी दूर करने के लिये अवस्थापन सुविधाओं का प्रसार करना होगा तब ही कोई उद्यमी उद्योग लगाने के लिये तैयार होगा । इस डिलाइसेंसिंग पालिसी के कारण कोई भी उद्योग लगाने के लिये नहीं आयेगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं, आप केन्द्र सरकार पर दबाव डालें इस डिलाइसेंसिंग पालिसी के बारे में । उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार करने के लिये केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विशेष आर्थिक योगदान के लिये कहें । केन्द्र में इस प्रकार का विशेष कोष बनाया जाना चाहिए जिस कोष में से उन राज्यों को अलग से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो पिछड़े हैं या जहां अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है । मान्यवर, यह वह छः कारण हैं जिनका अगर निवारण नहीं किया जाता है तो प्रदेश के अन्दर जो औद्योगीकरण गति है इसकी रफ्तार तेज नहीं हो पायेगी । जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अवस्थापना सुविधाएं नहीं मिल पायेंगी तो कोई उद्यमी उद्योग लगाने के लिये यहां नहीं चाहेगा । उद्योग लगाने की बात सोचना तो दूर की बात है आज प्रदेश की जो हालत बन गई है उसके रहते जो पुराने उद्यमी नोएडा या गाजियाबाद में हैं वह भी अपने-अपने उद्योग बन्द करके दूसरे राज्यों में भागने की कोशिश कर सकते हैं । आज इन कारणों को देखिये और इन उद्यमियों को जाने से रोकिए ।

श्रीमन्, एक बात और पेयजल के बारे में कही है कि पेयजल का संकट है । आपने कानपुर बैरेज की बात कह दी, आगरा बैरेज का क्या हुआ ? उसे आपने क्यों क्यों छोड़ दिया ? हमने तो उस समय ज्यादा नहीं कम से कम इतना कहा था कि तीन साल के अन्दर पूरा कर देंगे और उसे प्रारम्भ करने के लिये दो करोड़ रुपये की मन्जूरी दी थी । आज पेयजल का संकट क्या कानपुर में ही है, आगरा और उसके आस-पास के लोग भी पेयजल के संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं ? उनका क्या होगा ? अभी तक मान्यवर, एक मानक है कि गांव में प्रत्येक 250 की जनसंख्या पर इंडियन मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाया जायेगा । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस मानक के आधार पर सर्वेक्षण कराया कि प्रत्येक 250 की जनसंख्या के हिसाब से कितने हैण्ड पम्प की आवश्यकता है और कितने लगाये गये ? जब तक इसका सर्वेक्षण करके हैण्ड पम्प नहीं लगाये जायेंगे तब तक पेयजल संकट दूर नहीं किया जा सकता है । सरकार यह बताये कि कब तक यह हैण्ड पम्प लगवा दिये जायेंगे और कितने हैण्ड पम्पों की आवश्यकता पड़ेगी । दो शब्द श्रीमन् विकास के बारे में कहना चाहता हूं मेरा आरोप है कि आज सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं जिससे यह प्रदेश आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है । कोई भी नया विकास का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

हमने अपनी सरकार के समय में एक निर्णय लिया था । रजबहों और नहरों की पांच हजार लम्बी किलोमीटर पटरियों को डामर स्तर तक पक्का करा देंगे । चरण बद्ध तरीके से यह काम पूरा होना था । पहले चरण में 45 करोड़ की स्वीकृति दे दी और दस करोड़ का प्रबन्ध करने वाले थे । पांच हजार लम्बी पटरियों द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ने का अभियान था । इसको खटाई में डाल दिया गया । हमने किसान सेवा केन्द्र स्थापित किए थे, उन किसान सेवा केन्द्रों को ठप कर दिया गया । सिंचाई की समस्या के निराकरण करने के लिए जिला स्तर पर "जनपद सिंचाई बन्धु योजना" चलाई । इस योजना से किसानों को लाभ मिलता इस योजना को खटाई में क्यों डाल दिया गया ? हमने व्यापारी, व्यवसायी और उद्योग चलाने वालों के लिये सिस्टम बनाया । "सिंगल टेबल सिस्टम" जिले में कलेक्टर उसका अध्यक्ष, राज्य स्तर 'पर मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष, शासन स्तर पर मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष थे । आमने-सामने बैठकर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण हो जाता था । "सिंगल टेबल सिस्टम" को खत्म क्यों कर दिया गया ? गांवों की उपेक्षा के साथ इस समय किसानों से बहुत सख्ती के साथ वसूली हो रही है उनका उत्पीड़न हो रहा है ।

बिक्रीकर के बारे में कहना चाहूंगा, बिक्री-कर के बारे में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कदाचित् सपा के चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा गया था कि सरकार बनते ही बिक्री-कर समाप्त कर देंगे । अब 6 माह की बात कर रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पढ़ लेते ।

श्री कल्याण सिंह–

आप दुबारा अपना चुनाव घोषणा-पत्र को पढ़ लें उसमें यह नहीं था कि बिक्रीकर का विकल्प लायेंगे । आपने सीधे-सीधे कह दिया कि बिक्री-कर समाप्त कर दिया जाएगा । अब विकल्प की बात कहां से आ गई । यह मैं जानता हूं कि विकल्प की व्यवस्था करनी पड़ेगी । अट्ठारह सौ अथवा दो हजार करोड़ के राजस्व को छोड़ना उत्तर प्रदेश के विकास के हित में नहीं होगा । आपने कहा बिक्री-कर समाप्त कर देंगे । उस समय आपने विकल्प की बात नहीं कही थी । कानपुर में आपने भाषण दिया था,

टेप भाषण में ऐसा कहीं नहीं है कि बिक्री-कर समाप्त कर देंगे और वैकल्पिक कर लगायेंगे । अब आप वैकल्पिक कर की बात कर कर हैं, इसी कारण आपने यह घोषणा कर दी कि कोई व्यापारी 1 नवम्बर, 1993 के बाद बिक्री-कर नहीं देंगे । आपकी घोषणा के अनुसार बहुत लोगों ने बिक्री-कर नहीं दिया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी घोषणा पर विश्वास करके 1 नवम्बर, 1993 से जिन्होंने बिक्री-कर नहीं दिया उस धनराशि को क्या आप माफ करेंगे या जिन्होंने जमा कर दिया है उनकी जमा धनराशि को वापस करायेंगे ? श्रीमन्, बड़े ही विनम्र शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं बिक्री-कर को समाप्त करने की घोषणा सरकार कर रही है ? मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि किसी दूसरे पैटर्न से व्यापारियों पर, ज्यादा मात्रा में, यह सरकार टैक्स लगाने जा रही है । कुछ बातें सरकार द्वारा उठाये जा रहे गलत कदमों और उनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कहना चाहता हूं । वर्तमान सरकार अनुचित तुष्टीकरण की नीति अपनाकर प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर घोल रही है । श्रीमन्, मैं इसमें चार बातें गिनाना चाहता हूं । तुष्टीकरण के नमूने जिसमें साम्प्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़ेंगे । यह गलत दिशा में प्रदेश को ले जा रहे हैं । हमने मानवाधिकार आयोग की अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर स्थापना की थी आज फिर मानवाधिकार आयोग को समाप्त करके अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया । मानवाधिकार आयोग में हर वर्ग के व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जा सकते थे चाहे वह अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक । यह एक ऐसा हाथी का पांव था, जिसमें सबके पैर समाते हैं, आपने इस विशाल क्षेत्र के विस्तृत मानवाधिकार को समाप्त कर दिया । अब गिरिजनों, हरिजनों का क्या होगा उत्पीड़ित नारियों का क्या होगा ? इन लोगों के ऊपर जो दमन चक्र चलाया जा रहा है उसकी फरियाद कौन सुनेगा इस अल्पसंख्यक आयोग से गन्ध आती है अल्पसंख्यकवाद की और अल्पसंख्यकवाद से पैदा होता है साम्प्रदायवाद और सम्प्रदायवाद से निकलता है देश का विभाजन इसके बीच 1947 में देश का विभाजन इसका जीता-जागता प्रमाण है । आपको इतिहास से कुछ सबक सीखना चाहिए । दूसरी बात आप करेंगे कि नहीं करेंगे यह मैं नहीं जानता लेकिन मा० मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की और समाचार-पत्रों से मैंने पढ़ा है । उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाया जायेगा, भाजपा इसका पूरी शक्ति से विरोध करती है और करेगी । श्रीमन्, हमारे विरोध के तीन कारण हैं । पहला कारण है संवैधानिक । संविधान के अनुच्छेद 345 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी राज्य की राजभाषा कौन सी होगी ? इस 345 अनुच्छेद के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 में यह निर्णय हो गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा होगी । अब घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता । दूसरे मान्यवर, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने और राजभाषा आयोग ने अपने निर्णयों में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य की मूल राजभाषा के अतिरिक्त यदि किसी दूसरी भाषा को लिखने पढ़ने वालों की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तभी उसे द्वितीय राजभाषा बनाने पर विचार किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश में आज उर्दू लिखने-पढ़ने वालों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है । इस नाते भी उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने पर हमारा विरोध है । तीसरा विरोध है कि जो दोहरी व्यवस्था की जायगी उससे जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों अरबों रुपया इस दोहरी व्यवस्था के कारण बरबाद हो जायेंगे । जो धन सड़कों, अस्पतालों, विद्यालयों पर खर्च किया जाना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने में खर्च किया जाना चाहिए था वह वोट के लालच में सरकार की इस तुष्टीकरण की गलत नीति के कारण खर्च हो जायेगा । इसलिए हमारा विरोध है । जहां तक उर्दू भाषा का प्रश्न है उसका साहित्यिक विकास हो उसकी पढ़ाई-लिखाई की सुविधा बढ़ाई जाय, हम उसके समर्थक हैं, हम उसके विरोधी नहीं हैं । लेकिन उर्दू द्वितीय राजभाषा बने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । श्रीमन्, एक समाचार-पत्र में मा० मुख्य मंत्री जी का कथन छपा है कि उर्दू के विकास के लिये उसे देवनागरी में

लिखा जाना चाहिए, उन्हीं के एक मंत्री ने इसका जोरदार शब्दों में खण्डन कर दिया इसकी सही स्थिति क्या है मा० मुख्य मंत्री जी जब भाषण दें तो इस पर भी रोशनी डालें कि समाचार-पत्र में गलत छपा है या सही है ?

मान्यवर, मैंने समाचार-पत्रों में यह भी पढ़ा है कि प्रदेश में दंगा रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बलों का गठन किया जायगा और इस बल में उर्दू लिखने और पढ़ने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी । क्या कोई दंगाई यह देखेगा कि उर्दू वाला सिपाही आ रहा है, हिन्दी वाला सिपाही आ रहा है ? क्या सिपाही की वर्दी पर पट्टी लगेगी कि खबरदार, अब उर्दू वाला सिपाही आ गया दंगा मत करो । ? जवानों की ऊंचाई देखिये, सीना देखिये और उसकी सामान्य ज्ञान की परिधि देख लें । उर्दू पढ़ने लिखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी, यह जो निर्णय लिया गया है यह सुरक्षा बलों के अन्दर साम्प्रदायिकता के आधार पर भर्ती करने का द्वार खोला जा रहा है । साम्प्रदायिकता के आधार पर सुरक्षा बलों में भर्ती का द्वार खोला जायेगा तो श्रीमन्, दंगा सड़क से होता हुआ सुरक्षा बलों की बैरकों तक पहुंच जायगा । यह एक बड़ा खतरनाक कदम है । वोट के लालच में इस प्रदेश को आग की भट्ठी में न झोंकिये । जहां तक वर्तमान सुरक्षा बलों का प्रश्न है वर्तमान सुरक्षा बल के ऊपर इससे एक अविश्वास पैदा होगा, उनकी कार्य और क्षमता के प्रति अविश्वास पैदा होगा और उनका मनोबल टूटेगा कि हम दंगा रोकने के लायक नहीं हैं । वर्तमान सुरक्षा बलों से ही इस प्रदेश में दंगा रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है दंगा रोकने के लिए कोई नई भर्ती नहीं की गयी थी और दंगों को रोक कर प्रदेश को राहत पहुंचायी गयी थी । श्री मुलायम सिंह ने सद्भावना रैलियों के नाम पर जो पूरे प्रदेश में दुर्भावना और उपद्रव का माहौल पैदा किया था और प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया था तो हमारी सरकार ने इस वर्तमान सुरक्षा बल से ही पूरे प्रदेश में दंगों पर नियंत्रण किया था इसलिए दंगा रोकने के लिए किसी नयी भर्ती की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमन्, एक बात और है जिसकी ओर संक्षेप में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । कल भी जिक्र आया था, मुख्य मंत्री जी उस समय नहीं थे, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था । केन्द्र सरकार ने अयोध्या प्रकरण को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित किया था । मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि राज्य सरकार ने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया है और वह 143(1) के बजाय 138(2) में संदर्भित करना चाहती है । पहली बात तो यह है कि अगर केन्द्र सरकार नहीं चाहेगी तो राज्य सरकार अकेले 138(2) के अन्तर्गत संदर्भित नहीं कर सकती है । अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो केन्द्र सरकार भी अकेले नहीं कर सकती है । संविधान में व्यवस्था है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों शब्द हैं । कल यह प्रश्न आया था तो मैंने स्पष्ट किया था, प्रधान मंत्री जी से मैंने कहा था कि इस प्रकरण को संविधान के 138(2) के अन्तर्गत संदर्भित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं यदि आप संदर्भित करना चाहते हैं तो 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित करें । केन्द्र सरकार ने इस प्रकरण को संविधान के 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित कर दिया । कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने इसका विरोध किया था । लोक सभा के अन्दर यह रिकार्ड की चीज है, उस समय जो तर्क दिये गये भारत सरकार ने उसमें इस बात का औचित्य सिद्ध किया था कि यह मामला 143(1) के अन्तर्गत संदर्भित करना उचित है । मैंने तब भी कहा था कि यदि मामला 138(2) के अन्तर्गत संदर्भित किया जाता है और कोई जजमेंट हो जाता है तो वह एक नजीर हो जायगी और उस नजीर के आधार पर उत्तर प्रदेश में हर जगह झगड़े बढ़ेंगे हर कोई कहेगा कि हमारा यहां पर मन्दिर था जिसे मस्जिद बनाया गया है और कोई कहेगा कि हमारी यहां पर मस्जिद थी जिसको तोड़कर मन्दिर बनाया गया है और एक रास्ता खुल जायगा और समस्या हल नहीं होगी बल्कि और पेचीदा हो जायेगी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । अब तो उस ढांचे के टूटने के बाद जो आमलक, मूर्तियां और शिलालेख निकले हैं, उनसे स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है और आंख का अन्धा भी उन्हें टटोल कर कह सकता है कि अयोध्या में रामजन्म भूमि पर मन्दिर था जिसे तोड़ा गया और उसके मलबे से एक कथित मस्जिद बनाई गई । इसलिये अब तो संविधान के अनुच्छेद 143(1) के

न्यायालय से राय लेने का भी विषय नहीं रहा कि क्या वहां पहले मन्दिर था अथवा नहीं । मैं इस सदन में इस विषय पर भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या इस प्रसंग में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में कोई मतभेद हो गया है या कि राज्य की सरकार ने अपना यह दृष्टिकोण केन्द्र की सरकार की परामर्श के बाद उठाया है ? इन दोनों में से एक ही बात होगी । यह सरकार अयोध्या प्रकरण को सुलझाने के बजाय और उलझाना चाहती है । आज सरकार जो कदम उठा रही है, उससे समस्या और उलझेगी, सुलझेगी नहीं मान्यवर, जो कारण मैंने आपको दिया, इससे भी साम्प्रदायिक तत्वों के हौसले बढ़ेंगे । अयोध्या में रामलला की सुरक्षा के लिए जो तारों का घेरा लगाया गया था, उसे काट डाला गया है । कहां चली गयी सुरक्षा व्यवस्था ? यह हौसला किन लोगों के बुलन्द हो गये, क्यों हो गये ? कल मुजफ्फर नगर में हिन्दू संगम से जो हिन्दू लोग जा रहे थे, उन पर मस्जिद से गोलियां चलाई गई, पत्थर फेंके गये । यह क्यों हो रहा है । श्रीमन् इतना बड़ा दुस्साहस क्या हो रहा है ? मान्यवर, हम चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक सौहार्द बने । लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता की आग भड़का रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण, इससे साम्प्रदायिकता का जहर बढ़ जायगा और उसके परिणाम प्रदेश को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे । श्रीमन एक बात का और स्पष्टीकरण चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़ा महत्वपूर्ण है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के पहले जनसभा में मंच पर अपने भाषण में डंकल के प्रस्ताव का घनघोर विरोध किया था । कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ घुमा-फिराकर बात कही थी और यह कह दिया कि चूंकि केन्द्र की सरकार ने कह दिया कि किसानों का अहित नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं । श्रीमन् यह डंकल प्रस्ताव किसानों की गुलामी का पैगाम है । इस प्रस्ताव से देश की आथिक आजादी छिन जायगी । यह जो पेटेंट कानून है और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इन्टलेक्चुअलप्रापरटी राइट) है, उससे हमारे नये-नये अनुसंधान के मार्ग में रोक लग जायगी । उद्योग ठप हो जायेंगे, खाद, बीज, बिजली, पानी, कीट नाशक दवायें बहुत मंहगें दामों पर खरीदने पड़ेंगे । देश के घरेलू उद्योग-धंधों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां निगल जायेगी और उन्हीं के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा । इस खतरे को समझें । दुनियां के जो विकसित देश हैं, जिसमें कि अमेरिका दादागीरी कर रहा है, वह हिन्दुस्तान को अपना बाजार बनाना चाहते हैं, जिस समय विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बाजार बढ़ेगा, तो उस समय भारत बर्बाद होता चला जायेगा । हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए । एक ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में एक बार प्रवेश की थी, इतिहास साक्षी है, कितने वर्षों तक उन्होंने हमको गुलाम बना दिया । आज अगर समझौते के अन्तर्गत डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां भारत में प्रवेश कर जायेंगी और भारत उनके जाल में फंस जायेगा । और उस जाल से भारत को फिर निकाला नहीं जा सकता है । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि देश की तकदीर को गिरवी रखा जा रहा है । किसी को हक नहीं है कि वह देश की तकदीर को गिरवी रखे । श्रीमन् 13 अप्रैल, 1994 को प्रधान मंत्री जी इस खतरनाक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं । डंकल प्रस्ताव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल, 1994 को दिल्ली में विशाल जन प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि केन्द्र सरकार मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाये और उसमें डंकल प्रस्ताव के बारे में चर्चा की जाये । श्रीमन् मैं तो आज उ० प्र० की वर्तमान सरकार के स्टैण्ड को जानना चाहता हूं वहां तो डंकल प्रस्ताव का समर्थन करने वाले मुख्य मंत्रियों का, कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों का बहुमत होगा, मुझे आपका स्टैण्ड चाहिए, आप साफ बोलें कि क्या आप डंकल प्रस्ताव का विरोध करते हैं या नहीं । मौन से काम नहीं चलेगा । आप मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की बात कहते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है । इन बातों के साथ श्रीमन् अब मैं अपने भाषण के अन्तिम खण्ड की ओर आ रहा हूं ।

श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए चेष्टा की जा रही है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 21 फरवरी को इसी माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलतबयानी की है और सदन को जानबूझकर गुमराह किया है । प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का असफल प्रयास किया है । मैं यह क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति द्वारा गलत आंकड़े दिये गये हैं । उनके पास सारी सूचनाएं हैं उसके बाद भी गलत आंकड़े दिये हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि 41,682

अपराध हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के समय के 82 हजार से भी ज्यादा बता दिया है, जो गलत है । मान्यवर, तथ्य क्या है ? तथ्य यह है कि वर्तमान सरकार के ढाई महीने के कार्यकाल के अन्दर अपराधों को ग्राफ जितना ऊंचा गया है वह किसी भी सरकार के जमाने में नहीं गया है । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि 1-12-93 से 15-2-94 तक के आंकड़े दिये गये हैं । मैं उनको पढ़े दे रहा हूं । यह अधिकृत दस्तावेज है, लेकिन मिल गया है । आपने 1-12-93 से 15-2-94 तक के आंकड़े दिये हैं । श्रीमन् 1-12-92 से 15-2-93 तक के आंकड़े राष्ट्रपति शासन के हैं और 1-12-93 से 15-2-94 तक के आंकड़े वर्तमान मुलायम सिंह सरकार के ढाई महीने के हैं । यह तो आपको पता ही होगा कि 6 दिसम्बर, 1992 को हमारी सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया था । सच तो यह है कि एक दिसम्बर, 91 से लेकर 15 फरवरी, 92 तक के आंकड़े आप हमारे खाते में जोड़ सकते थे । जिस अवधि से मुझे लेना देना नहीं है उस अवधि के भी आंकड़े मेरे खाते में जोड़ दिये हैं । जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं उनको मैं बता रहा हूं । इनके ढाई माह की अल्प अवधि में डकैती के 360, लूट के 1,416, फिरौती के लिए अपहरण 74, अन्य अपहरण 889 कुल अपहरण 963, रोड होल्ड अप की घटनाएं 34, हत्याएं 1,777 और बलात्कार की घटनाएं अधिक हुई है । मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनके कार्यकाल में हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं अधिक हुई हैं । किसी नारी का अस्तित्व है उसकी अस्मत और यही उसका सब कुछ है । अगर उनकी अस्मत लुट जाती है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है । आज नारी की अस्मत लुट रही है उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है । आज आपके कार्यकाल में 1,777 हत्याएं हुई हैं और 320 बलात्कार हुए हैं इसी से आप अनुमान लगा लें कि हालात कितने खराब हैं । इस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए इसी बात पर । जो सरकार नारी के सम्मान को सुरक्षित नहीं कर सकती है और जो सरकार जनता की जान की हिफाजत नहीं कर सकती जो सरकार नारी के जीवन को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है उस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए । इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है । आपने दावा किया है कि आपके शासनकाल में शान्ति व्यवस्था है मैं मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है । किन्तु सच यह है कि हत्याओं और महिलाओं के साथ बलत्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं । महिलाओं की सुरक्षा रखने में आप नकारा हो गये हैं जनता की जान की रक्षा करने में नकारा हो गये हैं हत्याएं और बलत्कार की घटनाएं बढ़ी हैं खासतौर से जो पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है । अपराध क्यों न बढ़ें जब कोई अपराध रोकने वाला नहीं है । अपितु सरकार अपराधियों को खुला संरक्षण दे रही है । गुण्डों, बदमाशों, अपराधियों, बलात्कारियों और माफियों की सीधी पहुंच सत्ता के गलियारों तक बनी हुई है । श्रीमन् 21 फरवरी, 1994 को मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था कि मानवती को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है । भाजपा राजनीति नहीं कर रही है । पिछड़ी जाति की एक महिला की इज्जत लूटी गयी और उसको न्याय नहीं दिया जायेगा और इसलिए नहीं दिया जायेगा क्योंकि उसमें बसपा के विधायक बलात्कारियों को संरक्षण देकर गन्दी राजनीति आप कर रहे हैं । आपने 36 घण्टे में दबाव डालकर मामले को रफादफा करा दिया । 21 तारीख को जो मैं सदन में बोल चुका हूं उसको मैं नहीं दोहराऊंगा लेकिन हिन्दुस्तान में क्या कोई ऐसी मिसाल मिलेगी, कोई नारी कहेगी कि मेरे साथ कुकर्म हुआ है अगर झूंठ बात है तो । अब आपके यहां से न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय की खातिर कहीं तो जायेगी ही । आपने उस दिन कहा था कि जब मानवती राष्ट्रपति जी के पास गयी थी तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि हट-हट-हट यहां से । माननीय मुख्य मंत्री जी, राष्ट्रपति जी बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, जिस प्रकार का तेवर कहने का आपका अहंकारपूर्ण अन्दाज उस प्रकार के तेवर, टोन और मोशन आपका था राष्ट्रपति जी कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते । मैं मांग करता हूं आपसे कि इसकी जांच करा दें सी० बी० आई० से । काला बच्चा की हत्या की जांच करा दें सी० बी आई० से । आपने सी० आई० डी० को कर दिया । आपका बयान आ गया तो अब सी० आई० डी० क्या करेगी ? निष्पक्ष जांच चाहते हैं मानवती काण्ड की तो सी० बी० आई० को भेज दीजियेगा ।

श्रीमन्, पूरे प्रदेश में बलात्कारों की घटनायें बढ रही हैं हमीरपुर जिले के आस्तौन के बाद में आते ही हमीरपुर में राठ, बांकेपुर में दो घटनायें हो गयीं । अगर पहले कही घटना पर अंकुश लगा दिया गया होता तो यह घटनायें न होती । लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल रही है ।

श्रीमन्, राजनीतिक हत्यायें आप देखिये । मैंने जिक्र किया था उल्लेढ थाना गुलावटी (बुलन्दशहर) में सतीश यादव और जितेन्द्र यादव इन दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और हत्यारों को सरकार संरक्षण दे रही है । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन संरक्षण आपका है, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुये हैं । नामजद रिपोर्ट है । इसी तरह से फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बुढाना (मुजफ्फरनगर), हापुड (गाजियाबाद) में, बनारस में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्यायें हुई हैं, आखिर आप राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला क्यों चलाना चाहते हैं क्या लोकतंत्र में विपक्ष को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं हैं ? इन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्रीमन्, मैं अपनी अन्तिम बात कह कर खत्म करना चाह रहा हूं । आपने कहा कि प्रदेश में कहीं भी जातीय संघर्ष नहीं है नोट करते जाइये । कंजरन डेरा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर में 6 दलितों की हत्या की गयी और 350 घरों को उजाड़ा गया जिसमें सपा और बसपा दोनों का हाथ इन दलितों को उजाड़ने का रहा है तो क्या यह जातीय संघर्ष नहीं है । गौरीपुरा बदायूं में 51 घर अनुसूचित जाति जाटवों के जलाये गये और जलाकर राख कर दिये गये तथा महिलाओं को बेइज्जत किया गया तो यह महिलाओं को बेइज्जत करने वाले और घरों को जलाने वाले क्या सपा के लोग नहीं थे ? क्या यह जातीय संघर्ष नहीं है ? इस्माइलगंज (लखनऊ) के अन्दर दलितों के 11 घर जला दिये गये और फैजाबाद में दलितों के 6 घर जलाये गये, चन्दौली, वाराणसी के अन्दर दीनानाथ भास्कर जी के बयान से 3 हत्यायें हो गयीं श्री पासवान की हत्या हुई उस हत्या की निन्दा करता हूं जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । किन्तु एक मंत्री कहते हैं कि जब तक तीन लाशें न गिर जाय तब तक उनका कलेजा ठण्डा नहीं होगा । क्या इनसे जातीय संघर्ष नहीं बढ़ेगा । इलाहाबाद में महिला को नंगा करके घुमाया गया । चन्दौसी थाने के अन्तर्गत चन्दौसी की पूर्व विधायिका श्रीमती गुलाबो देवी की एक रिश्तेदार को गांव में नंगा करके घुमाया गया । नंगा करके घुमाने वाले कौन लोग थे ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जानते नहीं है ? सहारनपुर में दलितों पर हमले हुए, 9 घर जलाकर राख कर दिये गये यह कौन हैं जलाने वाले ? भोगनीपुर कानपुर में दलितों पर हमले हुए हैं । 14 लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० करायी गयी कौन है यह दमन चक्र चलाने वाले ? रि-ऐक्शन हो रहा है । चन्दौसी थाना वाराणसी में कौम पूछ-पूछ कर हत्या की गयी क्या यह जातीय संघर्ष नहीं है ? जमानिया (गाजीपुर) में एक जाति विशेष के लोगो को गोली मारी गयी है क्या यह जातीय संघर्ष नहीं है ? भोगीपुरा बरेली में हरिजनों के ऊपर दमन चक्र चलाये जा रहे हैं यह कौन हैं दमन चक्र चलाने वाले ? अनूपशहर के अन्दर हाल ही में दो हत्यायें जातीय संघर्ष और जातीय रंजिश के कारण से कर दी गयी हैं । आज पूरे प्रदेश के अन्दर जातीय जहर फैला दिया गया है समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है घृणा पैदा की जा रही है । इनके सपा, बसपा के नेताओं और मंत्रियों के उत्तेजक बयान आ रहे हैं । नफरत पैदा करने वाले नारे लगाये जा रहे हैं । नारे हैं :–

ढोल गंवार विप्र पशु नारी, यह सब जूतन के अधिकारी ।
तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार ।।

तिलक माने ब्राह्मण, तराजू वेश्य, तलवार क्षत्रिय । आगे कहा जाता है कि बनिया माफ, ठाकुर हाफ, ब्राह्मण साफ । आगे एक और नारा कहा जाता है । परवल को भूनो, कुचलो खाओं । परवल खेत में पैदा होने वाला परवल नहीं है । प से पण्डित, र से राजपूत, व से वेश्य, ल से लाला और लोधी भी जोड़ दिया है । मानवती लोधी थी । इनको भूनो, कुचलों और खाओ । क्या इससे जातीय वैमनस्य पैदा नहीं होगा क्या समाज के अन्दर कटुता पैदा नहीं होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

लोधी को 85 में मानते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपराधियों को बचाया जा रहा है । यह ढाई महीने के शासन में सपा-बसपा सरकार के समय में जब से श्रीमन् मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में अराजकता है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, जंगल का राज कायम है । महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, नागरिकों की जान सुरक्षित नहीं है । राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया है । प्रदेश के अन्दर जो आई० एस० आई० की गतिविधियां चल रही हैं उनको नियंत्रण में लाने में आप अक्षम सिद्ध हो रहे हैं । रिपोर्ट समाचार पत्रों में पूरी छपी है आई० एस० आई० के बारे में । आई० एस० आई० का जाल बिछ रहा है । आई० एस० आई० के जाल के संबंध में कुछ बोलते हैं तो कह देते हैं कि अगर बोले तो साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त होगा । आई० एस० आई० विदेशी एजेन्सी है उसके विरुद्ध बोलने से हिन्दुस्तान का साम्प्रदायिक सद्भाव क्यों खत्म होगा ? क्या ये चाहते हैं यह कहना कि आई० एस० आई० के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जायेंगे ? यह आई० एस० आई० हमारे देश की एकता, अखंडता को नष्ट कर रही है । चुप रहें, आई० एस० आई० के बारे में कुछ न बोलें । आई० एस० आई० एक खतरनाक खेल है । मैं सावधान कर देना चाहता हूं शासन को कि उत्तर प्रदेश को तोड़ने की साजिश हो रही है, अनेक विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं, उन शक्तियों के साथ सख्ती से पेश आयें । मुझे लगता है कि यह सरकार इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आयेगी क्योंकि मैं इनकी मजबूरी जानता हूं ।

आज पूरे देश के अन्दर प्रदेश के अन्दर एक त्राहि-त्राहि मची हुई है । कोई अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है । अनेक जिलों में 7 बजे रात्रि के बाद अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है डर के मारे लोग बाहर नहीं निकलते हैं । मैं नहीं समझता कि सरकार इस तरह से विकास की ओर बढ़ेगी प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब होगी । इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन् मैं अपने इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूं और आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया ।

(भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)

[समय 3 बजकर 45 मिनट]

श्री मुक्तिनाथ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल का झूठा प्रलाप मैं इस सदन में सुन रहा था । ऐसा लग रहा था कि इन्हें तथ्यों की जानकारी है ही नहीं और केवल विरोध के नाते ही यहां पर माननीय सदन के सामने अपने बयान दे रहे थे । मान्यवर, यह पहली सरकार है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, सपा और बसपा के गठबन्धन की जो समाज के सबसे उपेक्षित तबका है उसके होठों पर मुस्कान लाने का संकल्प किया है । अभी इस सरकार को दो महीना हुआ है लेकिन जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं वह माफियाओं एवं मीडिया के माध्यम से यह चाहती हैं कि इस सरकार की जो छवि देश और विदेश में बन रही है उसको झूठे प्रलाप से बदनाम किया जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ना किसानों

को दाम दे रही है पिछली सरकार ने किसानों द्वारा गन्ना का मूल्य मांगने पर मेरे जिले में रामकोला में गन्ना किसानों को गोलियों से भूना था । आज वही किसानों के हमदर्द बन रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसी गन्ना आन्दोलन का नेतृत्व करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और अन्य सहयोगी दलों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था । मान्यवर, जो पिछली सरकारों ने नारा दिया था कि "हर हाथ को काम और हर खेत को पानी" उनका नारा नारा रहा परन्तु यह पहली सरकार है जिसने इस नारे पर अमल किया है और बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया है उसके लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था की है । हर खेत को पानी देने के लिए नहरों को व्यवस्थित किया जा रहा है, सिंचाई के साधन हर किसान को मुहैया कराये जा रहे हैं । कृषि में वृद्धि हो, उसके उत्पादन में वृद्धि हो इसके लिए यह सरकार कृत संकल्प है । मान्यवर, सरकारें आयीं और गयीं उसमें जो गरीब भूमिहीन किसानों को पट्टे दिये जाने की बात कही जाती थी तो वह सब धरा का धरा रह जाता था । पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार पट्टेधारियों पर किया था । यह पहली सरकार है, जिसने उन लोगों के खिलाफ, जो भूमिहीनों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटकर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने का संकल्प किया है । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षा की भी पक्षधर है । मेरे जिले में माननीय मुलायम सिंह यादव ने 6 कन्या इण्टर कालेजों की स्वीकृति दी थी, लेकिन पिछली सरकार ने बहाना बनाकर कि भूमि भवन उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों को खुलने नहीं दिया । यह एक रिकार्ड था, जब देवरिया जिले में एक साथ इतने कन्या विद्यालयों को स्वीकृति दी गयी थी । मान्यवर, इसी प्रकार रुद्रपुर में एक आई० टी० आई० को इस पिछली सरकार ने खुलने नहीं दिया और बाद में किसी पश्चिमी जिले में उसकी स्थापना की । मेरा क्षेत्र स्व० चन्द्रबली सिंह की धरती है, वह इसी क्षेत्र से विधान सभा में आते थे । डा० सीताराम, श्री राजेन्द्र गुप्त भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं । यह सर्वाधिक रहे हैं । यह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पटेल कमीशन ने इस क्षेत्र के बारे में संस्तुति दी थी । यहां 52 गांव के लगभग कछार का क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूरी तरह कटान तथा महामारी का क्षेत्र है । मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो कटान की स्थिति है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुक्ति नाथ–

मान्यवर, अभी यह कहा गया कि दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं । मैं कहना चाहता हूं "सहारा" में भी छपा है, उसके अनुसार 1992 में जब इनकी सरकार थी, जब दलितों पर 7,021 घटनायें हुयी थीं और यह ढिंढोरा पीट रहे हैं । मान्यवर, यह आंकड़ा है, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा घटनायें भाजपा सरकार के समय में हुयी हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार कुछ लोगों की जान गंवाकर बहुसंख्यकों की जान की रक्षा करने के लिये कृत संकल्प है, जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी है । मान्यवर, यह संघर्ष क्यों हुये, इसका कारण यह है कि भूमिहीनों की जमीनों पर जो दूसरे लोग कब्जा जमाये हुये हैं, वह अनुसूचित जाति के लोग, कमजोर वर्ग के लोग अभी तक सिर झुकाकर चल देते थे, लेकिन इस सरकार के आने पर इस वर्ग के लोगों ने भी सिर उठाने का मौका पाया है, उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ी है और इस सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति के, कमजोर वर्ग के लोगों का मनोबल बढ़ा है ...

मीडिया को हमारी सरकार का जितना साथ देना चाहिए उतना साथ नहीं दे रही है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि आप धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, अभिभाषण से बात स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था सरकार का अन्तिम विषय है। प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने अन्तिम रूप से कानून व्यवस्था को अपना विषय रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद जनपद में 45 दिन के अन्दर 75 गम्भीर अपराध हुये हैं और 43 हत्यायें हैं, उनमें कई ऐसी हत्यायें हुई हैं जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गयी है, 8 मामले अपहरण के हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस के उन अधिकारियों को कि उन्होंने नामी बदमाशों को मार गिराया है लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 24 व्यक्ति जो मुठभेड़ में मारे गये हैं उनमें 20 लोग ऐसे होंगे कि पुलिस उनके अपराध को खोजती घूम रही है। अगर यह सरकार गम्भीरता के साथ कानून-व्यवस्था को सुधारना चाहती है तो दिल्ली के बराबर पुलिस की व्यवस्था उत्तर प्रदेश और खासतौर से दिल्ली के साथ लगने वाले प्रदेशों में करनी पड़ेगी, तभी कानून-व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया जा सकता है।

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के अन्दर पानी के संकट पर अपनी चिन्ता जाहिर की है। पढ़ा तो था कि "जल ही जीवन है।" लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जल ही दुर्लभ हो गया है। सरकार ने कानपुर में गंगा बैराज बनाने की बात कह कर सारे प्रदेश की चिन्ता को छोड़ दिया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दरवाजा है। मान्यवर, वहां पर 7 लाख से अधिक आबादी है लेकिन हैण्डपम्पों की कमी के कारण पीने के पानी के लिये लोग तरस रहे हैं। जाड़ों में, ओलों की रात में तीन-तीन बजे उठकर, सैकड़ों महिलायें और बच्चे हैण्ड पम्प में पानी भरते हैं क्योंकि दिन में पानी नहीं मिलता है। नई पानी की टंकियों के लिये कोई व्यवस्था करने का निश्चय शासन ने नहीं किया है। कानपुर बैराज से पूरे प्रदेश को पानी मिलना संभव नहीं हो सकेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योगों के बारे में बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो उद्योग लगे हैं उनके सामने जीवित रहने का संकट है। गाजियाबाद में जो उद्योग लगे हैं, उसको किसी सरकार ने नहीं खड़ा किया है। पाकिस्तान से आये विस्थापितों ने परिश्रम करके उद्योग खड़े किये हैं। औद्योगिक विकास के लिये नोएडा में फार्म 31 की छूट है। सेल टैक्स बैरियर नहीं है बिजली में कटौती नहीं है। सेल टेक्स छूट के मामले में चेयर मैन स्तर पर निर्णय होते है। जिन उद्योगों की सम्भावनाओं को देखकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा बना था आज गाजियाबाद के उद्योगों को नोएडा व ग्रेटर की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, यदि प्रदेश के अन्य उद्योगों को सुविधायें नहीं दी गयी तो वर्तमान में जो उद्योग लगे हैं वे भी बन्द हो जायेंगे और नये उद्योग के आने की सम्भावना कम हो जायेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० एस० आई० बी० सी० ने कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया है लेकिन उन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रख-रखाव का दायित्व किस पर है यह निर्धारित नहीं है। नगरपालिका टैक्स लेती है, प्रीमियम का 50 प्रतिशत यू० पी० एस० आई० डी० सी० ले लेते हैं। तब सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व कौन निभायेगा ? इस कारण से भी उद्योग नागरिक सुविधाओं के अभाव में परेशान है।

मान्यवर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे और 16 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गयी है, पूर्णतया असत्य है । मेरे जनपद में 750 गांव हैं, उनमें 250 ट्रांसफार्मर फुंके थे अर्थात् एक चौथाई ट्रांसफार्मर खराब है और नये ट्रांसफार्मर बदलने में पूरा एक महीने का समय लग जाता है और समय से ट्रांसफार्मर जब नहीं बदले जाते और इतनी संख्या में खराब हैं तो 16 घण्टे बिजली की बात करना निराधार होगा ।

मान्यवर, यह केवल दिवास्वप्न है । मान्यवर, तीन वर्ष के अन्दर प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय और पंचायत स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की बात कही गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिले में एक भी विद्यालय ऐसे नहीं हैं जहां टाट-पट्टी और ब्लैक-बोर्ड की व्यवस्था हो । अध्यापकों की कमी है । अनेकों विद्यालय या तो भवनहीन है या उनके भवन जर्जर हैं । ग्रामीण विद्यालय में पहले टाट-पट्टी, ब्लैक-बोर्ड और अध्यापकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । जो भवनहीन हैं । उनको भवन देने पड़ेगें । सरकार ने कई योजनायें घोषित की हैं । मैं गाजियाबाद का एक उदाहरण देना चाहता हूं । बाल्मीकि जो मैला ढोने का काम करते हैं उनके लिए स्वच्छकार मुक्ति योजना लागू की गई थी, जिसके तहत उनको 20 हजार रुपए का कर्ज मिलना था । 10 हजार रुपए अनुदान मिलना था और 3 हजार रुपए मार्जिनल मनी के रूप में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को देना था शेष 7 हजार रुपये बैंक के शेयर के रूप में थे । गाजियाबाद में 236 लोगों का पैसा बैंकों में जमा हो गया परन्तु जिस दिन ऋण दिया जाना था, उस दिन 7-7 हजार रुपए फिक्स डिप.जिट में जमा करा लिये । 5-5 हजार रुपए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अधिकारियों ने, बैंक मैनेजर ने और दलालों ने मिलकर खा लिया लाभार्थी को केवल 8 हजार रुपए मिले । इस प्रकार सरकार की जो योजना थी, उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हो पाया । इसलिए योजना को ठीक तरह से लागू किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री सूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से चुनकर आया हूं । टिहरी गढ़वाल में एशिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, जिससे वहां के विस्थापितों के सामने बहुत ही संकट पैदा हो गया है, टिहरी गढ़वाल के विस्थापितों को जनपद देहरादून में बसाया गया है । अभी तक उन विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है । इसलिए इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उन विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाय । उनका जो मुआवजा है, वहां पर जो टिहरी गढ़वाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन काम कर रहा है, जो वहां के विकास के लिए और विस्थापितों को पुर्नस्थापित करने के लिए व्यवस्था कर रहा है, वहां पर राजस्व विभाग का कोई आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी भेजा जाय ।

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण की तरफ आता हूं । एक बात जो छूट गई है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए आवश्यक है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति को रोके हुए है और पर्वतीय क्षेत्र में जो पिछड़ापन है, सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की मांग है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को मण्डल कमीशन की परिधि के अन्तर्गत लिया जाय और इसे लागू करने का आधार भी यही था । पर्वतीय क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में और प्राइमरी विद्यालयों में हजारों-हजार पद खाली पड़े हुए हैं । एक प्राइमरी विद्यालय में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यापक हैं और 5 क्लासेस हैं। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था की गई थी, उन अंशकालिक अध्यापकों में से 255 ऐसे अध्यापक अभी रह गये हैं, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जिस प्रकार पिछली बार अंशकालिक अध्यापक रखे गये थे, ठीक उसी तरह से इन अध्यापकों को भी नियुक्त किया जाय। पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर एक अलग व्यवस्था थी, जिसके तहत रिक्त पदों को भरा जाता था, पिछले कई वर्षों से यह व्यवस्था भंग हो गई है। इधर नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। नौकरियों पर प्रतिबन्ध अभी नहीं खुला है, यह सरकार रोज कहती हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। मेरा अनुरोध है कि जब तक प्रतिबन्ध नहीं हटेगा रोजगार कैसे उपलब्ध करायेंगे ?

मान्यवर, अभी कल्याण सिंह जी आई० एस० आई० की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे जो पाकिस्तान की एजेंसी है, मैं सरकार का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र में जो सी० आई० ए० का जाल बिछा हुआ है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर जोगी और भोगी के वेश में सी० आई० ए० की घुसपैठ हो रही है। हमारे क्षेत्र की सीमायें नैपाल चीन से लगती हैं तो इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सूरवीर सिंह सजवाण–

पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया उनका कार्यान्वयन आज नहीं हो रहा है। पर्वतीय विकास विभाग पैसा खैरात की तरह बांटता है लेकिन उसका अनुश्रवण करने का अधिकार उसे नहीं है। योजनाओं का प्रारूप स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बनाया गया है जिस पर करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है, जितना धन स्वीकृत किया जाता है उसका 65% धन वेतन व भत्तों में चला जाता है। बड़े-बड़े पदों का सृजन कर दिया जाता है लेकिन छोटे पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है।

प्रशासनिक इकाइयों के विकेन्द्रीकरण की बात सरकार ने की है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने छोटे जिले बना रहे हैं, कितने विकास खण्ड बना रहे हैं ? दंड और पुरस्कार की बात पर्वतीय क्षेत्र में नहीं की गयी है जिसकी कमी से गुणात्मक सुधार नहीं आ सकता है।

शिक्षा को जीवनोपयोगी, रोजगारपरक और व्यावसायिक बनाया जाय। विद्यालय भवन पर्वतीय क्षेत्र में बनाये जाय, रिक्त पदों को भरा जाय। बी० टी० सी० का रिजल्ट निकाला जाय और एल० टी० के रिक्त पद शीघ्र भरे जायं। पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टर नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं यहां तक कि फार्मेसिस्ट और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पद भी खाली हैं। अस्पताल भवन विहीन हैं।

जल जीवन का आधार है, जिंदा रहने के लिये न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्य से हमारे ही क्षेत्र में गंगा यमुना नदियां निकलती हैं लेकिन पेय जल की कमी से लोग पीड़ित हैं। जिसका स्थायी निदान निकालने के लिये पम्पिंग सेट योजना ही कारगर होगी।

पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिये किन्तु पर्यावरण की रक्षा करना मानव जीवन की रक्षा से ऊपर नहीं हो सकता है। आज तक जो पेड़ वहां हैं वह प्रकृति ने दिये हैं किसी तथा कथित पर्यावरणविद ने नहीं दिये न फारेस्ट विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वह पेड़ लगाये। उनकी रक्षा वहां की जनता ने की है। अगर सचमुच में वनों का दोहन रोकना है और वृक्षारोपण करना है तो यह कार्य वहां महिला

मंगल दल और युवक मंगल दल को दिया जाय, वन पंचायतों का गठन किया जाय अन्यथा वनीकरण के नाम से अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है कोई लाभ नहीं होगा ।

टेहरी उत्तरकाशी और चमोली में जो भूकम्प आया उसमें हजारों घर बरबाद हो गये, स्कूल, अस्पताल भवन क्षतिग्रस्त हो गये लोगों के घर टूट गये कई जानें चली गयी । तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने जो विदेशों से अरबों रुपया सहायता के नाम पर मिला, या स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिया उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुरुपयोग किया तो तात्कालिक सहायता के लिये अधिकारी नियुक्त किये गये वह मिल कर पैसा खा गये । इस का श्वेत-पत्र जारी होना चाहिये । भारतीय जनता पार्टी को जो कम्बल, चादरें या त्रिपाल आदि मिले थे वह सरस्वती शिशु मंदिरों में रख दिये गये या अपने रिस्तेदारों में बांट दिये । सरस्वती शिशु मंदिर राजनीतिक अड्डे हैं जिन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये ।

मंडी परिषदों का गठन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है । मैदानी क्षेत्र में रेलगाड़ी, इक्का, तांगा तथा अन्य साधन यातायात के हैं । पर्वतीय क्षेत्र में जी० एम० ओ०, टी० जी० ओ० और के० एम० ओ० यातायात की व्यवस्था करते हैं । वहां यातायात को पर्यटन का दर्जा दिया जाय, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाय, यहां वाह्य लोगों को रोका जाय । तभी पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैंठे, मैंने दूसरे माननीय सदस्यों को बुलाया है ।

श्री सूरवीर सिंह सजवाण–

सरकार यदि पंचायत राज विधेयक लागू करती है तो उसका प्रारूप तैयार करते समय पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखा जाय, वहां की ग्राम सभाओं को यथावत रखा जाय । वहां के लिये जनसंख्या को आधार न मान कर क्षेत्रफल को आधार माना जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र की बीमार औद्योगिक इकाइयों को सुचारुरूप से चलाने के लिये धन उपलब्ध कराया जाय जिन्हें दफा 29 की नोटिसें आई हैं उसे रद्द किया जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र में शिल्पकारों के पौराणिक व्यवसाय में बृद्धि करने के लिये अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की जाय और उनको वित्तीय सहायता दी जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी ही लेखपाल और थानेदार का काम करते हैं उनके वेतन में समुचित वृद्धि की जाय । पर्वतीय क्षेत्र में जो बार्डर भत्ता पहले मिलता था जिसे वेतन के साथ जोड़ा जाता था उसे पुनः उसी तरह दिया जाय । हड़ताल के दिनों में जो कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है उसे शीघ्र दिलाया जाय । पर्वतीय क्षेत्र में भूमि की बिक्री हेतु हिमाचल प्रदेश की तरह नीति बनाई जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र में बिजली में धांधली है फर्जी बिजली के बिल बनाये जाते हैं, मीटर नहीं लगाये जाते । मेरे जिले में 165 ट्रांसफार्मर जले हुये हैं उनकी मरम्मत नहीं हो रही है जो नये खरीदे जाते हैं वह भी पुराने होते हैं । वहां महीने में 5 दिन बिजली आती है ।

(दोनों सदस्यों के साथ-साथ बोलने से व्यवधान)

श्री बाबूराम वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि मई 1992 में सोनहर थाने में थानेदार ने जब भा० ज० पा० की सरकार थी एक अवयस्क लड़की विद्यावती के साथ बलात्कार किया । वह जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी तो थानेदार अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया । उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिये उसके मां बाप पुलिस अधीक्षक से मिले तब भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की डी० आई० जी० से मिलने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और विद्यावती को डराया धमकाया गया । इसके विरोध में वहां जनआन्दोलन चला समाजवादी पार्टी के हजारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया । इस मामले की बाद में मैजिस्टीरियल जांच हुई जिसमें थानेदार अपराधी पाया गया और मुकदमा दर्ज हुआ । इसकी जांच अब सी० आई० डी० के माध्यम से चल रही है । यह भा० ज० पा० सरकार का उदाहरण है कि थानों में बलात्कार हुए हैं ।

मान्यवर, दूसरी घटना हत्या की है हमारे पड़ोसी जिले गोरखपुर में श्री शारदा रावत की हत्या हुई, जो पहले जनता शासन में मंत्री थे लेकिन उनके हत्यारे भाग कर भाजपा के एम० एल० ए० और एम० पी० के यहां रहे और उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार नहीं कर सकी । इसलिये यह कहना गलत है कि इस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं है जबकि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी ।

मान्यवर, छोटे किसानों के लिये मौजूदा गन्ना नीति ठीक नहीं है और इससे वह अपना गन्ना नहीं बेच पा रहे हैं, इसलिये इसमें सुधार किया जाय और सट्टा नीति में परिवर्तन किया जाय और पिछले वर्ष जितना गन्ना बेचा है उसी आधार पर औसत लगाकर सट्टा नीति तय की जाय ।

मान्यवर, गन्ना किसानों का गन्ने का जो मूल्य है वह आज कर्मचारियों के वेतन में दिया जा रहा है जिसका नतीजा है किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया होता जा रहा है । इसलिये मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने पहले अपने समय में गन्ना मूल्य का 5 फीसदी सहकारी समितियों का कमीशन निर्धारित किया था उसी प्रकार वह समितियों को मिलना चाहिये ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि गोण्डा से लेकर बस्ती तक 100 किलोमीटर पक्की सड़क बनी है लेकिन कुआनों नदी पर पुल न बनने के कारण सड़क बेकार पड़ी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी मांग है कि उस कुआनों नदी पर वारा क्षेत्र स्थान पर पुल का निर्माण कराया जाय । इसके साथ ही बस्ती जिले में सोनहा की नई तहसील बनी है, तहसील का प्रमुख मार्ग जो कच्चा है यहनुवा से दसिया तक उसे पक्का बनाया जाय जिससे तहसील को आने- जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके । इन शब्दों के साथ मैं श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार ने अपनी नीतियों को स्पष्ट किया है । सरकार ने किसानों के लिये 70 प्रतिशत बजट का खर्च करने के लिए प्राविधान किया है । लेकिन इस शासन में किसानों का जितना शोषण और उत्पीड़न हो रहा है उतना शायद कभी नहीं हुआ होगा । मान्यवर, गन्ना मूल्य के बारे में अभी चर्चा चल रही थी । तो मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना किसानों से जूने के नाम पर 3 प्रतिशत की कटौती की जाती है और जूने से तैयार मड को एक रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है, इसलिये मेरी मांग है कि इसे समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, किसानों को खाद देने के लिये जो सोसाइटियां हैं वे किसानों से 10-15 रुपये मूल्य बढ़ाकर ले रही हैं। डाई खाद नकली किसानों को दी जा रही है, लेकिन शासन ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज खुले रूप में किसानों का शोषण किया जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ गये। इस पर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से विरोध करना चाहिए था कि किसानों को डीजल सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जाय, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने एक बार भी इस पर अपना विरोध नहीं प्रकट किया। मैं नहर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि नहरों की सफाई हो गई है, लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार कहती है, अपने दावे में कहती है कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और जबकि इसमें है कि पूरी नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है। इस तरह से इनके भाषणों में और क्रियान्वयन में भारी विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है। आज बिजली के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यहां पर साल भर का किसानों से बिजली का दाम लिया जाता है, लेकिन जब सिंचाई का समय होता है, उसे चार माह ट्यूबवेल से सिंचाई करनी होती है, उस समय उसकी बिजली काट दी जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। आपने उसके लिए 100 रुपया प्रति यूनिट दर निर्धारित किया है, गांव में ऐसे भी गरीब हैं जो अपने यहां एक बल्ब जलाते हैं, 100 रुपये की बिजली नहीं जलाते हैं, उनके साथ इस तरह बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन इस सरकार ने ऐसे किसानों के बारे में जरा भी नहीं कहा है कि कम बिजली का कम-दाम लिया जायगा। ट्यूबवेल की नालियां हैं नहीं और यह कहते हैं कि ट्यूबवेल चल रहे हैं। नालियां नहीं हैं तो आप ट्यूबवेल चला कर क्या करेंगे ? जब नालियां नहीं रहेंगी तो क्या फायदा है। मेरे एक सवाल के जवाब में कहा गया कि इसके लिए जिला सेक्टर से यह खर्चा होगा, लेकिन हमारे वाराणसी में जिला सेक्टर से यह योजना ही नहीं मांगी गई है। तो फिर कैसे वहां पर नालियों का निर्माण होगा ?

हमारे यहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जितनी सड़के बनवाई जा रही हैं, उन सड़कों में कोलतार नाम की कोई चीज नहीं है। सड़कों की छरियां निकली जा रही हैं और सड़कें ऊबड़-खाबड़, गड्ढेवाली हो गई हैं। इस तरह से इस भ्रष्टाचार के द्वारा करोड़ों रुपया सड़कों के अधिकारी डकारे लिये जा रहे हैं। इन एक मामले में भी सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है आज तक।

हमारे जिले में कालीन उद्योग एक मुख्य उद्योग है। इससे 1200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। किन्तु वहां पर कोई ला एण्ड आर्डर नहीं है, इससे कालीन उद्योग ठप्प होता जा रहा है, जिससे हजारों गरीब परिवारों के बच्चे जीते हैं। आज जिस समय पश्चिमी जर्मनी में उद्योग मेला लगा, उसमें हमारे व्यापारियों के कालीनों को वहां पर जलाया गया। इसलिए यहां के कालीन के दाम कम हो गये और सब जगह उसकी मांग कम हो गई। लेकिन हमारी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहां के इंदिरा वूलेन मिल को बेचने की साजिश सरकार करने जा रही है, जिसकी अरबों रुपये की जमीन है, उसको करोड़ों के भाव बेचने की साजिश कर रही है। वहां के लिए एक कालीन तकनीकी संस्थान बनाया जा रहा है, उसका सात साल से निर्माण चल रहा है, लेकिन उसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जिससे 1 करोड़ 12 लाख की जिसकी लागत थी, वह अब बढ़कर ढाई करोड़ से ज्यादा हो गया है। हमारे प्रदेश के कालीन उद्योग की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे हमारे कालीनों की मांग बढ़ेगी, जब हमारे तकनीकी संस्थान सालों नहीं बन पायेंगे। मान्यवर, प्रदेश की कानून-व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति पर यह कहा जायेगा कि "अन्धा बांटे रेवड़ी और पुन-पुन आपन ले।" यह सरकार जो घोषणा कर रही है लेकिन अपने ही सत्ता के लोगों को संरक्षण दे रही है। जिस समय चंदौली की घटना हुई, पूरा प्रदेश सोच रहा था कि मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य मंत्री को हटाते हैं या नहीं, लेकिन उनको हटाने के बजाए डी० एम० और एस० एस० पी० को हटा दिया गया है जिसकी वजह से बनारस के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, बस दो मिनट में कहता हूं। मान्यवर, औराई में बाल वृन्द का खून हो गया। वह एम० एस० सी० का छात्र था, अविवाहित था, और पिछड़े वर्ग का था। उसके घर वालों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया दूसरी तरफ यह कारागार मंत्री उस के हत्यारे को गाड़ी में लेकर घूमते रहे। बीस दिन बाद भी उसके घर की कुर्की, नीलामी नहीं की गई। पुलिस पकड़ने गई तो मंत्री जी ने पुलिस पर दबाव डालकर अपने संरक्षण में लेकर हाजिर किया। उसके गरीब माता-पिता जिनका वह सहारा था, जिन्होंने कितनी उम्मीदों से उसे पाला पोसा था, उन्हें मुआवजा तक नहीं दे सकी यह सरकार। मान्यवर, मैं अपनी बात पर बल देता हूं और चाहता हूं कि हमारे संशोधन को रखा जाय। इस सरकार में मंत्री लोग जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाय।

* श्री तेज पाल सिंह (मथुरा)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेयजल संकट की जो बात कही गई है। यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। मैं मथुरा जिले से चुनकर आया हूं। मथुरा में पेयजल की स्थिति बहुत खराब है। यह राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। यहां पर रेगिस्तान की बढ़त है। राजस्थान में मरुस्थल है। गर्मी की ऋतु जब आती है तो यहां पर पीने के पानी की समस्या हो जाती है। वहां की स्थिति यह है कि हमारे यहां की महिलाएं 3-3 किलामीटर पैदल चलकर सिर पर पानी रखकर लाती हैं। पिछली सरकार ने वादा किया था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने भी वादा किया था कि पेयजल की समस्या को दूर किया जायेगा। बड़ी तेजी के साथ पेयजल के नाम पर टंकियां लगाई गई। टंकियां टंगी हैं परन्तु उन्हें सप्लाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गर्मी की रुत आने वाली है। ग्रीष्म काल में पानी की इतनी किल्लत होती है। यह राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ जिला है। पूरे जिले में खारा पानी है। आप कहीं पर भी बोरिंग करा लें, पानी मीठा नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि चाहे बोरिंग के माध्यम से, हैण्ड पम्प के माध्यम से किसी भी तरह से वहां पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

नेता सदन और नेता विरोधी दल ने बैरेज के संबंध में बात कही। मैं इतना कहना अवश्य चाहूंगा कि किसी न किसी रूप से आप मथुरा से जुड़े हुए हैं। नेता सदन ने कानपुर के बैरेज और नेता विरोधी दल ने आगरा बैरेज की बात कही। मैं भी मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गोकुल बैरेज के नाम से जो योजना आठ वर्षों से अधूरी पड़ी है, सरकार ने उस ओर क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट किया ? मैं अनुरोध करूंगा कि गोकुल योजना को पूरा करने हेतु शासन को निर्देशित किया जाय। आपके माध्यम से मान्यवर कानून व्यवस्था के संबंध में भी कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस विषय में सुधार किया जायेगा। आज यह कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई है। जगह-जगह अपराध हो रहे हैं और अपराधी आजादी के साथ घूम रहे हैं। कानून

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था के नाम पर कोई भय नहीं रह गया है । जिस विधान सभा क्षेत्र छाता, मथुरा से आता हूं वह हरियाणा–राजस्थान से लगा हुआ है । हरियाणा, राजस्थान की पुलिस मेरे यहां से सीधे-साधे भोले-भाले गरीब किसान जनता को पकड़ कर ले जाती है और उत्तर प्रदेश का शासन, पुलिस और अधिकारी यह भी नहीं पूछ पाते हैं कि आप कैसे और क्यों ले जा रहे हैं ? हमारे यहां से महिलाओं और पुरुषों को भी पकड़कर ले जाते हैं । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है । हमारे प्रदेश की सरकार को इस विषय में सचेत होने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री तेजपाल सिंह –

मान्यवर, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति के संबंध में एक बात कही है । केन्द्र सरकार ताजमहल के नाम पर हमारे मथुरा जिले को बर्बाद कर रही है । कोसी में 90 किलोमीटर की परिधि से उद्योग लगाये जा रहे हैं । उद्योग के लिये बिजली कास्तकारों की बिजली काटकर उद्योगों में दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के निर्देश दिये जाने चाहिए कि जो भी उद्योग लगाये जायं उसके लिये बिजली की व्यवस्था अलग से कराई जाय । किसानों की बिजली न काटी जाय । उन्हें 16 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का जो वादा है उसे पूरा किया जाय । 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति को सुचारु रूप से देने के लिए और जो कारखाने लगाये जा रहे हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री तेज पाल सिंह –

एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो कारखाने लगाए जा रहे हैं, जितनी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं । उनका गन्दा पानी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है । जो फैक्ट्रियां हैं इनके गन्दे विषैले पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसकी वजह से मवेशी मरते हैं । गन्दे और विषैले पानी की वजह से फसलें बरबाद हो गई हैं सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है । फैक्ट्रियों की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको देखने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री तेज पाल सिंह –

मान्यवर, जो बेरोजगारी बढ़ रही है इस के संबंध में मेरा कहना है कि सरकार यदि ईमानदारी से रोजगार देना चाहती है तो जो नौकरियों पर पाबन्दी लगी है उसको हटा दे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

[दो सदस्यों के एक साथ बोलने पर (व्यवधान)]

श्री रामतेज–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मौजूदा सरकार जो है इसने किसानों को बहुत लाभकारी मूल्य दिए हैं। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। थोड़ी देर पहले विपक्ष के लोग कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसा करा दिया------(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी के मजबूत हाथ मिले हैं प्रदेश और देश की प्रगति के लिए नई सोच पैदा हुई है। इससे प्रदेश की प्रगति होगी। अभी माननीय नेता विरोधी दल नारी उत्पीड़न के बारे में बोल रहे थे, तो वह भूल गए उनके शासन काल में कुसुम मिश्रा के साथ अयोध्या में क्या हुआ था ? इन्हीं के दल के सदस्य ने, जो लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या किया ? मुझे पीछे से एक माननीय सदस्य नाम बता रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग क्या इस बात को नहीं जानते हैं कि नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको आप न्याय नहीं दे सके और अब आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की दुहाई दे रहे हैं। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं आप ? कौन सी पालिसी लेकर आप चल रहे हैं ?

(व्यवधान)

इस सरकार को जब अवसर मिला है, सवर्ण को भी अवसर मिला है। मा० भगवती सिंह जी व रमाशंकर कौशिक जी यह कहां के लोग हैं ? मा० मुलायम सिंह जी ने सभी को अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिये। इस सरकार पर कोई जाति-पांति का आरोप लगाए यह बहुत ही गलत बात है। उत्तर प्रदेश के विकास में सभी लोगों को साथ लेकर चला जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या अपने शासन काल की बात भूल गए। आज आपको दूसरे की व्यवस्था पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि जो भी अधिकार हैं कर्मचारी उनकी योग्यता के आधार पर काम लिया जायेगा जाति-पांति पर नहीं। मा० मुलायम सिंह जी की सरकार ने 25 करोड़ रुपया दिया था लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ने उस स्कीम को जो सड़कें चौड़ी करने के लिए थी हटा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब सड़कें बनेंगी तो प्रदेश का विकास होगा। जब गांव में किसानों को विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी उनको लाभकारी मूल्य दिलाएं जायेंगे तो क्या प्रदेश का विकास नहीं होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में आपकी गलत नीतियों के कारण 8 सीटों में से 3 सीटें मिली 5 सीटें हमारी पार्टी ने जीती और पंच परमेश्वर बने हुए हम लोग यहां बैठे हैं। हमारा कैसरगंज क्षेत्र, जो तमाम नदियों से घिरा हुआ है बाढ़ के प्रकोप से बुरी तरह चपेट में है मौजूदा मुलायम सिंह सरकार ने इस इस ओर ध्यान दिया है। गन्ना किसानों की जहां तक बात है अभी तक व्यवस्था थी कि किसानों के गन्ने का भुगतान बैंकों के माध्यम से होता था लेकिन वर्तमान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि सोसाइटी से इसका भुगतान किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र कैसरगंज का आप विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को गौर से पढ़ा है और माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस पर अपने विचार रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और इसके साथ ही यह बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है । यह सरकार की जो पहली जिम्मेदारी थी कानून–व्यवस्था की उसमें यह पूर्णतया असफल हो गई है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं अकेले देहरादून जनपद में इस सरकार के ढाई महीने के शासन काल के दौरान 18 हत्याएं हो चुकी है और जो देहरादून और मंसूरी पर्यटन केन्द्र हैं आज इन हत्याओं के कारण पर्यटक वहां परेशानियां महसूस कर रहे हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे बिजली देंगे इस संबंध में हमारे नेता विरोधी दल ने भी उल्लेख किया था कि न तो विद्युत का आयात किया गया और न ही विद्युत का उत्पादन बढ़ाया गया तो यह बिजली कहां से दी जायेगी ? ऐसी कोई मंशा राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है । उत्तरांचल में जो महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं हैं । हमारे शासन काल में प्रगति पर थीं लेकिन इस सरकार ने श्रीनगर, गढ़वाल जल विद्युत परियोजना विश्वबैंक के सहयोग से चल रही थी विश्व बैंक मे उस पर ऋण देना बन्द कर दिया । इसमें इस सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की ।

मान्यवर, हजारों कर्मचारी वहां पर इस विद्युत परियोजना में खाली बैठे हैं । मैंने सवाल उठाया था उसका जवाब मुझे मिला जिसमें कहा गया था कि इन कर्मचारियों से दूसरी परियोजना में काम लिया जा रहा है । श्रीमन् मैं श्रीनगर गढ़वाल का रहने वाला हूं । वहां के कर्मचारी मुझसे मिलते हैं और स्थिति बताते हैं । सरकार ने गलत जवाब दिया है कि उन कर्मचारियों से दूसरी परियोजना में काम लिया जा रहा है । वहां कर्मचारी खाली बैठे हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है । विद्युत की स्थिति पर्वतीय क्षेत्र में बहुत खराब है । श्रीनगर डिवीजन में 52 ट्रांसफार्मर जले हैं । ऐसी स्थिति में यह सरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे देने की बात कह रही है वह बिलकुल गलत है । पर्वतीय क्षेत्र में औसतन 2 घटें बिजली उपलब्ध करायी जा रही है । यह सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह है । जबसे यह सरकार आयी है पहाड़ों की शांति भंग हो रही है वहां आज शराब की तस्करी के अड्डे बन गये हैं । वन माफिया और शराब माफिया वहां पर पूरी तरह फैल गये हैं । हमने अपने शासन काल में इस संबंध में कठोर कदम उठाये थे लेकिन आज शराब जो बुराइयों की जननी है, आज शराब माफियाओं और वन माफियाओं के चंगुल में फंसकर पर्वतीय क्षेत्र का भविष्य बरबाद हो रहा है । वहां पर वन माफिया और शराब माफिया अपने पैर जमा रहे हैं उनके खिलाफ यह सरकार कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है । इस संबंध में राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं है कि यह समस्या कैसे दूर की जायेगी ? मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं की पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है । जब हमारी सरकार थी तो एक निर्णय लिया गया था कि डाक्टरों की कोई नयी नियुक्ति होगी तो पहले पर्वतीय क्षेत्र में होगी और तब तक वहां पर तैनाती की जाती रहेगी जब तक कि समस्त खाली पद भर नहीं जाते । । लेकिन आज स्थिति दूसरी है, अकेले पड़ी जनपद में 172 द्वितीय श्रेणी के पद सृजित हैं जिसमें से केवल 87 पद खाली हैं । महिला डाक्टर के 17 पद हैं जिनमें से 10 पद खाली हैं । प्रथम श्रेणी के 26 पद हैं जिसमें से 14 पद खाली हैं । यह स्थिति वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की है । वहां अस्पतालों में दवायें नहीं हैं । वहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण गरीब आदमी को दर-दर भागना पड़ रहा है और उसको दवायें नहीं मिल पा रही हैं । दूसरी तरफ सरकार कह रही है

कि गरीबों की रहनुमा है पिछड़ों की रहनुमा है । दवायें न होने के कारण वहां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो जून-जुलाई में ट्रांसफार किये गये थे तो बड़ा हाहाकार मचा था कि भा० ज० पा० ने ट्रांसफर को व्यापार बना लिया है । लेकिन इस सरकार में दिसम्बर में, आफ सीजन में ट्रांसफर किये गये, कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किये गये हैं और वह अधिकारी तथा कर्मचारी परेशान हैं । उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है इस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है जिससे उनका मनोबल गिर रहा है । आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ का आतंक है । अगर किसी को बाघ क्षति पहुंचाता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है और न ही बाघ को मारने का कोई इंतजाम है वन विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुयी उनका कहना है कि अगर बाघ किसी को मार देता है तो सरकार की ओर से मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है । आपने मान्यवर, समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री आनन्द यादव–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिये जो मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । मैं आपका ध्यान जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

[समय 4 बजकर 45 मिनट]

मान्यवर, तमाम सरकारें आईं और गयीं, आजादी मिले हुए लगभग 46 वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक विकास के नाम पर सलेमपुर विधान सभा क्षेत्र अछूता रह गया । सलेमपुर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चनुजी पुल का शिलान्यास 1990-91 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था । उनकी सरकार ने दो करोड़ 85 लाख 7 हजार रुपया की संस्तुति की थी तथा 35 लाख रुपया स्टेट कोटे से जिले को शासन से भेज दिया गया था । पिछली भा० ज० पा० की सरकार ने उक्त धनराशि को अन्यत्र जगह ट्रांसफर कर दिया । वह कार्य ठप्प है, उसके लिए पुनः कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करें । इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बंशीपार ब्लाक सलेमपुर के अन्दर आई० टी० आई० कालेज का शिलान्यास मा० शारदानन्द अंचल जी द्वारा किया गया । उस धनराशि को भी अन्यत्र कहीं ट्रांसफर कर दिया भा० ज० पा० की सरकार ने । वह कार्य ठप्प पड़ा है, उस कार्य को पुनः शुरू कराने की कृपा करें । हमारे विधान सभा क्षेत्र के अनेकों गांव कटान के करीब के, जैसे सकराजी, बनकटा दीक्षित, मठपनआर, प्यासी, खेमादेई, मलहटोली, डुमरी, विन्डी, श्यामपुर, नवलपुर, औरंगाबाद, परासी, खरवनियां आदि गावों को कटान से बचाने हेतु आवश्यक ठोकर लगाने हेतु आदेश पारित करायें । विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्दर सबरेजी घाट को तमाम समाज सेवियों ने पुल बनाने हेतु आवेदन भी किया है । वहां पर पुल बन जाने से उ० प्र० तथा बिहार दोनों प्रान्त जुड़ जायेंगे । इसकी स्वीकृति हेतु मान्यवर, आदेश पारित करावें । इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । जय भीम, जय हिन्द, जय भारत ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री त्रिपाल सिंह धामा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बरनावा क्षेत्र के चौगामा गांव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी का जल स्तर ऊंचा उठाने के लिए हिन्डन कृष्णा दोआव नहर परियोजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया गया था। वहां कुछ क्षेत्र में 90 फीट नीचे पानी का स्तर पहुंच गया है। यह योजना 15 साल से खटाई में पड़ी थी, हमारी सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी श्री तुलसी गौड़ ने मुझे साथ लेकर उस समय चौगाम क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया था और हिन्डन और कृष्णा नदी के जल स्तर को अलग-अलग कई जगहों पर खुद जाकर देखा था और क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से भी मंत्रणा की थी। कुछ आवश्यक संशोधन के साथ इस परियोजना को सरकार के सामने पेश किया गया था। तत्कालीन श्री कल्याण सिंह की सरकार ने इसे मंजूर कर इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश दिसम्बर, 1992 में भाजपा सरकार बरख्वास्त हो गयी और यह योजना ठंढे बस्ते में चली गयी। उ० प्र० के तत्कालीन राज्यपाल ने इसे केन्द्रीय जल आयोग को भेंज कर इतिश्री कर ली और प्रदेश में आने वाली सरकार पर इसका भार छोड़ दिया।

तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बेहतर रूप से संशोधित इस परियोजना की लागत उस समय 2981.03 लाख रुपये आंकी गयी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में कृष्णा नदी पर 120 मीटर लम्बे वीयर का निर्माण जरूरी समझा गया तथा तय किया गया कि वाजेज पर 50 क्युसेक क्षमता के दो पम्प रखे जायेंगे, एक-एक सौ क्युसेक जल पम्प किया जायेगा। चूंकि कृष्णा नदी में जल कम है, अतः तय किया गया कि पूर्वी जमुना नहर में स्थित ओलरा क्युसेक से इसकी पूर्ति की जायगी, जिसकी क्षमता 1 हजार क्युसेक है।

मान्यवर, निकट भविष्य में 21 फरवरी से उ० प्र० सरकार का बजट अधिवेशन शुरू होने जा रहा है जिसमें मैं विधान सभा में और विधान सभा के बाहर भी मुख्य मंत्री जी से इसके लिये धन आवंटन के विषय में मिलूंगा और इसी वर्ष के बजट में इसके लिये धन की व्यवस्था करा कर ही रहूंगा। जिससे इस परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। मैं चौगामा क्षेत्र के अपने किसान भाईयों से विनती करता हूं कि वे भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरी कराने में प्रशासन को सहयोग दें। चूंकि टीकरी, निरपुछा, दोघाट, दाहा जैसे कुछ गांवों में आपसी झगड़ों की वजह से चकबन्दी रुकी पड़ी है। जिससे इस योजना में व्यवधान व अनावश्यक विलम्ब भी होगा। इसके लिए मैं जिलाधिकारी मेरठ जनपद से परामर्श हेतु मिला था जिन्होंने चकबन्दी के विवाद निवारण हेतु इन गांवों में कैम्प हेतु ए० डी० एम० को लिखा है। जल्दी ही ए० डी० एम० इन गांवों में कैम्प करेंगे जिसमें मैं किसान भाईयों से सहयोग की अपील करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–(मुजफ्फरनगर)–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले तीन बाते आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो पिछली सरकार का जो किसान विरोधी निर्णय था उसे आप निरस्त कर दें। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि गन्ना ढुलाई तीन रु० प्रति कु० है। जो बाह्य क्रय केन्द्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से काटा जाता है उसे आप 50 पैसा प्रति कु० कर दें । तीसरी बात यह है कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसका विस्तारीकरण और उदारीकरण करने हेतु पहले निशुल्क व्यवस्था थी लेकिन अब किसानों से पैसा लेना शुरू कर दिया है। मान्यवर, एक ट्रान्सफारमर लगवाने में 80 हजार रु० लगता है । और एक गरीब किसान इतना पैसा दे नहीं पाता है। मेरा अनुरोध है कि पूर्व की भांति इसे निशुल्क किया जाय ।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, नहरों की पटरी 500 किलोमीटर प्रदेश में पक्की करने को था मेरा सुझाव है कि नहरों की पटरी को पक्का करने के स्थान पर ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जो हैं उनको पक्का किया जाय । इससे किसानों को और जनता को लाभ होगा पटरी पक्की करने से लाभ नहीं होगा ।

मान्यवर, गन्ने के भाव में वृद्धि का निर्णय लिया गया है लेकिन मान्यवर असलियत यह है कि वर्तमान में क्रेसर पर गन्ना 75 रु० और 80 रु० प्रति कु० की दर से बिक रहा है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गन्ने के भाव बढ़ाने होंगे अगर आप चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलेंगे तो आपको कुछ निर्णय लेने होंगे । मान्यवर, सहकारी चीनी मिलें हैं उनका विस्तारीकरण करें और उनकी जो सहयोगी इकाईयां हैं उनको लगाने की व्यवस्था करें जिससे यह लाभ की स्थिति में आ सकें । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सहकारी चीनी मिलों में जो सहकारी समितियां हैं और जो किसानों का शोषण कर रहे हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाय जैसा कि हमारी मोरना चीनी मिल में है उसमें जो सहकारी समितियां हैं उनको समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, जो गन्ना बीज शोध संस्थान है उसको प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाय और उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, गेहूं, चना, दलहन और धान की जो उन्नत किस्में हैं उनकी खोज हेतु सतत प्रयास किया जाना चाहिये । नहीं तो किसान अपनी फसल का अच्छा उत्पादन कैसे कर पायेगा ? मेरा अनुरोध है कि धरती पुत्र चरण सिंह के नाम पर एक रोजगार परकयोजना बनाई जाय जिसमें गांवों के बेरोजगार युवकों को ऋण दिया जाय जिससे वह अपना रोजगार स्वयं कर सकें और अपनी रोजी-रोटी कमा सकें । मैं नेता विरोधी दल की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो उन्होंने गांव में लेबर इंस्पेक्टर तैनात करने की बात कही है लेकिन मेरा निवेदन है कि गांवों को इंस्पेक्टर राज्य से मुक्त रखा जाय ।

मान्यवर, जहां तक मण्डल कमीशन का संबंध है इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो जातियां पिछड़ी हैं और उनको पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे जाट, मुसलमान, गूजर हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाय और अहीर तथा कुर्मी के समकक्ष लाया जाय । मान्यवर, पेयजल समस्या के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । मुजफ्फरनगर मण्डी से डेढ़ सौ हैण्ड पम्प लगाये जाने का अनुरोध किया गया लेकिन उन्होंने निर्देश भी दिया लेकिन फिर भी 10-15 हैण्ड पम्प लगा दिये गये । तो मान्यवर, इसका क्या औचित्य है ? मेरा कहना है कि पेयजल की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाय ।

मान्यवर, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, बिजली के दो बकाया बिल हैं उन पर जो पेनाल्टी लगी है उसको समाप्त किया जाय इससे बिजली बोर्ड को राजस्व मिलेगा और किसानों को अपना बिल देने में भी सुविधा होगी । मान्यवर, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है मैं कहना चाहता हूं कि जितना राजस्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सरकार को मिलता है उस अनुपात में विकास के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सरकार से धन नहीं मिल पाता है मेरा अनुरोध है कि पश्चिमी

उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक धनराशि उसके विकास के लिए दी जाय । मान्यवर, बुन्देलखण्ड के विकास के बारे में कहना चाहता हूं । वर्ष 1990 में एक निर्णय लिया गया था कि बुन्देलखण्ड में लगाये जाने वाली औद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत विद्युत भार में पहले 5 सालों में छूट दी जायेगी । परन्तु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने इसको समाप्त कर दिया है । मैं चाहता हूं कि इसे फिर से लागू किया जाय । वहां की स्टील कास्टिंग इकाईयों ने पूरे प्रदेश के समान 300 रु० प्रति यूनिट प्रति के० वी० ए० एम० सी० जी० लगा दिया गया है । और हालत यह है कि आज उन लोगों को इसमें कोई छूट नहीं मिल पा रही है उनको पूरे प्रदेश के बराबर बिल देना पड़ रहा है और उद्योग सिक हो रहे हैं और कोई नयी यूनिट नहीं लग रही है अगर आप बुन्देलखण्ड का विकास चाहते हैं तो उस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया बैठिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में एक प्रख्यात कृषि विद्यालय है जो चौधरी छोटूराम के नाम पर है मेरा आपसे आग्रह है कि इसे आप विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दें ।

* श्री चैन सुख भारती–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जब से हमारी सरकार आई है तब से सिंचाई सुविधाएं बढ़ी है और सभी नहरों की टेल तक पानी दिया गया है । शिक्षा के क्षेत्र में जो जीर्णशीर्ण विद्यालय बनने बन्द हो गये थे अब हमारी सरकार ने उन जीर्ण-शीर्ण विद्यालय के भवनों को बनाने का काम शुरू कर दिया है । पिछली भाजपा सरकार ने कोई भी जीर्ण-शीर्ण विद्यालय या नये विद्यालय नहीं बनाये । मान्यवर, हमारी ढाई महीने की सरकार ने लगभग 46 जीर्ण-शीर्ण स्कूलों को बनवाना प्रारम्भ कर दिया है और 10 नये स्कूलों को बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है । शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काफी अग्रणी है । हमारी सरकार की यह नीति है कि 3 साल के अन्तर्गत प्रत्येक गांवों में प्राइमरी स्कूल होगा नये पंचायत स्तर पर जूनियर हाईस्कूल होंगे तथा ब्लाक स्तर पर लड़कियों के लिए इण्टर कालेज खोला जायेगा इसके अतिरिक्त जहां भी शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता होगी वहां पर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ।

मान्यवर, भाजपा जो बसपा और सपा पर जातिवाद का आरोप लगाती है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सपा बसपा सरकार जातिवादी नहीं है बल्कि जिन लोगों ने जाति बनाई है वह जातिवादी हैं । हमारे माननीय अध्यक्ष कांशी राम जी ने 6 दिसम्बर, 1993 से पूरे भारत वर्ष में जाति तोड़ो, समाज जोड़ो कार्यक्रम चलाना शुरू किया है जो आज भी चला आ रहा है हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन करके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जातिपांति, वर्णव्यवस्था को ढीला कर रहे हैं तथा आपस में भाईचारा बढ़ा रहे हैं । जब आपस में भाईचारा बढ़ेगा तो देश में जो विषमतावादी व्यवस्था है जातिवादी व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, वह समाप्त होगी और देश की सामाजिक तरक्की होगी । जब देश की सामाजिक तरक्की होगी तो देश के अन्दर जो अन्य स्वार्थी तत्व हैं वह समाज को गुलाम नहीं बना पायेंगे ।

मान्यवर, आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो देश के अन्दर पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत है । 46 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी उसकी नौकरियों में हिस्सेदारी मात्र 7 प्रतिशत है जबकि उसकी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत होनी चाहिये थी । मान्यवर, जब मंडल आयोग को लागू करने की बात आई तो इन लोगों ने छात्रों और नौजवानों को उकसाया तो उन लोगों ने आत्मदाह किया । इन लोगों ने यह भी किया जो लड़के अवारा थे उनको भी आत्मदाह में जला दिया और कहा कि मैं खुद आत्मदाह कर रहा हूं । जब मंडल आयोग लागू हो गया तो यह कथनी और करनी के झूठे लोग कहने लगे कि मैं तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के पक्ष में हूं अब यह इनकी वोट की राजनीति सबकी समझ में आ गयी है । जब मंडल आयोग लागू तो पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की भी बात आई जिसमें पिछड़े वर्ग को केवल 13 प्रतिशत ही आरक्षण मिल पाता लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई तो इन्होंने तुरन्त 27 फीसदी आरक्षण कड़ाई से लागू कर दिया इसमें भी लोगों को असंतोष रहा । जिनकी आबादी 52 प्रतिशत है उन्हें 27 प्रतिशत देने पर ही भाजपा के लोगों को बड़ा कष्ट है । मान्यवर, 46 वर्ष की आजादी में अनुसूचित जाति आरक्षण मात्र 10 प्रतिशत हो पाया है । हमारी सरकार ने आरक्षण को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं और जो इसमें शिथिलता बरतेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं । मान्यवर, हमारे कांशीराम जी की मंशा है कि देश के प्रत्येक समाज या धर्म के आदमी को जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में तथा सरकार में हिस्सेदारी मिले जिससे देश के सम्पूर्ण समाज का विकास हो और देश की तरक्की हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन रखने का अवसर प्रदान किया । हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा था, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गांव, गरीबों और किसानों की विरोधी है । इस सरकार में हरिजनों, मजदूरों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है । यह जितने भी सुविधायें देने की बात कहते हैं आज देखा जाय तो व्यवहारिक रूप में वह उपलब्ध नहीं हो रही है और न हो सकती है । मुलायम सिंह यादव जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतनी लम्बी चौड़ी घोषणायें कर दी थी कि 10 साल तक भी यह मुख्यमंत्री रहते तो भी पूरी न हों । गोरिया घाट देवरिया में पुल का शिलान्यास किया गया । रामशरण दास जी भी वहां गये थे, आज उस पुल की पत्रावली तक नहीं मिल रही है । दोनों तरफ की सड़कें पूरी हैं लेकिन पुल पर कार्य रुका हुआ है । सवा करोड़ की लागत का वह पुल है । वर्तमान मुख्य मंत्री जी पिछली बार देवरिया स्टेडियम गये, क्षेत्रीय विधायक ने एक लाख रु० की मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दो लाख रु० देते हैं । आज तक वहां दो रुपये नहीं पहुंच पाये । उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि रिक्शा चालकों को मालिक बना देंगे लेकिन यह रिक्शा वालों को रिक्शा चालक का प्रमाण पत्र नहीं दे पाये । इस नाते

इस समय यह जितनी भी घोषणा कर रहे हैं उसमें विशेष क्या कर पायेंगे, यह असंभव लगता है । जैसे इन्होंने बिक्री कर को समाप्त करने की घोषणा की, गांवों के विकास के लिये 70 प्रतिशत धन देने की बात है । 9 सौ करोड़ रु० का बिक्रीकर समाप्त करने की बात कही गयी, मनोरंजन कर आधा करेंगे लेकिन मनोरंजन कर के बारे में कोई घोषणा नहीं की गयी ।

मण्डी शुल्क को समाप्त करने का वायदा किया है । अगर यह सारे कर बिना किसी व्यवस्था के समाप्त कर देंगे तो कैसे इस प्रदेश का विकास होगा, कैसे गांवों के विकास पर 70 प्रतिशत धन खर्च कर पायेंगे ? पूर्वांचल विकास निधि के संबंध में जो निर्देश गये हुये हैं कि 70 प्रतिशत जो धन खर्च किया जाय विद्युत विभाग पर 15 प्रतिशत स्वास्थ्य विभाग पर 15 प्रतिशत पेयजल पर । कोई भी क्षेत्रीय विधायक अगर अपने क्षेत्र के लिये पूर्वांचल विकास निधि से कुछ कराना चाहता है तो निर्देश पहुंचे है उसके अनुसार वह संभव नहीं है । विद्युत विभाग के बारे में जितना भी कहा जाय कम ही है । इस समय प्रदेश में जितनी भी योजनायें हैं । 1 के० वी० से लेकर 400 के० वी० तक जितने विद्युत सब स्टेशन हैं, सब अधूरे पड़े पड़े है । मैं कहना चाहता हूं कि नये विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है । आज गांव में 10 साल से खम्भे पड़े हुए हैं उसमें ट्रांसफर लगाने की बात है, चाहे सामान्य बस्ती हो या अनुसूचित जाति की बस्ती हो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है । आज गांव का किसान झोपड़ी वाला कोई लाइन लेना चाहे तो यह आदेश कर दिया है कि विद्युत पर जो व्यय आयेगा उसमें शत-प्रतिशत जमा करना होगा । एक खंभे की जरूरत पड़ेगी तो उस गरीब किसान को 5 हजार रु० जमा करना पड़ेगा । विद्युत परिषद् की स्थिति निरन्तर गिरती जा रही है । 16 घंटे बिजली की बात कही जा रही है, रिकार्ड उठाकर देख लें शायद 8 घंटे बिजली इस समय गांव में पहुंच रही है । प्राइमरी स्कूलों की बात कही जाती है । प्राथमिक विद्यालयों के भवन के लिये 9 हजार की धनराशि दी जाती है आज उसमें विद्यालय नहीं बन पा रहे हैं । प्राथमिक स्कूलों में देवरिया में अगर कहीं 10 लड़के हैं तो 15 अध्यापक रखे गये हैं 17-17 एस० डी० आई० कम हैं ।

भवनों के निर्माण के लिये जितना कार्य कार्यदायी विभाग को दिया है एक भी विभाग वह नहीं कर पा रहे हैं यह कैसे स्कूल चलेंगे कैसे बच्चे पढ़ेंगे ? मुख्यमंत्री जी ने एलान किया है कि 3 साल में पूरा निर्माण कार्य पूरा करा देंगे । यह सरकार 3 साल तो चल नहीं पायेगी । कांशी राम जी का बयान आया है कि 3 महीने में सरकार को चुनाव कराने की स्थिति पैदा करेंगे । मुलायम सिंह यादव जी अलग बयान दे रहे हैं । पडरौना को जनपद बनाने की घोषणा कर आये हैं यह शीघ्र ही हो जायेगा दूसरी तरफ कांशी राम जी कुशीनगर को जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं परिवहन मंत्री दो बार वहां दौरा कर आये हैं संभावनाओं का पता लगा रहे हैं । बाजी कौन मारेगा इस पर अभी प्रश्नचिन्ह है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

जो बयानात आ रहे हैं और जो स्थिति है उससे लगता है कि 5 साल तक नहीं, यह चन्द महीनों की सरकार है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के बारे में जो आप घोषणायें कर रहे हैं जो गन्ने की नयी प्रजातियां विकसित हुई हैं जो जल्दी पकने वाली नहीं हैं, उसमें तीन रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ाये हैं लेकिन देवरिया जिले में आप देख लें एक भी पर्ची ऐसी नहीं हुई है जिसमें तीन रुपया बढ़ाकर जारी किया गया हो ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसी तरह से देवरिया में 976 ट्यूबवेल हैं जिसमें से 75 प्रतिशत की नालियां खराब पड़ी हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक ओर तो यह कहते हैं कि हम किसानों को पानी की सुविधा दे रहे हैं, उनके लिए नहरें बना रहे हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारे ट्यूबवेल सिंचाई करने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है । अभी देवरिया नगर में रेलवे स्टेशन के पास जो पुलिस बूथ था इनके दल के विधायकों ने कब्जा करके अपने सपा का कार्यालय खोल दिया है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसी के साथ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

मान्यवर, मा० मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को गन्ने का मूल्य जो बढ़ाया है उससे प्रदेश के किसानों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं मा० सदस्य को बोलने दें । मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगा ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, भाजपा के लोगों ने गरीब बच्चों को जो भेजने का व्यवस्था की थी उसकी मा० मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाप्त कर दिया और नकल न हो इसके लिये वह कृत संकल्प हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 18 प्रतिशत कर दिया है और पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत की व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, उत्तराखण्ड की स्थापना के लिये एक समिति की घोषणा भी मा० मुख्य मंत्री जी ने की है। मान्यवर, जो सहकारी समितियों में नाम निर्देशित किये थे उसे भी लोकतंत्र की बहाली के लिये मा० मुख्य मंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। इसी के साथ हमारे मजदूरों की मजदूरी में 10 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है। मान्यवर, सरकार ने अल्प अवधि में जो कार्य किया है वह कार्य इन फासिस्ट वादी ताकतों को अच्छा नहीं लग रहा है। मान्यवर, इस सरकार ने जो कार्य ढाई महीनों में किया है वह और कोई सरकार अगर होती तो 46 वर्षों में भी न कर पाती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अनेकों समस्यायें हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के लोगों को महसी से तहसील जाने के लिये कैसरगंज को जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि महसी को तहसील बनाया जाय। इसी के साथ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं ऐसे जनपद से चुनकर आया हूं जिसकी एक सीमा नैपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरी सीमा 200 किलोमीटर पर तिब्बत से जुड़ी हुई है। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा और उसमें यह पाया कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कोई नई योजनायें व नीति निर्धारित नहीं की गयी हैं।

मान्यवर, एक सरकार उत्तरांचल का झुनझुना पकड़ा देती है और दूसरी सरकार उत्तराखण्ड का झुनझुना पकड़ा देती है। विकास के नाम पर पिछले 5 सालों में कुछ अवरुद्ध हो गया है। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में प्रत्येक विकास खण्ड में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात कही गयी है। मेरे जनपद पिथौरागढ़ में और पूरे पर्वतीय अचंल में अभी भी बहुत से विकास खण्ड हैं, जहां कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आगे क्या भविष्य है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसी तरह लोहाघाट में एक डिग्री कालेज है, जो किराये के मकान में है, जिसमें तीन परिवार भी निवास करते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का भविष्य आज अधर में लटक गया है। साढ़े 70 हजार पोस्ट ग्रेजूएट और ग्रेजूएट आज इम्प्लायमेंट के लिये रजिस्टर होकर बैठें हैं, उनके भविष्य की कोई सुध नहीं ले रहा है, 5 साल से नौकरियों पर पूरी तरह तालाबन्दी है। मान्यवर, इस अभिभाषण में लोहिया जी की बात छपी है, लोहिया जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1950 में इसी लखनऊ में बैठक बुलाकर हिमालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

बचाओ आन्दोलन की शुरूआत की थी, आज उन पहाड़ों की तरफ सोचने वाला कोई नहीं है । सारे जंगल कट गये हैं, इन पहाड़ों को हरा-भरा करने की कोई योजना नहीं है । इन्हीं डा० लोहिया ने चौखम्भा राज की बात कही थी । मान्यवर, मेरे जनपद और लगे हुये जनपद में 3 महीने से आमरण अनशन चल रहा है, बागेश्वर, रानीखेत, चम्पावत को जिला बनाओ । गड़ाई में ब्लाक बनाओ, आज इस ओर भी इस सरकार को सोचना होगा ।

मान्यवर. प्रदूषण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मेरे यहां मैग्नासाइट की दो फैक्टरियां लगी हुयी हैं, जो स्थानीय लोगों की नहीं हैं, क्योंकि इसके लिये बोली बोलना पड़ता है और बोली कौन बोलेगा, जो पैसे वाला होगा । इन दो फैक्टारियों में से एक उड़ीसा के उद्योगपति की है और दूसरी कलकत्ता के उद्योगपति की है । इस जनपद में उद्योग के नाम पर यही दो फैक्टरियां हैं । और इन फैक्टरियों पर प्रदूषण नियंत्रण का कोई कन्ट्रोल नहीं है । इनके यहां कोई ऐसे यंत्र नहीं लगे हैं, जिनसे प्रदूषण रोका जा सके ।

मान्यवर, मेरे जनपद में अनुसूचित जाति व निर्बल वर्ग के 300 परिवार ऐसे हैं, जो बहुत लम्बे समय से रहते आ रहे हैं, आज आवासीय लीज के नाम पर उनसे 1-1 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है । मान्यवर, एक मिनट और लूंगा । मान्यवर, विकास की बात कही गयी है । ऐतिहासिक घटना ऐसी हुई इन चुनावों में प्रदेश के मैदानी भागों में बक्से छीने जाते हैं, लूटमार हो जाती है । पर्वतीय क्षेत्र में जहां सड़क नहीं हैं, पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वहां घोड़े के माध्यम से जाते हैं । चुनाव में मत पेटी घोड़े से आ रही थी, घोड़ा खड्ड में गिर गया और पेटी भी गिर गयी । इस हालात में हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग जिन्दा हैं । पर्यटन की बात इसमें उठायी गयी है । जहाज की भी बात उठायी है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन भी कर दिया है परन्तु वहां प्रतिबंधित क्षेत्र भी है जहां पर हम लोगों को जाने के लिये पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था है और विदेशियों के लिये वहां जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है, उसको खोल दिया गया है । मैं इसी के साथ यह चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह जोड़ दिया जाये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । काफी समय से मैं सम्मानित सदन के सदस्यों को सुन रहा था, अपने नेता को सुन रहा था । मान्यवर, पी०वी० नरसिंह राव सरकार द्वारा भारत के हृदय में बसने वाली किसानों को गुलाम बनाने की घृणित साजिश की जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं वर्तमान सरकार के लोगों से विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव जो किसानों की गुलामी की घृणित साजिश भारत सरकार ने रची है, क्या आप डंकल प्रस्ताव का विरोध करने की क्षमता रखते उनके संसदीय कार्य मंत्री जी में जरा भी माद्दा हो तो डंकल प्रस्ताव के विरोध में भारत सरकार का विरोध करें, हम भी आपका साथ देंगे । आप डरते हैं कि पी०वी० नरसिंह राव समर्थन वापस ले लेंगे । आप सरकार के लिये डरते हैं । सरकार आती और जाती है ।

मैं बाराबंकी जिले से आता हूं वहां कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, वहां का प्रशासन चरमरा गया है, हरिजनों का उत्पीड़न, गरीबों का उत्पीड़न, हत्यायें, चोरी, डकैतियां, राहजनी हो रही है। बाराबंकी में अफीम और स्मैक की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसको रोकने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था के स्थिति को मजबूत बनाने के लिये चाहे जिस दल के व्यक्ति हों, चाहे इधर के हों या उधर के हों, किसी ने अपराध किया है तो उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ उनको दण्डित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिये प्रयास किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरियां हैं और आप राजनैतिक जीवन मे ऐसे लोगों से बंधे हुये हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हैदरगढ़ क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की आवश्यकता है, हैदरगढ़ अवसानेसर मार्ग पर गोमती नदी पर एक पूल बनाये जाने की भी आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में काफी अरसे से आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिये मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र हैदरगढ़ को विकास कार्यों की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। मैं माननीय नेता विरोधी दल जी द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वर्तमान सरकार अपराधों को रोकने में विफल रही है, निष्क्रिय रही है। इसलिए इस सरकार को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश सरकार ने कुम्हार जाति के लिए हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए लीज पर पट्टे दिये हैं, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं जो हस्तकला में निपुण हैं, पत्थरों का काम करते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हठकिया परिवार है।परन्तु पर्यावरण की दृष्टि से आज उनके मिट्टी, पत्थर के खनन का कार्य बन्द हो गया है। जिसके कारण मकान बनाने मिट्टी के बर्तनों का काम बन्द हो रहा है। इसलिए इन लोगों को भी कुम्हार जाति की तरह लीज पर निःशुल्क पट्टे दिये जायं ताकि वह अपने शिल्प को उभार सकें और पत्थर मिट्टी खनन का कार्य कर सकें। इसी प्रकार लकड़ी का काम करने वाले हैं, बढ़ई फर्नीचर उद्योग ठप पड़े हैं उन्हें भी लकड़ी आवंटित की जाय ताकि वह लकड़ी का काम कर सकें और अपनी कला को फैला सकें। इससे निजी समस्याएं हल होगी और कार्य को आकर्षित करेंगे। मेरे क्षेत्र में एक मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है। खनन के क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इसमें अधिकतर लोग मजदूर परिवार के ही हैं। जिन परिवारों की भूमि कहीं है वह परिवार शिल्पकार जो पुराने समय से दस्तकारिता में निपुण थे आज मजदूर बनकर पत्थर तोड़ रहे, समुचित मुआवजा उन परिवारों को नहीं मिला है। वहां का जो मैनेजमेंट हैं, उसने मिस मैनेजमेंट कर रखा है। उनका वेतन दिलाया जाय तथा अल्मोड़ा नगर से मैगनेसाइड एकाउन्ट कार्यालय का कार्यक्षेत्र विटोरी हस्तांरित किया जाय की आवश्यकता है। मिस मैनेजमेन्ट का सुधार हो।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही वृद्धा अवस्था पेंशन व विधवा पेंशन आज तक वहां नहीं पहुंच पाई है और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति सभी को देने की

आवश्यकता है । पहाड़ों पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक सिंचाई योजना आई है । कुआं खोदने के लिए । मान्यवर, पहाड़ों पर कुवें नहीं बनते हैं । इस प्रकार कुआं खोदने के लिए इस योजना में जो धन दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है । इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उस धन को कुटीर उद्योग में उद्योग विभाग के माध्यम से समायोजित करने का कष्ट करें ताकि यहां पर शिल्पकारों को उसका लाभ मिल सके । बुनकरों व दस्तकारों के लिए कच्चे माल के डीपों खोले जांय ताकि तांबा और लोहे के उद्योग में लगे लोगों को उससे लाभ मिल सके सिविल भूमि में वन पंचायत बनाने से दस्तकारों, शिल्पकारों, बुनकरों को कच्चे माल की कमी हो गयी है । सिविल वन व वनों से रिगाल मकान छवाई, स्लेट निकालने के परम्परागत हकों पर परमिट जारी किये जाय परम्परागत उद्यमियों को सिविल भूमि आवंटित की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री भगेलूराम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय बी०आर० वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और सुझाव के तौर पर कुछ बातों रखना चाहता हूं विशेषकर अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं । यह दलितों और गरीबों की पहली बार सरकार बनी है । इस सरकार ने दलितों के उत्थान के लिये तमाम योजनायें चलाई हैं जिसका विरोध विपक्ष के लोग कर रहे हैं और कहते है कि यह जातिवादी सरकार है । जातिवादी वह लोग होते हैं जिन्हें जाति का फायदा मिलता है । यह सरकार जो माननीय कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बनी है वह जातिवादी नहीं हो सकती । माननीय कांशीराम ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया है । इसका प्रचार करने के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में साइकिल पर गये है । यह लोग झूठा आरोप लगाकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं । सरकार ने दलित समाज के उत्थान के लिये तमाम योजनायें चलाई हैं मैं चाहता हूं कादीपुर सुलतानपुर का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है । वहां के लिये तमाम योजनायें चलायें । माननीय मुलायम सिंह जी ने जो 1990 में जब उनकी सरकार थी कई योजनाएं चलाई थी लेकिन जब बी०जे०पी० की सरकार आई तो उन योजनाओं को बन्द कर दिया गया । उत्तर प्रदेश की 105 सड़क योजनायें निरस्त कर दी गयी थी । वहां पर सड़के और पुलों की योजनायें थी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको बनाया जाय । हमारे यहां यातायात के लिये केवल बस एक मात्र साधन हैं । मैं मांग करता हूं कि वहां बस स्टैंड को परिवर्तित करके बस डीपो बनाया जाय । वहां मुझई नदी पर नेमपुर घाट पर पुल बनाया जाय जो अकबरपुर और कादीपर विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ता है । मेरा विधान सभा क्षेत्र विकास में बहुत पिछड़ा है । जो सरकार की नीति है गरीबों और दलितों का उत्थान किया जायेगा तो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किये जायं । वहां कोई आई०टी०आई० नहीं है 70, 75 कि०मी० दूर लड़कों को पढ़ने जाना पड़ता है इसलिये कादीपुर तहसील मुख्यालय में एक आई०टी० आई० की स्थापना की जाय ।

सरकार ने गांवों में 16 घंटे बिजली देने का निश्चय किया है जो निश्चितरूप से मिल रही है लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बिजली उपभोक्ताओं की कुछ समस्यायें हैं जिनका निराकरण किया जाय । तहसील हैडक्वाटर पर एस० डी० ओ० बिजली विभाग जरूर बैठाया जाय । अम्बेडकर गांवों के लिये तमाम योजनायें सरकार चला रही है । हमारे यहां भी अम्बेडकर गांव को सुविधायें दी जायं और उनका

विद्युतीकरण किया जाय । इस तरह से जो हमारी दलितों की सरकार है उसने इनके उत्थान के लिये तमाम योजनायें चलाई हैं । इन शब्दों के साथ माननीय बी० आर० वर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मैं संशोधनों पर बल देते हुये अपनी बात रखना चाहता हूं । यह सरकार जो दलितों और पिछड़ों के नाम पर बनी है । इसका एक मात्र लक्ष्य गरीबों की सहायता करना है जिनके मुंह सूखे हैं उनके मुंह पर खुशहाली देखना होना चाहिये । परन्तु इनका यह नारा कोरा ही है । इनके माध्यम से उनकी सहायता होगी यह देखने की बात है । यह सरकार कहती है कि हम दलितों और पिछड़ों के है, उनके नाम पर यह सरकार बनी है लेकिन आज उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं । पहले जब शामंतशाही जमाना था तब वह लोग इन पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार करते थे लेकिन आज यह सरकार भी शामंतशाही बनी हुई है क्योंकि उन्हीं लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं इसलिये उन गरीबों का फायदा होने वाला नहीं है । कुछ मूलभूत बातें मैं इस सदन में रखना चाहता हूं । हमारा जनपद उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के मध्य में है । लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव एक चुम्बक की भांति बीच में बसा हुआ है । मान्यवर, यहां से दूर पहाड़ों की चर्चा हो हम खूब करते हैं लेकिन जनपद उन्नाव के बारे में बताना चाहता हूं कि जब लखनऊ से कानपुर आप जाने लगें तो जब रास्ते में जहां पर दुर्गन्ध आने लगे तो समझ जायें कि जनपद उन्नाव में हम पहुंच गये हैं । वहां गांव के गांव बीमार हैं । शहर के मध्य कूड़े के बड़े ढेर बन गये हैं जिससे वहां बीमारियां फैल रही हैं और सैकड़ों लोग बीमारी से मर रहे हैं । वहां टेनरीज के कारण प्रदूषण बढ़ा है और सरकार वहां और टेनरीज बढ़ाने जा रही है जिससे गरीब लोगों की भूमि ली जा रही है। इस प्रकार वहां टेनरीज बढ़ाकर यह सरकार और प्रदूषण बढ़ा रही है । मेरी मांग है कि वहां प्रदूषण समाप्त करने के लिये कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने का डंका तो सरकार बहुत पीटती है परन्तु आज से पूर्व सरकार ने जो समस्त उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की टंकियां बनी हैं और कनेक्शन दिये गये हैं वहां मात्र 108 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था वहीं उसे इस सरकार के आने से 6 महीने पहले से बढ़ाकर 240 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है जिसके संबंध में मेरी मांग है कि इसे कम किया जाय ।

मान्यवर, नहरों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में कितनी ऐसी नहरें हैं जिसमें टेल तक पानी पहुंचा है ? मान्यवर, उन्नाव में कोई भी ऐसी नहर नहीं है जहां टेल तक पानी पहुंचा हो और इस संबंध में आपकी घोषणा केवल कोरी घोषणा है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त करता हूं और अगले दिन फिर इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मुझे आज सदन को एक सूचना देनी है :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 24 फरवरी, 1994 की आगामी बैठक में सदन के दिनांक 25 फरवरी, 1994 से 18 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

[1–सदन के दिनांक 25 फरवरी, 1994 से 18 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

फरवरी, 1994

25 शुक्रवार	
26 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
27 रविवार	
28 सोमवार	

मार्च, 1994

1 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
2 बुधवार	असरकारी दिवस ।
3 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन) ।
4 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन) । 2–5.00बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण । 3–विधायी कार्य,
5 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
6 रविवार	
7 सोमवार	1–असरकारी दिवस (दिनांक 8-4-94 के स्थान पर) (आधा दिन) । 2–विधायी कार्य (आधा दिन) ।
8 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । 2–विधायी कार्य ।
9 बुधवार	1–विधायी कार्य । 2–5.00 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । (2) वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

10 गुरुवार	(शिवरात्रि का अवकाश)
11 शुक्रवार	
12 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
13 रविवार	
14 सोमवार	
15 मंगलवार	(ईद-उल-फितर का अवकाश)
16 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । 2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
17 गुरुवार	
18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
19 शनिवार	
20 रविवार	बैठक नहीं होगी
21 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । (अन्तिम दिन)
22 मंगलवार	
23 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 गुरुवार	
25 शुक्रवार	
26 शनिवार	
27 रविवार	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
28 सोमवार	
29 मंगलवार	
30 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
31 गुरुवार	

अप्रैल, 1994

1 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
2 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
3 रविवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4 सोमवार 5 मंगलवार 6 बुधवार 7 गुरुवार 8 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
14 गुरुवार 15 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (डा० भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस का अवकाश) ।
16 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
17 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
18 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–दिनांक 1 मार्च व 3 मार्च, 1994 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 की सूचनायें न ली जायं ।]

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सूचनायें इस क्रम में हैं। श्री राम मूर्ति सिंह और श्री बालेश्वर त्यागी आप दोनों लोगों की समस्यायें एक सी हैं। आप दोनों लोगों की सूचना एक सी है, एक ही विषय पर है। जनपद गाजियाबाद में मकनपुर खेड़ा कालोनी, थाना–सेक्टर–58 नोएडा में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना अवंती बाई लोधी की याद में स्थापित महारानी अवन्ती बाई लोधी चौक की मूर्ति एवं पत्थर को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। इसके बाद राजेन्द्र कुमार गुप्त की जो सूचना 51 में है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में बिगड़ी शान्ति व्यवस्था के कारण उसके अनिश्चितकाल तक बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, उसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। शेष सूचनाएं श्री बची सिंह रावत की सितम्बर, 1993 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ एवं भूकम्पन से होने वाली क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से जल स्रोत सूखने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में, श्री तेजभान सिंह की माननीय उच्च न्यायालय एवं सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन में हुई भिन्नता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में वकीलों एवं कचहरी कर्मचारियों के मध्य हुई झगड़े से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक व श्री तेजभान सिंह की जनपद बुलन्दशहर में दो लोगों की हत्या के बाद तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री धूराराम की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण निदेशालय के अन्तर्गत कथित रूप से पदोन्नतियों में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और श्री हृदय नारायण दीक्षित की जनपद उन्नाव एवं रायबरेली में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सब अस्वीकार की जाती हैं।

अब हम उठते हैं 1 मार्च, 94 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर मंगलवार 1 मार्च, 1994 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

24 फरवरी, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री राम दबर द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या—6 का उत्तर का संलग्नक

जनपद जौनपुर में राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों/सेवा संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का विवरण निम्नवत् है :—

कलेक्ट्रेट नियमित अधिष्ठान

कुल स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
समूह "ग"					
170	168	36	21.4	--	--
समूह "घ"					
191	169	34	20.1	--	--
मूलेख अधिष्ठान					
समूह "ग"					
835	778	163	20.95	--	--
समूह "घ"					
37	37	10	27.2	--	--
संग्रह अधिष्ठान					
समूह "ग"					
321	262	38	14.9	—	--
समूह "घ"					
321	262	54	20.6	—	—
सम्पूर्ण योग राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट, जौनपुर					
समूह "ग"					
1326	1208	237	19.5	--	--
समूह "घ"					
549	468	98	20.9	--	--

नोट :1—अन्य समूह "क" और "ख" की नियुक्ति जनपद स्तर पर नहीं होती । अतः उनसे संबंधित सूचना उक्त विवरण में सम्मिलित नहीं है ।

2—कलेक्ट्रेट, जौनपुर के अन्तर्गत संग्रह अधिष्ठान के अन्तर्गत समूह "ग" एवं "घ" के पृथक-पृथक 321, 321 पद सृजित हैं, जिनके समक्ष दोनों समूहों में मात्र 262, 262 कर्मचारी कार्यरत हैं । समूह "ग" में मात्र 38 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं, जिससे 14.9 प्रतिशत का ही कोटा पूर्ण हो रहा है, जिसकी कमी अब तक इसलिये नहीं पूर्ण हो पायी है कि वर्ष 1985 से मा० उच्च न्यायालय द्वारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियुक्ति पर स्थगन आदेश प्रभावी रहा जो अब समाप्त हो चुका है । फलतः शीघ्र ही चयन प्रक्रिया अपना कर रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जायेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के कोटे को वरीयता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा ।

3—इस जनपद में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या न के बराबर है, फलतः उनकी पूर्ति भी शून्य है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त चकबन्दी अनुभाग एवं विशेष भूमि अध्याप्ति इकाई, जौनपुर से संबंधित विवरण निम्नवत् है :—

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान

	कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
समूह "ग"	16	4	25	--	--
समूह "घ"	14	5	36	--	--

नोट :–विशेष भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान के दोनों संवर्गों "ग" तथा "घ" में आरक्षण का कोटा निर्धारित से अधिक है । अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या न के बराबर है, फलतः उनकी पूर्ति भी शून्य है ।

चकबन्दी अनुभाग

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	अनुसूचित जाति	
				संख्या	प्रतिशत
1	चकबन्दी अधिकारी	9	5	—	—
2	सहा० चकबन्दी अधिकारी	15	9	1	11
3	चकबन्दीकर्ता	35	23	9	39
4	लेखपाल चकबन्दी	155	156	13	8
5	लिपिक	34	34	1	3
6	मुख्य अनुरेखक/अनुरेखक	21	20	5	25
7	चपरासी	87	87	12	12

नोट :–चकबन्दी विभाग में प्रदेश स्तर पर स्थानान्तरण होते रहते हैं तथा आरक्षण कोटा का निदेशालय स्तर पर ही समायोजन किया जाता है । क्योंकि चकबन्दी आयुक्त के निर्देशानुसार विगत 3 वर्षों से जनपद स्तर पर नियुक्ति पर पाबन्दी है ।

विशेष उल्लेख

राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण पूर्व में किया गया था । उपरोक्त विवरण में पूर्व में प्रचलित नियमों/शासनादेशों के अनुरूप है । विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना सं०–265/सत्रह-वि-1-2(क)-5-1994, दिनांक 11 फरवरी, 1994 के अनुसार आरक्षण क्रमशः 21 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कर दिया गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

'सूची–क'

तहसील चौरी-चौरा के उन ग्रामों की सूची जिसमें चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत जातीय पेशा से संबंधित धोबी घाट, कपड़ा सुखाने का स्थान नहीं छोड़ा गया है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	1	2	1	2
1	सरैया	25	केवलाचक	50	करहीं
2	चौरी	26	दुलीहरा	51	जंगल मठिया
3	दुधई	27	भिषवा	52	मठिया पचपेड़रा
4	सोनवरसा बुजुर्ग	28	पाइर	53	वसुही
5	भोपा बाजार	29	गोडसैरा	54	भौरही
6	तेनआ खुर्द	30	टोगंरी	55	बेलही
7	निवही	31	तिहा	56	केवला डावर
8	वोहावर	32	चकदा	57	कटसिकरा
9	रामपुरा	33	सहसराव	58	महुअर कोल
10	नौवावारी	34	डेहरा डावर	59	वसहिया
11	पकड़ियार	35	जंगल रसूलपुर	60	मोती पाकड़
12	जमरू	36	सुवहा	61	कोहुआ
13	कुसहा	37	लक्ष्मनपुर	62	आराजी मतौनी
14	रानापार	38	भगने	63	करमहा
15	इटौवा	39	न्यौढ़ी	64	मिरजवा सरदार
16	सिकारगढ़	40	बालखुर्द	65	कुसुली
17	राधोपट्टी उर्फ पड़री	41	लकड़डिहा	66	जो हाबारी
18	भेसही रामदत्त	42	वड़हरा	67	मिश्रौलिया
19	शिवपुर	43	जयराम कोल	68	वसदिला टिलाटार
20	कोना सोनवरसा	44	पकडिहा	69	छपरा मनसूर
21	जंगल गोरी नं० 2 उर्फ अमहिया	45	विसुनपुरा	70	सोनवरसा खुर्द
		46	छवैला	71	विसुनपुर खुर्द
22	राम नगर करंजहा	47	पिपरा मन्नी	72	जयपुर
23	रौतनिया सरदार	48	वरही	73	रौतनिया बाबू
24	सिंहपुर	49	मझवा	74	बेलवा खुर्द
				75	माड़ापार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची–'ख'

तहसील चौरी-चौरा के उन ग्रामों की सूची जिनमें चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत खेल-कूद के मैदान हेतु भूमि नहीं छोड़ी गयी है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	1	2	1	2
1	बरईपार	29	करौता	55	छवैला
2	भरतपुर	30	राधोपट्टी उर्फ पड़री	56	पिपरा मन्नी
3	जोधपुर	31	हरैया	57	बरही
4	बाल बुजुर्ग	32	भैसही रामदत्त	58	मझवा
5	राघवपुर	33	विश्वनाथपुर	59	करही
6	लक्ष्मनपुर	34	विशुनपुर मटियरा	60	जुगल मठिया
7	भगवानपुर	35	लक्ष्मीपुर	61	मठिया पचपेड़ा
8	रामपुर	36	आराजी जगदीशपुर	62	वसुही
9	पोखरभिंडा	37	जंगल गौरी नं०–2 उर्फ अमहिया	63	औरही
10	सोनवरसा बुजुर्ग	38	सिलहटा मुन्डेरा	64	बेलही
11	भौवापार	39	टेल्हनापार	65	केवला डावर
12	भोपा बाजार	40	सिल्हटा	66	कटसीकरा
13	बिलारी	41	कैधवलिया	67	परसौनी
14	भैसही नरेश	42	केवलाचक	68	महुअरकोल
15	मठिया	43	दुलहरा	69	अयोंध्याचक
16	बैजू डीहा	44	चकदा	70	भिसवा
17	निवही	45	तुलसी पाकड़	71	पाडर
18	रामपुरा	46	विशम्भरपुर	72	गोरसैरा
19	पचदेवरी	47	मुन्डेरा ठकुराई	73	टुमरी
20	नौवा वारी	48	हरपुर	74	गगड़ा
21	जमरू	49	नेवड़ी	75	कोल्हुआ
22	भकरुआ	50	बालखुर्द	76	जोलहा वारी
23	पूरनहा	51	लकड़डीहा	77	मिसरौलिया
24	डमरी	52	जयराम कोल	78	कुसमी
25	रानापार	53	पकड़डीहा	79	सथरी
26	वकसुडी	54	विशुनपुरा	80	बसडिला टिला टार
27	इऔवा			81	छपरा मनसूर
28	शिकारगढ़			82	सोनवरसा खुर्द
				83	रामपुर बजुर्ग
				84	बेलवा खुर्द

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची–'ग'

तहसील चौरी-चौरा के उन ग्रामों की सूची जिनमें चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत कुम्हारों के लिये मिट्टी निकालने हेतु भूमि नहीं छोड़ी गयी है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	1	2	1	2
1	चौरा	29	विशुनपुर मठियरा	56	जंगल मठिया
2	बरईपार	30	लक्ष्मीपुर	57	मठिया पचपेड़वा
3	सरैया	31	कोना सोनबरसा	58	वसूही
4	चौरी	32	जुंगलगौरी नं० 2 उर्फ अमहिया	59	भौरही
5	भरतपुर	33	सिलहटा मुन्डेरा	60	बेलही
6	बालबुजुर्ग	34	रामनगर करंजहा	61	केवला डावर
7	दुधई	35	रौतनिया सरदार	62	कटसिकरा
8	राधोपुर	36	सिंहपुर	63	परसौनी
9	रामपुर	37	अमडिहा	64	महुअर कोल
10	सोनवरसा बुजुर्ग	38	टेल्हानापार	65	अयोध्या चक
11	भौवापार	39	सिलहटा	66	पाड़र
12	भोपाबाजार	40	केथवलिया	67	गोड़सैरा
13	शिवपुर	41	दुलहरा	68	टोगरी
14	खैरावार	42	तिहा	69	देवकही
15	भैसही नरेश	43	सहसराव	70	बेलवा
16	मठिया	44	तुलसीपाकड़	71	कोल्हुआ
17	कोल्हुआ खुर्द	45	विसम्भरपुर	72	आराजी मतौनी
18	बैजूडिहा	46	जंगल रसूलपुर	73	करमहा
19	नौवावारी	47	सुगहा	74	मिरजवा सरदार
20	पकड़ियार	48	मुन्डेरा ठकुराई	75	कुसुली
21	दुबौली	49	भगने	76	जोलहावारी
22	जमरू	50	बड़हरा	77	कुसुमी
23	पुरनहा	51	विशुनपुरा	78	छपरा मनसूर
24	डुमरी	52	छबैला	79	सोनवरसा खुर्द
25	बकसुड़ी	53	पिपरामन्नी	80	रामपुर बजुर्ग
26	इटौवा	54	मझवा	81	विसुनपुर खुर्द
27	सिकारगढ़	55	करही	82	बेलवा खुर्द
28	करौता			83	पनसरही
				84	बैकुन्ठपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

आवंटियों की सूची जो अपने पट्टे की भूमि पर काबिज हैं।

क्रमांक	आवंटी का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
1	चिमिरिखी	121/16	0.31
2	खुनखुन	121/15	0.31
3	श्यामलाल पुत्र सरूप	121/14	0.31
4	जियावन	121/13	0.31
5	श्यामलाल पुत्र जगरूप	124/7	0.62
		121/12	0.31
		74	0.07
6	कोधई	121/18	1.04
7	राजदेव	121/31	0.31
8	दुलार	121/10	0.31
9	पतिराज	121/9	0.31
10	बोड़ारी	121/8	0.31
11	मु० टोइया	121/7	0.31
12	फेंरई	121/5	0.31
13	अमरजीत	121/6	0.31
14	अमरनाथ	121/4	0.31
15	बाबूलाल	121/17	0.31
16	सोहन	121/3	0.31
17	छब्बू	124/5	0.31
18	जवाहर	121/1	0.31
19	बसन्तू	86/3	0.10
		121/19	0.33
		101/1	0.20
20	मुकुन्दी	121/20	0.33
21	झरिहगू	124/2	0.31
22	बरसाती	124/3	0.31
23	निशानी	124/1	0.31
24	कलहू	124/4	0.31
25	जेठू	503/1/1	0.18
		436/30	0.05
26	जंगली	470	0.05
		503/1/2	0.10
27	मु० धनराजी	124/6	0.30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
28	तेजबहादुर	531	0.02
		528 मि०	0.09
		518	0.05
29	मु० शामिनी	278	0.24
	आवास स्थल आवंटी जो अपने आवंटित भूमि पर काबिज हैं		
1	चिमिरिखी	503 मि०	0.03
2	खुनखुन	503 मि०	0.03
3	श्याम लाल पुत्र सरूप	503 मि०	0.03
4	जियावन	503 मि०	0.03
5	श्यामलाल पुत्र जगरूप	503 मि०	0.03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

दिनांक 7-1-94 के नीलाम में बिक्री लाटों का विवरण

नीलाम में रखी लाटें कुल–39, वा० बो० 26.676

लाट संख्या	मात्रा वा० बो०	दिनांक 7-1-94 के नीलाम में प्राप्त दर रु०– प्रति कि०ग्रा०	विगत निविदा/नीलाम में प्राप्त दर का विवरण			
			तिथि	निविदा/ नीलाम	प्राप्त दर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
23/93	794	10.40	15-7-93	निविदा	18.62	
			18-8-93	निविदा	—	
			16-9-93	निविदा	11.88	
			7-10-93	नीलाम	10.00	
			9-11-93	निविदा	11.88	
			7-12-93	नीलाम	9.00	
			20-12-93	निविदा	10.39	
32/93	537	11.40	15-7-93	निविदा	—	
			18-8-93	--	18.03	
			16-9-93	--	13.30	बन्धक राशि नहीं थी।
			7-10-93	नीलाम	9.00	
			9-11-93	निविदा	12-21	
			7-12-93	नीलाम	3.05	
			20-12-93	निविदा	11.39	
37 ब/93	363	7.50	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	18.03	
			16-9-93	निविदा	7.11	
			7-10-93	नीलाम	--	
			9-11-93	निविदा	--	
			7-12-93	नीलाम	2.40	
			20-12-93	निविदा	5.54	
44ब/93	911	11.10	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	16.11	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
			16-9-93	निविदा	10.11	
			7-10-93	नीलाम	12.50	
			9-11-93	निविदा	10.88	
			7-12-93	नीलाम	--	
			20-12-93	निविदा	5.54	
46/93	1006	10.90	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	20.25	बन्धक राशि नहीं थी।
			16-9-93	--	10.11	
			7-10-93	नीलाम	7.00	
			9-11-93	निविदा	6.51	
			7-12-93	नीलाम	4.35	
			20-12-93	निविदा	5.54	
47 ग/93	427	7.50	15-7-93	निविदा	—	
			18-8-93	--	20.20	अनुबन्ध न करने से बन्धक राशि जब्त
			16-9-93	निविदा	--	
			7-10-93	नीलाम	7.00	
			9-11-93	निविदा	7.31	
			7-12-93	नीलाम	3.65	
			20-12-93	निविदा	7.23	
48/93	925	8.10	15-7-93	निविदा	—	
			18-8-93	निविदा	16.15	
			16-9-93	निविदा	8.00	
			7-10-93	नीलाम	10.00	
			9-11-93	निविदा	9.38	
			7-12-93	नीलाम	4.10	
			20-12-93	निविदा	5.54	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
51 ब/93	707	7.50	15-7-93	निविदा	18.62	
			18-8-93	निविदा	--	
			16-9-93	निविदा	8.00	बन्धक राशि नहीं थी ।
			7-10-93	नीलाम	10.00	
			9-11-93	निविदा	--	
			7-12-93	नीलाम	4.10	
			20-12-93	निविदा	5.54	
5/93	1449	7.00	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	--	
			16-9-93	निविदा	11.90	बन्धक राशि नहीं थी ।
			7-10-93	नीलाम	5.25	
			9-11-93	निविदा	--	
			7-12-93	नीलाम	2.10	
			20-12-93	निविदा	8.57	
74 /93	1269	9.00	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	--	
			16-9-93	निविदा	12.01	
			7-10-93	नीलाम	5.00	
			9-11-93	निविदा	6.21	
			7-12-93	नीलाम	2.65	
			20-12-93	निविदा	8.38	
51 ब/93	1152	6.75	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	--	
			16-9-93	निविदा	12.99	बन्धक राशि नहीं थी ।
			7-10-93	नीलाम	1.50	
			9-11-93	निविदा	--	
			7-12-93	नीलाम	3.00	
			20-12-93	निविदा	5.40	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
45/93	214	6.00	15-7-93	निविदा	--	
			18-8-93	निविदा	--	
			16-9-93	निविदा	10.90	बन्धक राशि नहीं थी ।
			7-10-93	नीलाम	--	
			9-11-93	निविदा	--	
			7-12-93	नीलाम	3.25	
			20-12-93	निविदा	5.40	

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश वन निगम, रेनुकूट,
सोनभद्र ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

कृत कार्यवाही का विवरण

कोटिक्रम सूची में निर्धारित ज्येष्ठता को अतिक्रमित करते हुए सर्वप्रथम श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, लेखपाल को परिषद् के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 3647/4-409(7)/83, दिनांक 6-3-86 के अनुसार विकलांग कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति स्थानीय व्यवस्था में तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 21-10-86 द्वारा दी गयी थी। तदुपरान्त पुनः राजस्व परिषद् के पत्र संख्या–9218/4-409(7)/83, दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 के अनुपालन में उन्हें जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 27-2-88 द्वारा लेखपाल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया जिसके विरुद्ध श्री श्रीवास्तव ने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30-3-88 प्राप्त किया और पूर्ववत भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत रहे। इसी बीच आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के आदेश द्वारा उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कार्यालय में प्रोन्नति स्थानीय व्यवस्था में दी गयी। उनका पुनः प्रत्यावर्तन नायब तहसीलदार के पद से भूलेख निरीक्षक पद पर तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 3-8-91 द्वारा किया गया जिसके विरुद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-10-91 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत रखे गये। तदुपरान्त इन्होंने अपना स्थानान्तरण गोरखपुर जनपद में आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार करा लिये। सम्प्रति वह जनपद गोरखपुर में ही कार्यरत हैं। इस जनपद के लेखपाल कोटिक्रम सूची में इनका क्रमांक–112 पर अंकित है।

इसी प्रकार तत्कालीन कोटिक्रम सूची में श्री बीरभद्र प्रसाद का नाम क्रमांक–399 पर अंकित था उन्हें तत्कालीन परगनाधिकारी, खलीलाबाद की रिपोर्ट दिनांक 7-3-92 पर पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 9-3-92 द्वारा स्थानीय व्यवस्था में तदर्थ रूप से प्रोन्नति भूलेख निरीक्षक पद पर दी गयी।

उक्त दोनों अनियमित प्रोन्नतियों के फलस्वरूप कई लेखपालों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें प्रस्तुत कर इस आशय के आदेश प्राप्त किये गये कि यदि "याची से कनिष्ठ कोई लेखपाल भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत है तो याची को भूलेख निरीक्षक पद का लाभ दिया जाय।" उक्त के फलस्वरूप उस समय के रिक्ति के अनुसार 7 लेखपालों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत कराया गया जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न हो।

चूंकि भूलेख निरीक्षक के कुल 31 पद ही इस जनपद में स्वीकृत हैं इसलिये 31 पद भर जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्य कोई लेखपालों को उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका।

इसी बीच कोटिक्रम सूची के प्रकाशन के उपरान्त लेखपालों द्वारा प्रस्तुत 78 आपत्तियों के निस्तारण के बाद उपरोक्त श्री बीरभद्र की वरिष्ठता क्रमांक–399 के स्थान पर 32/1 पर निर्धारित की गयी। शेष आपत्तियों का भी निस्तारण नियमानुसार करके तत्कालीन जिला अधिकारी के आदेश दिनांक 2-2-93 के अनुसार कोटिक्रम सूची को अन्तिम रूप दिया गया।

उक्त कार्यवाही के पूर्व ही श्री बीरभद्र प्रसाद को लेखपाल पद पर वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ होने के कारण जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 21-9-92 द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया है किन्तु सूची के अन्तिम होने तक जिलाधिकारी के ही आदेश दिनांक 12-10-92 द्वारा उसे स्थगित किया गया है। तदुपरान्त जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 5-7-93 के अनुपालन में श्री बीरभद्र प्रसाद का प्रत्यावर्तन

संबंधी आदेश को पुनः प्रभावी बनाया गया और इसी क्रम में जिन कनिष्ठ लेखपालों को माननीय उच्च न्यायालय के सशर्त आदेश के तहत भूलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत कराया गया था, उन्हें भी आदेश दिनांक 5-7-93/13-7-93 के क्रम में प्रत्यावर्तित किया गया था और उनके स्थान पर ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ लेखपालों की स्थानीय व्यवस्था में अस्थाई/स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति की गयी ।

उक्त आदेश से क्षुब्ध भू० नि० पद पर कार्यरत लेखपालों द्वारा पुनः मा० उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकायें प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किये गये । फलस्वरूप मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना से बचने के लिये पूर्ववत वे भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत रखे गये । जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 14-12-93 द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का परीक्षण एवं समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद में कुल स्वीकृत 31 भूलेख निरीक्षक पद पर अनुसूचित जाति के निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के लेखपाल स्थानीय व्यवस्था में प्रोन्नति होकर कार्यरत हैं । ऐसी स्थिति में मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने वाले अन्य लेखपालों के समायोजन हेतु 4 अनुसूचित जाति के उक्त भूलेख निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया गया क्योंकि उनका कोटा पहले से ही पूर्ण था जिनमें से श्री रामभरत को आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 20-12-93 द्वारा पुनः एक स्थान रिक्त होने की स्थिति में कार्यरत कराया गया है । सम्प्रति कोई भी जगह भू० नि० पद की रिक्त नहीं है । इस प्रकार जनपद स्तर पर अब किसी प्रकार की अनियमित प्रोन्नति की कार्यवाही नहीं की गयी है जो भी कनिष्ठ लेखपाल भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं वह मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुपालन में कार्यरत कराये गये हैं । उक्त से संबंधित अधिसंख्य रिट याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है । शेष में शासन की अनुमति लेकर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ।

श्री रामफेर चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक यथावत बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था जिसके अनुपालन में उन्हें भू० नि० पद पर यथावत रखा गया है । इसी प्रकार श्री राम भरथ उपाध्याय के रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सभी सुविधा दिये जाने का निर्देश दिया गया था जिसमें भू० नि० पद का भी लाभ सम्मिलित था जिसके अनुपालन में श्री रामभरथ उपाध्याय को भूलेख निरीक्षक पद पर कार्यरत रखा गया । इस प्रकार जिला स्तर पर किसी कनिष्ठ लेखपाल की प्रोन्नति नहीं की गयी है जो भी कनिष्ठ लेखपाल भू० नि० पद पर कार्यरत है वह मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश से कार्यरत है । इस प्रकार लेखपाल संघ के मांग पत्र दि० 17-12-93 पर सभी सम्भव कार्यवाही की गयी है तथा मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रिटों में प्रभावी ढंग से विरोध किया जा रहा है ।

जनपद बस्ती में प्रशिक्षित भूलेख निरीक्षकों की सूची

क्रमांक	नाम भूलेख निरीक्षक	जाति/उपजाति	विवरण
1	श्री श्रीराम कुशवाहा	पिछड़ी जाति/मुराव	सम्प्रति स्थानीय व्यवस्था में अस्थाई/स्थानापन्न रूप से नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।
2	श्री सत्येन्द्र प्रकाश	सामान्य/कायस्थ	तदैव
3	श्री राम औतार	अनुसूचित जाति/चमार	तदैव
4	श्री शिव कृपाल पाण्डेय	सामान्य/ब्राह्मण	तदैव

क्रमांक	नाम भूलेख निरीक्षक	जाति/उपजाति	भूलेख निरीक्षक क्षेत्र/तहसील का नाम जहां कार्यरत है	विवरण
1	श्री हरिशंकर लाल	सामान्य/कायस्थ	दसिया/मानपुर	प्रशिक्षित
2	परमानन्द कुमार	अनु० जाति//चमार	विशेषरगंज/हर्रैया	,,
3	देबी सहाय लाल	सामान्य/कायस्थ	मुण्डेरवा/बस्ती	,,
4	अब्दुल हकीम	सामान्य/मुसलमान	गौर/हर्रैया	,,
5	राम देव राम	अनु० जाति/चमार	रूधौली/बस्ती	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखपाल कोटिक्रम सूची में स्थानीय व्यवस्था में भूलेख निरीक्षक पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत लेखपालों की सूची

क्रमांक	नाम भूलेख निरीक्षक	जाति/उपजाति	कोटिक्रम सूची क्रमांक	भू०नि०क्षेत्र/तहसील का नाम जहां कार्यरत हैं	लेखपाल पद पर नियुक्ति की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बृजेश बहादुर लाल	सामान्य/कायस्थ	4	मीरगंज/खलीलाबाद	23-8-57	अप्रशिक्षित
2	श्री राम कृपाल लाल	सामान्य/कायस्थ	5	गायघाट/बस्ती	9-10-57	,,
3	श्री रामजी लाल	तदैव	9	घनघटा/खलीलाबाद	10-7-58	,,
4	श्री परमेश्वरी प्रसाद	तदैव	11	कुदरहा/बस्ती	11-9-58	,,
5	श्री राम सहायक लाल	तदैव	12/1	नगर/बस्ती	15-9-59	,,
6	श्री अनिरूद्ध लाल	तदैव	15	सदर/बस्ती	17-11-60	,,
7	श्री जय मंगल लाल	तदैव	24	सगरा/भानपुर	19-3-65	,,
8	श्री राम लखन	अनु० जाति/चमार	64	सदर/हर्रैया	1-9-69	,,
9	श्री धनराज	तदैव	81/2	परसुराजपुर/हर्रैया	1-8-70	,,
10	श्री शिव कुमार	अनु० जाति/ धोबी	88	चिलमा/हर्रैया	1-10-70	,,
11	श्री राम भरत	अनु० जाति/चमार	93	कप्तानगंज/हर्रैया	18-6-71	,,
12	श्री राजेश्वरी प्रसाद	सामान्य/कायस्थ	16	मेंहदावल/खलीलाबाद	20-11-60	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13	श्री मुरारी लाल	तदैव	17	साउघाट/बस्ती	11-1-61	,,
14	श्री अब्दुल हई	सामान्य/मुसलमान	18	रामनगर/भानपुर	4-2-61	,,
15	श्री राम अवध लाल	सामान्य/कायस्थ	19	महादेवा/बस्ती	16-5-61	,,
16	श्री श्याम बिहारी लाल	तदैव	20	सदर/खलीलाबाद	6-6-61	,,
17	श्री हरिप्रकाश लाल	तदैव	31	बधौली/खलीलाबाद	8-2-66	,,
18	श्री हरिश्चन्द्र लाल	तदैव	31/1	हरिहरपुर/खलीलाबाद	15-2-66	,,
19	श्री बीरभद्र प्रसाद	सामान्य/ब्राह्मण	32/1	कोल्हुआ/खलीलाबाद	1-4-66	,,
20	श्रीराम चौधरी	पिछड़ी जाति/कुर्मी	61	बेलहर/बस्ती	1-7-69	,,
21	श्री राम सुमिरन	अनु० जाति/धोबी	164	हैसर/खलीलाबाद	9-10-75	,,
22	श्री रामभरथ उपाध्याय	सामान्य/ब्राह्मण	183/1	सोनहा/भानपुर	2-11-76	,,
23	श्री रामफेर चौधरी	पिछड़ी जाति/कुर्मी	157	सेमरियावां/खलीलाबाद	22-7-75	,,
24	श्री आदि नाथ दूबे	सामान्य/ब्राह्मण	288	विक्रमजोत/हर्रैया	14-4-80	,,
25	श्री दयाराम यादव	पिछड़ी जाति/अहीर	290	सिकन्दरपुर/हर्रैया	16-4-80	,,
26	श्री ओम प्रकाश मिश्र	सामान्य/ब्राह्मण	316	पैकोलिया/हर्रैया	2-7-80	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृ० सं० 117 पर)

(राज्यपाल अभिभाषण में उपस्थित किये हुए माने गये संशोधन प्रस्ताव)

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, श्री प्रीतम सिंह, चौ० नरेन्द्र सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री शूर वीर सिंह सजवाण, श्री कोकब हमीद, श्री यशपाल आर्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री विक्रम सिंह, श्री रणजीत सिह जूदेव, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बच्चा पाठक, श्री अखिलेश सिंह, श्री राम औतार मिश्रा, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री राम प्रसाद टम्टा ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है– 1–प्रदेश में विगत दो माह से तेजी से बढ़ रहे अपराधों एवं गुण्डा तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम का उल्लेख, 2–प्रदेश में उत्तर प्रदेश चीनी निगम के अन्तर्गत 8 मिलों को निजी हाथों में बेचने के प्रस्ताव से प्रदेश के श्रमिकों में उत्पन्न असंतोष, 3–सम्पूर्ण प्रदेश में प्रचलित लाटरी से लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने, 4–प्रदेश के घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों को निजी हाथों में बेचने की घोषणा से उत्पन्न भयंकर असंतोष के सम्बन्ध में, 5–प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाने से भयंकर रोष, 6–प्रदेश में विगत दिनों विभिन्न जनपदों में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न का उल्लेख, 7–वर्तमान सरकार के बनने के बाद प्रदेश में उत्पन्न जातीय तनाव के फलस्वरूप निर्दोष लोगों की हत्या, 8–प्रदेश में बढ़ रहे अपहरण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 9–प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में, 10–प्रदेश के सभी गांवों को अगले पांच वर्षों में विद्युतीकरण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 11–बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने हेतु कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, 12–प्रदेश के प्रत्येक गांव एवम् पुरवे को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में, 13–प्रदेश में बन्द सैकड़ों बीमार औद्योगिक इकाईयों को पुनः चलाने तथा बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

14–घाटे में चल रहे राज्य विद्युत परिषद् को ठीक करने के संबंध में,

15–उन्नतिशील बीज, कीटनाशक दवाओं एवं खाद को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने,

16–प्रदेश के बुनकरों को सस्ते दाम में सूत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–उ० प्र० में अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को कक्षा–1 से लेकर इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश के सभी छात्रों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा देने हेतु निःशुल्क यात्रा या भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

19–पूर्वांचल विकास निधि के धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

20–प्रदेश में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन का नियमित वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–बिक्रीकर की समाप्ति तथा वैकल्पिक राजस्व की प्राप्ति के स्रोतों के सम्बन्ध में,

22–उत्तराखण्ड में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की नियुक्ति,

23–उत्तराखण्ड में बन्द पड़े लघुजल विद्युत गृहों को चालू कराना,

24–पूर्वांचल के विकास के लिए निर्माण होने वाले घाघरा के ऊपर वाले मार्ग एवं भागलपुर सेतु को पूरा करने,

25–ए० टी० एल०, प्रतापगढ़ के छटनी शुदा कर्मचारियों के समायोजन एवं इस फैक्ट्री को पुनः सरकार द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध में,

26–बन्द पड़ी खलीलाबाद चीनी मिल को चालू करने के सम्बन्ध में,

27–कलवारी टाण्डा पुल को पूरा करने के सम्बन्ध में,

28–मुन्डरेवा चीनी मिल के विस्तारी करण को पूरा करने के सम्बन्ध में,

29–सोनहामानपुर तहसील के भवन के निर्माण कराने के सम्बन्ध में।"

2 श्री ऊदल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:–

1–जिला सोनभद्र के मुख्यालय को आचार्या कमेटी, की संस्तुति के अनुसार बनाने के सम्बन्ध में,

2–प्रदेश के गांवों तथा शहरों में बिजली के कनेक्शन के इस्टीमेट को जो दो साल पहले राज्य विद्युत परिषद् उ० प्र० ने बढ़ाया है उसको कम करने तथा जो कनेक्शन स्वीकृत हैं और इस्टीमेट का रुपया जमा है उन्हें तीन माह में रोशनी, पंखा अथवा पम्पिंग सेट के कनेक्शन देने के सम्बन्ध में,

3–विद्युत परिषद् उ० प्र० द्वारा इस्टीमेट की धनराशि बढ़ाने के पूर्व पुराने रेट से जिनका स्टीमेट का रुपया जमा है जैसे–जगदीशपुर, (अहीरावीर) सराय, देवराई पूरा गांव सभा सिन्धोरा, ब्लाक पिन्डरा, वाराणसी को आज तक लाईट व फैन का कनेक्शन न देने के कारणों के सम्बन्ध में,

4–राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रत्येक जिले की मांग के मुताबिक तार खम्भों, ट्रांसफारमरों, क्लैम्पों की आपूर्ति तथा पुराने तारों को बदलने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

5–राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

6–प्रदेश में जहां नहरों, बन्धियों की व्यवस्था नहीं हो सकती है जैसे 245–कोलसला, वाराणसी में गांव बजरडीहा, ब्लाक सेवा पुरी, व पुअरा, पश्चिम उत्तर, चिन्तावनपुर, अमौर, उत्तर पश्चिम नये पुरा, गांव सभा अराजपुर, कोरो, नहिया, चितईपुर के उत्तर, पट्टी भानपुर, रोह उत्तर, विक्रम पुर, नादनदी के उत्तर रेलवे लाईन के पश्चिम तथा पिण्डरा पूर्वी में सिंचाई हेतु नये नलकूप लगाने के सम्बन्ध में,

7–पूर्वांचल विकास निधि में अधिक धन देने के सम्बन्ध में,

7–क–वाराणसी जिले के आकार को देखते हुए जिला योजना में धन की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

8–प्रदेश की प्रत्येक गांव सभा में प्राइमरी स्कूल की स्थापना तथा 245–कोलसला विधान सभा, वाराणसी में गांव सभा देवरी, देवजी, कविरामपुर, कछिया, रोह, रसुलहा

हरिनाथपुर, सर्वापुर नोनियापुर, सगुनहा, मझवां, कोर्रा, बेसिक प्रा० पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में,

9–प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु जू० हाईस्कूल, हाईस्कूल व इण्टर कालेज की मान्यता की शर्तों में व खेल कूद के मामले में छूट देकर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने तथा मान्यता मिलने के तीन साल बाद ही बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं की सूची अलग बनाकर अनुदान देने और माध्यमिक शिक्षा परिषद् व बेसिक शिक्षा परिषद् में अलग से बालिकाओं की मान्यता के नियम बनाने के सम्बन्ध में,

10–साइन्स की वित्त विहीन मान्यता वाले विद्यालयों को अनुदान देने तथा अध्यापकों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश के 5 कि०मी० तक के मार्गों को राजकीय सेक्टर में लेकर उन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में,

12–245–कोलसला विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी की पिन्डरा देवराई वाया ओदर, गरधमा मार्ग, कठिरांव से बरही नेवादा मार्ग, अनई से सिसवा, दादूपुर, मार्ग को राज्य सेक्टर में लेने के सम्बन्ध में,

13–मतसार गैरहा मार्ग वाराणसी को डामर करने, इसरवार में नाले पर पुल बनाने तथा वरुणा नदी में चीनीइहवा घाट सरांवां के पास पुल एवं वरूणा नदी में रोमेश्वर, वाराणसी का दूसरा पुल बनाने के सम्बन्ध में,

14–शहर वाराणसी में यातायात की जटिल समस्या को देखते हुए चौका घाट में वरुणा नदी के जर्जर पुल का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

15–वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा सन् 61 से 91 के लिए बनायी गयी महायोजना पर कार्य न होने तथा महायोजना नम्बर–2011 के अन्तर्गत 450 गांव के किसानों की जमीन को बंजर दिखा कर लेने के सम्बन्ध में,

15–क–गलत तरीके से नक्शा बना कर नोटिस लगाने तथा कृषकों को परेशानी से बचाने हेतु उक्त योजना को खत्म करने के सम्बन्ध में,

16–तहसील भदोही में स्थित नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत 7 नलकूपों के विरुद्ध 4 नलकूप ही लगाये जाने तथा शेष तीन नलकूप अविलम्ब लगाये जाने के सम्बन्ध में,

17–नगरपालिका क्षेत्र में तीन नलकूप सिंचाई हेतु लगाये गये हैं। जैसे मर्याद पट्टी, गोपालपुर, हिम्मतपुर, परन्तु यह

बस्ती के अन्दर हो गये हैं। अब इन नलकूपों पर सिंचाई नहीं है। इन्हें नगरपालिका से सम्बद्ध कर पीने के पानी की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–नगरपालिका के अन्दर की सारी सड़कों की हालत काफी खराब है। इन मार्गों पर पैदल चलना काफी दूभर है, जैसे भदोही ज्ञानपुर मार्ग, भदोही चौरी मार्ग, भदोही जौनपुर मार्ग, भदोही औराई मार्ग, भदोही सुरियावां मार्ग, भदोही स्टेशन मार्ग, भदोही बाईपास, मार्गों को बनवाने के संबंध में,

19–नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर कम से कम 100 डाइग प्लान्ट एवं वाशिंग प्लान्ट पर एक-एक पम्प सेट लगे है पानी प्लान्टों से होकर नगर में फैलता है गन्दगी बढ़ाता है सीवर लाईन टूटी है। पानी खींचने की मशीन सालों से खराब पड़ी हुई है वही पानी पुनः जमीन के अन्दर जाकर 30 व 35 कि०मी० के क्षेत्र में पीने के काम आ रहा है जिससे कि मलेरिया कालाजार जैसी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बन्द मशीनें ठीक करायी जाने, सीवर खुलवाये जाने तथा डाइंग प्लान्ट एवं वाशिंग प्लान्ट नगरपालिका क्षेत्र के बाहर लगवाये जाने के संबंध में,

20–नगर पालिका की सड़कों पर अतिक्रमण हटवाने के संबंध में,

21–नवसृजित जिला भदोही में ज्ञानपुर कैनाल में एक भी माईनर न बनाये जाने से सैकड़ों गांवों जैसे बरवा सुरहन, धनवतिया, चांदी गहना, टिकैतपुर, जोन्हीं चक, ममहर, रमईपुर, सरबत खानी, चेतनीपुर, गोटईया गोहिलाव, साइपुर, रजईपुर, दलापुर, अर्जुनपुर, अठगोंढवा गोविन्दपुर दिरासी, सिकन्दरा गोपालपुर, गोविन्दपुर की हजारों हजार एकड़ जमीन सूखे की चपेट में रहती है। सर्वे कराकर इन गांवों को नहर से जुड़वाया जाय,

22–ज्ञानपुर नहर में लठिया, बरवा के बीच कोई भी पुल नहीं है जिससे कि गोटईया, धनवतिया, चेतनीपुर, सुरहन, भगवानपुर बरवा, बरहना, हडही बारी, टिकैतपुर, चादी गहना, आदि गांव के किसान, तीन-तीन चार-चार मील का चक्कर लगाकर तब नहर पार कर पाते हैं। इन बस्तियों को जोड़ने के लिए बीच में छोटे बड़े पुल आवश्यकतानुसार बनवाय जायं।"

3 श्री समरपाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मुरादाबाद में पतई खालसा से खइय्या शेखपुरा शहबाजपुर रोड तक और ढकिया से पतई खालसा तक पक्की सड़क के निर्माण के संबंध में।

2–मुरादाबाद में टाडा कोठी से असमौली मार्ग तथा शाहपुर चमारान मार्ग को पक्की सड़क के निर्माण के संबंध में।

3–मुरादाबाद में नजरपुर से ककराली मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में।

4–मुरादाबाद में ककराली से फैजगंज मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में।

5–मुरादाबाद में शाहपुर टसर से खइय्या तक के मार्ग पर खड़ंजा लगवाये जाने के संबंध में।

6–मुरादाबाद में चक्कर की मिलक शाहबुला की इजारत पर पानी की टंकी तथा रेलवे हरथला कालोनी में पानी की टंकी के निर्माण के संबंध में।

7–मुरादाबाद में लाइन पार में एक लड़कियों का इन्टर कालेज के निर्माण के संबंध में।

8–मुरादाबाद शहर में शाहबाजपुर कला में एक इन्टर कालेज के निर्माण के संबंध में।

9–मुरादाबाद शहर में विवेकानन्द अस्पताल से इस्लाम नगर जाने के लिये रामगंगा नदी पर एक पक्के पुल का निर्माण।

10–मुरादाबाद शहर में पाक बडा में एक इन्टर कालेज खोलने के संबंध में।

11–मुरादाबाद में रुहेल खण्ड विश्वविद्यालय का एक कार्यालय खोलने के संबंध में।

12–मुरादाबाद शहर में दो इण्टरमीडियेट कालेज मुस्लिम लड़कियों के लिये खोले जाने के संबंध में।

13–मुरादाबाद शहर में 32–मुरादाबाद पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की जटिल समस्या के निदान हेतु 250 हैण्ड पम्प लगवाये जाने के संबंध में।

14–मुरादाबाद शहर में पतई खालसा और पाक बडा में पानी की टंकी के निर्माण के संबंध में।

15–मुरादाबाद शहर में लाजपतनगर की सीवर लाईन व्यवस्था जो वर्षों से बन्द पड़ी है को तुरन्त खुलवाने के संबंध में।

16–मुरादाबाद शहर में चन्द्रशेखर मार्ग पर बिछ रहे खड़ंजे को पूर्ण कराने के संबंध में तथा बरसाती पानी के निकास हेतु बड़े नाले के निर्माण के संबंध में ।

17–मुरादाबाद शहर व देहात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को फ्लैश लैट्रीन बनवाने हेतु सब्सिडी दिये जाने के संबंध में ।

18–मुरादाबाद शहर में पटेल नगर कालोनी (भोगपुर मिठौनी) में लगभग 200 परिवार जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवास करने हेतु इस कालोनी को दलित कालोनी घोषित किये जाने के संबंध में ।

19–मुरादाबाद में ग्राम गुमसानी से सैंदरी ग्राम तक सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा लगवाये जाने के संबंध में ।

20–मुरादाबाद में ग्राम गुरैठा से ग्राम ज्ञानपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का करवाने तथा बीच में गांगन नदी पर पुल बनवाने के संबंध में ।

21–मुरादाबाद में चौधरपुर गांव में एक इन्टर कालेज खोले जाने के संबंध में ।''

4 श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–वीरापुर विधान सभा के समस्त विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या को पेयजल योजना के अन्तर्गत लिये जाने के संबंध में मुख्यतः यहियापुर, खूबी कला, बिबिया करनपुर, गोलापुर, सोनाही, सरखेलपुर, करनपुर खूंझी, बसहा, तरोई डीह, जरगोइया, वीरापुर, डड़वा, महोखरी, चनवा पट्टी, जलालपुर, किढौली, जोलहापुर, परसामऊ, रामापुर आदि गांवों में दुर्गागंज जैसी धनी बाजार में टंकी द्वारा मीठा जल आपूर्ति के संबंध में । रानीगंज थाना को टाऊन एरिया बनाये जाने के संबंध में ।

2–उडैया डीह बाजार, पृथ्वीगंज बाजार, दुर्गागंज बाजार, दीवानगंज बाजार, रठहा बाजार, शीतलागंज बाजार, दिलीप पुर बाजार, जामताली व लच्छीपुर बाजार में मंडी समिति की योजना के संबंध में ।

3–प्रतापगढ़ जनपद के थाना रानीगंज के दादूपीर, जामताली, दमदम, थाना पट्टी के उडैया डीह, पृथ्वीगंज बाजार, थाना कन्हई के दीवानगंज बाजार, रखहा बाजार, थाना फतनपुर के वीरापुर व कौवरा में पुलिस चौकी खोले जाने के संबंध में।

4–थाना फतनपुर के सोवनसा चौकी को वायरलेस सेट दिये जाने व रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने एवं जगनीपुर, कतरौली व थाना रानीगंज के सुल्तानपुर बाजार, बिन्दागंज, शिवगढ़, थाना कन्हई के बेलअरनाथ धाम, तेरहमील, गोपालपुर, थाना मान्धाता के बकुलाही नदी पर पुलिस बूथ बनाये जाने के संबंध में।

5–कादीपुर घाट, वीरापुर घाट, बालमऊ घाट, गोपालपुर घाट घोरका मुफारिद घाट, पिपरीघाट पर पुल निर्माण के संबंध में।

6–डड़वा में पट्टी नाले पर पुल, रसुलहा में पट्टी नाले पर पुल, बड़ारी–मोलनापुर सीमा पर बड़ारी–गजरिया सीमा पर नाले पर पुल बनाये जाने व गोलापुर में नाले पर केवरा खुर्द में नाले पर, कुम्भापुर बुढौरा से बांसी मार्ग के बीच नाले पर एवं सांढ में बिन्द बस्ती के पूरब नहर पर पुल बनाये जाने के संबंध में तथा डिघवर माइनर पर पुलिया निर्माण के संबंध में।

7–वीरापुर विधान सभा के प्रत्येक विकास खण्डों यथा गौरा, शिवगढ़, मगरौरा, पट्टी में न्याय पंचायत स्तर पर कन्या हाई स्कूल व कन्या इण्टरमीडियेट एवं विकास खण्ड स्तर पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

8–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी विकास खण्डों के न्याय पंचायत स्तर पर सामुदायिक विकास केन्द्र तथा सभी ग्रामों में पंचायत भवन, न्याय पंचायत स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व अन्य उद्योग खोले जाने के संबंध में।

9–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर क्रीड़ा केन्द्र खोले जाने के संबंध में।

10–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड, शिवगढ़, गौरा, मगरौरा व पट्टी में न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

11–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के गांवों में सघन विद्युतीकरण एवं गौरा पावर हाउस के निर्माण के संबंध में ।

12–इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल संकट को दूर करने के संबंध में (विशेष जल स्तर गिर जाने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था) ।

13–बाबा बेलखर नाथ धाम व माता बराही देवी क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यीकरण के संबंध में ।

14–विकास खण्ड गौरा व शिवगढ़ की सभी पट्टी एवं उपेक्षित ड्रेनों जिसमें मुख्यतः कुरेहटा ड्रेन, लाठी ड्रेन, घरी ड्रेन, कन्धारी ड्रेन, आमापुर ड्रेन, कोसिया ड्रेन, उमरन ताल ड्रेन, मेड़वा डीह ड्रेन, कहला ड्रेन, बेहदौल कला ड्रेन एवं कैली डीह जगतपुर ड्रेन की खुदाई व सफाई के संबंध में ।

15–विकास खण्ड गौरा, शिवगढ़, मगरौरा व पट्टी के अन्तर्गत सभी नहरों की पटरियों की मरम्मत व पक्की कराये जाने के संबंध में ।

16–विकास खण्ड गौरा, शिवगढ़, पट्टी एवं मगरौरा के विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में न्याय पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व स्वतः रोजगार को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाओं के संबंध में ।

17–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों, अशिक्षित नौजवान मजदूरों के लिये न्याय पंचायत स्तरीय योजनाओं के संबंध में ।

18–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर बच्चों का अस्पताल खोले जाने के संबंध में ।

19–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सई नदी, रखहा नाला और पट्टी नाले के भीषण कटाव रोकने एवं प्रभावित गांवों की सुरक्षा हेतु गोमती बाढ़ परियोजना या अन्य योजना में लिये जाने के संबंध में तथा कटाव को रोकने के लिये सघन वृक्षारोपण के संबंध में ।

20–वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड स्तर पर वाचनालय खोले जाने के संबंध में ।

21–कैलीडीह–मोजेमऊ मार्ग, लच्छीपुर–चौहरजन मार्ग, जामताली–नजियापुर मार्ग, रामापुर–लच्छी मार्ग, जामताली-सचौली घाट मार्ग, जामताली-रामपुर मार्ग, शीतलागंज-उडैया डीह मार्ग, उडैया डीह-पृथ्वीगंज मार्ग, दोंदूपुर रेलवे स्टेशन से चौहरजन मार्ग, कायस्थ पट्टी से पूरे चरन मार्ग, लच्छीपुर से चौहरजन मार्ग, बभन मई से दुर्गागंज मार्ग, फतनपुर से वीरापुर मार्ग, नौवडेरा से जगतपुर मार्ग, दिवानगंज से बेलखरनाथ धाम मार्ग, कुम्भापुर बुढ़ौरा से बांसी मार्ग, कायस्थ पट्टी से उगईपुर मार्ग, पटहटिया से चांदपुर मार्ग, गौरा रेलवे स्टेशन से कहला शहीद मार्ग, बेहदौल कला से सुरवा मिसिर पुर मार्ग, सुरवा मिसिर पुर से कली मुराद पुर मार्ग, खरहर से ओगाईपुर मार्ग, रामगढ़ से देवासा मार्ग, जगतपुर मोड़ से रामपुर मार्ग, ठागूपुर से मुसहरिया मार्ग, शीतलागंज से सिंगठी खालसा मार्ग, बभनमई पानी की टंकी से खतनपुर मार्ग, मिर्जापुर चौहारी से मुहार आधारगंज मार्ग, खाखापुर से कतरौली मार्ग, रसोंइया से प्रेम धर पट्टी मार्ग, छींटपुर से प्रेमधर पट्टी मार्ग, हरिहरगंज से चंदपुर होकर हरिपाल मऊ मार्ग, शिवगढ़ से करका मार्ग, सोनाही से गोलापुर मार्ग, कतरौली से सुजनी मार्ग, बुधई का पुरा से ढ़ेलहा मार्ग, कनेवरा से कमासिन मार्ग, दुर्गागंज–भिखनापुर मार्ग, दुर्गागंज से मुआर अधारगंज मार्ग, दुर्गागंज से शंकरगंज मार्ग, चिरकुटी से संडौरा मार्ग, विकास खण्ड शिवगढ़ मुख्यालय से बालीपुर मार्ग, पृथ्वीगंज से बड़ारी होते हुए वीरापुर मार्ग, पृथ्वीगंज से देनवा-दुबौली-सुक्खू होते हुए पिपरी घाट मार्ग, कनैवरा-बीबीपुर मार्ग, कनैवरा-कलीमुरादपुर मार्ग, भगवतगंज से थाहीपुर होते हुए हरिहरगंज मार्ग, सुवेशा से नौड़ेरा मार्ग, करमाही से पयागपुर औरस्ता मार्ग, रानीगंज से देल्हूपुर मार्ग, राजापुर खरहर से सुवंशा तक लखनऊ–वाराणसी मार्ग, गाजी की बाग से मुबारकपुर मार्ग, कहला बाजार से मंदिर होते हुए पश्चिम में बिन्द बस्ती तक मार्ग, पूरे गुलाब से ब्रह्मवीर बाबा पूरे निहाली मार्ग, नई कोट से गांधी बाजार मार्ग, सुवंशा–मेढ़आ डीह मार्ग की मरम्मत का कार्य ।

22–वीरापुर विधान सभा जो पूर्वांचल का सर्वाधिक पिछड़ा एवं उपेक्षित क्षेत्र है, के लिये कोई विशेष योजना दिये जाने के संबंध में ।

22–(क)–अम्बेदकर योजना के तहत गांवों के विकास एवं हैमलेट योजना के तहत गांवों में सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था के संबंध में।

23–ऐतिहासिक शहीद स्थल कहला के सौन्दर्यीकरण एवं सम्पूर्ण व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

24–दुर्गागंज, रानीगंज, लच्छीपुर, उड़ैचाडीह बाजारों में कटस्टोन की व्यवस्था के संबंध में।''

5 श्री सुन्दर लाल दीक्षित

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में,

2–बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी सुल्तानपुर की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर से हैदरगढ़, बाराबंकी की विद्युत लाइन को सम्बद्ध करके बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जाने के संबंध में,

3–तहसील मुख्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी में मुंसिफ मेजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के संबंध में,

4–तहसील मुख्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी पर स्टेट बैंक की शाखा की स्थापना के संबंध में,

5–अवसानेश्वर महादेव बाबा टीकाराम के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के संबंध में गोमती नदी में पुल बनाकर तहसील मुख्यालय, हैदरगढ़ को बाराबंकी जिला मुख्यालय से जोड़ने के संबंध में,

6–मकनपुर से शाहपुर-सिदवी मंझार मार्ग लेपन स्तर डामर करवाकर गोमती नदी में पुल का निर्माण करवाकर बिराहीवाद–धानमऊ होते हुए बाराबंकी जिला मुख्यालय से जोड़े जाने के संबंध में,

7–दहिला–शिवनाम पोखरा मार्ग 20 कि०मी० में डामर लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण अविलम्ब करवाया जाने के संबंध में,

8–टिकरहुंआ–सुकुलपुर मार्ग के निर्माण के संबंध में,

9–नरौली बाबा टीकाराम तक मार्ग का निर्माण तथा शेष भाग पर मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक कराये जाने के संबंध में,

10–हैदरगढ़–रायबरेली मार्ग पर स्थित ग्राम कबूलपुर के आगे ग्राम बहुता श्रीकिशनपुर, खुसिहागंज, बस्तीगंज होते हुए पोखरा तक छः कि०मी० मार्ग पर मिट्टी का कार्य/खड़न्जा स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

11–हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम दतौली चन्दा से सराय रावत, थानपुर, लोहमपुर, संतोषपुर, बेलावघाट, गोमती तट पर 7 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़न्जा स्तर तक मार्ग का निर्माण करवाया जाय,

12–लोनीकटरा, कान्धीपुर तिलोकपुर, शाहपुर, मनोधरपुर में अर्ध निर्मित जिला परिषद् मार्ग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड, बाराबंकी से निर्माण कराये जाने के संबंध में,

13–खन्दरौला, कान्हूपुर, मझूपुर मार्ग पर स्थित ग्राम हाथी का पुरवा, खैरा, बीरू, खैरा कनकू, हंसवापुर, गनहरी, गूढ़ खजुरी रायबरेली सीमा तक मिट्टी खड़न्जा लेपन स्तर तक कराये जाने के संबंध में,

14–हैदरगढ़–रायबरेली मार्ग पर स्थित कबूलपुर डेरी से होते हुए सुजारा, तिवारी का पुरवा, ठकिया, बनवारगंज, महिमापुर होते हुए धरौली–हैदरगढ़–बछरावां मार्ग पर मिट्टी का कार्य तथा खड़न्जा लगवाकर मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

15–लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग से गंगापुर तक जनसम्पर्क मार्ग पर कार्य एवं खड़न्जा का कार्य करवाये जाने के संबंध में,

16–ग्राम खमनखेरा नहरपुर से महराजगंज होते हुए फिरोजाबाद से बड़ौल तक 3 कि०मी० मिट्टी का कार्य एवं खड़न्जा का कार्य कराये जाने के संबंध में,

17–हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम दतौली से बल्लूपुर रानीपुर सीठूमऊ, सालपुर बैरिहा होते हुए बाबा टीकाराम मेला तक मिट्टी का कार्य खड़न्जा लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण एवं पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

18–हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम कादीपुर, चकतारा, पड़ैली मार्ग का विस्तार करके महुआगढ़, बचपुरा, भेड़िया,. गोमतीतट तक 5 कि०मी० मार्ग पर मिट्टी का कार्य खड़न्जा डामर लेपन स्तर तक कराये जाने के संबंध में,

19–हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम नसीपुर, मंसारा में नाले पर पुल का निर्माण, पूरबबेलाव, पश्चिम बेलाव होते हुए हैदरगढ़–बाराबंकी मार्ग पर मिट्टी का कार्य खड़न्जा

लेपन स्तर डामर डलवाकर उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,

20–दन्दरौली कान्हूपुर, परीवां, पूरे देवीदास, मंझूपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

21–उमरवल, क्रिसिया मार्ग पर 6 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़न्जा डामर लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के संबंध में,

22–ग्राम भर्दापुर से भागीखेरा होते हुए बबुआपुर ग्राम तक मार्ग का अविलम्ब निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

23–ग्राम लखापुर से बेलहरी, राभी होते हुए दयालगंज ग्राम तक मार्ग निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में,

24–हैदरगढ़–भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम असन्दरा बाजार पुरवा, सगौरा होते हुए टिकरिया तक अर्धनिर्मित मार्ग निर्माण कार्य पूरा करवाये जाने के संबंध में,

25–लेजवापुर लिंक मार्ग नरोत्तममऊ घाट तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

26–सुबेहा से देवीगंज होते हुए जैतपुर–बाराबंकी मार्ग परसुबेहा राजघाट गोमती नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

27–कमेलां से मोहम्मदपुर होते हुए बाबा टीकाराम तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

28–लदई का पुरवा से जयचन्दापुर मल्लहन का पुरवा निदूरी टिकुरी होते हुए हैदरगढ़ सुबेहा का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

29–हैदरगढ़–रायबरेली मार्ग स्थित नरौली से झण्डा का पुरवा होते हुए कुबरी बलवापुर ग्राम तक खड़न्जा मार्ग का निर्माण अविलम्ब करवाये जाने के संबंध में,

30–जनसाधारण की स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार हेतु फतेहपुर बाबा टीकाराम बराल पलिया, शरीफाबाद, सुकुलपुर, चौबिसी, क्रिसिया, रतौली, गौरा, बहुता, रामनगर, पूरे देवीदास पुरवा, शिवनाम, मंडारा, जौरास, भेलवल, गौरावा उस्मानपुर, देवपुरा, तेजवापुर, भितुरी, सीठूमऊ सरायपांडे, लाही तथा

अन्य प्रमुख स्थानों पर राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना की जाने के संबंध में,

31–तहसील मुख्यालय, हैदरगढ़ पर फायरब्रिगेड, अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जाने के संबंध में,

32–सिंचाई का पिछड़ापन दूर करने एवं असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिये भितरी, घोडहरा, जस्तापुर, कल्लमऊ, सौनी, मारूफपुर, भिटौरा, खेरवा, संतोषपुर, सालपुर, बैरिहा, गढ़ी गुसियामऊ, जयचन्दापुर, मल्लाहन का पुरवा, निदूरी, टिकुरी, दतौली चन्दा, सीठूमऊ, सरैया, अलापुर, नगरिया, भुजियामऊ, चकौरा, हुसैनाबाद, कोलल, बनकोट पलौली, बचपुरा, मिनौहुआ, भेड़िया, लोनी, भोगला, सुखलालपुरवा, महानगर, डोल्हेपुर, कहवापुर सैख्वामऊ, रनियामऊ, रुकुन्दीनपुर, अमानी का पुरवा, रामपुर आदि प्रमुख स्थानों पर कृषि कार्य हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

33–छन्दौली, मनिकपुर, भवनियापुर, रामपुर होते हुए सराय पाण्डे तक 5 कि०मी० मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

34–मलिन हरिजन बस्तियों–पूरे देवीदास, गनहरी, नरदही, मंझूपुर, होसवापुर बड़वल, खैरा कनकू, खैरा बीरू, ढोड़वापुर, रामगंज, लालीईट, पतुरियाखेर, सुम्भा, फतेपुर जमरवा, परीवा, बल्ला साईखेड़ा, पैकौली, घुसकी, कान्हू जहानपुर, राधोपुर, जयनन्दमऊ, सरायपांडे, सदरुदीनपुर, कबूलपुर शिवनाम, देवी, जगन्नाथपुर, मनोधरपुर बड़डिया, शापुर, बेड़ौरा, खमनखेरा, फिरोजाबाद, ईवरीगंज, डुबुईखेरा, राभी, बेलहरी, शहावर, देवनगर, चिलूला, बस्तीगंज, बघेलनपुरवा, भिखारी खेड़ा, बड़भित्ती, टिकरा रायल, रानीखेर, बेलवा, सुजारा, बनवारगंज, महिमापुर, गंगापुर, सेसारा, बहुता, श्रीकिशनपुर, बमहरौला, भेतमुआ, घिआमऊ, तारागंज, मानपुर, बिवियापुर, जायसेपुर, बारीखेर पुरवा, कुंबरी, बल्लवापुर गजफ्फरपुरवा, जौरास, लखौरा, बेहटा, कोलवा, शेखवामऊ, भोलाबाद, मंझार, परमेमऊ, शाहपुर, सिदुई, काटीहार, जरौली, नरेन्द्रपुर, मदरहा, रानीगढ़ बारा, खेमीपुर, गौरवा, उसमानपुर, अखैयापुर, अलमापुर, बबुआपुर, भागीखेर, रामी दहिला, लक्ष्मनगढ़, रायपुर, कादीपुर, बहादुरपुर, मौनीपुर,

ठाकुरपुर, लखनापुर, गौरी, सादुल्लापुर, ओल्हेपुर, टिलिया, खानपुर, हसनपुर, सोनिकपुर, बम्हनपुरवा, मदना, भिखारीपुर, जसकापुर, लेहगपुर, भेटौरा, पलौली तथा न्याय पंचायत सुबेहा, पलिया, सरायगोपी, चौबीसी, खरसतिया, दतौली चन्दा, अन्सारी, कमैला, बरावां तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के न्याय पंचायत बहुता, रामनगर, दहिला, त्रिवेदीगंज, भिलवन, खेरा कनकू, शिवनाम समस्त न्याय पंचायत के समस्त ग्राम सभाओं के ग्रामों में विद्युतीकरण करवाये जाने के संबंध में,

35–सुबेहा, पलिया, चौबीसी, कमेला, बरावां, अन्सारी, दतौली चन्दा, सरायगोपी, खरसतिया, विकास खंड हैदरगढ़ में तथा विकास खंड त्रिवेदीगंज में बहुता, पोखरा, दहिला, शिवनाम, भिलवल, खेराकनकू, रामनगर, तेजवापुर, शेषपुर, दामोदर, मंसारा में बालक एवं बालिकाओं के लिये राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना करवाई जाने के संबंध में,

36–विकास खण्ड हैदरगढ़ के अन्तर्गत न्याय पंचायत सुबेहापलिया, सराय गोपी, चैबीसी, खरसतिया, बरावा, कमैला, दतौली, चन्दा, अंसारी तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के त्रिवेदीगंज, दहिला, भिलवल, शिवनाम, खैरा कनकू, रामनगर,, बहुता की समस्त ग्राम सभाओं के प्रत्येक गांवों में इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगवाकर पेयजल संकट दूर करने के संबंध में,

37–राजकीय परिवहन निगम बस स्टेशन, हैदरगढ़, बाराबंकी में डिपो की स्थापना की जाने के संबंध में,

38–बाराबंकी जनपद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में,

39–राजकीय पालिटेक्निक/आई० टी० आई० की स्थापना तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, बाराबंकी में की जाने के संबंध में,

40–शिक्षित बेरोजगार युवकों की बेरोजगारी दूर करने के लिये हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर भारी उद्योग धन्धों की स्थापना किये जाने के संबंध में,

41–तहसील मुख्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी पर चीनी मिल की स्थापना के संबंध में,

42–हैदरगढ़ क्षेत्र में 20 वर्षों से अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों मधुकर शाह विद्यालय सोनिकपुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमीन हुसेनाबाद, लाज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किस्तीनगर, सिधियावां को स्थायी मान्यता दी जाने के संबंध में,

43–बाराबंकी जिले के प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थान बाबा महादेवा, लोधेश्वर, रामनगर, बाबा टीकाराम बेहटा, बाबा औसानेश्वर महादेव, नील कंठेश्वर महादेव, किल्लेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर, सिद्धोरपजोगिनी तालाब मंदिर शिवनाम, सप्तऋषि, सतरिख बाबा जगजीवन साहब कोटवाधाम आदि प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के संबंध में,

44–बाराबंकी जिले की तहसील मुख्यालय रामसनेहीघाट, रुदौली, दरियाबाद, फतेहपुर आदि तहसील मुख्यालयों पर डिग्री कालेजों की स्थापना के संबंध में,

45–हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा कोतवाली हैदरगढ़ के भवन का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

46–हैदरगढ़ क्षेत्र में 30 वर्षों से चल रहे सीनियर बेसिक विद्यालय, जूनियर बेसिक विद्यालय अहिरगांव व चौबीसी, हसनपुर, परीवा, भितीदई का पुरवा में विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

47–हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर वरूणा एक्सप्रेस का स्टाप बनाये जाने के संबंध में,

48–हैदरगढ़, बाराबंकी टाउन एरिया को नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में,

49–बाराबंकी जिले की चीनी निगम की मिल तथा बुढ़वल शुगर मिलों को निजी पूंजीपतियों के हाथ न बेचकर पूर्ववत् की भांति कार्य करती रहने के संबंध में,

50–हैदरगढ़ क्षेत्र के पोखरा, त्रिवेदीगंज, सुबेहा, भिलवल, असन्दरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में,

51–शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारियों पर थाना कोतवाली हैदरगढ़, बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक की तानाशाही से हुए बर्बर लाठीचार्ज गोलीकांड से घायल 42 लोगों के दोषी अधिकारियों पर मुकदमा कायम करके निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच अपराध अनुसंधान से करवाये जाने के संबंध में,

52–सरायगोपी से जलालपुर पूरेढ़ाला मेहदीयां होते हुए टिकरहुवा तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

53–लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग से नरेन्द्रपुर मदरहा जाने वाले मार्ग पर स्थित लोनी नाला पर पुल का निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

54–मुहीरुदीन सराय से रेहुरा, कैथी होते हुए मुस्तफाबाद तक मार्ग निर्माण करवाये जाने के संबंध में,

55–असन्दरा, दस्तौलीचंदा, सुबेहा, कमेलापलिया, सरायगोपी, चौबीसी बरावां खरसतिया, अन्सारी, दैतौलीचंदा, पोखरा, बहुता रामनगर, भिलवल, दहिला, कबूलपुर, राघवोपुर, तेजवापुर, खैराकनकू, सरायपाण्डे, जौरास मंझर, मिभवल, गौरवा, उस्मानपुर में उद्योग धन्धे लगाये जाने के संबंध में,

56–सिंचाई विभाग, शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28, हैदरगढ़, खण्ड–40, लखनऊ में जलभराव एवं सीपेज की समस्या के संबंध में,

57–रैकसहा, पलिया, सोनिकपुर, हैदरगढ़ पेचारूवा, रायपुर, चिलूला, दयालगंज, कोलहदा, लिंग रामनगर, फिरोजाबाद, बेडौरा, खड़हिया, रमसर, ईश्वरीगंज, कोलहदा, नरायनपुर, सहावर, सताब्दी ड्रेन, भिखारीखेरा, पोखरा, शिवनाम, मनोधरपुर, हसनपुर, नवलपुर, गौरवा उस्मानपुर इंटरमीडिएट जरौली, शिवगढ़, कान्हूपुर, नरदही आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई करवाकर समस्त ड्रेनों का निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये जाने के संबंध में,

58–बाराबंकी जिला मुख्यालय से परिवहन निगम हैदरगढ़ बाराबंकी होते हुए सुबेहा, जारमऊ, सरायगोपी, चौबीसी, कमेला, लाही, पोखरा, भिलवल, लखनऊ से भिलवल होते हुए शिवनाम खैरा कनकू परिवहन निगम की बस चलवाये जाने के संबंध में।"

6 श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया–

1–फतेहपुर ज़िले में लोअर गंगा नहर में पानी की कम आपूर्ति के संबंध में।

2–फतेहपुर जिले में हसक विधान सभा क्षेत्र के टेल तक पानी नहीं जाने के संबंध में।

3–फतेहपुर जिले में सरकारी ट्यूबवेलों को लगाने के संबंध में।

4–फतेहपुर जिले की तथा हसवा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

5–फतेहपुर जिले में प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना के संबंध में।

6–फतेहपुर जिले में शकर मिल की स्थापना के संबंध में।

7–फतेहपुर जिले में विज्ञान के महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।

8–फतेहपुर की तहसील केन्द्र में कृषि इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना के संबंध में।"

7 श्री हरवंश कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–देहरादून में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अपराधों को रोकने हेतु प्रभावशाली कदम उठाए जाने के संबंध में।

2–देहरादून नगर के गम्भीर पेयजल संकट के समाधान हेतु प्रभावशाली कदम उठाए जाने के संबंध में।

3–देहरादून नगर में बरसाती तथा गंदे पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में।

4–देहरादून नगर के चारों ओर बसी मलिन बस्तियों में आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जाने के संबंध में।

5–मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को समाप्त कर प्राधिकरण के देहरादून नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्रों के, नगरपालिका देहरादून, मसूरी नगर पालिका के अन्तर्गत क्षेत्रों के नगर पालिका मसूरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो से संबंधित जिला परिषद् को समस्त अधिकार दिए जाने के संबंध में।

6–देहरादून नगर में विद्युत कटौती बन्द की जाने के संबंध में।

7–देहरादून के भौगोलिक विस्तार एवं जन संख्या को ध्यान में रखकर सफाई कर्मचारियों की वृद्धि की जाने के संबंध में।

8–देहरादून नगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने तथा नगर की विद्युत व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, पेयजल, पानी निकासी, सीवर आदि के लिए विशेष अनुदान दिये जाने के संबंध में।

9–देहरादून का औद्योगिक विकास किये जाने तथा इसमें इलेक्ट्रानिक इन्डस्ट्री के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में।

10–देहरादून के आर्थिक विकास हेतु स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में।

11–देहरादून में राजकीय क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जाने के संबंध में।''

8 श्री प्रेम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

2–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के संबंध में।

3–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत लिंक रोडों के निर्माण के संबंध में।

4–हिण्डन नदी पर पुल ग्राम सुराना में बनाये जाने के संबंध में।

5–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में कन्याओं का डिग्री कालेज खोलने के संबंध में।

6–मुरादानगर शहर व ग्रामों में नालों के निर्माण व खुदाई के संबंध में।

7–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाज़ियाबाद में परिवहन निगम की बसों की सुचारु रूप से व्यवस्था करने के संबंध में।

8–मुरादानगर शहर, जनपद गाजियाबाद में मलिन का निर्माण तथा विकास किये जाने के संबंध में।

9–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में छोटे-छोटे स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।

10–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में मुस्लिम समुदायों हेतु उर्दू मरदसा खुलवाये जाने के संबंध में।

11–बुनकरों को सस्ते दामों पर धागा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

12–गन्ने के दाम बढ़ाये जाने के संबंध में।

13–किसानों हेतु खाद/उर्वरकों के दाम कम किये जाने के संबंध में।

14–ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों का आवास भत्ता एक समान किये जाने के संबंध में।

15–शिक्षित युवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में।

16–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण अंचल में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में।

17–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

18–दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किये जाने के संबंध में।

19–वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित नियमों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

20–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में बन्द पड़े रजबहों की सफाई तथा चलवाने के संबंध में।

21–मुरादानगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण इलाके में पांच-पांच ग्रामों पर एक-एक जूनियर हाई-स्कूल/इण्टर कालेज खुलवाये जाने के संबंध में।

22–प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के संबंध में।

23–मुरादानगर नगर पालिका को क्षेत्रीय विकास हेतु और अधिक धन आवंटित किये जाने के संबंध में।

24–मुरादानगर क्षेत्र, गाजियाबाद में टीकरी सुल्तानपुर रजबाहा पर 16 मील 2 फ्लांग पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में ।

25–जिला परिषद्, गाजियाबाद में मुर्दा मवेशी के ठेकों के संबंध में ।

26–मुरादानगर क्षेत्र, गाजियाबाद के नगरपालिका में रावली रोड से ईदगाह तक 2 कि० मी० नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

27–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजबाहों के शड्यूल में संशोधन किये जाने के संबंध में ।

28–पूरे प्रदेश में किसानों को 16 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने हेतु ट्रान्सफार्मरों की समुचित व्यवस्था के संबंध में ।

29–मुरादानगर, जनपद गाजियाबाद में ग्राम सुराना में मल्लाहों के जल कर राख हुए घरों को सहायता दिये जाने के सबंध में ।

30–नगर पालिका, मुरादानगर, जनपद गाजियाबाद में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा एवं पार्क हेतु आवंटित भूमि के सौन्दर्यीकरण हेतु समुचित धन की व्यवस्था के संबंध में ।"

9 श्री चन्द्र किशोर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–जनपद में कन्या महाविद्यालय तथा विधि स्नातक की कक्षाओं की स्थापना के संबंध में ।

2–तकनीकी शिक्षा के लिए पालीटेक्निक व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में ।

3–क्षेत्र के बालिकाओं की शिक्षा के लिए इंटर कालेज व प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था के संबंध में ।

4–चिकित्सा सुविधा के लिए महराजगंज में सुव्यवस्थित चिकित्सालय तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के संबंध में ।

5–सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहरों को और अधिक लम्बा करने के संबंध में ।

6–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए उद्योग की स्थापना के संबंध में ।

7–क्षेत्र में समुचित सड़क व्यवस्था तथा निर्माण के संबंध में ।

8–महराजगंज जनपद के महराजगंज व मिठौरा विकास खंडों के सभी गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में ।

9–बनदागिया मजदूरों को विकास खण्ड से जोड़कर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

10–जिला मुख्यालय के विकास के संबंध में ।

11–सिंचाई के लिये नलकूपों की व्यवस्था के संबंध में ।

12–क्षेत्र में खेल प्रतिभा के विकास के लिए मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण के संबंध में ।

13–नगर पालिका महराजगंज में समुचित जल निकासी व नाली निर्माण के लिए अनुदान के संबंध में ।

14–नया जिला मुख्यालय के निर्माण एवं विकास के लिए अनुदान के संबंध में ।

15–बागापार, जनपद महराजगंज में पुलिस द्वारा हरिजनों के ऊपर किये गये अत्याचार पर कार्यवाही के संबंध में ।

16–ओला पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में ।

17–महराजगंज जनपद के प्रमुख कस्बों में परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

18–बिजली और खाद के बढ़े हुये मूल्यों को कम करने के संबंध में ।

19–किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधा में पड़ने वाली स्टाम्प ड्यूटी समाप्त किये जाने के संबंध में ।

20–तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों तथा डाक्टरों आदि को रोजगार की गारण्टी दिये जाने के संबंध में ।

21–ग्रामीण युवकों तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में ।

22–जनपद महराजगंज में खाद, बीज, बिजली, पानी, कीट नाशक दवाओं और कृषि उपकरण की सुविधा सुनिश्चित कराने के संबंध में ।

23–जनपद महराजगंज में ग्रामीण अंचल में सड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में ।

24–जनपद महराजगंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन तथा मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा नये राशन कार्ड बनाये जाने के संबंध में ।

25–जनपद महराजगंज में चानकी घाट पुल एवं घोडवा रोड को स्टेट प्लान द्वारा बनाये जाने के संबंध में ।

26–जनपद महराजगंज में जले हुए ट्रान्सफार्मर एवं चोरी गये पोल एवं तार तुरन्त लगाकर विद्युतीकरण करने के संबंध में ।

27–जनपद महराजगंज में गन्ना किसानें की सुविधा हेतु महराजगंज विधान सभा क्षेत्र में नयी चीनी मील लगाने एवं गनेश शुगर मिल, आनन्द नगर के किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान ब्याज सहित अविलम्ब करने के संबंध में ।

28–जनपद महराजगंज में पटनवार जाति जो कि कुर्मी की उपजाति है, को कुर्मी जाति का प्रमाण-पत्र देने के संबंध में ।

29–जनपद महराजगंज क्षेत्र में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपैम्प ठीक कराने के संबंध में ।"

10 श्री भैरो प्रसाद मिश्र

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–चित्रकूट धाम कर्वी को जिला बनाये जाने के संबंध में ।

2–बुन्देलखंड विकास निधि में धनराशि की वृद्धि किये जाने के संबंध में ।

3–चित्रकूट को पर्यटन तथा धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की नयी योजनाओं के संबंध में ।

4–चित्रकूट धाम कर्वी में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में ।

5–चित्रकूट धाम कर्वी में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।

6–दस्यु प्रभावित कर्वी तहसील में नयी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल बढ़ाये जाने के संबंध में।

7–चित्रकूट धाम कर्वी में सब जेल के निर्माण के संबंध में।

8–बांदा जिले में राजापुर एवं मानिकपुर को नयी तहसील बनाने के संबंध में।

9–झांसी–मिर्जापुर राज्य मार्ग को मऊ से लेकर खुरहंड तक चौड़ा कराने के संबंध में।

10–कर्वी में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई नया उद्योग खोले जाने के संबंध में।

11–कर्वी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु कोई नयी लिफ्ट या नहर योजना शुरू करने के संबंध में।

12–चित्रकूट धाम कर्वी में सीवर योजना शुरू करने के संबंध में।

13–सबसे पुराने मार्ग पहाड़ी ओरन मार्ग के पयस्वनी नदी तथा वाने नदी पर पुलों के निर्माण के संबंध में।

14–चित्रकूट धाम कर्वी में शंकरबाजार क्षेत्र में पानी की टंकी के निर्माण के संबंध में।

15–गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में यमुना नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में।

16–कर्वी विधान सभा क्षेत्र में लम्बी दूरी की मुख्य नहर में पटरियों को पक्का कराये जाने के संबंध में।

17–कर्वी के मुख्यालय कर्वी में फायर बिग्रेड स्टेशन स्थापित करने के संबंध में।

18–कर्वी में रिकार्डरूम स्थापित करने के संबंध में।

19–कर्वी में सूचना कार्यालय स्थापित करने एवं सहायक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

20–कर्वी में डकैती एवं स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21–चित्रकूट धाम कर्वी में खेलकूद हेतु स्टेडियम निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

22–कर्वी विधान सभा क्षेत्र में साधन विहीन पिछड़े तिरहार तथा अठगवां क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने के संबंध में ।

23–कर्वी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत रहित ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना शुरू करने के संबंध में ।

24–चित्रकूट धाम को फ्री जोन क्षेत्र घोषित करने के संबंध में ।

25–कर्वी से चित्रकूट धाम तक सिटी बस चलाये जाने के संबंध में ।

26–चिल्लीमल तथा ओरा पम्प हाउस तथा पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने एवं उक्त नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में ।

27–गोस्वामी तुलसीदास डिग्री कालेज, कर्वी में नये विषय शुरू करने एवं इसके विस्तारीकरण की योजना के संबंध में ।

28–कर्वी क्षेत्र में बन्द पड़ी एक मात्र लघु उद्योग स्टोन क्रेशर मिलों को कच्चा माल ग्रेनाइट उपलब्ध कराने एवं उन्हें अन्य सुविधाएं देने के संबंध में ।

29–बांदा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पौराणिक स्थल, राजापुर भरतकूप एवं बाल्मीकि आश्रम के सुन्दरीकरण एवं रखरखाव के संबंध में ।

30–चित्रकूट धाम में खिलौना उद्योग को सस्ती दरों पर लकड़ी उपलब्ध कराने एवं अन्य सुविधाएं देने के संबंध में ।

31–प्रदेश में बिक्री-कर समाप्त करने के संबंध में ।''

11 श्री सत्य प्रकाश विकल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है'' ।

1–प्रदेश में ध्वस्त हो रही कानून व्यवस्था, भीषण ढंग से बढ़ते हुये अपराध व हरिजन अत्याचार तथा व्याप्त अराजकता की स्थिति पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के संबंध में ।

2–प्रदेश की जनता में व्याप्त भय, आतंक व असुरक्षा की भावना को मिटाने व उसको भयमुक्त, सुरक्षित व आतंक रहित होने हेतु ठोस उपाय किये जाने के संबंध में।

3–बलात्कारियों, हत्यारों, लुटेरों, अपहरण कर्ताओं, माफियाओं व गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोरतम कदम उठाये जाने के संबंध में।

4–प्रदेश की अर्थव्यवस्था व कृषि तथा व्यवस्था पर "डंकल प्रस्ताव" के होने वाले कुप्रभाव के कारण उसे अस्वीकार किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को संस्तुत के संबंध में।

5–ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति व नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाये जाने की घोषणायें पूरी न होने के संबंध में।

6–आगरा के गम्भीर पेयजल संकट के निवारणार्थ यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण की शुरूआत किये जाने के संबंध में।

7–ग्रीष्मकाल शुरू होने से पहिले ही आगरा के पेयजल संकट की दृष्टि से तत्काल 500 हैण्ड पम्प लगाये जाने व खराब हैण्ड पम्प ठीक कराये जाने के संबंध में।

8–आगरा में व्याप्त भीषण विद्युत संकट को दूर करने व ग्रीष्म काल में सुचारू विद्युत आपूर्ति जारी रखे जाने के संबंध में।

9–आगरा में ताजमहल के कारण (ताज ट्रिपैजियम क्षेत्र में) उजड़ते जा रहे उद्योगों को बचाये रखने के लिये संरक्षण प्रदान करने तथा आगरा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिये उसे इलेक्ट्रानिक्स व पावरलूम इन्डस्ट्री जैसे प्रदूषण विहीन उद्योगों का केन्द्र बनाये जाने के संबंध में।

10–आगरा में निर्बल, पिछड़े व अनुसूचित बाहुल्य आबादी के ट्रांस यमुना क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।

11–पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण व ताजमहल के लिये विख्यात आगरा का सौंदर्यीकरण करके उसे पर्यटकों के लिये आर्कषण का केन्द्र बनाने व वहां की मार्ग प्रकाश व्यवस्था

तथा सड़कों के निर्माण व सुधार के लिये विशेष सहायता दिये जाने के संबंध में ।

12–उच्च न्यायालय की खण्डपीठ आगरा में स्थापित किये जाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से संस्तुति किये जाने के संबंध में ।"

12 श्री राम सरन वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–भयमुक्त समाज तथा दंगारहित प्रदेश के निर्माण के क्रम में कोई भी प्रतिबद्धता नहीं की गयी है, जबकि आये दिन लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या तथा आगजनी जैसे जघन्य घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसके कारण पूरा प्रदेश भयाक्रान्त है । जातीय, वर्गीय संघर्ष, अनुसूचित, निर्बल एवं पिछड़ों पर अत्याचार, पुनः पनपता उग्रवाद, साम्प्रदायिक उन्माद, साथ ही साथ महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें सामान्य रूप से बढ़ती चली जा रही हैं, के सुधार के संबंध में।

2–प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बढ़ रही शोषण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में ।

3–प्रमुखतम समस्याओं में पर्यावरण की समस्या का निराकरण अपरिहार्य है, जिसके अन्तर्गत पेड़ों की कटान की आयी बाढ़ पर रोक लगाने का कोई उल्लेख नहीं है । वन अधिनियम को और अधिक सशक्त पर्यावरण की दृष्टि से किया जाना अनिवार्य है, के संबंध में ।

4–बेरोजगारी की समस्या विकरालता ग्रहण किये हुये है, जो कि स्वतः रोजगार योजना के माध्यम से ही सुलझना सम्भव है । इस श्रृंखला के अन्तर्गत मिनी डेयरी परियोजना को पूरे प्रदेश में निष्प्रभावी सा कर दिया गया है । विशेष रूप से जनपद पीलीभीत, तराई जनपद होने के कारण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, में इस योजना को समाप्त कर दिया गया है । इस योजना को जनपद पीलीभीत में पुनः चलाने तथा प्रदेश में प्रभावी ढंग से चालू करने के संबंध में ।

5–स्वास्थ्य सेवायें मानवीय जीवन का प्रमुख अंग है, जिनका सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में छिन्न-भिन्न होना पाया जा रहा है । निर्धारित मानक के अनुसार डाक्टर नहीं हैं तथा दवाइयों

का अभाव तो है ही साथ ही साथ अन्य स्वास्थ्य सेवायें भी निरन्तर ह्रास होती चली जा रही हैं । विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर जनपद पीलीभीत के अधिकांशतः एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिन्दु हैं तथा बहुतों में डाक्टरों एवं दवाओं का अभाव है, के संबंध में ।

6–बीसलपुर महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर नहीं हैं । महिला चिकित्सालय तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीसलपुर में विद्युत व्यवस्था तथा पानी की टंकी बनी होने के उपरान्त भी चालू नहीं है । इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारुरूप से संचालित किये जाने के संबंध में ।

7–विगत दिनों जनपद पीलीभीत में नैपाली महिलाओं की नसबन्दी की बाढ़ सी जिलाधिकारी, पीलीभीत के संरक्षण में आयी हुई है । यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि बगैर आपरेशन के नसबन्दी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं । इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है । जिलाधिकारी ने एक विधायक के हस्तक्षेप पर झूठी रिपोर्ट भी लिखा कर हस्तक्षेप रोकने का असफल प्रयास किया है । इस सम्बन्ध में वांछनीय कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।

8–जनपद पीलीभीत में अपराधिक प्रवृत्ति (हिस्ट्रीशीटर) के व्यक्तियों के पारिवारिक नाम से शस्त्र विक्रय के लाइसेंस निर्गत हैं । विगत निर्वाचन में अनियमित ढंग से शस्त्र जमा किये गये हैं । सेफ कस्टडी (प्रारूप–14) का लाइसेंस न होने के उपरान्त, बगैर नवीनीकृत शस्त्र लाइसेंस भी जमा किया जाना अभिप्रेत हैं तथा जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम तथा अपने भाई के नाम (बिहारी निवासी) लाइसेंस निर्गत किये हैं, जबकि दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस अनेक आरोप-प्रत्यारोप लगाकर नहीं दिये जा रहे हैं, इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, फिर भी जिलाधिकारी, पीलीभीत बार-बार संस्तुतियों हेतु पत्रावलियां वापस करते हैं, इससे जन सामान्य में आक्रोश है । इस समस्या के निराकरण हेतु थाने, मुख्यालयों पर कैम्प लगाने का भी आश्वासन जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा किये

गये हैं । इस सम्पूर्ण प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में ।

9–नगरपालिका बीसलपुर (पीलीभीत) के कर्मचारियों का वेतन पांच-पांच माह का बाकी है । नगरपालिका, बीसलपुर का टाउन एरिया बिल्सण्डा सफाई आदि के दृष्टिकोण से बहुत ही दयनीय है । नगरपालिका, बीसलपुर का शेष कर की 27 लाख, 28 हजार, नौ सौ तिरसठ रुपया तथा 2 प्रतिशत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण कर की 39 लाख 84 हजार, 271 रुपया शासन पर अवशेष है, के भुगतान के संबंध में ।

10–बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) के प्रधान प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, कृषकों एवं श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है । चीनी मिल की चल अचल सम्पत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है जिससे जिलाधिकारी, पीलीभीत भी वंचित नहीं हैं । चीनी मिल में निर्दोष श्रमिकों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, के संबंध में ।

11–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में माफियाओं को प्रोत्साहन देकर जन साधारण का शोषण करावाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत राम किशोर पुत्र श्रीराम निवासी बीसलपुर, जिसे कई गांवों में भूमियों के पट्टे आवश्यक वस्तुओं की कई एक दुकानें आदर्श उपभोक्ता भण्डारण के नाम से तथा रामगन हाउस के नाम से अपराधिक प्रवृत्ति का होते हुये भी शस्त्र बेचने का लाइसेंस दिया गया है, के संबंध में ।

12–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश नहरों की टेलें हैं जिन तक पानी न जाने के कारण तथा ट्यूबेवेलों की नालियां खराब होने के कारण सिंचन कार्य प्रभावित हो रहा है । नहरों की सफाई करने तथा नालियां बनाने के नाम से फर्जी धनराशि निकाली जा रही है, के संबंध में ।

13–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के बिल्सण्डा विकास खण्ड के परिषदीय अध्यापकों का चयन वेतनमान अवशेष का भुगतान नहीं हुआ है जो कि 4 वर्षों से लेखा नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० के यहां लम्बित है, के संबंध में ।

14–नगरपालिका बीसलपुर, जनपद पीलीभीत में सन् 1991 में नियुक्त जनगणना कर्मचारियों का 34 हजार, 324 रुपया, 58 पैसा का भुगतान अवशेष है, के संबंध में।

15–नगरपालिका बीसलपुर, पीलीभीत का पुस्तकालय अम्बेडकर पार्क जलापूर्ति व्यवस्था अत्यन्त सोचनीय है, जिसकी स्वयं आयुक्त महोदय ने अवलोकित कर सुधार करने के निर्देश दिये हैं, परन्तु अब तक ज्यों की त्यों स्थिति है नगरपालिका भूमियों पर अवैध कब्जे कराये जा रहे हैं, के संबंध में।

16–बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर का विस्तारीकरण के अन्तर्गत 25 सौ टन प्रतिदिन पिराई क्षमता वाली मशीनें प्रतिस्थापित की जा चुकी हैं परन्तु स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण रूप से लागू न होने के कारण पूरी क्षमता का उपयोग न हो पाने के संबंध में।

17–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई (क्रेशर) वर्ष 1978-79 से बन्द पड़ी है, को पुनः चालू किये जाने के संबंध में।

18–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में गांव जसौली दिवाली के दुग्ध औसीतन केन्द्र की स्थापना किये जाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

19–विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर पीलीभीत में मीतेपुर माइनर, साबेपुर माइनर तथा मौनी माइनर एवं गोवल रजवाहा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, के पुनर्निर्माण के संबंध में।

20–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति क्षत विक्षत है ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य तथा शहरी क्षेत्र में मात्र 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति है, के सुधार के संबंध में।

21–लिपुलिफ (पिथौरागढ़)–भिण्ड (मध्य प्रदेश) मार्ग का राष्ट्रीयकरण एवं विस्तारीकरण अपेक्षित है, के संबंध में।

22–बीसलपुर (पीलीभीत) में राजकीय परिवहन निगम का डिपो/बस स्टाप प्रस्तावित है, को स्थापित करने के संबंध में।

23–मण्डी समिति बीसलपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा 13 सम्पर्क मार्ग पास किये जा चुके हैं, जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, के निर्माण के संबंध में।

24–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में लिलहर तालाब, इलाहाबाद देवल, राजामोरध्वज तथा राजाबेन के क्रमशः अवशेष स्थल हैं जो कि इतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से पर्यटकों की सुविधा के लिये विकसित किया जाना अति महत्वपूर्ण है, के संबंध में।

25–नगर बीसलपुर जनपद पीलीभीत में सट्टे का व्यवसाय प्रगति पर है जिसके कारण अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, को रोकने के संबंध में।

26–बीसलपुर नगर में राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षायें जिनको मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी प्रारम्भ नहीं हुई है, के संबंध में।

27–गरीबी के आधार पर गैर आरक्षित वर्गों का भी आरक्षण किया जाना अनिवार्य है, के संबंध में।

28–सहकारी समितियों में विशेष रूप से बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र की इमिलियागंगी साधन सहकारी समिति में फर्जी कर्जों की बाढ़ आयी हुई है, की जांच कराकर कर्जों से उन्मुक्त किये जाने के संबंध में।

29–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में नदी देहुवा के कटान को रोकने के संबंध में।

30–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में हो रही घोर अनियमितताओं के संबंध में।

31–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीसलपुर वाया रामलीला पूरनपुर मार्ग, निगोही ब्रान्च कैनाल मार्ग तथा गुजरौला के पास अमेडी नदी देयूरिया कला के पास खन्नौद नदी तथा बरखेड़ा कटा के पास माता नदी पर पुल बनाना राज्य योजना के अन्तर्गत अपेक्षित है, के संबंध में।

32–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में विगत दिनों नदी देहुवा की बाढ़ के कारण काफी धन-जन की हानि हुई है, की क्षतिपूर्ति के संबंध में एवं कृषकों पर राजस्व वसूली में राहत के संबंध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13 श्री बालेश्वर त्यागी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–गाजियाबाद जनपद की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये दिल्ली के समकक्ष पुलिस व्यवस्था करने के संबंध में,

2–गाजियाबाद और दिल्ली के बीच बढ़ते हुए यातायात को सुचारुरूप से चलाने के लिये मेरठ रोड तिराहे से विजय नगर बाई पास तक तथा साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट–4 से मेरठ–दिल्ली रोड को मिलाने के लिये सड़कों का निर्माण करके वैकल्पिक व्यवस्था करने,

3–गाजियाबाद नगर को पीने का समुचित पानी उपलब्ध कराने के लिये नई टंकियों को निर्माण करने व नये नलकूप लगाने,

4–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में आवश्यक नागरिक सुविधायें यथा सामुदायिक विकास केन्द्र स्कूल, पार्क, बिजली का बिल कलेक्शन, बूथ, डाक-घर, पुलिस चौकी का निर्माण कराने,

5–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर अंकुश लगाने,

6–सिटी बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सड़कों की मरम्मत स्ट्रीट-लाइट व सफाई की समुचित व्यवस्था कराने,

7–नगर की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नये कालेज व डिग्री कालेज खोलने,

8–गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र को मुख्य नगर से जोड़ने हेतु गौशाला फाटक पर अण्डर ब्रिज का तत्काल निर्माण कराने,

9–गाजियाबाद के सभी उद्योगों को भी नोएडा जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने व उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिये एक सक्षम प्राधिकरण का गठन कराने,

10–यू०पी०एस०ई०डी०सी० द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव के लिये समुचित व्यवस्था करने,

11–दिल्ली यू०पी० सीमा पर हजारों एकड़ क्षेत्र में फैले ट्रान्सपोर्ट नगर में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने,

12–गाजियाबाद के उन समस्त किसानों को धारा–28-ए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जिनकी भूमि 1962 में अधिकृत की गई थी, मुआवजे का तत्काल भुगतान कराने,

13–गाजियाबाद नगर की सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने,

14–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जिन गांवों की भूमि का अर्जन किया गया है, उन गांवों का पूर्ण विकास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराने,

15–गाजियाबाद में जनपद स्तरीय सुविधा सम्पन्न जिला अस्पताल का निर्माण कराने व हिन्डन पार व अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराने,

16–गाजियाबाद की विभिन्न कालोनियों में नगर बस सेवा चलाने,

17–गाजियाबाद नगर की सीवर व्यवस्था में नालों की निकासी के अन्तिम निस्तारण योजना बनाने,

18–गाजियाबाद नगर की विभिन्न अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने,

19–राष्ट्रीय राजमार्ग–24 (विजय नगर बाई पास) पर लगने वाले सेतु कर को समाप्त करने,

20–खोड़ा व मकनपुर कालोनियों को नियमित करके नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने,

21–गाजियाबाद नगर के सीवर तथा ड्रेनेज टैक्स को समाप्त कराने की घोषणा नहीं की गयी है।''

14 श्री श्याम देव राय चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–वाराणसी नगर में विशेष कर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल अनापूर्ति जो गर्मी में और विकट होने वाली है के समाधान के विषय में।

2–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त सीवर लाइनों को बदल कर नये सीवर लाइन डालने के संबंध में।

3–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन तथा मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा नये राशन कार्ड बनाने में धांधली को दूर करने के संबंध में।

4–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था, नये उच्च शक्ति के ट्रान्सफार्मरों के लगाये जाने बिजली के पुराने जर्जर तारों को बदलने तथा नियमित मीटर रीडिंग तथा अनावश्यक बिजली बिल भेजे जाने से नागरिकों को होने वाले कष्ट को दूर करने के संबंध में।

5–वाराणसी में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन वितरण बन्द हो जाने से धारकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति को दूर करने के संबंध में।

6–वाराणसी में गंगा नदी में मछली मारने पर शासन द्वारा रोक से जनपद के करीब 20 हजार मल्लाह परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति को दूर करने के संबंध में।

7–दक्षिणी विधान सभा में 4 नये नलकूप लगाकर पेय जलापूर्ति में सुधार करने के विषय में।

8–सम्पूर्ण उ०प्र० में विशेषकर वाराणसी में जातिगत हिंसा, हत्याओं, चोरी, डकैती में वृद्धि और पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में।

9–दिनांक 3 फरवरी, 94 को भारतीय जनता पार्टी के नगर महापालिका के सभासद पदमपति शर्मा पर जान लेने की गरज से कट्टा तथा बम द्वारा हमला करने वाले को अभी तक गिरफ्तार कर पाने में वाराणसी पुलिस की अक्षमता के संबंध में तथा उन्हें सुरक्षा गार्ड दिये जाने के संबंध में।

10–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े हुए हैण्ड पम्पों को रिबोरिंग करके ठीक करने के संबंध में।

11–बिक्रीकर की समाप्ति तथा वैकल्पिक राजस्व प्राप्ति के स्रोत के संबंध में।

12–पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि में वृद्धि करने के संबंध में।

13–दक्षिणी विधान सभा के हरिजन बस्तियों के विकास के संबंध में।

14–प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोत्तरी के संबंध में।

15–नगर में ट्राफिक की जटिल समस्या के समाधान के संबंध में।

16–वाराणसी के घाटों पर जमी मिट्टी को हटाने तथा उनके सुन्दरीकरण के संबंध में।

17–वाराणसी नगर के अन्तर्गत विद्यालयों में जटिल प्रवेश समस्या के समाधान के संबंध में।

18–वाराणसी नगर में अमर सेनानी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति लगाये जाने तथा लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी के अस्सी क्षेत्र में उनकी यादगार में मूर्ति लगाये जाने के संबंध में।

19–नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करने के संबंध में।

20–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कालोनियों तथा सड़कों पर जल जमाव के भीषण समस्या से निजात दिलाये जाने के संबंध में जैसे:–नगवा क्षेत्र, रविन्द्रपुरी, रविन्द्रपुरी विस्तार, खोजवां, दशाश्वमेघ, बाजार गोदौलिया, कबीर नगर आदि।

21–गोदौलिया चौराहे पर स्थित कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में।

22–वाराणसी नगर में व्याप्त सफाई दुर्व्यवस्था तथा बुझी हुयी स्ट्रीट लाइटों के संबंध में।

23–'वेसू' में कार्यरत वैकल्पिक बिजली मिस्त्रियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

24–प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने हेतु कोई भी ठोस कार्यक्रम न होने के संबंध में।

25–वाराणसी नगर महापालिका के निवर्तमान भ्रष्ट नगर प्रमुख को महापालिका भंग हो जाने के बाद उन्हें सलाहकार

समिति का चेयरमैन नियुक्त कर उन्हें सरकारी व्यय पर समस्त प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने के अनुचित सरकारी आदेश के औचित्य के संबंध में।

26–242, वाराणसी दक्षिणी क्षेत्र में सीवर का दूषित जलापूर्ति से लोगों के बीमार पड़ने तथा आगामी गर्मी में समुचित मात्रा में शुद्ध जलापूर्ति बनाये रखने की योजना का उल्लेख न होने के संबंध में।

27–जलापूर्ति हेतु पाईप लाइन बिछाये जाने के संबंध में।

28–काशी नगर को धार्मिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।

29–हरिश्चन्द्र घाट पर स्थित बन्द पड़े शवदाह गृह को अविलम्ब चालू करने के संबंध में।"

15 श्री राजेश कुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र चकिया के विकास खण्ड नोगढ़ में मिर्जापुर जिले में जो सोन लिफ्ट द्वारा पानी आता है। उस पानी को ग्राम जनकपुर एवं तिवारीपुर के बीच में मात्र 2 कि०मी० नहर की खुदाई करके मझगावां माइनर में मिलाने के संदर्भ में।

2–बांधों से नहरों में पानी निकलने की क्षमता को बढ़ाने के संदर्भ में।

3–नहरों एवं माइनरों की समुचित सफाई एवं उनके टूटे झाल एवं पुल पुलिया के मरम्मत के संदर्भ में।

4–नगर में ग्राम गजधरा, बोदारा खुर्द एवं जंगलपुर के सामने पुल निर्माण के संदर्भ में।

5–शहाबगंज विकास खण्ड के पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर ग्राम मंगरौर, रसिया, गढ़हर, चमारीपुर आदि गांवों के खेतों की सिंचाई हेतु कर्मनाशा नदी में लिफ्ट लगाने के संदर्भ में।

6–सभी नहरों एवं माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाने के संदर्भ में।

7–विकास खण्ड शहाबगंज में एक विद्युत उपकेन्द्र खेलने के संदर्भ में।

8–नौगढ़ विकास खण्ड में मात्र 30 प्रतिशत विद्युतीकरण हुए ग्राम के स्थान पर 80 प्रतिशत ग्रामों में विद्युतीकरण एवं

विधान सभा के प्रत्येक विकास खण्डों के 80 प्रतिशत ग्रामों में विद्युतीकरण करने के संदर्भ में ।

9–चकिया विधान सभा क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय खोलने के संदर्भ में ।

10–भाड़े पर चल रहे राजकीय इण्टर कालेज नौगढ़ के भवन निर्माण के संदर्भ में ।

11–आदित्य नारायण इण्टर कालेज चकिया में अनुसूचित जाति के बच्चों के छात्रावास के संदर्भ में ।

12–लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास खण्ड चकिया, नौगढ़, शहाबगंज में प्रत्येक जगह राजकीय बालिका विद्यालय की स्थापना के संदर्भ में ।

13–चकिया में शेषन कोर्ट की स्थापना के सन्दर्भ में ।

14–पूरे विधान सभा क्षेत्र के वर्षों से बिगड़े सभी ट्रांसफार्मर को बदल कर नया ट्रांसफार्मर लगाने के संदर्भ में ।

15–गांवों में लगे विद्युत खम्भों में अविलम्ब विद्युत तार लगाने के सन्दर्भ में ।

16–जंगल एवं पहाड़ों पर बसे सभी गांवों में विद्युतीकरण एवं सभी ग्रामों के यातायात की सुगमता हेतु पिचरोड एवं सरकारी बसों को चलाने के संदर्भ में ।

17–चकिया के राजकीय डिग्री कालेज हेतु निर्मित भवन का जनहित में अविलम्ब हस्तान्तरण के सन्दर्भ में ।

18–मेरे विधान सभा क्षेत्र के नंगी पहाड़ों के नीचे बसे गरीब भूमिहीनों को जीवन यापन करने हेतु पत्थर तोड़ने की निःशुल्क अथवा शुल्क सहित वैधता प्रदान करने के सन्दर्भ में।

19–चकिया अहरौरी मुख्य मार्ग के मुदफ्फरपुर ग्राम के पास एवं चकिया चन्दौली मार्ग पर काँटा साइफन पर एवं धरौली बबुरी मार्ग के चन्द्रप्रभा नदी पर कुरई एवं जगदीशपुर के बीच में एवं गौड़ीहार के पास जनहित में अविलम्ब एक-एक पुल का निर्माण के सन्दर्भ में ।

20–नौगढ़ ब्लाक के ग्राम बाधी में दस वर्ष पूर्व बने जल निगम द्वारा टंकी से पानी सप्लाई के सन्दर्भ में ।

21–विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम सभा मंगरौर के सभी कुआं एवं हैण्ड पम्पों के खारे पानी की जांच कराकर पीने हेतु मीठे पानी के प्रबन्ध के सन्दर्भ में ।

22–चकिया विधान सभा क्षेत्र के सभी बिगड़े पड़े हैण्ड पम्पों के मरम्मत के सन्दर्भ में ।

23–चकिया विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश भू-भाग पर जंगल एवं पहाड़ है । उक्त भू-भाग को ध्यान में रखते हुए लघु

उद्योग, कुटीर उद्योग के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्र बनाने के संदर्भ में।

24–विकास खण्ड नौगढ़ राजदरी, देवदरी एवं चन्द्रप्रभा जल प्रपातों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सुन्दरीकरण कराने के सन्दर्भ में।

25–चकिया विधान सभा क्षेत्र के शहाबगंज, इलिया, सैदूपुर, नौगढ़, भीषमपुर, सिकन्दरपुर बाजारों को टाउन एरिया घोषित करने के सन्दर्भ में।

26–विकास खण्ड शहाबगंज के करइल क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सन्दर्भ में।

27–इलिया बाजार बिहार सीमा से सटी होने के कारण इलिया चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाने के सन्दर्भ में।

28–नौगढ़ में करोड़ों की लागत से निर्मित अधूरे प्रा० स्वा० केन्द्र को पूर्ण कराकर विभाग को हस्तान्तरित करने के सन्दर्भ में।

29–चकिया रोडवेज बस स्टेशन पर एक कार्यशाला के निर्माण के सन्दर्भ में।

30–प्रत्येक 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं महिला को 150 रुपये की मासिक पेंशन दिये जाने के सन्दर्भ में।

31–कुशवाहा जाति के लोगों को सब्जी उत्पादन के लिए निःशुल्क बोरिंग एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराये जाने एवं सब्जी व्यवसाय हेतु अनुदान देने के सन्दर्भ में।

32–मल्लाह, कहार बिरादरी के लोगों एवं कुम्हारों को नदी, तालाब में भागीदारी एवं पूर्व स्वामित्व एवं कुम्हारों को मिट्टी हेतु ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने के सन्दर्भ में।

33–असलहों के लाइसेंस नवीनीकरण जनहित में पूर्व की भांति तहसील स्तर पर परगना अधिकारी के ही माध्यम से कराने के सन्दर्भ में।

34–जंगलों के हो रहे अवैध कटान से शीशम, सागौन, आबनूस एवं अन्य कीमती इमारती लकड़ियों को बचाने हेतु कठोर एवं कारगर कार्यवाही करने के सन्दर्भ में।

35–सैदपुर बाजार के नाली विकास हेतु शासन से प्रबन्ध के सन्दर्भ में।''

16 श्री बदन सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आगरा में पेयजल संकट के निवारण हेतु जमुना नदी पर बैराज निर्माण के संबंध में।

2–आगरा में हाई कोर्ट की बेंच खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार से अपनी संस्तुति करने के संबंध में।

3–कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने की भी केन्द्र सरकार से कोई पहल किये जाने के संबंध में।

4–प्रदेश में होमगार्ड की सेवाओं का नियमितीकरण के संबंध में।

5–सेल टैक्स की समाप्ति के साथ-साथ राजस्व में होने वाली हानि की पूर्ति के लिए कोई विकल्प के संबंध में।

6–प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में।

7–प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण करने की नीति के संबंध में।

8–प्रदेश में नहरों के छोर पर पानी पहुंचाने की कोई विशेष योजना के संबंध में।

9–जनपद आगरा की तहसील किरावली में खारी नदी के बरसाती जल को रोककर जल स्तर ऊंचा लाने के लिए तथा पानी को मीठा करने के लिए उस पर जैगारा, खेड़िया, रिठौरा, ककोला, खेड़ा वाकन्दा घाटों पर बांध बनाने के संबंध में।

10–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित खारी नदी, वेस्टर्न रिप्रशन ड्रेन और गवंश नाले में पशु पेयजल आपूर्ति तथा कृषि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के संबंध में।

11–जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में।

12–जनपद आगरा की तहसील किरावली के खारे पानी को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम के पेयजल संकट को दूर करने के लिए छोटी-छोटी पेयजल योजनायें बनाये जाने के संबंध में।

13–प्रदेश के जनपदों में खारे पानी के क्षेत्र में वृद्धि को रोकने के लिए तथा उसको मीठा बनाने की सम्भावना खोजने तथा प्लाण्ट लगवाने के संबंध में।

14–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे राजकीय नलकूपों को खारिज करने के आदेशों को वापस लेकर उन्हें पी० बी० सी० के पाइपों से बनाने के संबंध में।

15–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर तोड़ मशीन से बोरिंग करके क्षेत्र को सिंचाई साधन विहीनता से बचाने के संबंध में।

16–जनपद आगरा के तहसील किरावली में ओला वृष्टि तथा बेमौसम वर्षा से हुई फसल बरबादी के संबंध में।

17–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित देवनारी माइनर जो फतेहपुर सीकरी ब्रांच से निकलती है, को हेड की ओर से तीन कि०मी० पक्की कराकर रिसने वाले पानी से देवनारी गांव की फसल बरबादी रोकने के संबंध में।

18–जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी अछनेरा तथा अकोला के पेयजल संकट दूर करने के संबंध में।

19–जनपद आगरा की अछनेरा नगर पालिका के जलकल संस्थान व सीवरेज कर्मचारियों को नवम्बर, 1993 से फरवरी, 1994 तक का वेतन एवं वर्ष 1986 से पी० एफ० जमा न करने तथा एरियर का भुगतान न करने के संबंध में।

20–जनपद आगरा के कस्बा मलपुरा तथा अछनेरा और सरैधी पर 33 के०वी० के विद्युत सब-स्टेशन बनाने के संबंध में।

21–जनपद आगरा के शहर, फतेहपुर सीकरी, अछनेरा नगरपालिकाओं तथा किरावली टाउन एरिया में पेयजल आपूर्ति संकट दूर करके उसे सुनिश्चित करने के संबंध में।

22–जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नगला झब्बा व नगला हन्नू में सांस रोग तथा नहवानी व सलेमाबाद के जाटव मुहल्लों में कमर झुकने की बीमारी को रोकने के लिए तथा प्रदूषित जलापूर्ति रोककर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में।"

17 श्री ओम प्रकाश सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

(1) किसानों की फसल को वन रोगों से होने वाली क्षति से बचाने का उपाय एवं वन रोगों से किसानों की सुरक्षा ।

(2) प्रत्येक अनुसूचित बस्ती एवं गांवों का समयबद्ध विद्युतीकरण ।

(3) चुनार क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना ।

(4) चुनार घाट पर पीपे के पुल का पथ कर समाप्ति की घोषणा ।

(5) चुनार गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गारन्टी ।

(6) वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का प्रतिमाह नियमित भुगतान की गारन्टी ।

(7) वियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना ।

(8) चुनार तहसील में खेलकूद प्रोत्साहन स्टेडियम का निर्माण ।

(9) सीखड़, चुनार रायणपुर, अदलहार व जमालपुर में पेयजल की अच्छी व्यवस्था करना ।

(10) अदलपुरा पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि एवं खुटहन माइनर का निर्माण ।

(11) गड़ई नदी की सफाई ।"

18 श्री तेजभान सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जामो से भादर जनपद सुल्तानपुर स्थित मार्ग को राज्य सेक्टर में पुनः स्वीकृत कर इसी वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण कराया जाये ।

2–विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में गांव पुरवा में लगाये गये विद्युत खम्भों को उर्जीकृत किया जाये ।

3–शाहगढ़ तरपीपुर, जनपद सुल्तानपुर मार्ग पर नाले पर पुल बनाया जाये ।

4–जनपद सुल्तानपुर की जौनपुर ब्रान्च के ग्राम गोरियाबाद व रेसी के पास सायफन व एक गोरिया ड्रेन पर नहर निर्माण ।

5–ग्राम बरोलिया व हरीगांव सरेसर के शुद्ध पेयजल हेतु पेयजल समूह (जल निगम से) का निर्माण ।

6–भीमे से सहमें परशरामपुर मार्ग का निर्माण ।

7–रेसी से वीरपुर, लोरिकपुर घने पर मार्ग का निर्माण ।

8–रेसी से वीरीपुर लोरिकपुर घने पर मार्ग का निर्माण ।

9–मनीपुर से सारीपुर पड़ती मार्ग का निर्माण ।

10–गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र की समस्त खड़ंजा स्तर की सड़कों का लेपन ।

11–सेवई से बासू मार्ग का लेपन ।

12–जलालपुर ड्रेन की बाढ़ योजना में स्वीकृत पुनोवार तथा सरमे जनपद सुल्तानपुर के पास पेहरा असर के पास पुल निर्माण ।

13–गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर को टाउन एरिया घोषित किया जाये ।

14–ग्राम शाहपुर पिछौली, राजापुर खाखरदेई, जनपद सुल्तानपुर में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण ।

15–जनपद सुल्तानपुर में ग्राम दखिनवारा के लाला का पुरवा व गुरदत्तगंज (जूहीपुर) पुरामऊ व हरदोइया, टीघा कयासी में स्टेट ट्यूबवेल का निर्माण ।

16–रामगढ़ी से बरोलिया मार्ग का लेपन ।

17–जनपद सुल्तानपुर के जौनपुर ब्रान्च के भावनीगढ़ के दक्षिण पूरे तिवारी होते हुए हरदोई मार्ग में मिलाना ।

18–ग्राम जौनपुर ब्रान्च से औसी बैस पुरवा, भीखीपुर होते हुए अमरबोझा से होकर बरोलिया मार्ग तक निर्माण ।

19–रामगढ़ी से बरोलिया मार्ग का लेपन । रामगढ़ी से पूरे भिखई सोनार से निधानकुंवर तक मार्ग निर्माण ।

20–जौनपुर ब्रान्च के दक्षिण पूरे तिवारी होते हुए हरदोई मार्ग में मिलाना ।

21–बाबा झामदास कुटी होते हुए गोपालपुर मार्ग का निर्माण ।

22–आदिलपुर से पूरे पटखन वाया कतखनपुर होते हुए रायबरेली सीमा तक मार्ग निर्माण ।

23–सैठा मार्ग से अलानगर होते हुए रायबरेली सीमा तक मार्ग निर्माण ।

24–रायबरेली मार्ग से बाबा सगरा के पास से ऐंधी ग्राम होते हुए रायबरेली सीमा तक ।

25–ताला से गूडुर होते हुए बाबूपुर मार्ग का निर्माण ।

26–रौजा से पंडित का पुरवा, गुलालपुर होते हुए नीमी तक मार्ग निर्माण ।

27–आनन्द नगर से अफइया होते हुए कमलानगर कसरावां से उसरा होते हुए तरसड़ा तक का मार्ग निर्माण ।

28–शाहगढ़ से जलामा होते हुए अड़ारू तक मार्ग निर्माण ।

29–सराय हृदयशाह से लकियापुर होते हुए बसनाटीकर मार्ग निर्माण ।

30–टोपी से राहीपुर तक मार्ग निर्माण ।

31–दुलारीनगर से बाबा की सरैंया जमनापुर होते हुए रायबरेली मार्ग तक सड़क का निर्माण ।

32–माधवपुर शाहगढ़ रोड के ग्राम पलिया से शाहगढ़ को जोड़ना ।

33–गोरियाबाग मार्ग के 17वें व 18वें कि०मी० से बालापुर से मीरामऊ तक रायबरेली सीमा तक मार्ग निर्माण ।''

19 श्री मातवर सिंह कण्डारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जखोली भीरी रणधर (बांगर) बदाणी विजयनगर तैला, अन्थोली मठियांण खल, मूलगढ़ थर्ती बन लीपांवली अखोड़ी, वगवान जामनी खल, लक्ष्मोली हिंसरियाखल, गड्डा चौकी पिपलीघर, डांगधरी कीर्तिनगर सिल्काखल पांणव बडियार-काण्डा-सोराखल-तिलवाड़ साराखल महादेव आछरीखून, गूलर गड़, गजा-शिवपुरी आगराखल कुसरैला आदि अधूरे मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार से दिलाने के संबंध में क्योंकि उक्त सभी मोटर मार्ग वन भूमि के कारण अधर में लटके हुए हैं ।

2–रूद्रप्रयाग एवं नरेन्द्र नगर को अलग नये जिले का दर्जा देना ।

3–हुलानाखाल एवं चाका में नवीन विकास खण्डों का सृजन करना ।

4–जखोली, चाका, हिन्डोलाखाल में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना ।

5–लसाद वाया तथा परियोजना का नव निर्माण शुरू करना ।

6–प्राइमरी पाठशालाओं, जू० हा० स्कूलों, हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडियेट कालेजों में अध्यापिकाओं, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को नियुक्ति करना क्योंकि कई पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं ।

7–अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति पुनः देना ताकि रिक्त पदों की पूर्ति हो सके ।

8–विकास खंड जखोली में कागज एवं गत्ता उद्योग तथा विकास खंड नरेन्द्र नगर में चूना उद्योग, कैल्सियम कार्बोनेट उद्योग एवं विकास खण्ड देव प्रयाग में सोयाबी प्लान्ट लगाना तथा विकास खंड कीर्तिगंज में कलरी वी० का कारखाना लगाना ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके ।

9–जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल का अधूरा कार्य पूर्ण करवाने तथा लघु जल परियोजना तिलवाड़ टि० ग० जो वर्षों से बन्द पड़े हैं चालू करना ।

10–जनपद टिहरी गढ़वाल में 46 विद्युत ट्रांसफारमर एक वर्ष से जले हुए हैं, किन्तु इनका बदला नहीं जा रहा है इन ट्रांसफारमरों को कल बदला जाना चाहिये ।

11–वन अधिनियम को लचीला बनाने हेतु भारत सरकार पर जोर देना संस्तुति ।

12–राजकीय एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करना जहां पद रिक्त पड़े हैं ।

13–विकास खण्ड कीर्तिनगर टि० ग० में कोई आई० टी० आई० नहीं खुला है इसलिये बागसैण में आई० टी० आई० खोलना ।

14–भवन रहित हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में भवन निर्माण करवाना ।

15–भवन राहत अस्पतालों में भवन निर्माण कराना ।

16–लवा चाका, जवाडी पैठिया, सिल्काखाल पाणव, हिसटियाखाल एवं झण्डीधार लिफ्ट पेयजल योजनाओं का निर्माण कराना ।

17–उत्तरांचल में लघु उद्योगों की स्थापना करना ताकि बेरोजगारी दूर हो सके ।

18–भूकम्प से क्षतिग्रस्त राजकीय हाई स्कूलों इंटर कालेजों के भवन निर्माण अविलम्ब कराना ।

19–भूकम्प राहत से वंचित लोगों को राहत दिलाना ।

20–हिल कैडर को तत्काल लागू करना ।

21–छोटे छोटे ब्लाकों एवं जिलों का गठन उत्तरांचल में करना क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति मैदानों से भिन्न है ।

22–जड़ी बूटियों पर आधारित उद्योगों की स्थापना उत्तरांचल में करना ।

23–टिहरी बांध के निर्माण हेतु पूर्ण धन उपलब्ध कराना तथा बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना ।

24–गरीब कृषकों के 10,000 रु० कर्जे माफ करना ।

25–जनपद टिहरी गढ़वाल को सुखाग्रस्त घोषित करना क्योंकि रबी की फसल सूखे से 90 प्रतिशत नष्ट हो गयी है ।

26–बदाणीताल, सिद्धसीड, चन्द्रबदनी, हुलासखाल, माठयाणखाल ढन्डेश्वर महादेव, कोकडाकोट रमणिक स्थलों पर्यटक स्थल घोषित करना ।

27–चमराडादेवी (भरपूर) धार्मिक स्थल का विकास करना ;

28–नैलचामीगाड पर बाढ़ नियंत्रक कार्य करना ।

29–फल्टी योजना, मत्स्यपालन केन्द्र एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर उत्तरांचल परियोजना का आर्थिक विकास करना ।

30–विकास खण्ड जखोली में जलागम प्रबन्धक परियोजना की इकाई खोलना ।

31–जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण इलाके तपोवन ढालवाला, शिशममंडी, 14 बीघा, मुनिकीरेती को हरिद्वार विकास प्राधिकरण से अलग करना ।

32–कीर्तिनगर टि० नं० तथा नरेन्द्रनगर टि० ग० में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करना ।

33–चौरास कीर्तिनगर ब्लाक टि० ग० में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना करना ।

34–उत्तरांचल में सब्जी उत्पादन पर बल देकर नैलचामी दुगड्डा डांगचौरा, तुनैटा टि० ग० में सब्जी ' त्पादन की योजना बनाना ।

35–दआधार तथा जखोली टि० ग० में अंगूरा फार्म की स्थापना करना ।

36–उत्तरांचल में महिला कल्याण हेतु हथकरघा उद्योग नीटिंग, सिलाई, कढ़ाई केन्द्र खोलना । ''

20 श्री रमापति शास्त्री

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

(1) जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र डिकसिर में विकास खण्ड बेलसर तरबगंज, नवाबगंज व वजीरगंज में बचे हुए गांवों में सघन विद्युतीकरण करना ।

(2) सरयू घाघरा के कटान से तहसील तरबगंज गोण्डा में लगभग 20 गांव प्रभावित होते हैं कटान रोकने हेतु विस्तृत योजना बनाई जाय ।

(3) नवाबगंज गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर महिला चिकित्सालय जोड़ते हुए 30 बेड का अस्पताल बनाया जाय ।

(4) विधान सभा क्षेत्र डिकसिर गोण्डा में प्रत्येक गांव की मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाय ।

(5) नगर नवाबगंज में व डिकसिर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाय ।

(6) नवाबगंज अस्पताल चौरा से पटपरगंज होते हुए जनथिर तक सड़क को पूरा कराया जाय ।

(7) विधान सभा डिकसिर गोण्डा में शीशी चौराहे से गौहानी अकबरपुर होते हुए रामपुर ढेंगरहा तक सड़क का निर्माण एवं रामपुर टेंगरहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय ।

(8) विकास खण्ड तरबगंज गोण्डा में ग्राम सभा व्योंदा से बनगांव होते हुए तरबगंज तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

(9) विकास खण्ड बेलसर में उजटी बेगमगंज से सेमरी सिघौरी से बन्धा तक अधूरे कार्य को पूरा कराया जाय आजाद नगर से पांडे दुर्जनपुर के सड़क को पक्का निर्माण कराया जाय ।

(10) बलसर से बन्जरवां तथा बड़सड़ा बदलापुर मार्ग को पक्का कराया जाय ।

(11) नवाबगंज नगर पालिका में पोक्ता दरवाजा प्रा० पाठशाला जो जीर्ण अवस्था में है अविलम्ब निर्माण कराया जाय ।

(12) जनपद गोण्डा में नवाबगंज से ढमवा घाट तक अधूरे मार्ग को पूरा कराया जाय व चौखड़िया घाट, बलहा घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय ।

(13) तरबगंज गोण्डा से कटहा, खजरी, पथार मार्ग को तत्काल निर्माण कराया जाय ।

(14) गांव सभा पथार (तिवारी का बाजार) के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय ।

(15) बन्धा से पराश तक कच्चे मार्ग को पक्का कराया जाय और बीच में पुलियों का निर्माण कराया जाय ।

(16) ग्राम सभा मैनहना से गडौली मार्ग को पूरा एवं पक्का कराया जाय ।

(17) विधान सभा डिकसिर गोण्डा के प्रत्येक विकास खण्ड में कन्या इण्टर कालेज एवं एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय ।

(18) विकास खण्ड नवाबगंज में टिकरी कटरा रोड से बैजलपुर जाने वाली सड़क को रामपुर तक तथा पुनः खडौवा चौराहे तक पक्का निर्माण कराया जाय ।

(19) नवाबगंज तरबगंज रोड से बल्लीपुर से अशोकपुर होते हुए अनुभुला तक अधूरे कार्य को पूरा कराया जाय ।

(20) विकास खण्ड तरबगंज गोण्डा में बन्धा से बहादुरपुर तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

(21) विधान सभा डिकसिर, गोण्डा में ग्राम सभा पकड़ी से जम्था, भानपुर सरसवां तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

(22) विकास खण्ड नवाबगंज गोण्डा में तुलसीपुर मांझा से रांगी होते हुए बन्धा तक सड़क को जोड़ा जाय ।

(कार्य पूरा कराया जाय)

(23) विकास खण्ड तरबगंज गोण्डा में शीशी चौराहे से बीकापुर होते हुए गोप सलाय तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

(24) विकास खण्ड तरबगंज गोण्डा में तरबगंज करनीपुर तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

(25) विकास खण्ड बेलसर, गोण्डा में बेलसर गुजेड़ तक पक्की सड़क आवश्यक है । निर्माण कराया जाय ।

(26) विधान सभा क्षेत्र डिकसिर के ग्राम सभा परसदा से देवन्दा बकियापुर तक सड़क व परसडा से नमदही भिखारीपुर तक सड़क का निर्माण व इन ग्रामों के बीच में पुलिया भी बनवायी जाये ।

(27) विधान सभा डिकसिर गोण्डा के अन्तर्गत उमरी बेगमगंज से डिकसिर व ग्राम डिकसिर से नियावां तक अधूरी सड़क को पूरी तरह पक्का कराया जाए ।

(28) विधान सभा डिकसिर के ग्राम विशनोहरपुर से सेमरा शेखपुर घाट पर पक्का पुल बनवाया जाय । तथा बन्धे तक सड़क निर्माण कराया जाय ।

(29) विकास खण्ड नवाबगंज गोण्डा में खुराना कोल्डस्टोरेज से ग्राम लौव्वावीरपुर तक सड़क आवश्यक है, बनायी जाय ।

(30) विकास खण्ड तरबगंज गोण्डा में ग्राम सेझिया से जूझारीपुर गौहानी वाली सड़क पूरी कराकर पक्का कराया जाय ।''

21 श्री हाजी मोहम्मद हयात

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–तीन लाख आबादी वाले उपनगर अमरोही को जिला बनाने के सम्बन्ध में ।

2–अमरोहा के भीषण पेयजल संकट के समाधान हेतु ।

3–अमरोहा नगर में जल भराव की निकासी के सम्बन्ध में ।

4–राजकीय इण्टर कालेज (कन्या) अमरोहा में दो शिफ्टों में कक्षाएं लगाने के सम्बन्ध में ।

5–उपनगर अमरोहा में राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में ।

6–अमरोहा नगर में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था में पावर स्टेशन लगाने तथा बिजली के जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में ।

7–प्रथम श्रेणी की नगरपालिका अमरोहा की जरजर सड़कों को बनवाने के सम्बन्ध में ।

8–कताई मिल अमरोहा में स्थानीय लोगों को नौकरियां देने के सम्बन्ध में।

9–अमरोहा तहसील की बेरोजगारी दूर करने के लिए नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

10–उच्चीकृत पी० एच० सी० अमरोहा में रखी एक्सरे मशीन से कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।

11–अमरोहा कांठ रोड बांद नदी पर बने पुल का टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में।

12–उपनगर अमरोहा में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

13–अमरोहा नगर में धोबी समाज हेतु धोबी घाट बनाने के सम्बन्ध में।

14–अमरोहा तहसील के ग्रामों की सिंचाई का पिछड़ापन दूर करने के सम्बन्ध में।

15–अमरोहा तहसील में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन नियमित रूप से वितरित कराने के सम्बन्ध में।

16–उत्तर प्रदेश के बाहर से आने वाली बीड़ी पर सरचार्ज लगाने के सम्बन्ध में।

17–तहसील अमरोहा में स्टाम्प डियुटी के बोझ को कम करके जनपद की अन्य तहसीलों के समान करने के सम्बन्ध में।''

22 श्री ओंकार सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–सोरोनगर की 40 हजार की आबादी के जीवन यापन के लिए सोरों को तीर्थ स्थान की श्रेणी में घोषणा।

2–सहाबर टाउन जिसकी आबादी 30 हजार की है, में तुरन्त राजकीय इ० कालेज की स्थापना।

3–सहाबर से मोहनपुर, साढ़े चार किमी० अधूरा मार्ग, खुशपुरी से अमापुर 8 किमी० अधूरा मार्ग, चाही मार्ग नगला, लोचन से साढ़े पांच कि०मी० (अधूरा मार्ग) बीनपुर कला केता होता हुआ बुडफरा से बम्बा तक अधूरा मार्ग 6 किमी० (प्रह्लादपुर गंगागढ़ मार्ग 3.808 अधूरा मार्ग सोरो पाली कालेज से बरकुला तक 4 किमी० अधूरा मार्ग का निर्माण

कार्य पूर्ण कराने तथा कयासुर मार्ग से अलादीनपुर गडिया, हिमोली होता हुआ बाजनगर 4.500 किमी० का निर्माण के सम्बन्ध में ।"

23 श्री आचार्य जगदीश मुनि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद हरिद्वार में विद्युत संयोजन की गम्भीर समस्या है । किन्तु विद्युतीकरण में हरिद्वार में केवल एक ही गांव लिया गया । जबकि आधा जनपद अंधेरे में रहता है वहां विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में ।

2–हरिद्वार का उपजाऊ घाड़ क्षेत्र एवं लालढांग क्षेत्र में नलकूपों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

3–जनपद हरिद्वार के भोगपुर व भीखमपुर क्षेत्र में गंगा की बाढ़ द्वारा हजारों एकड़ भूमि कटाव में बह गई वहां पर ठोकरें बनाने के सम्बन्ध में ।

4–फिर कभी गंगा में आई बाढ़ से कटाव न हो तदर्थ गंगा तट बांध बनाने के सम्बन्ध में ।

5–हरिद्वार जनपद में रायसी-लक्सर रोड पर बाण गंगापुर अर्द्ध-निर्मित सेतु बनाने के सम्बन्ध में ।

6–हरिद्वार से लक्सर–पुरकाजी दिल्ली मार्ग को चौड़ा करने हाट मिक्स द्वारा निर्माण करने के सम्बन्ध में ।

7–सुल्तानपुर व भोगपुर–रायसी मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में ।

8–सुभागढ़–ज्वालापुर मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में ।

9–सुल्तानपुर–भोगपुर मार्ग में बाण गंगा पर रपटा बनाने के सम्बन्ध में ।

10–ज्वालापुर–सुभाषगढ़ मार्ग में सोलानी नदी का रपटा बनाने के सम्बन्ध में ।

11–हरिद्वार जनपद में गांवों के लिए सम्पर्क मार्ग (पक्का मार्ग) बनाने के सम्बन्ध में ।

12–भुपतवाला हरिद्वार में तीन नाली के पानी की निकासी हेतु चौड़ा गहरा नाला बनाने के सम्बन्ध में ।

13–हरिद्वार के अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ होने के कारण 24 घंटे विद्युत देने के सम्बन्ध में ।

14–हरिद्वार की बढ़ती जनसंख्या एवं यात्रा संख्या के अनुसार जल सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।

15–हरिद्वार तीर्थ के सभी गलियों एवं मार्गों को पक्का करने के सम्बन्ध में।

16–गत नगरपालिका सदस्यों द्वारा बालिका भूमि की खरीद फरोक्त की जांच कराने के सम्बन्ध में।

17–सीवर लाइनों के अभाव को देखते हुये नई सीवर लाइन बनाने के सम्बन्ध में,

18–बरसाती पानी की निकासी हेतु बरसाती पानी के नाले बनाने के सम्बन्ध में,

19–आनेकी-हेतमपुर गांव सभा में शासन के हेतमपुर अम्बेडकर गांव में नलकूप के स्पष्ट आदेश होने पर भी नलकूप अन्यत्र लगाने की जांच के सम्बन्ध में।''

24 श्री बची सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित सामग्री का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उत्तरांचल क्षेत्र में सितम्बर, 1993 की बाढ़ व भूस्खलन तथा वर्तमान सूखे से प्रभावित काश्तकारों को राहत देने व सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का किया जाना ;

2–पेयजल संकट को देखते हुए ध्वस्त योजनाओं के निर्माण व अभावग्रस्त ग्रामों के लिये विशेष योजना शुरू कर पेयजल उपलब्ध कराना।

3–अधूरे मोटर मार्गों को पूरा करना तथा नये लिंक मोटर मार्गों का निर्माण,

4–अल्मोड़ा जनपद की भिकियासैण तथा रानीखेत तहसीलों को मिलाकर नये जनपद रानीखेत का सृजन करना,

5–लगातार आन्दोलनरत तदर्थ एवं अंशकालिक शिक्षकों का विनियमितीकरण तथा समायोजन,

6–रामगंगा नदी पर चुलेरा सीम, छिवाड व बसेड़ी पर पैदल पुलों का निर्माण तथा कुजगड नदी पर देना कोट पर पैदल पुल,

7–उत्तरांचल क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर पिछड़ेपन के आधार पर उत्तरांचल वासियों को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान करना,

8–उत्तरांचल क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों व विकलांगों को जो सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, पूर्व की भांति आरक्षण का लाभ दिया जाना,

9–शिक्षा विभाग में प्राइमरी से महाविद्यालय तक रिक्त हजारों पदों को स्थानीय बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों द्वारा भरा जाना,

10–उत्तरांचल क्षेत्र के शिक्षित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति में पिछड़ा क्षेत्र के आधार पर पचास प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करना,

11–सरकारी बसों में यात्रा में पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को पचास प्रतिशत की छूट प्रदान करना,

12–उद्यान विभाग में वर्ग–3 के पदों हेतु शैक्षिक योग्यता पूर्व की भांति इण्टर कृषि विज्ञान करना,

13–उत्तरांचल राज्य के पूर्व पारित प्रस्ताव को केन्द्र सरकार से स्वीकृति कराने हेतु किये गये राज्य सरकार के प्रयास,

14–चौखुटिया-भिकियासेन में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना,

15–हाई स्कूल व इण्टर कालेजों का उच्चीकरण व प्रान्तीयकरण,

16–उत्तरांचल क्षेत्र में अध्यापकों व चिकित्सकों आदि के हजारों रिक्त पदों पर नियुक्ति,

17–मानिला व धूरापाट क्षेत्र सहित पेयजल हरित क्षेत्रों में पम्पिंग पेयजल योजना,

18–रानीखेत, स्याल्दे, सदन क्वैराला व दौला आई० टी० आई० भवनों का निर्माण करना,

19–जल निगम व जल संस्थान का एकीकरण कर 'जल परिषद्' का गठन किया जाना,

20–बी० टी० सी० परीक्षाफल घोषित करना व बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियरों को नियुक्ति प्रदान करना,

21–रानीखेत क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना,

22–रानीखेत क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु रज्जू मार्ग, झील, हार्स राइडिंग, सौन्दर्यीकरण आदि योजनायें बनाना,

23–चौखुटिया व सराईखेत में पूर्व स्वीकृत पर्यटक आवास गृहों का निर्माण,

24–कच्चे मोटर मार्गों का पक्कीकरण व डामरीकरण,

25–मद्य निषेध अथवा खुली बिक्री के लिए पूरे प्रदेश के लिए समान नीति तय किया जाना,

26–पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण लागत अधिक होने से योजनाओं का मानक लागत के अनुसार तय किया जाना,

27–पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर को प्रभावी बनाने हेतु अलग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाना,

28–स्थान चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा में पर्वतीय क्षेत्र के अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन के संबंध में,

29–जनपद अल्मोड़ा में मछोड़, जालली तथा मासी को नये विकास खण्डों का दर्जा दिया जाना।"

25 श्री शिव बहादुर सक्सेना — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–जनपद रामपुर में पिछले दो वर्षों से एक बड़ी कपड़ा मिल जिसमें लगभग 3200 श्रमिक कार्य करते थे बन्द हो गयी है उस मिल को चलाया जावे अथवा उतनी क्षमता की कोई और मिल लगाकर बेरोजगार युवक जो उस मिल में निकले हैं उन्हें रोजगार मिल सकें,

2–जनपद रामपुर में कोसी नदी, पीला खार नदी एवं धूघा नदी व राम गंगा नदी जनपद के चारों ओर बहती हैं। चारों नदियों में इण्डिया ग्लाइको काशीपुर-शिवा पेपर मिल, धमोरा-रामपुर शराब मिल बाजपुर, चीमा पेपर मिल काशीपुर आदि फैक्ट्रियों ने अपना काला जहरीला पानी डालकर नदियों को प्रदूषित कर दिया है जिसमें जिले में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं तुरन्त बीमारियां रोकने हेतु प्रदूषित पानी नदियों में डालने से रोका जावे,

3–प्रदेश के सभी जिलों में विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन जो स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें पिछले लगभग छः माह से पेंशन नहीं मिली है जिससे विधवायें व वृद्धायें भूख के कगार पर पहुंच रही हैं तुरन्त पेंशन बांटने की व्यवस्था की जावे एवं यह भी सुनिश्चित किया जावे कि क्या जिलेवार लक्ष्य के अनुसार पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।"

26 श्री शिव प्रताप शुक्ल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :–

1–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अविलम्ब धन देकर पूरा किया जायेगा।

2–गोरखपुर शहर स्थित राप्ती नदी पर दूसरा पुल बनाने की प्राथमिकता दी जायेगी।

3–किसानों के दुश्मन मण्डी शुल्क समाप्त किया जायेगा।

4–गोरखपुर मेडिकल कालेज में सीटी स्केल की व्यवस्था की जायेगी।

5–गोरखपुर के विकास के लिए रामगढ़ ताल स्थित बुद्ध विहार परियोजना को तुरन्त पूरा किया जायेगा।

6–गोरखपुर नहर के बेसिक शिक्षा भवनों के रख-रखाव के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा।

7–गोरखपुर स्पोर्ट कालेज को उच्चीकृत किया जायेगा।

8–गोरखपुर विश्वविद्यालय के रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था की जायेगी।

9–धुरियापार सहकारी चीनी मिल को तुरन्त पूरा किया जायेगा।

10–बुद्ध तथा गोरखनाथ का प्रभावी क्षेत्र होने के कारण गोरखपुर को धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जायेगा।"

27 श्री श्रीराम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद गोण्डा में मेरे विधान सभा क्षेत्र 162 कटरा बाजार के अन्तर्गत गोण्डा कचेहरी स्टेशन से कटरा बाजार मार्ग पर टेढ़ी नदी में चंदवतपुर घाट पक्का पुल बनाने के संबंध में।

2–करनैलगंज नहवा परसौवा देवा पसिया से मथुरा नयारनपुर कलां, झौहना मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण तथा चिवंटीपुर घाट पर पक्का पुल बनाये जाने के संबंध में।

3–गोण्डा जनपद में 162 कटरा बाजार क्षेत्र में मैजापुर रेलवे स्टेशन के पास गन्ना कृषकों के हित एवं जनहित में नई चीनी मिल की स्थापना के संबंध में।

4–जनपद गोण्डा के निवास खण्ड हलधर मऊ एवं कटरा बाजार में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में।

5–जनपद गोण्डा में दुबरा बाजार से कटुवा नाला तक (10 कि०मी०) लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग निर्मित तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बस चलाने के संबंध में।

6–जनपद गोण्डा में टाउन एरिया कटरा बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने के संबंध में।

7–रामापुर-दुबट्टा मार्ग को चार कि०मी० बढ़ाकर विशेशरगंज गंगाजमीनी (जनपद बहराइच) मार्ग से जोड़ने के संबंध में।

8–विधान सभा कटरा क्षेत्र के जिन ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं है उनमें विद्युतीकरण के संबंध में।

9–जिन ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं वहां प्राइमरी पाठशाला की स्थापना के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10–कटरा विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित 16 घण्टा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

11–राज्य सेक्टर से 92-93 में स्वीकृत जिसका धन आवंटित नहीं हुआ है बालपुर से कटरा बाजार मार्ग (लम्बाई 12 कि०मी०) को लेपन स्तर तक कराये जाने के संबंध में।

12–कौड़िया बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में।

13–कटरा विधान सभा क्षेत्र के जिन ग्रामों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है उनमें इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में।

14–राज्य सेक्टर से कौड़िया बाजार बसन्तपुर वाया जमथरा मार्ग (लम्बाई 9 कि०मी०) पर पत्थर गिट्टी बहुत दिनों से पड़ी है आज तक उस पर पेंटिंग नहीं हुई है जिसके कारण पत्थर गिट्टी उखड़ गयी है और सड़क बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है तथा आवागमन में बहुत ही बाधा होती है यहां घोड़ा-तांगा भी नहीं चल पाते हैं, राज्य सेक्टर से तुरन्त पेंटिंग कराने का कष्ट करें।

15–कौड़िया से जेठपुरवा मार्ग तक पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में।

16–कटरा विधान सभा क्षेत्र में कलस्टर नलकूप लगाये जाने के संबंध में तथा बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने के संबंध में।

17–कौड़िया से बेलवा बाजार तक सम्पर्क मार्ग बनाकर पक्की कराने के संबंध में।

18–गोण्डा-लखनऊ मार्ग पर परसागोडरी से पतिसा झोका सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक कराने के संबंध में।

19–करनैलगंज छतईपुरवा से वाया खुदईपुरवा खांरी-मलौना धमसड़ा–छतौरा सम्पर्क मार्ग को पक्का बनाया जाय।

20–दुबहा बाजार से नरायनपुर कला-रामपुर मार्ग/बालपुर परसपुर मार्ग से हड़ियागाढ़ा सम्पर्क मार्ग/बालपुर-बजरिया

अशोकपुर धोवाराय मार्ग को राज्य सेक्टर से लेपन स्तर तक बनाये जाने के संबंध में ।

21–पोर्टरगंज से भदुआतरहर मार्ग को लेपन स्तर कराये जाने के संबंध में ।

22– मैजापुर से सरबांगपुर तक पक्की सड़क लेपन स्तर तक बनाया जाय ।

23–कटरा बाजार से देवापसिया मार्ग को पक्की किया जाय ।

24–विकास खण्ड हलधरमऊ से कटरा बाजार सम्पर्क मार्ग पर गिट्टी पड़ी है सड़क ऊबड़-खाबड़ हो गयी है राज्य सेक्टर से लेपन तक निर्माण कराया जाय ।

25–मेरे क्षेत्र में टाउन एरिया कटरा बाजार में विद्युत सब-स्टेशन 11 के० वी० का तत्काल निर्माण कराया जाय ।"

28 श्री तीरथ राज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–सोनभद्र जनपद जो लगभग पूर्ण रूप से पठारी एवं पहाड़ी जनपद है को बुन्देलखण्डीय सुविधाओं को दिये जाने की कोई चर्चा नहीं है । इसे पूर्वांचल की सुविधा मिलती है जो कतई व्यवहारिक नहीं है ।

2–सोनभद्र जनपद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यातायात के लिए सड़कों के निर्माण में वन विभाग द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

3–जनपद सोनभद्र जो प्रदेश के सम्पूर्ण विद्युत उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग अकेले पैदा करता है, आदिवासी बाहुल्य जनपद होने एवं ग्रामीण विद्युतीकरण में अत्यन्त पिछड़े होने के बाद भी सोनभद्र जनपद को प्रदेश के विद्युतीकृत ग्रामों के औसत के बराबर करने हेतु विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4–राजकीय डिग्री कालेज, राबर्ट्सगंज की स्थापना शिक्षा सत्र प्रारम्भ करने का भी कहीं उल्लेख नहीं है ।

5–राजकीय डिग्री कालेज, ओबरा में स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रारम्भ करने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

6–जनपद सोनभद्र में एक भी राजकीय कन्या इण्टर कालेज न होने के बाद भी जनपद में रा० क० इण्टर कालेज खोले जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है ।

7–सोनभद्र जनपद के गुर्मा नामक स्थल पर एक आई० टी० आई० खोले जाने का प्रस्ताव होने के बाद भी इसके संबंध में भी चर्चा नहीं है ।

8–आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जनपद में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है । इसकी भी चर्चा नहीं है ।

9–जनपद सोनभद्र की राबर्ट्सगंज तहसील में पन्नूगंज विद्युत सब-स्टेशन को धन देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

10–सोनभद्र जनपद के तमाम जल संसाधनों का उपयोग दूसरे जनपदों में कर दिये जाने की दशा में भी प्रस्तावित जैसौली सिंचाई परियोजना, निर्माणाधीन नहर सिंचाई परियोजनाओं को क्रमशः प्रारम्भ करने एवं पूर्ण कराने का उल्लेख नहीं है ।

11–दुद्धी विढंगगंज मार्ग पर निर्माणाधीन कनहर पुल को पूर्ण करने एवं तिलगुड़वा कोन मार्ग पर कनहर नदी पर पुल सिन्दुरिया-महलपुर नेवारी मार्ग पर रेंण एवं बिजुल नदियों पर पुल बनाने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

12–सोनभद्र जनपद के चोपन ब्लाक में पाण्डु नदी पर प्रस्तावित लिफ्ट कैनाल के संबंध में भी कहीं चर्चा नहीं है ।

13–किसानों के द्वारा गन्ने की खेती कुछ सीमित क्षेत्रों में ही की जाती है । सम्पूर्ण कृषि उत्पादकों के मूल्यों में भी वृद्धि करने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14–प्रदूषण से ताज महल को बचाने की चिन्ता तो उचित है लेकिन सोनभद्र जनपद में तैमूर के दक्षिण का भू-भाग जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है, का प्रदूषण दूर करने का उल्लेख नहीं है ।

15–विद्युत परिषद् के अनावश्यक व्यय में कमी करने के लिए परिषद् परियोजनाओं के लिए भूमि जो अनावश्यक/अधिगृहीत की जाती है, को रोकने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

16–सोनभद्र जनपद के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वहां के भित्ति चित्र, कंदराओं, गुफाओं, झरने आदि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का कहीं उल्लेख नहीं है ।

17–सोनभद्र जनपद जो स्वयं पिछड़े जनपदों में आता है के 8 में से 5 विकास खण्ड आदिवासी बाहुल्य है, को भी यातायात, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत व्यवस्था हेतु कोई कारगर एवं विशेष योजना का उल्लेख नहीं है ।

18–सोनभद्र जनपद में हंसुआ नाले पर पुल, घाघर एवं कर्मनाशा पर पप्टा कुण्डी नाले पर पुल आदि के निर्माण की कहीं कोई चर्चा नहीं है ।

19–सोनभद्र जनपद में कैमूर दक्षिण सोनपार क्षेत्र को ब्रिटिश हुकूमत से लेकर वर्ष 1974 के पहले तक जानस्वार देहरादून परगना (पर्वतीय क्षेत्र) की तरह पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्र की सारी सुविधायें वहां के मूल निवासियों को मिलती थीं और जो सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आज भी मिल रही है वही सुविधायें वहां के मूल निवासियों को दिये जाने के संबंध में ।

20–ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चोपन ब्लाक के कोन सब-स्टेशन एवं म्योरपुर ब्लाक के म्योरपुर सब-स्टेशन के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।"

29 चौ० उदय भान सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखत जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आगरा जनपद में 8 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है जिसमें जनपद की लगभग सभी तहसील बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उसमें भी आगरा सदर तहसील में साठ फीसदी फसल नष्ट हो गयी है जिससे किसान तबाह हो गया है इस मुख्य दैवी आपदा को देखते हुए आगरा जनपद में किसानों से सभी सरकारी अदायगी रोक दी जायेगी एवं उस पर अगले वर्ष तक सुविधा के साथ भुगतान करने की छूट दी जायेगी और उस पर एक वर्ष का कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

2–प्रदेश इस समय हत्या-बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी जैसी गम्भीर अपराधों से बुरी तरह ग्रसित है उसमें भी आगरा में समाज के शान्ति प्रिय लोगों का जीना दूभर हो गया है आगरा में 4 दिसम्बर से 20 फरवरी के 79 दिनों में अपहरण–7, आत्महत्या–16, हत्या–48, डकैती–7, लूट राहजनी–29, चोरी–21, बलात्कार–5, दंगा–8, सड़क दुर्घटना–44, लगभग 25 प्रतिशत गम्भीर अपराध घटित हुए हैं ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं से शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

3–आगरा जनपद रेगिस्तान की ओर मुड़ गया वर्षा का औसत गिर रहा है, भूमिगत जल लगातर खारा होता जा रहा है। मई-जून के माह में आगरा का जनमानस एक-एक घूंट को तरसता है आज आगरा का जनमानस मल-मूत्र का मिश्रित प्रदूषित जल पी रहा है ऐसी ज्वलन्त समस्या के होते हुए भी बैराज जैसी योजना हेतु सरकार द्वारा आदेश दिया जायेगा कि जहां भी बैराज बन सके अविलम्ब बनाया जाय।

4–ताजमहल आगरा के लिये अभिशाप बन गया है और दिल्ली के लिये वरदान बन गया है। विदेशी पर्यटक प्रातः आगरा आकर सायं दिल्ली इसलिये लौट जाता है क्योंकि उसे आगरा में बिजली और पानी समुचित मात्रा में नहीं मिलता है। अतः आगरा विदेशी के क्रय शक्ति का लाभ नहीं उठा पाता अतः आगरा के लिये अलग से चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति दिल्ली और बम्बई की तरह की जायेगी। आगरा को जीवित

रखने के लिये यह आवश्यक है कि आगरा के लिये ऐसी अनेक योजना बनाई जायेंगी जैसी अच्छी सड़क, पानी-विद्युत, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय और दिल्ली–बम्बई जैसी अन्य योजनायें ।

5–आगरा जनपद में बरौली अहीर एक ऐसा अभागा विकास खण्ड है जिसमें जनता और किसान एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहा है । इस ब्लाक में न तो नहर की सुविधा है और न ही कोई नल या झील अथवा बांध है जिससे सिंचाई की जा सके । अब मात्र नलकूप बचते हैं जिससे जनता अपनी प्यास बुझा सकती है और किसान अपनी फसल को सींच सकता है वह केवल विद्युत आपूर्ति से ही सम्भव है क्योंकि भूगर्भ में प्रानी 200 फीट तक भी नहीं मिलता, पानी का इतना गहरा खिचाव डीजल इंजन से कतई सम्भव नहीं है अतः ब्लाक बरौली अहीर सेजुड़ी यमुना नदी पर बैराज या बीयर बनाया जायेगा एवं सम्पूर्ण ब्लाक के गांवों को विद्युत से जोड़ा जायेगा प्रत्येक न्याय पंचायत को सरकारी नलकूप से जोड़ा जायेगा । प्रत्येक न्याय पंचायत में बड़े-बड़े जलाशय बनाये जायेंगे ।

6–देश के विख्यात कृषि विद्यालय राजा बलवन्त सिंह कालेज को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा ।

7–अकोला ब्लाक स्थित चौ० चरण सिंह महाविद्यालय जिसे भारतीय जनता पार्टी शासन में मान्यता मिल चुकी है, को दस लाख रुपया का विशेष अनुदान देने की बात जोड़ी जायेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र का यह महाविद्यालय अतिशीघ्र प्रारम्भ हो सके और ग्रामीण क्षेत्र में ऊंची शिक्षा का भी प्रसार हो सके ।

8–आगरा ज़नपद में अकोला–बिचपुरी बरौली अहीर ब्लाक में जिन ग्राम सभाओं को इलेक्ट्रीफाइड पन्द्रह वर्ष पूर्व किया गया था वहां के विद्युत खम्भे, तार, ट्रान्सफार्मर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गये हैं और जनता के जान लेवा बन गये हैं आये दिन तार-खम्भे गल कर गिर रहे हैं और जनता का काल कलेऊ कर रहे हैं। जिन ग्राम सभाओं को इलैक्ट्रीफाइड दस वर्ष पूर्व हुए हैं वहां के तार-खम्भे, ट्रान्सफार्मर आज की आवश्यकता को देखते हुए तुरन्त बदले जायेंगे ।

9–आगरा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो अविकसित कालोनी से जुड़ी है अर्थात आगरा में अनेक ऐसी कालोनी हैं जो विकास प्राधिकरण की लापरवाही अथवा सुविधा शुल्क न मिलने के कारण अथवा भू-माफियाओं से सांठ-गांठ करने के कारण अथवा सहकारी समितियों के किन्हीं अनजाने तकनीकी जानकारी की कमी के कारण भूविन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ लेकिन नई कालोनी में आबादी बसाई गई जो आज भी लाखों लोगों की आबादी बसी हुई है।

इस आधार पर वे नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण की दी जाने वाली सुविधा से वंचित हैं और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रत्येक कालोनी जिसमें आबादी बस चुकी है उनको वैधानिक अधिकार देते हुए नगर महापालिका से जोड़ने की जिम्मेदारी दिये जाने के संबंध में।"

30 श्री मित्रसेन यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–प्रदेश में कानून व्यवस्था और शान्ति सौहार्द को बिगाड़ने वाली ताकतें, सामन्ती साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में,

2–राजकीय संस्थाओं के निजीकरण से उत्पन्न मजदूरों की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के निराकरण हेतु कोई कारगर समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में,

4–सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा सघन सिंचन साधन उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना के बारे में,

5–प्रदेश में बढ़ते हुए पेयजल संकट के बारे में कोई कारगर कदम उठाकर कोई कारगर योजना बनाने के संबंध में,

6–प्रदेश में गिरते हुए जलस्तर से उत्पन्न होने वाले संकट के सम्बन्ध में,

7–दलित एवं शोषित जनता पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कोई विशेष कारगर उपाय सुलझाने के सम्बन्ध में,

8–भूमिहीनों को सरकारी कब्जे की भूमि तथा आवास स्थल को सीरदार घोषित करने के बारे में,

9–सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से किये जा रहे कर्मचारियों के निष्कासन/छंटनी और तालाबन्दी के बारे में,

10–प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने के सम्बन्ध में,

11–शिक्षित/प्रशिक्षित तकनीकी बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में,

12–जीवन रक्षक दवाओं के बढ़ते हुए मूल्य के बारे में कोई स्पष्ट नीति बनाने के सम्बन्ध में,

13–कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में संतुलन कायम करने की कोई समयबद्ध योजना बनाने के सम्बन्ध में,

14–ग्राम सभाओं, पंचायतों, विकास क्षेत्रों, थानों, तहसीलों, जनपदों के पुनर्गठन के सम्बन्ध कोई कार्य योजना बनाने के संबंध में,

15–समतामूलक समाज बनाने की दिशा में समान शिक्षा की कोई नीति बनाने के सम्बन्ध में,

16–सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को रोकने के बारे में,

17–सरकारी संस्थाओं में होने वाले आर्थिक घोटाले को रोकने के लिए और आर्थिक अपराधियों को दण्डित करने के लिए कोई नीति निश्चित करने के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु कोई कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

19–व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सरकार की किसी निश्चित नीति के सम्बन्ध में,

20–प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक संस्थाओं के विरुद्ध कोई कारगर कदम उठाने की पहल करने के सम्बन्ध में।''

31 श्री सूरज सिंह शाक्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद एटा में काली नदी पर गांव कबीरपुर व ढूंढरा के बीच स्वीकृत पुल के शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–मोहनपुर से सिढ़पुरा तक टूटी सड़क के बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–सकीट विधान सभा क्षेत्र में नगला महर्जी से वरसोडा जाते समय नाले पर पुल बनाने के सम्बन्ध में,

4–वकावली से मगथरा, नगला महर्जी शाहपुर जारई होते हुए अमापुर तक स्वीकृत सड़क शीघ्र बनवाने के सम्बन्ध में,

5–ग्राम झीगन से वरसोडा, वाछमई से वदूपुर, समौठी से खिरिया होती हुई भदौरिया नगला, ग्राम खिरिया से अजीतनगर, कायमपुर होते हुए सरावल, गोला वुआ से परसोन होते हुए नरौरी जलालपुर पलरा तक, ज्योरी से सड़क तक, गंजडुन्डवारा से वस्तरमऊ तक, वकावली से जलीलपुर, मोर्चा से नौगाणव, सोहार से जैतपुर, जलालपुर, दासपुर, व कुवरपुर नगरिया तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में, रूंगदपुर से सड़क तक पक्का रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–सिढपुरा, सकीट व मोहनपुर टाउन एरिया की सड़कें नाली बनाने व पानी की सुव्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में,

7–ग्राम खिरियापट्टी, जैधर, पदार्थपुर, वल्हारपुर, वस्थरमऊ, वहारपुर, नगला अन्डडआ, समौठी, सिरसौल, पिलखुनी, शहदपुर, वरथरी, अंगदपुर, फतेहपुर व नगला, मुवारिकपुर, पैदापुर, अल्लापुर, सराय, जलालपुर दासपुर, जैतपुर, कुंवरपुर नगरिया, ज्यूरी, लोहाखार, बरसोडा, झीगज, पावलढेरा, गढ़िया, सैनोट हमीरपुर, जलीलपुर, मेनौरी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

8–पिलखुनी से शेगढ़ के बीच नाले पर पुल, गोवर्धन नगला के पास नाले पर पुल, नरौरी के पास नाले पर पुल, लोहाखार के पास नाले पर पुल बनाने के संबंध में,

9–ग्राम, खरगातीपुर, महाराम नगला, शहदपुर, लालडुन्ड वारा, गोवर्धन नगला, मुवारिकपुर, कुल्ली, वहारपुर गढ़िया सैनोट ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला व इनकी इमारतें बनाने के संबंध में,

10–सिढपुरा टाउन एरिया में लड़कियों का इण्टर कालेज व सकीट व मोहनपुर में हाईस्कूल खोलने के सम्बन्ध में,

11–जनपद एटा में बन्द पड़े रजबहे खोलने के सम्बन्ध में,

12–किसानों हेतु खाद/उर्वरक के दाम कम करने के संबंध में,

13–जनपद एटा में शान्ति व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में,

14–मलावन में रोडवेज की बसें सांयकाल रोकने के सम्बन्ध में व मैनपुरी से दिल्ली जाने वाली बसें सकीट होते हुए ले जाने के सम्बन्ध में।"

32 श्री अमरनाथ यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–243, वाराणसी महानगर हेतु शुद्ध पेयजल बराबर हर नागरिक को सफलतापूर्वक उपलब्ध होने के सम्बन्ध में।

2–उक्त क्षेत्र में सफाई मजदूरों के आवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

3–उक्त क्षेत्र के मलिन बस्तियों के सुधार करने के सम्बन्ध में।

4–दिनांक 29 जनवरी, 84 को उक्त क्षेत्र के राजाबाजार में हुए गोलीकाण्ड में मृत श्री रमेश सोनकर व घायल श्री मुन्नालाल यादव जिनकी दोनों आंखें खराब हो गयी है, को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में।

5–वाराणसी जिले में कानून व्यवस्था और शान्ति को बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में।

6–मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बुनकरों, मजदूरों, शिक्षित, बेरोजगारों, महिलाओं एवं निर्बलों के आर्थिक सुधार हेतु कोई योजना बनाने के सम्बन्ध में।

7–नक्खी घाट (वाराणसी) के वरूणा नदी पर एक नये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है।

8–उक्त क्षेत्र के जोहटिय से छमुहानी (जैतपुरा) तक के सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

9–उक्त क्षेत्र के विशेश्वरगंज से कतुआपुरा होते हुए हनुमान फाटक से होकर जी०टी०, रोड तक जाने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।

10–उक्त क्षेत्र के मंडी विशेश्वरगंज, लाटमैख से लिया जाने वाला मंडी शुल्क का उपयोग उपभोक्ताओं व किसानों के लिए होने के सम्बन्ध में।

11–उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पार्क जैसे–परेड कोठी, जगतगंज, सेनपुरा, संजय गांधी नगर में कोई माली की व्यवस्था न होना एवं देखभाल संरक्षण करने के सम्बन्ध में।

12–उक्त क्षेत्र के टेलपरिया औसानगंज महामंडल नगर लाजपतनगर, इगलीशिया लाइन में नया ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में।

13–उक्त क्षेत्र के मैदाकिन चौरा जगतगंज चौराहा, विशेश्वरगंज चौराहा आदि पर यातायात निर्माण के सम्बन्ध में।

14–उक्त क्षेत्र में पानी की लाइन जिन क्षेत्र में नहीं है, वहां पर व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।"

33 श्री रंगनाथ

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–औराई में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

2–भदोही वि० ख० के चौरी में कन्या हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,

3–औराई चीनी मिल के घाटे को दूर करने के सम्बन्ध में,

4–भदोही जनपद के उद्घाटन की तारीख के सम्बन्ध में,

5–कालीन उद्योग को बढ़ाने के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में,

6–मिर्जापुर जनपद तथा भदोही जनपद को उद्योग शून्य जिला घोषित करने के साथ नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में,

7–मान्यता प्राप्त (स्थाई) हाईस्कूल, इण्टर कालेज को एड देने के सम्बन्ध में,

8–भारत के गौरवशाली अतीत का अवबोध कराने वाली वैदिक गणित की शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

9–संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

10–ग्रामीण नागरिकों को लाइट विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

11–दुरासी नलकूप के री-बोर किये जाने के सम्बन्ध में,

12–मानिकपुर तथा बरकी राजकीय नलकूप के ट्रांसफारमर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

13–भईहरदो पट्टी सालों से बन्द नलकूप को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

14–ज्ञानपुर नहर से बाही निकालने के सम्बन्ध में,

15–गोबिन्दपुर बरवा आदि गांव के नागरिकों से जबरदस्ती लगान न वसूलने के सम्बन्ध में,

16–ज्ञानपुर नहर पर सायर, सीडर, तिउरी, लठिया, दरीपुर, बरवां, गोबिन्दपुर, रामफेर आदि स्थानों पर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में,

17–उगापुर से मानिकपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

18–ममहर से गिरिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

19–भझमेड़िया–कपसेटी अधूरे मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

20–धनापुर भई पचपेटिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

21–चौरी से अनकपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

22–जगन्नाथपुर गांव तक (भदोही ब्लाक) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

23–डोमैला-दुरासी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

24–जी०टी० रोड से लालपुर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

25–वाराणसी जिले में सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु कारगर योजना बनाने के सम्बन्ध में,

26–गिर्द बड़ा गांव, घोसिया, जगन्नाथपुर डोमैला औराई विधान सभा क्षेत्र में भवनहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भवन बनाने के सम्बन्ध में,

27–बर्जा औराई वि०ख० में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में,

28–औराई वि० ख० में हाथी से भिटकुरी, भटुका तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

29–सहसेपुर, सकलपुर, उगापुर में जलनिगम की टंकी लगाने के सम्बन्ध में,

30–डिधवट तथा छड़ौरा नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

31–पुरुषोत्तमपुर, भदोही ब्लाक में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

32–भदोही वि०ख० के ममहर ग्राम के बृजराज नामक व्यक्ति को फर्जी मुकदमें में चोरी थाने में नामजद करने वाले मुकदमें समाप्त करने के सम्बन्ध में।''

34 श्री सुरेश कुमार खन्ना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनसंख्या को घटाने के लिये सक्रिय प्रयासों का,

2–प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने तथा बेरोजगारी न दूर करने की स्थिति में बेरोजगारों को भत्ता देने के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन तथा रोजगारोन्मुखी करने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में बढ़ती अराजकता, बलात्कार, अपहरण तथा भयंकर कानून व व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के सम्बन्ध में,

5–नगरों में बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में,

6–नगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

7–कृषि भूमि पर पुत्रों की भांति पुत्रियों को भी बराबर का अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में,

8–ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन व निर्बल वर्ग के लोगों को भी भूमि अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने तथा उनके द्वारा न्याय मांगने पर कब्जा वापस न किये जाने के सम्बन्ध में,

9–शाहजहांपुर में सीतापुर, बरेली मार्ग पर निवाणपुर के पास बाई-पास का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

10–शाहजहांपुर जनपद की समस्त नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने के सम्बन्ध में,

11–शाहजहांपुर जनपद में बेरोजगारी दूर करने के लिये नये कारखाने लगाने के सम्बन्ध में,

12–शाहजहांपुर जनपद की नहर रौजा रजबहा व शाहाबाद रजबहा में पानी न आने से सैकड़ों गांव भूखमरी के कगार पर पहुंच गये जिनको निजात दिलाने के सम्बन्ध में,

13–शाहजहांपुर जनपद की मावल खेड़ा ब्लाक में खराब हुए नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

14–शाहजहांपुर में 300 शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

15–शाहजहांपुर नगर पालिका कर्मचारियों का पिछले छः माह से वेतन न मिलने के कारण उन लोगों का भुखमरी के कगार पर पहुंचने के सम्बन्ध में,

16–शाहजहांपुर जनपद में सभी विकलांगों, विधवाओं व वृद्धों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

17–शाहजहांपुर जनपद की पुवायां चीनी मिल समय से पूर्व बिना किसी ठोस कारण के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

18–शाहजहांपुर जनपद को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में,

19–शाहजहांपुर में अजीजगंज में विद्युत एवं स्टेशन का निर्माण कार्य न प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में,

20–शाहजहांपुर नगर में पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति न हो पाने के सम्बन्ध में,

21–शाहजहांपुर नगर की जर्जर सड़कों की मरमम्त होने व उनमें मांगों के निर्माण के सम्बन्ध में,

22–शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रभावित लोगों को अभी तक पुनर्वास न दिये जाने के सम्बन्ध में,

23–शाहजहांपुर में सफाई व्यवस्था सुचारुरूप से न होने के कारण बीमारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में,

24–शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा ब्लाक में एक इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

25–शाहजहांपुर जनपद के खुटार ब्लाक में अमर उजाला समाचार पत्र के प्रतिनिधि के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने तथा उनमें कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

26–शाहजहांपुर जनपद में भुन्डीघाट व कोलाघाट तथा गौहरपुर घाट पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में,

27–शाहजहांपुर जनपद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थान पर लखनऊ से सम्बद्ध करने अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में।''

35 श्री अजय कुमार पोइया प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मथुरा जनपद के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोअर कैनाल आगरा एवं अपर कैनाल आगरा द्वारा टेल तक खेतों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न कराये जाने वाले अधिकारियों को निलम्बित किया जायेगा तथा खेतों को कुण्ड भरऊ पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।

2–अपर कैनाल आगरा सिंचाई विभाग द्वारा पलखों माइनर, कोसी रजबहा द्वारा जतीपुरा सुरभि कुण्ड तक एवं जुहेंदी माइनर से नरहौली टेल तक पानी हर हालत में वर्तमान में सिंचाई की आवश्यकता के अनुरूप पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।

3–यह है कि रसूलपुर माइनर लोअर कैनाल आगरा के लालपुर माइनर से जोड़ कर पानी टेल तक पहुंचाया जायेगा ।

4–यह है कि "मानसी गंगा" गोवर्धन में गंगा का पानी तुरन्त भरवाया जायेगा तथा अशुद्ध जल के निकास की व्यवस्था की जायेगी ।

5–यह है कि करह खण्ड के सेरसा पीलुआ खादिकपुर माल छड़गांव तक कोह, मिर्जापुर, किरारई शहजादपुर से ओल परखम मार्ग, परखम से किरावली, फरह से गड़ाया लतीपुर अम्बेदकर नगर, बरारी से आंवला सुल्तानपुर, अड़ूकी से सोख मथुरा मार्ग, कोथरा से बछगांव, बरारी से घाना शमशाबाद से धर्मपुरा ओल तक सड़क पर डाबर प्रिंट जोधपुर से अछनेरा कोठम मार्ग, मेघपुर से पीगरी, पीगरी के शेष भाग पर डावर प्रिंट पुरमरा, पोरी से शहजादपुर पर सड़क निर्माण बंगलाबाजार से मखदूम से फरह तक तोष से गोरा फैचरी से ताजना, अहमल से शीश राम, बरारी से बलरई झड़ीपुर मार्ग का निर्माण, पलसों से मुडसेरस जानू से भीलम, मडसेरता से भीलम तक दो सेरसा से मडसेरस तक, भवनपुरा से जामनावता, पालई से गोवर्धन मथुरा रोड मखराई से अडींग, वेने से जंगली चर्चीदा मोड सेमधरी कुंड तक सतोहा से जुग्सुटी वाया नगला बोहरा, चौकीपुरा से लुहारा, हरीपुरा से राधाकुण्ड, गोवर्धन मार्ग, पेंठा से नगला दे वीया, नगलापहलवारिया को राधाकुण्ड छठीकरा मार्ग को सड़क से जोड़ने हेतु विशेष धनराशि बजट में प्राविधान कर जोड़ा जायेगा ।

6–ऊंचा माइनर की टेल से अगरी टेल तक गूल का निर्माण, छड़गांव भुडरसू गांव की जलभराव की समस्या गांजाली कट से धिरावली झुडावर्ड से किरारई आगरा सीमा तक वर्षा से पूर्व नाले का निर्माण जिससे गरकी की समस्या का हल कराया जायेगा ।

7–यह कि बजट सत्र में जती पुरा, महोली हेतु पेयजल की टंकी की व्यवस्था की जायेगी ।

8–यह है कि सामूहिक पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित टंकियों को सुचारु व्यवस्थित कर पानी पीने का उपलब्ध कराया जायेगा ।

9–यह है कि मथुरा जनपद में सुयोग्य पुलिस कर्मचारियों की जिम्मेदारी पदों पर सौंपा जायेगा ।

10–यह कि लालपुर माइनर के टूटने से हुई किसानों की क्षतिपूर्ति की जायेगी ।

11–यह कि थाना फरह के अन्तर्गत नगला मियां में पड़ी डकैती में साहस के साथ मुकाबला करने वाले युवा युवक राम बाबू को दस लाख रुपये तथा विधवा पत्नी एवं विधवा मां को पेंशन के साथ युवा बहिन की शादी के लिये विशेष अनुदान दिलाया जायेगा ।

12–यह है कि वेटनरी कालेज में सामूहिक नकल होने पर भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा अतः प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

13–मथुरा जनपद में हुई ओला वृष्टि से फसल की क्षति के लिये विशेष अनुदान दिया जायेगा तथा आबपासी शुल्क माफ किया जायेगा ।

14–यह है कि फरह बस स्टैण्ड परिवहन निगम पर समस्त बसें अन्दर होकर रुकेंगी तब ही आगे बढ़ेंगी ।

15–यह है कि गोवर्धन मथुरा रोड जमुनावला पर बसें रुका करेंगी ।

16–यह है कि मथुरा से बन्द पड़ी ओल की बसें चालू की जायेंगी तथा रात्रि में बस रुक कर प्रातः जायेंगी ।

17–यह है कि गोवर्धन जतीपुरा आप्रोर में सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत तोड़ फोड़ करा दी गयी हैं वहां काम सौन्दर्यीकरण का प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा पीड़ितों को दुकान शासन स्तर पर दी जायेगी ।

18–यह है कि कोनई का पुल अविलम्ब बनवाया जायेगा तथा बजट में प्राविधान होगा ।

19–यह है कि मथुरा जनपद के समस्त टाउन एरिया नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों को पूरे बकाया के साथ वर्तमान का वेतन दिलाया जायेगा ।

20–यह है कि मथुरा जनपद के बृज क्षेत्र के महत्व को देखते हुए होलिकोत्सव मनाने की दृष्टि से नन्दगांव, वरसाना, बल्देव, श्री कृष्ण जन्म

भूमि मुखराई आदि आदि स्थानों पर विशेष अनुदान राशि से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

21–यह है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि पर सुरक्षा के नाम पर पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिये तत्काल पुलिस कर्मियों को वहां से हटा दिया जायेगा जिससे हिन्दू धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे तथा महिलाओं से छेड़खानी एवं शराब सेवन के दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा ।

22–यह है कि मथुरा जनपद में गर्मी से पूर्व समस्त ग्रामों में पीने का पानी इंसानों को तथा जानवरों का पोखरों में पानी भरवा दिया जायेगा तथा जो अब तालाब सूख गये हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भरवा दिया जायगा और पीने के पानी की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जायेगी ।

23–यह है कि थाना सादाबाद के पचावर ग्राम में गुड्डी नामक अनुसूचित जाति जाटव स्त्री को निवस्त्र घुमाने की घटना के पश्चात् उसके बयान जबरन बदलवाने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा तथा बाल्मीकि/जाटव अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा दोषियों को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा ।

24–यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से शहरों के नागरिकों की तरह चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराया जायेगा ।

25–यह है कि समस्त विधायकों को सुरक्षा के लिये शैडो के साथ गनर दोनों ही उपलब्ध कराये जायेंगे ।

26–यह है कि रमजान के समय बिजली पानी एवं सफाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

27–यह है कि समस्त त्योहारों पर विशेष चीनी राशन उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 10 किलो अतिरिक्त दी जायेगी ।

28–यह है कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र को विशेष अनुदान देकर पिछड़ेपन को दूर किया जायेगा ।

29–यह है कि गोवर्धन टाउन एरिया के द्वारा यात्री कर जो वसूला जा रहा है वह समाप्त किया जायेगा ।

30–यह है कि बरारी फरह रैपुरा जाट के मध्य कस्बे की सड़कों को ऊंचा कर गलियों के साथ निर्माण कराया जायेगा ।

31–यह है कि लोअर कैनाल आगरा के नाले द्वारा बाद के किसानों की बर्बाद फसल को अनुदान देकर आबपासी माफ की जायेगी ।

32–यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षार्थ हथियार दिये जायेंगे ।

33–यह है कि डकैती, अपहरण, हत्या के पीड़ित परिवारों को बिना औपचारिकताओं के साथ कोई धनराशि बिल जमा कर उसी समय दे दिये जायेंगे ।

34–यह है कि छात्राओं की थानों में तत्काल रिपोर्ट दर्ज होगी ।

35–यह है कि मथुरा जनपद में "सन्त रैविदास" शो संस्थान की स्थापना की जाय ।

36–यह है कि गन्ना किसानों से कम्प्यूटर खर्चा का 10 रुपया समाप्त किया जायेगा ।

37–यह है कि मथुरा जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों से सायं से रात्रि तक होने वाली कटौती समाप्त की जायेगी ।

38–यह है कि कस्बा सांग में निर्माण कर बिजली विभाग द्वारा बिल्डिंग जो जीर्ण-शीर्ण होने जा रही है उसका उपयोग किया जायेगा ।

39–यह है कि धनगांव के विद्युत सब-स्टेशन को चालू किया जायेगा ।

40–मथुरा जनपद में प्रस्तावित योजनाओं की धनराशि में पिछले वर्ष की अपेक्षा जो कमी की गयी है उसमें वृद्धि की जायेगी तथा उसकी दुगनी वृद्धि होगी जिससे विकास जनपद मथुरा का होगा ।

41–मथुरा जनपद की सहकारिता विभाग में फैले भ्रष्टाचार सहकारी समिति फोडर जिसमें लगभग 8 लाख का फर्जी ऋण तथा धनगांव समिति, मथुरा आत्म निर्भर समिति आदि में दोषियों को दंडित करने के साथ जेल भेजा जायेगा ।"

36 श्री राम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में तीन हजार से पांच हजार जनसंख्या वाले ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें कि प्राइमरी पाठशाला नहीं है जैसे कि चौगानपुर, कुसपा, तुलसीगढ़ी, हिम्मतगढ़ी, पोखरपुर, वरैना, जरैना, सैदव, भमरउआ, नामनी, ईश्नपुर, दीवलाझेड़ी आर्यपुरा, नयावास,

अफजलपुर करीरी, रल्ला, नगला दानसाप, शेरपुर, कमरऊआ, हुसैनपुरा, हर्जीपुरा, नौजलपुर, नगला विधि, नगला सुमाली, नगला कोठी, नगला धारिकपुर, नगला तर्सी लच्छिमपुर, नयावास, ढकनगल, किला डिवाई खर्द, पला रानीवाला, औरंगाबाद, वाद, नगलाहरी सिंह, तुर्कीपुरावास, नगला पीपरी, अजीजाबाद, पीतमपुर, जीराजपुर, दातापुर, नाऊ नगला मदनपुर, बरखेड़ा, सालाबाद, कुतकपुर नपोवास में जनहित में प्राइमरी राजकीय पाठशालाओं का निर्माण कराया जायेगा।

2–राजकीय मार्ग–18 मेरठ–बदायूं सड़क नगर डिवाई के अन्दर होकर जाती है डिवाई नगर में अन्दर से बाजा में होकर कर्णवास रोड जाती है जिसमें अधिक भीड़ रहने के कारण आवागमन में बहुत ही असुविधा रहती है जिसके कारण कर्णवास क्षेत्र के लोग बाजार माल लाने या सामान ले जाने में दिन में असमर्थ रहते हैं। इसलिये जनहित में उक्त मार्ग से अफजलपुर से कर्णवास रोड तक बाई पास बनवाया जायगा।

3–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में डिवाई-कुसप-दानपुर मार्ग पर नाले का जनहित में कुसपा पर पुल बनवाया जायगा तथा धर्मपुर से बेलौन और खिड़कवारी से त्रिलोकपुर नाले का पुल बनवाया जायगा क्योंकि वर्षा ऋतु में यह मार्ग बन्द रहने से आम जनता को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

4–डिवाई क्षेत्र में ऊसर पड़ी भूमि पर राजकीय कृषि डिग्री कालेज खोला जाय क्योंकि 90 कि० मी० तक कृषि कालेज नहीं है तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज भी क्षेत्र में खुलवाया जायगा।

5–डिवाई क्षेत्र में भारत सरकार का एटोमिक पावर प्रोजेक्ट नहौना में स्थित है। गत वर्ष जिसमें आग लग गई जिसके कारण एटोमिक पावर कारखाना ब्लास्ट होने के कगार पर पहुंच गया था जिससे क्षेत्र में जनजीवन को भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया था यह खतरा अभी भी बना हुआ है आम आदमी के जीवन की सुरक्षा की गारन्टी इस क्षेत्र में देनी होगी। आवागमन को सुलभ बनाने के लिए इस क्षेत्र में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जाना अत्यन्त आवश्यक है नरौरा–दिल्ली एवं नरौरा–आगरा, नरौरा–बदायूं, नरौरा–मुरादाबाद की सड़कें चौड़ी होकर मिक्स प्लांट द्वारा करानी चाहिये, नरौरा डिपो का तुरन्त उद्घाटन करके चारों तरफ की राजकीय बसें चलाई जायें। फैक्टरी की 20 कि० मी० की परिधि में 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिये, एटोमिक कारखाना से खतरनाक गैस निकल-निकल कर पड़ोसी गांव वालों को असर कर रही है इसलिये 20 कि० मी० की परिधि में सभी गांव वालों व्यक्तियों को मेडिकल सुविधा एन० ए० पी० पी० द्वारा कराई जानी चाहिये। एटोमिक

प्रोजेक्ट को 20 कि० मी० परिधि में प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा जायेगा।

6–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में मां भवानी का बेलौन में बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो तीर्थ स्थल है जहां पर दूर-दूर के यात्री लोग लाखों की संख्या मे प्रति वर्ष मां भवानी के दर्शन करने आते हैं राजकीय सभी बसों को नरौका से नलोब, रतनपुर तिराहा पर होकर डिवाई को निकाला जाय और तिराहा रतनपुर पर फेअर स्टापेज बनाया जायगा।

7–मेरे क्षेत्र में नहर अनूपशहर ब्रांच 5/6 दिसम्बर, 94 की रात को मील 94.93 मऊनगला ग्राम पर पानी अधिक आने से टूट गई है जिससे कई गांवों के किसानों की फसलें 4 दिन लगातार पानी नहर का चलने से नष्ट हो गई गरीब किसानों को फसल का मुआवजा दिलाया जायेगा।

8–डिवाई नगर की 80 हजार की आबादी है उसके आस-पास लगे करीब 150 गांव है लेकिन नगरपालिका डिवाई में आज तक राजकीय अस्पताल नहीं है जिला परिषद् का छोटा सा अस्पताल है जिसमें दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती हैं डिवाई क्षेत्र की जनता को 70 कि० मी० दूर बुलन्दशहर इलाज को जाना पड़ता है जिसमें अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में डिवाई में स्थित जिला परिषद् अस्पताल को राजकीय अस्पताल में (50 बेडों वाला) परिवर्तन कराया जायेगा।

9–मेरे क्षेत्र से लगी गंगा नदी है जिसमें भूमिहीन, बैकवर्ड, कादी मल्लाह जाति के लोग गंगा की रेती में पालेज करते थे लेकिन इस वर्ष इन गरीब लोगों से रेत के ठेकेदारों ने अनधिक तरीके से 200 से 300 रुपये तक प्रति बीघा लगान वसूल किया है। कोई रसीद भी नहीं दी है। गंगा तट पर यह लोग इसी तरह गुजर बसर करते थे लेकिन बहुत से गरीब लोग धन अभाव में माफियाओं को धन देने में असमर्थ रहे और गरीबों को पालेज नहीं करने दी। गरीबों को गंगा की रेती में पालेज भी कराया जायगा।

10–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में कसेरकलां पर 1100 के० वी० की विद्युत सब-स्टेशन 7 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था विद्युत विभाग का सामान मौके पर पहुंच गया था जिसकी चौकीदारी में एक लाइन मैन रहता है। उसे पूरा कराने की कृपा की जाय। क्षेत्र में विद्युत की समस्या को दूर करने के लिए 11000 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन धर्मपुर व शेखपुर पर बनवाया जायगा।

11–पासूपुर से दानपुर व दानपुर से धर्मपुर तथा बेलौन से जरगवां सड़कों पर कई वर्ष पूर्व पत्थर डाला गया था उसे पेंटिंग करायी जायगी।

12–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिये उद्योग की स्थापना की जायगी ।

13–किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं एवं बिजली सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

14–डिवाई नगर में राजकीय बस स्टैण्ड व पानी के अभाव को दूर करने के लिये एक टंकी ट्यूबवेल लगवाया जायेगा,

15–डिवाई क्षेत्र में एक चीनी मिल व एक गत्ता मिल तथा बड़ा डेरी दूध उद्योग खोला जायगा ।

16–मध्य गंगा नहरों में पानी छोड़ा जायगा ।

17–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में तेजी से बढ़ रहे अपराधों, गुण्डा तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे ।

18–अतरौली स्टेशन से पंडनखाल, अनूपशहर रोड से शेखूपुर व चौढेरा तक पेंटिंग मरम्मत करायी जायगी ।

19–रामघाट, राजघाट, कर्णवास पर गंगातट पर पक्के घाट बनवाये जायेंगे,

20–डिवाईनगर क्षेत्र के विकास के लिए एक उद्योग नगरी स्थापित की जायेगी ।

21–हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम में अलीगढ़ में खोली जायगी ।''

37 श्री बचनू राम पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में,

2–हाथी बाजार में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खुलवाने के संबंध में,

3–राजातालाब में 10 शैय्याओं का अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में,

4–सत्तनपुर एवं बड़ागांव को जोड़ने के लिए वरुणा नदी पर पुल के संबंध में,

5–कौरउत, सिरुया छिपौनी मुंगलपुर कोटवा को कोरउतघाट पर वरुणा नदी पर पुल बनाकर कोईराजपुर हरहुआ आदि को जोड़ने के संबंध में,

6–रामेश्वर तीर्थ स्थान पर बाईपास सड़क एवं वरुणा नदी पर पुल के संबंध में,

7–वरुणा नदी में छरका का निर्माण कर जल का उपयोग सिंचाई करने के,

8–ज्ञानपुर नहर में छोटे-छोटे किसानों की ली गई जमीन का मुआवजा दिलाने के संबंध में,

9- 246 गंगापुर बालिकाओं की शिक्षा हेतु ब्लाक आराजी लाइन में एक उच्चतर माध्यमिक राजातालाब एक सेवापुरी ब्लाक में हाई स्कूल के संबंध में,

10–246 गंगापुर करीब 50 प्रतिशत खराब पड़े नलकूप को ठीक कराने के संबंध में,

11–246 गंगापुर के कुछ ही गांवों में प्रकाश हेतु बिजली की व्यवस्था है, करीब 95 प्रतिशत गांवों में बिजली बिल्कुल नहीं है इन्हें बिजली देने के संबंध में,

12–246 गंगापुर प्रतापपुर हरसोस ईसीपुर, जगतपुर गांजारी छितौनी करोउत बेनीपुर, मेंहदीगंज के प्राइमरी पाठशाला की पुरानी व गिर गई इमारत को पक्की इमारत बनवाने के संबंध में,

13–246 गंगापुर क्षेत्र में जिन-जिन गांवों में प्राइमरी पाठशाला नहीं है प्राइमरी पाठशाला खोलने के संबंध में,

14–246 गंगापुर क्षेत्र मिर्जामुराद वादीपुर मार्ग रुयापुर बौडरिया मार्ग जी० टी० रोड से शहाबाबाद सागरपुर देरखू मार्ग चौखण्डी हाथी तेन्दुई, रामेश्वर मार्ग, हाथी सतनपुर इसीपुर चामापुर मार्ग के निर्माण के संबंध में,

15–246 गंगापुर क्षेत्र में मातलदेई बढ़ैनी कलां, बढ़ैनी खुर्द काशीपुर कण्ठीपुर आदि गांवों के लिए पेयजल नलकूप लगवाने के संबंध में,

16–246 गंजापुर क्षेत्र में भोपतपुर, टिकरी खुर्द के इलाके में पेयजल हेतु नलकूप के संबंध में,

17–किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र में वर्तमान नहरों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में और वाही निकालने के संबंध में,

18–क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के संबंध में,

19–जनता द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जू० हाई-स्कूल एवं हाईस्कूल वित्तीय सहायता से वंचित है उनको वित्तीय सहायता देने के संबंध में,

20–246 गंगापुर क्षेत्र में सरकारी सस्ते कपड़े की दुकान सस्ते गल्ले की दुकान अन्य घरेलू सामानों की दुकान खोलने के संबंध में,

21–जनपद वाराणसी और 246 गंगापुर में वर्षों से निर्माणाधीन रामनगर मोहन सराय बाईपास के निर्माण के संबंध में,

22–246 गंगापुर क्षेत्र राजातालाब में संचालित सब्जी मण्डी के आढ़तियों एवं कार्यालय आदि के भवन निर्माण के संबंध में,

23–246 गंगापुर में जी० टी० रोड जू० हा० स्कूल मिर्जामुरादर प्रतापपुर बंशीपुर असाढ़, बहेड़वा पिलोरी जसुआ मार्ग के पक्का एवं लेपन के संबंध में,

24–246 गंगापुर क्षेत्र में वादीपुर लच्छापुर पूरे टिकरी कंलां गांवों में कागज पर विद्युतीकरण हो गया पर मौके पर नहीं हुआ है किसान उपभोक्ता बिल का पैसा जमा कर रहे हैं इसके निराकरण एवं जांच के संबंध में,

25– राखी ग्राम में नलकूप तीन साल से रिबोर होकर पड़ा है चल नहीं रहा है इसके चलाने के संबंध में,

26–246 गंगापुर क्षेत्र में जी० टी० रोड, राजातालाब से मेहन्दीगंज मडई मार्ग 2 माह पहले पी० डब्लू० डी० द्वारा लेपन हुआ सारी गिट्टी लेपन का उखड़ गया, के इन्क्वायरी के संबंध में, और हथिवार वावतपुर मार्ग का लेपन मण्डी विभाग से करीब जनवरी, फरवरी, सन् 1994 में हुआ सारी गिट्टी उखड़ गई के जांच पड़ताल के संबंध में और दोषी अधिकारी को दण्डित करने के संबंध में,

27–चन्दौली क्षेत्र में हुए जातीय संघर्ष में लिप्त प्रदेश के मंत्री को हटाने के संबंध में,

28–नकल विरोधी अध्यादेश को बहाल किये जाने के 246-गंगापुर वाराणसी के संबंध में,

29–प्रदेश में गुण्डों एवं अराजक तत्वों को बढ़ावा देने तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली सरकार को बर्खास्त करने के संबध में,

30–मंगारी लल्लापुर प्रसाद पुर अहरक मार्ग को पक्का एवं लेपन कराने के संबंध में,

31–काजी सराय उचगांव, उदराजपुर ईटही बसंतपट्टी कृष्णापुर सैरा ग्राम में प्राइमरी पाठशाला खोलने के संबंध में।''

38 श्री राधेश्याम गुप्त प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के मार्ग नहीं है, अतः उनके निर्माण हेतु, ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण एवं

2–विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में शिक्षा का अभाव है । विद्यालय खोलने हेतु,

3–विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं विद्यतीकरण कराने हेतु, समाप्त हो गयी है जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता,

4–विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नहरों की पट्टी उसमें सुधार हेतु,

5–विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं नलकूपों में निर्माण हेतु,

6–नगरपालिका फतेहपुर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन बनाने हेतु,

7–नगर पालिका फतेहपुर में मार्ग की समुचित व्यवस्था हेतु,

8–नगर पालिका फतेहपुर में जीर्ण-शीर्ण विद्युत लाइनों व पावर स्टेशन की सुधार स्थापना हेतु,

9–नगर फतेहपुर महात्मा गांधी महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य कक्षाएं खोलने हेतु,

10–नगर फतेहपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर महिला महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षा खोलने हेतु ।"

40 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–देवरिया जनपद में छोटी गण्डक पर गोरयाघाट के पुल का निर्माण कराने के संबंध में,

2–बरियारपुर में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण करा कर किसानों, मजदूरों तथा व्यापारियों को भरपूर विद्युत सुलभ कराने के संबंध में,

3–देवरिया मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में एम० ए० कक्षाएं चलाए जाने की घोषणा के बारे में,

4–पड़रीमिल्ल से पिपरपाती-गोवराई-पोखरभिण्डा तक नहर की पटरियों, रणछोरकुटी से पिपरहिया तक बन्धों की सीलिंग कराने एवं अहरौली से कैथवालिया तक नहर की पटरियों की सीलिंग कराकर आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने के संबंध में,

5–बैकुण्ठपुर एवं कैथवलिया में छोटी गण्डक में पीपे के पुल के निर्माण की घोषणा के संबंध में,

6–कठिनहिया-वेलडाड सड़क को वरहज तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पिच कराने के संबंध में,

7–रामपुर कारखाना टाउन एरिया एवं पथरदेवा में जल निगम द्वारा अर्धनिर्मित कार्यों को पूरा कराकर नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में,

8–देवरिया नगर में छोटे-छोटे गुमटी दुकानदारों को स्थायी रूप से बसा कर व्यापार कर अपनी जीविका चलाने हेतु दुकानों के निर्माण के संबंध में,

9–ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 10-10 वर्षों से अधूरे पड़े ग्रामों जैसे घटैल गांव, असना, हरन्दापुर, सेमरहवां, जलुपरवा, पनौह, रघवापुर बनुआडीह, मुंडेरालाला आदि का अविलम्ब विद्युतीकरण एवं देवरिया नगर के विभिन्न मुहल्लों देवरियाखास, भुजौली, देवरिया रामनाथ, भटपलिया, सिन्धी मिल, रामगुलाम टोला, साकेतनगर एवं रामपुर कारखाना टाउन एरिया में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की अव्यवस्था दूर करने के संबंध में,

10–स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित टैक्स जिसे छोटे-छोटे दुकानदारों, खोमचों, ठेलों, मोची, दर्जी, चिकित्सक, बढ़ई, नाई एवं समस्त व्यवसायियों पर लगाकर स्थगित किया गया है, उसको समाप्त करने की घोषणा के संबंध में,

11–बिक्रीकर समाप्त करने, समस्त प्रकार के व्यापारी उत्पीड़न करने वाले मण्डीशुल्क, श्रम, बांट, मांप, ड्रग, लाइसेंस, खाद्य विभाग सेम्पुलिंग का आयोजन लाइसेंस बनाने एवं अनुपयोगी लाइसेंसी को समाप्त करने के संबंध में,

12–गन्ना किसानों की सुविधा हेतु नई चीनी मिल लगाने, पुरानी मिलों का विस्तार एवं बकाये गन्ने का भुगतान ब्याज सहित अविलम्ब कराने के संबंध में,

13–देवरिया नगर में रेलवे क्रासिंग पर निर्मित हो रहे ओवरब्रिज एवं भागलपुर में निर्मित घाघरा नदी के पुल के निर्माण को अविलम्ब पूरा कराने के संबंध में,

14–देवरिया जनपद में स्थित समस्त राजकीय ट्यूबवेलों की नालियों के निर्माण तथा नहरों की पटरियों की सीलिंग कराकर किसानों को सिंचाई के लिए एवं आवागमन के लिए उपयोगी बनाने के संबंध में,

15–सोनूघाट में रक्षा विभाग द्वारा राडार के लिए अधिग्रहीत लगभग 65 एकड़ भूमि जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है उसे किसानों को वापस करने की घोषणा के संबंध में,

16–महुआपाटन से धुसवा होते हुए पथरदेवा तक सड़क की पिच कर रोडवेज की बसें चलाने, देवरिया से करौन्दी तक नियमित बस चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की घोषणा के संबंध में,

17–देवरिया नगर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नागरिकों को कम लागत पर निर्मित आवास प्रदान करने के संबंध में,

18–देवरिया जनपद में स्थित समस्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित रूप से चलाने, नये उपकेन्द्रों के निर्माण, दवाओं की भरपूर व्यवस्था करने एवं अयोग्य कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण की घोषणा के संबंध में,

19–देवरिया जनपद में छोटे-छोटे सरकारी उद्योगों की स्थापना कर बेरोजगारी दूर करने के प्रयास की घोषणा के संबंध में,

20–बैकुण्ठपुर-आमघाट होते हुए महुआनी चौराहे तक सड़क का पिच कराये जाने के संबंध में,

21–देवरिया जनपद में बढ़ रहे अपराधों की व्यापक रोकथाम करने, कोतवाली देवरिया में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में,

22–देवरिया में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन तत्काल प्रदान कर राहत देने के बारे में।"

40 श्री राकेश सोनकर प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–कानपुर के विजय नगर, शान्ती नगर, मवैयापुरवा, अम्बेदकर में कई वर्षों से भरे हुए सीवर की समस्या के संबंध में,

2–कानपुर सुरक्षित सीसामऊ विधान सभा के मलिन एवं हरिजन बस्तियों के सुधार एवं पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में,

3–कानपुर नगर में विधवा पेंशन को सही समय से वितरण न होना तथा नए विधवा पेंशन फार्मों पर अविलम्ब विचार कर वितरण करने के संबंध में।''

41 श्री सतीश महाना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आने वाली गर्मी का ध्यान रखते हुए छावनी विधान सभा क्षेत्र कानपुर में लगे हैण्ड पम्पों एवं ट्यूबवेल्स को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में,

2–कानपुर जल संस्थान द्वारा सुचार रूप से जल आपूर्ति न करने एवं दूषित जलापूर्ति के सुधार के संबंध में,

3–जाजमऊ, जे० के० कालोनी स्थित श्रमिक आवासों की जीर्ण-शीर्ण दुर्व्यवस्था के सुधार के संबंध में,

4–नव विकसित क्षेत्र ताड़बगिया, तिवारीपुर, कैलाश नगर, आदर्श नगर, शिवपुरी, शिव कटरा, काजीखेड़ा, ओम पुरवा, जगई पुरवा, राजीव नगर, परदेबनपुर के नागरिक सुविधाओं के संबंध में,

5–कुली बाजार, धनकुट्टी, कलेक्टरगंज, भूसाटोली, हूलागंज, सुतरखाना में व्याप्त भीषण जल आपूर्ति की कमी के संबंध में,

6–सफीपुर में सीवर लाइन की सुचारु व्यवस्था न होने के संबंध में,

7–कानपुर में बिक्री हो रहे माद्रक पदार्थों पर रोक के संबंध में,

8–छावनी स्थिति एयर फोर्स गेट से लाल बंगला होते हुए मिलेट्री अस्पताल तक ओल्ड इलाहाबाद मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में,

9–गंगा प्रदूषण इकाई द्वारा गंगा नदी में टेनरियों के प्रदूषित जल जाने को रोकने के संबंध में,

10–इण्डो इन परियोजना के अन्तर्गत हो रहे कार्य की गुणवत्ता के संबंध में,

11–छावनी बोर्ड के अन्तर्गत स्थित मलिन बस्तियों में शौचालय एवं अन्य जन सुविधाओं के संबंध में,

12–त्रिवेणी नगर छावनी में सड़कों के निर्माण के संबंध में,

13–घंटाघर पर स्थित बस अड्डे के नवीनीकरण के संबंध में,

14–कृष्णा नगर में जल आपूर्ति एवं पुलिस चौकी को स्थानान्तरित करने के संबंध में,

15–छावनी विधान सभा स्थित ग्रामीण क्षेत्र मवइया की सड़क, पानी एवं बिजली के संबंध में,

16–ग्राम–जाना, शेखपुर, अलीलापुर, मोतीपुर, मदारपुर में सड़क तथा बिजली के सुधार एवं गन्दे नाले द्वारा सिंचाई की दर से चार गुना वृद्धि को रोकने के संबंध में।''

42 श्री महावीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–स्योहरा नगरपालिका में एक कन्या डिग्री कालेज का खोला जाना।

2–नूरपुर में बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज बालकों के लिये इण्टर कालेज खोलने के संबंध में।

3–बिजनौर में स्थापित राजकीय पालिटेक्निक के लिए डिग्री कालेज तथा एक पालिटेक्निक की स्थापना। इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर की शाखाओं का खोला जाना।

4–नूरपुर में 30 शय्याओं वाले स्वीकृत अस्पताल जिसकी चहार दीवारी का निर्माण वर्ष 92-93 में हो चुका है, को पूर्ण कराकर शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

5–ताजपुर एवं फीना ग्रामों को टाउन एरिया बनाया जाय।

6–फीना एवं स्योहारा में बस स्टैण्ड के लिए भूखण्ड अर्जित कर लिया गया है एवं चहार दीवारी का निर्माण भी हो गया है। यहां शीघ्र ही भवन निर्माण कराकर बस स्टैण्ड चालू किये जायें।

7–फीना में एक कन्या हाईस्कूल की स्थापना की जाय।

8–नूरपुर ब्लाक के ताजपुर एवं फीना ग्रामों में पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाय।

9–नूरपुर ब्लाक में ही ग्राम गोहावर के निकट एक चीनी मिल की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

10–ताजपुर में एक महिला चिकित्सालय की स्थापना की जाय ।

11–बिशुनपुरा एवं सुरानगला पर पुलों का निर्माण कराया जाना ।

12–स्योहरा-ठाकुरद्वारा मार्ग पर बैरखेड़ा घाट पर पुल का निर्माण ।

13–जिन पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र के भवन नहीं बने हैं, उन्हें बनवाया जाना तथा अधिकारियों का वहां पहुंचाना सुनिश्चित कराना ।

14–प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की जाय ।

15–बुढ़नपुर, सब्दलपुर, खानपुर, धारुपुर, फतिहाबाद, अब्दुलरहमान उर्फ पुरैना, लोदीपुर मिलक एवं पौटा में पशु चिकित्सा का प्राथमिक सेंटर ।

16–ब्लाक बुढनपुर के ग्राम शाहपुर खेड़ा, आलमपुरी, बगबाड़ा, कमाला, मंझोला की मण्डिया तथा नूरपुर ब्लाक के ग्राम मोर (निकट लोदीपुर मिलक) तथा विजयनगला का विद्युतीकरण किया जाना ।

17–ग्राम आजमपुर-धूंधली में सरकारी नलकूप का निर्माण ।

18–ब्लाक नूरपुर के ग्राम किरतपुर, धूंधली मुराइट मुशका एवं सीमला तथा ब्लाक बुढनपुर जमापुर जगीर की चकबन्दी कराया जाना ।

19–नूरपुर नगरपालिका में मंडी समिति बनाई जाये ।''

43 श्री प्रणत पाल सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मथुरा जिलों के अन्तर्गत नाला संज्ञा, अकोस, आरखेड़ा, अनौड़ा, सोनई, मदेम, हर्दपुर, मनीनावालू आदि अनेकों ग्राम ऐसे हैं जिनको लोगों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है । इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों पर पातालतोड़ नलकूप अविलम्ब लगाने के संबंध में ।

2–विधान सभा क्षेत्र गोकुल में सिंचाई की भीषण समस्या है । चार माइनर ऐसी है जिनमें 1968 से आज तक टेल तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा, जैसे गड़सौली माइनर, आंगई माइनर, दौलत माइनर, डरुआ माइनर, इन माइनरों के क्षेत्र में किसानों से फर्जी सिंचाई दर्ज करके सिंचाई शुक्ल वसूला जाता है । गोकुल बैराज जैसी महत्वपूर्ण योजना भी अधूरी पड़ी है जिसके पूर्ण होने से जहां सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।

3–भगवान श्रीकृष्ण ने जिस गोकुल में क्रीड़ा की तथा दाऊ जी महाराजा जो ब्रज के राजा है जहां पवित्र क्षीर सागर है किन्तु वहां

यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है । यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । अतः अविलम्ब बल्देव व गोकुल की तीर्थ स्थल घोषित कर बल्देव में सरकारी बस स्टैण्ड की स्थापना कर मथुरा से वाया गोकुल, बल्देव, राया, सादाबाद के लिए सरकारी बसें चलाई जायें ।

4–ऐसे गांव हैं जहां पक्की सड़क तो दूर पैदल तक आने जाने के रास्ते नहीं है जैसे नाला हंगा (बल्देव), नगला चिकन, शेरनी, सुथरिया (लालपुर महावन) एवं बसेला आदि उक्त स्थानों पर सड़क निर्माण के संबंध में ।

5–विधान सभा क्षेत्र गोकुल में लगभग 5 वर्षों से विद्युतीकरण के लिए गांवों में खम्भे खड़े हैं लेकिन तार नहीं है तथा लगभग 75 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ जैसे–मुड़सौनिया, चौहरी, ककरेटिरया, दूधाधारी, गढ़निन्दा, नगला पोला, झण्डीपुर कठैला, भरऊगढ़, नगला भरऊ, नगला हरगोविन्द, नगला पीता, नगला जैनिया, भोजुआ, तम्बका, जगतिया, नगला हरीया उक्त गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में ।

6–मथुरा में मूर्ति चोरी व उनकी तस्करी का काम लघु उद्योग के रूप में पनप रहा है, उसे रोकने के संबंध में ।

7–मथुरा-वृन्दावन में यमुना जल प्रदूषण से ग्रस्त हैं जबकि लाखों वहां श्रद्धालु जल का आचमन करते हैं जबकि जल इतना प्रदूषित है कि जल आचमन योग्य नहीं है, वहां जल प्रदूषण रोकने के संबंध में ।

8–पिछले दिनों जनवरी में बल्देव राजवाह (गोकुल क्षेत्र मे) की पटरी टूट जाने के कारण 500 एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने से किसानों के घर पलायन करने की स्थिति में है, उन्हें मुआवजा दिया जाय ।

9–गोकुल बैराज के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की भारी मात्रा में चोरी हो रही है, उसको रोकने के संबंध में ।

10–मथुरा-राया-सादाबाद-बल्देव, अराष्ट्रीयकृत करके परिवहन निगम की बसें अविलम्ब चलाई जायें जिससे जनता को भारी सुविधा होगी और आने जाने के लिए लोग वाहनों की तलाश में भटकते हैं राजकीय बसें चलाई गई तो कठिनाई हल होगी, अतः बसें चलाई जावें ।

11–हिन्दू धर्म में गाय को मां मानते हैं और वाराणसी जिले में सैयदराजा नाम के कस्बे से गाय की हत्या के लिए लदान होता है उसे रोका जाय ।

12–मथुरा जनपद में एक संगठित गिरोह द्वारा भारी मात्रा में गौ वंश की तस्करी की जा रही है उसको अविलम्ब रोकने के संबंध में ।

13–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत राया नगर में परिवहन निगम का प्राचीन बस स्टैण्ड है किन्तु 90 प्रतिशत बसें बस स्टैण्ड में भीतर नहीं जाती हैं जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है बस स्टैण्ड के अन्दर बसें ले जाने के संबंध में ।

14–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत राया-बल्देव, मांट विकास खण्डों में ग्रामीणों की 12 घण्टे भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है और वोल्टेज कम रहता है जिससे न तो शहरी क्षेत्रों में उजाला होता है और न ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी देने हेतु मोटर चल पाती है जबकि सरकार कहती है कि विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे दी जा रही है अतः विद्युत आपूर्ति उच्च वोल्टेज में अविलम्ब कराने के संबंध में ।

15–गोकुल विधान सभा क्षेत्र उद्योग शून्य है, तीर्थ स्थल क्षेत्र होने के कारण वहां उद्योग लगना अनिवार्य है क्षेत्र के हजारों नौजवान उद्योग शून्य क्षेत्र होने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं, क्षेत्र में अविलम्ब उद्योग लगाये जाने के संबंध में ।

16–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत राया विकास खण्ड में आलू की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन यहां का किसान इस आलू भण्डारण के अभाव में इसे सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर हो जाता है, आलू भण्डारण बनवाये जाने के संबंध में ।

17–गोकुल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा देने का कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है, गोकुल क्षेत्र में राया व बल्देव में अविलम्ब माध्यमिक बालिका विद्यालय खोले जाने के संबंध में ।

18–इस क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम की 25 टंकी बनी हुई है जिनमें से एक भी स्वचालित नहीं है । क्षेत्र में पीने के पानी की भीषण समस्या है कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को तीन-तीन दिन बिना स्नान किये हो जाते है सर्वप्रथम टंकियों को चालू व स्वचालित कराया जाय तथा जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या है जैसे–नगला संज्ञा, बरौली, मगना, नेरा, मनीना बालू, पन्नापुर, कल्यानपुर सौनई, सोगर वार, खोजिया, मदैम में अविलम्ब पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में ।

19–मथुरा बरेली, मथुरा नौहमील, मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर अवैध वाहन पर्याप्त मात्रा में चल रहे हैं उन्हें अविलम्ब रोकने के संबंध में ।

20–गोकुल क्षेत्र अन्तर्गत थाना राया में जनवरी मास में हुई झूठी मुठभेड़ दिखा कर पुलिस ने अपराधियों को नहीं पकड़ा, ऐसी फर्जी मुठभेड़ का खुलासा किये जाने के संबंध में।

21–मथुरा जिला में वर्तमान पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में जिले में अपराधों की बाढ़ आयी हुई है। अपराधी पुलिस अधीक्षक के घर पर जाकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। पूरे जिले में जंगलराज स्थापित है जिले में कानून व्यवस्था स्थापित किये जाने के संबंध में।

22–मथुरा जनपद के अन्तर्गत लोहवन, लक्ष्मीनगर, धौली प्याऊ, कृष्णानगर आदि क्षेत्रों में एक संगठित भू-माफिया सरकारी नजूल की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर बेच रहे हैं उस पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

23–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत इन्दावली गांव का एक युवक आगरा में होमगार्ड का प्रशिक्षण लेते समय भवन गिर जाने से घायल हो गया है जिसकी दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई है, इलाज कराने हेतु पैसा नहीं है उसे पैसा दिलाने के संबंध में।

24–गोकुल बैराज के निर्माण में विलम्ब के कारण क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानी हो रही है निर्माण शीघ्रतातिशीघ्र पूर्ण कराकर उसमें पहुंच मार्ग अविलम्ब बनवा दिया जाये जिससे बैराज पुल का उपयोग हो सके यदि पहुंच मार्ग न बने तो बैराज का कोई उपयोग नहीं होगा इसलिए पहुंच मार्ग बनवाये जाने के संबंध में।

25–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कारब में लक्ष्मन जी महाराज मन्दिर का नियुक्ति पत्र स० पा० के सरदार सिंह ने फर्जी तैयार कराया जिसको मथुरा दीवानी अदालत में चुनौती दी गई उसमें न्यायालय का स्टे होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक मथुरा न्यायालय के आदेश को ताक पर रख कर सरदार जैसे-जैसे अपराधी का सहयोग करने में लगी है, कटी हुई फसल महन्त नारायण दास ए० के० तेज सिंह आदि को दिये जाने के संबंध में।

26–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत थाना राया में दिनांक 19-2-93 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई गयी जिसमें स० पा० के सरदार सिंह आदि 23 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें से 4 अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है बाकी अभियुक्त अभी तक स्वतंत्र घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

27–गोकुल क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धारब में श्री सावई पुत्र श्री तोताराम नामक जाटव ने अपनी जमीन को आध बटाई पर उठाया

सरदार सिंह ने उस जाटव की फसल को जबरन छिना लिया और जब सामरे जाटव अपनी एफ० आई० आर० कराने थाना राया पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई उक्त सरदार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में।

28–अकोस क्षेत्र में कैलाश पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जावे तो अलीगढ़ से भरतपुर की दूरी 20 कि० मी० कम हो जावेगी लेकिन अनेकों बार पूर्व में भी इस समस्या के बारे में लिखित दिया गया है आज तक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई अविलम्ब पुल बनवाये जाने के संबंध में।''

44 श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मोदीनगर क्षेत्र (गाजियाबाद) के बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने तथा प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने,

2–मोदीनगर क्षेत्र (गाजियाबाद) में पेयजल संकट को दूर करने के लिए ग्रामों में सरकारी हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने,

3–मोदीनगर क्षेत्र (गाजियाबाद) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन, चीनी, मिट्टी का तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा राशन कार्ड बनाए जाने,

4–गाजियाबाद जनपद में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन कराने व नियमित वितरण कराने,

5–गाजियाबाद जनपद में गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के बिना बचत पत्र जमा कराये सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक आर्म लाइसेन्स दिलवाने के,

6–दस हजार के कर्जे माफ करने की घोषणा के बाद कर्जा माफ न होना,

7–बुनकरों को सस्ते दामों पर धागा उपलब्ध कराए जाने,

8–ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों का आवास भत्ता एक समान किए जाने,

9–मोदीनगर क्षेत्र के स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक ग्राम वडायला, दतेड़ी, मछरी तथा अम्बेडकर ग्राम डोमाटीकरी में प्राइमरी पाठशाला की व्यवस्था कराने,

10–मोदीनगर क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में पांच-पांच ग्रामों को मिलाकर जूनियर हाईस्कूल खुलवाये जाने,

11–मोदीनगर में जमानत राशि जमा करने के बावजूद निम्न ग्रामों में विद्युत नहीं है। ग्राम पारबा, सुखदेवपुर, वहीरपुर, मड़ैया करनपुर ग्राम-फजलगढ़ रघुनाथपुर खेड़ा। जिनमें विद्युत लाइन भेजने की व्यवस्था,

12–मोदीनगर क्षेत्र जनपद गाजियाबाद में न्याय पंचायत स्तर पर प्राइमरी चिकित्सा केन्द्र खोलने,

13–मोदीनगर क्षेत्र के पिलखुआ नगरपालिका (ए) श्रेणी में होते हुए भी विद्युत आपूर्ति एच० बी०-2 में होने,

14–मोदीनगर के पिलखुआ नगर में हिन्दू कन्या डिग्री कालेज खोलने,

15–मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने,

16–मोदीनगर में अधिकांश फैक्ट्रियां बन्द होती जा रही हैं। मजदूर भुखमरी के कगार पर है। शीघ्र फैक्ट्रियों को चलाने और मोदीनगर में अन्य नए उद्योग धन्धे लगाने,

17–मोदीनगर की मोदी कालोनी में जहां मजदूर रहते है वहां विद्युत मोदी समूह दारों को दी जा रही है उन्हें अलग से नए कनेक्शन देने,

18–डंकल प्रस्ताव के बारे में कुछ न कहने,

19–ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 4 या 5 घण्टे आ रही है फसल सूख रही है, सरकार द्वारा लगभग 14 घण्टे बिजली दिलवाने,

20–मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र में कादराबाद नाला बराल नाला, हावल नाला खुदवाये जाने,

21–कादरपुर नाले पर ग्राम खन्जरपुर, भटजन, मुरादाबाद व अमीरपुर नगौला में पुल निर्माण कराने,

22–शान्ति व्यवस्था, लूट, डकैती से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चौकी की स्थापना,

23–बिलखुआ, मोदीनगर, हापुड़-मोदीनगर रोडवेज बसों को बढ़ाने तथा,

24–गाजियाबाद जनपद का तीर्थ स्थल ब्रजघाट है जहां से पवित्र गंगा जाती है लेकिन रोडवेज बसों का स्टाप नहीं है। सभी बसों को वहां रुकवाने के संबंध में।"

45 श्री कृष्ण कुमार नवमान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–कि उत्तर प्रदेश सरकार जो गैंगस्टर एक्ट समाप्त कर रही है,

2–कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 80 दिन के शासन में 373 अपहरण, 84 जातीय दंगे, 445 डकैतियां, 1564 कत्ल तथा 7 साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में,

3–कि अलीगढ़ नगर में गरीब बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी है, जिसके कारण गरीब जनता को दैनन्दिन आवश्यकता के निवारण में भारी कठिनाई आ रही है। इसकी राहत के लिए अलीगढ़ में कम से कम 50 सार्वजनिक शौचालयों का तुरन्त निर्माण करने के बारे में,

4–कि अलीगढ़ नगर में जो सीवर लाइन डालने के कारण नगर की लगभग 80 प्रतिशत सड़कें डेढ़ वर्ष से टूटी पड़ी है उनका तुरन्त निर्माण करने के संबंध में,

5–कि अलीगढ़ नगर में सड़कों के सहारे नाले नालियां न होने के कारण जल भराव से सड़क बनने के अगले दिन से टूटना शुरू हो जाती है। अतः सभी सड़कों के सहारे नाले-नालियां बनाने के बारे में,

6–कि अलीगढ़ नगर में नालों की सफाई न होने से नाले ऊपर तक कीचड़ से भरे हैं, जिसके कारण गन्दा पानी तथा कीचड़ सड़कों पर बह रहा है, जिससे गन्दगी बढ़ रही है, मच्छर मक्खी बनने से बीमारी फैल रही है, सड़कें टूट रही हैं, अतः सभी नालों की तुरन्त गहरी सफाई कराने के संबंध में,

7–कि अलीगढ़ नगर में सीवर पम्पिंग स्टेशन की 300 हा० पा० क्षमता है परन्तु बिजली स्वीकृत है 100 हा० पा० जिसके कारण पम्प पूरी क्षमता से नहीं चल पाते अतः तुरन्त 300 हा० पा० बिजली की स्वीकृति के संबंध में,

8–कि अलीगढ़ नगर में बिजली के ट्रांसफार्मरों की क्षमता काफी समय से नहीं बढ़ाई गई जबकि उपभोग दुगुना-तिगुना हो गया है। अतः आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर तुरन्त लगाए जाने के संबंध में,

9–कि अलीगढ़ नगर में रेलवे लाइन शहर के बिल्कुल बीचोबीच हो गयी है जनता को इधर से उधर जाने आने में भारी कठिनाई, अपव्यय तथा दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसे रोकने के लिए सभी क्रासिंगों पर पुल बनाने के बारे में,

10–कि अलीगढ़ नगर में बेसिक स्कूलों के भवन अत्यन्त दयनीय स्थिति में है उनके भवनों के निर्माण शीघ्र कराये जायेंगे।

11–कि अलीगढ़ नगर ही उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगर है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है ।''

46 श्री राम कुमार शुक्ल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–अलीगंज, महानगर तथा निराला नगर, लखनऊ के सीवर लाइन तथा सफाई के संबंध में ।

2–त्रिवेणी नगर, लखनऊ के सड़कों, नालों तथा बिजली के संबंध में ।

3–लखनऊ पश्चिम विधान सभा के पानी तथा बिजली के संबंध में।

4–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में हरिजनों तथा पिछड़ों पर दूसरे सम्प्रदाय द्वारा अत्याचार तथा जमीनों तथा मकानों के संबंध में ।

5–महानगर, निरालानगर तथा अलीगंज में सड़क निर्माण के संबंध में ।

6–लखनऊ में अत्याचार, राहजनी, डकैती तथा हत्याओं के संबंध में ।

7–लखनऊ के ऐतिहासिक पार्क झण्डे वाला पार्क के नगर प्रमुख लखनऊ द्वारा बेचे जाने के संबंध में ।

8–लखनऊ पश्चिम में बढ़ते हुए अपहरण के संबंध में ।

10–लखनऊ द्वितीय वाटर वर्क्स के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में ।

11–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में नजूल तथा महापालिका की भूमि भू-माफियों द्वारा बेचे जाने के संबंध में ।

12–लखनऊ के 90 एकड़ सलेज फार्म के बेचे जाने के संबंध में ।

13–लखनऊ में ग्राम सरफराजगंज की 158 एकड़ भूमि तथा पूरे ग्राम के बेचे जाने के संबंध में ।

14–लखनऊ की मलिन बस्तियों के जीर्णोद्धार के संबंध में ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15–लखऊ में निराला नगर की पानी निकासी हेतु हुए 1.48 लाख के निर्माण में भ्रष्टाचार के संबंध में।

16–सरकटे नाले काश्मीरी मोहल्ला लखनऊ के निर्माण के विषय में।

17–थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा हरिजनों तथा पिछड़ों के उत्पीड़न तथा न्यायालय की अवमानना के विषय में।

18–लखनऊ के डालीगंज में सोमेश्वर मंदिर तथा दौलतगंज में मरी माता मंदिर को तोड़े जाने के विषय में।

19–लखनऊ में ग्राम सरफराजगंज में दलितों तथा पिछड़ों की 158 एकड़ भूमि तथा अब गांव को हड़पे जाने के संबंध में।

20–गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के विषय में।''

47 श्री स्वयंवर चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–पूरा जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ग्रस्त है। जिले में बाढ़ से गांव और लोगों को बचाने की व्यवस्था जिले स्तर पर नहीं है। सरकार समिति का गठन करे और पूरे जनपद का सर्वे करे और सर्वे करने के पश्चात् सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे और शासन द्वारा उसके अनुसार व्यवस्था करके जनपद सिद्धार्थनगर को बाढ़ से बचाने की समुचित व्यवस्था,

2–सिद्धार्थनगर नया जनपद होने के नाते अभी मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रमुख सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। इटवा से होरिलापुर होते हुये जनपद सिद्धार्थनगर को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क से जोड़े जाने तथा होरिलापुर घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी पर पक्के पुल का निर्माण करने,

3–जनपद सिद्धार्थनगर में कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है शासन की तरफ से कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर गरीब मजदूरों तथा सिद्धार्थनगर की जनता को रोजगार देने का अवसर देने,

4–निर्बल वर्ग आवास योजना में जिन गरीब हरिजनों को शासन से ऋण दिया गया है और उनके मकान बने है। जब तक उनको अदायगी करने के दूसरे अवसर न दिये जायं तब तक उनकी वसूली स्थगित करने,

5–जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील में डिग्री कालेज खोलने तथा

6–जनपद सिद्धार्थनगर में नदी और बन्धे के बीच नदी में विलीन हो रहे गांवों को बचाने के उपाय करने के संबंध में।''

48 श्री राम पाल सिंह सैनी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

'किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद मुजफ्फरनगर में मेरे विधान सभा क्षेत्र मोरना में भोकरीहेडी के सामने सोलानी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास पूर्व मंत्री श्री भोलाशंकर मौर्य द्वारा किया गया था। दोबारा स्वयं वर्तमान राज्यपाल महोदय अक्टूबर, 1993 में शिलान्यास हेतु गये थे, परन्तु लगभग 15 वर्षों से चर्चित इस पुल का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है, जबकि यह पुल दो जिलों मुजफ्फरनगर तथा हरिद्वार की सीमाओं को जोड़ता है तथा दो तीर्थ स्थानों हरिद्वार एवं शुक्रताल के बीच की दूरी भी 3 घंटे से घट कर केवल 1 घंटे की रह जायेगी। अतः जनहित में इस पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

2–राज्य सेक्टर में प्रस्तावित ग्राम बहेडा सादात से गंगा बैराज तक मार्ग का निर्माण लम्बाई 11 कि० मी० अनुमानित लागत 42 लाख रुपया स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है। परन्तु सन् 1991 में प्रस्तावित इस मार्ग पर अभी तक भी कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है। यह रास्ता भी दो जिलों मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर की सीमाओं को जोड़ता है। अतः इस रास्ते को पक्का कराये जाने के संबंध में।

3–उक्त विधान सभा क्षेत्र मोरना में सिंचाई की भीषण समस्या है। रजबाहा चपमुहम्मदपुर तथा पांच माइनर इस प्रकार की है, जहां कई वर्षों से आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। निजी नलकूप लगाना किसान की हिम्मत के बाहर है। उक्त रजवाहों की खुदाई एवं नलकूप लगाये जाने के संबंध में।

4–मोरना विधान सभा क्षेत्र के ही खानपुर मुख्यालय (जनपद हरिद्वार) में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसी ब्लाक के टाण्डा जलालपुर लालचंदवाला, गिद्धावली, कलसिया, डोमनपुरी, माडावेला, चन्द्रपुरी, दल्लावाना, न्यामतपुर, कर्णपुर, पोडोवाली गांव में विद्युतीकरण कराये जाने के सबंध में।

5–गांव भोपा में राजकीय कन्या विद्यालय हेतु 25 बीघा भूमि लगभग 15 वर्षों से सुरक्षित है। जनहित में राजकीय कन्या विद्यालय खोले जाने के संबंध में।

6–प्राथमिक विद्यालयों में जहां कम से कम पांच अध्यापक होने चाहिये वहां अधिकतर विद्यालयों में केवल एक या दो अध्यापक हैं। अतः प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था के संबंध में।

7–निरगाजनी झाल के पीस मौहण्ड से बसेडा निरगाजनी, धीराहेडी महमूदपुर माजरा, बहेडा थू, रहकडा आदि गांव तक प्रस्तावित राजवाहे को खोले जाने के संबंध में।

8–शुक्रताल तीर्थ स्थान के सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

9–तीर्थ स्थान शुक्रताल से तीर्थस्थान हरिद्वार तक रोडवेज बसें चलाये जाने के संबंध में।

10–मुजफ्फरनगर से पुरकाजी, बानपुर लक्सर होते हुए हरिद्वार तक यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में।

11–भोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण के संबंध में।

12–उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव गोधना, जडवड, विलायतनगर, कमेढ़ा हरपोढ़, खेडी फिरोजाबाद, बरोकी, रसूलपुर, चांदचक, अलमावाला में जहां पांच-छह वर्षों से बिजली के खम्भे पड़े हैं, के विद्युतीकरण के संबंध में।

13–प्रवक्ता वेतनक्रम में पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि कम है, इस वेतन वृद्धि को बढ़ाये जाने के संबंध में।

14–टंकण, पी० टी० को प्रवक्ता वेतन देय है। अतः विज्ञान प्रदर्शक को भी प्रवक्ता वेतन दिये जाने के संबंध में।

15–प्रयोगात्मक पारिश्रमिक दर जो लिखित परीक्षा से दो गुना रहा है। उसे कम कर दिया गया था। अतः पुनः बढ़ाये जाने के संबंध में।

16–शुक्रताल, फिरोजपुर, बाहूपुर, शुक्रतारी, बिहारगढ़, मोरना, मीरावाला, खरकोड, दरियापुर आदि गांव में फसलों को नीलगायों से होने वाले नुकसान के संबंध में।

17–मोरना में एक महिला चिकित्सालय बनाये जाने के संबंध में।

18–मोरना जैसे अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ाये जाने के संबंध में।

19–भोकरहेडी, भूआंपुर, खरपोड, दरियाबाद में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में ।

20–जनपद मुजफ्फरनगर अपहरण, लूटपाट, हत्या आदि अपराधों में विश्व में द्वितीय स्थान पर है । अतः नागरिकों के जान माल की सुरक्षा तथा स्वयं सुरक्षा हेतु लाइसेंस दिये जाने के संबंध में तथा

21–खतौली में हड्डी मील से फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में ।''

49 श्री प्रीतम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–क्षेत्र गंगेश्वरी विधान सभा मुरादाबाद में बगद नदी पर गंगेश्वरी, दगरौली, नवाबपुरा आदि घाटों पर पुल बनाये जाने के संबंध में ।

2–गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद में बगद नदी में बाम कैमिकल्स फैक्ट्री, गजरौला का विषैला तथा गन्दा पानी आता है जिससे प्रभावित लगभग 150 ग्रामों के पशुओं तथा मनुष्यों को रोगों से बचाने के संबंध में तथा उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में ।

3–गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र में गंगा तट पर पूठ ग्राम जहां पर गंगा स्नान मेला लगता है तथा हजारों श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं लेकिन मेला स्थान तक जाने के लिये पक्का मार्ग नहीं है पर पक्का मार्ग सम्भल से गवां होकर जाने वाला मार्ग जो कि बदायूं को जाता है कच्चा है, को पक्का बनवाये जाने, कस्बा बारसी से ब्लाक मुख्यालय गंगेश्वरी को जाने के लिये 6 कि०मी० की दूरी है जो कि सरकार द्वारा स्टेट सेक्टर में स्वीकृत है का निर्माण कार्य कराये जाने तथा बृज घाट से गवां होकर जनपद बदायूं में बने बांध को पक्का कर बस चलवाये जाने के संबंध में ।

4–अम्बेडकर ग्राम माफनपुर में जूनियर हाई स्कूल खोलने तथा एक अस्पताल बनाने के संबंध में ।

5–करीब 500 रुपया प्रतिमाह की आमदनी वाले किसानों को निःशुल्क आवास दिये जाने के संबंध में ।

6–अम्बेडकर ग्राम सांथलपुर में बिजलीकरण कराये जाने के संबंध में।

7–आगपुरा पुल जो कि जिला परिषद् द्वारा बना है वह जरजर हालत में पड़ा है उसकी मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

8–विधान सभा क्षेत्र गंगेश्वरी में कन्या इण्टरमीडियेट कालेज व कन्या विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

9–क्षेत्र में औद्योगिक एरिया घोषित कराये जाने के संबंध में।

10–कुदरखी ग्राम में अस्पताल स्वीकृत है उसकी बिल्डिंग बनाये जाने के संबंध में।

11–ग्राम डढिमाल में पशु चिकित्सालय स्वीकृत है उसकी बिल्डिंग बनाने के संबंध में।

12–थाना आदमपुर बगद नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में।

13–रहरा ग्राम में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने के संबंध में।

14–क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

15–थाना स्थित कस्बा आदमपुर में अस्पताल बनाने के संबंध में।

16–केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रधानों को टेलीफोन देने के संबंध में।''

50 श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में विकास खण्ड उतरौला, गेड़ासी बृजग, श्री दत्तागंज में बचे ग्रामों में सघन विद्युतीकरण करना।

2–राप्ती नदी के कटान से तहसील उतरौला के लगभग 50 ग्राम प्रभावित होते हैं कटान रोकने हेतु विस्तृत योजना बनायी जाय।

3–विधान सभा क्षेत्र उतरौला गोण्डा में प्रत्येक ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाय।

4–राप्ती नदी पर उतरौला से तुलसीपुर मार्ग पर एक पक्का पुल बनाया जाय जिससे तुलसीपुर से फैजाबाद की दूरी में 50 कि० मी० का फासला कम हो सके।

5–उतरौला विधान सभा के प्रत्येक ग्राम सभा में प्राइमरी पाठशाला खोला जाये।

6–विधान सभा क्षेत्र उतरौला के मनयरिया घाट से भिटौड़ी तक बंधा निर्माण कराया जाये, जिससे बाढ़ से होने वाली क्षति से बचा जा सके।

7–उतरौला सादुल्लानगर मार्ग पर कुशमौरा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय।

8–श्री दत्तगंज गोमड़ी मार्ग पर अधूरा निर्माण पेन्टिंग कराकर पूरा किया जाय।

9–विधान सभा क्षेत्र उतरौला से जनुकी मार्ग पर एक पुल का निर्माण कराया जाय।

10–पेहर से हुसैनाबाद तक अधूरे सड़क को पक्की रोड किया जाय।

11–उतरौला से पचपेड़वा दौड़ पर अधूरे सड़क को पेन्टिंग कर कार्य पूर्ण किया जाय तथा सिगार जोत घाट पर एक पक्का पुल निर्माण जनहित में तुरन्त कराया जाय।

51 श्री मोहर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–सहारनपुर-नागल मार्ग पर लाखनौर के समीप हिण्डन नदी का पुल के निर्माण के संबंध में।

2–सहारनपुर-देहरादून मार्ग मौगजापीर से नेवादा–तिवाया होते हुए मुजफ्फराबाद तक जाने वाले मार्ग के निर्माण के संबंध में।

3–सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग से बडस्ली पुण्डैन होते हुए चुडियाला रेलवे स्टेशन तक जाने वाले मार्ग के निर्माण के संबंध में।

4–सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग खजूरी अकबरपुर से सुरहटी खड़खड़ी, चुन्हेटीशेषसे व फकरेडा होते हुए चुडियाला रेलवे स्टेशन तक जाने वाले मार्ग के निर्माण के संबंध में।"

52 श्री तुलाराम सैनी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :—

1–26–हसनपुर क्षेत्र, मुरादाबाद में गजरौला ब्लाक में सिहाली ग्राम के निकट स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में।

2–शुरेपुर तहसील धनौरा में वाहे के नाले पर पुल निर्माण के संबंध में।

3–पपसरी खादर के नाले पर बने पुल का निर्माण होते ही 1 वर्ष में टूट जाने के संबंध में।

4–हसनपुर में 10 वर्ष पूर्व उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र बनने के उपरान्त आज तक 30 बैड की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने के संबंध में।

5–औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में स्वीकृत बस डिपो का अभी तक निर्माण न होने के संबंध में।

6–प्रा० स्कूल व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की मृत्यु के उपरान्त उनके इण्टर पास आश्रितों को शिक्षण का प्रशिक्षण कराकर उपयुक्त वेतनमान पर सर्विस दिये जाने के संबंध में।

7–ग्राम शेरपुर तहसील धनौरा से गंगा नदी तक नहर बनाने के संबंध में।

8–26–हसनपुर विधान सभा के ग्राम गंडबली दयावली में ग्राम सभा बनाने के संबंध में।

9–26–हसनपुर, जनपद मुरादाबाद और गढ़मुक्तेश्वर जिला मरह के बीच सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

10–26–हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में शासन के आदेश में पुराने व जर्जर भवनों के गिराये जाने के उपरान्त नये भवन बनाने के संबंध में।

11–औद्योगिक नगर गजरौला से हसनपुर सम्भल तक सड़कों को चौड़ी करने के संबंध में।

12–गजरौला क्षेत्र में प्रा० फैक्ट्रियों में मजदूरों से ठेकेदारों के द्वारा काम कराने के संबंध में।

13–सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर में 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के विनियमित करने के संबंध में।

14–नगर पालिका हसनपुर में रहरा रोड, शिवाला से कार्यरत रोड, गजरौला रोड और हमरोहो रोड पर पानी की निकासी के लिये नाला निर्माण और सड़क निर्माण के संबंध में।

15–हसनपुर नगर में घनी आबादी से पशु बधशाला एवं मंदिर के पास से शराब की दुकान हटाने के संबंध में।

16–26–हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में निर्माणाधीन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने के संबंध में।

17–क्षेत्र गिडे में नलकूपों तथा नालियों के निर्माण के संबंध में।

18–औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण पर अंकुश लगाने के लिये कोतवाली बनाने के संबंध में।

19–ग्रामों में विद्युतीकरण के नाम पर मात्र पोल खड़े हैं उन पर तार लगाने के संबंध में।

20–26–हसनपुर विधान सभा में 11 हजार की लाइनों के तार पुराने होने के कारण अग्निकांड तथा विद्युत अव्यवस्था को दूर करने के लिये नई लाइनें बनाने के संबंध में।"

53 श्री रमेश बहादुर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :—

1–देश का 90 प्रतिशत आंवला उत्पादन करने वाले जनपद प्रतापगढ़ के आंवला किसानों के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये आंवले पर आधारित उद्योग की स्थापना की घोषणा के संबंध में।

2–बालिकाओं की शिक्षा के लिये गड़वारा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सड़वा चन्द्रिका और लक्ष्मणपुर में एक-एक बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के के संबंध में।

3–सम्पूर्ण गड़वारा विधान सभा क्षेत्र सई नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार सई नदी का जल स्तर 11 फुट नीचे चला गया है जिससे क्षेत्र के आधे से ज्यादा पेयजल कूप सूख गये हैं और पूरे क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिये प्रतापगढ़ शहर में सई नदी पर एक बैराज के निर्माण के संबंध में।

4–सई नदी पर सिंगरी घाट पर रुके हुए अधूरे पुल निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में।

5–गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

6–सई नदी पर तेजगढ़ में पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

7–गड़वारा विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में।

8–गड़वारा विधान सभा क्षेत्र की दयनीय सड़कों का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में।

9–शासन की नीतियों के अनुरूप गड़वारा विधान सभा क्षेत्र के डेढ़ हजार की आबादी वाले सभी गांवों को सम्पर्क मार्ग द्वारा सड़कों से जोड़ने के संबंध में।

10–सड़वा में श्री चन्द्रिका देवी जी के मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत कार्य के लिये धन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

11–विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ भी है वहां भी विद्युत सब स्टेशन 30 किलोमीटर दूर होने के कारण आपूर्ति ज्यादातर बाधित रहती है। अतः निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण के संबंध में।"

54 श्री तुलसीदास राय चन्दानी प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :—

1–जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में कोई भी बालिकाओं के लिये महिला डिग्री कालेज नहीं है इससे छात्राओं को काफी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। अतः महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में।

2–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा के तहत गोण्डा सिटी बोर्ड के अन्तर्गत सीवर लाइन लगवाने की व्यवस्था के संबंध में।

3–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में उत्तर प्रदेश सरकार की उद्घोषित नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के संबंध में।

4–महिला चिकित्सालय गोण्डा व जिला चिकित्सालय गोण्डा में रोगियों को लाने-ले जाने के लिये तुरन्त ही एम्बुलेंस व्यवस्था करने के संबंध में।

5–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में खराब पड़े हुए ट्यूबवेल को चालू कराने हेतु मरम्मत कराने के संबंध में।

6–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में खराब, बिगड़े एवं जले हुए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइनों में सुधार करने के संबंध में।

7–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में गरीब हरिजन एवं पिछड़े जाति के लोगों के लिये हैण्ड पम्प एवं बिजली लगवाने की व्यवस्था के संबंध में।

8–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा के गन्ना कृषकों को देय बकाया करोड़ों रुपये की धनराशि भुगतान करने के संबंध में।

9–गोण्डा जनपद के विकास हेतु जनपद में इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाने के संबंध में।

10–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में स्थित ग्राम महादेवा से ग्राम सिसवरिया तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में।

11–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में ग्राम नवबस्ता से रमवापुर घाट के मध्य स्थित टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण करवाने की व्यवस्था करने के संबंध में।

12–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा सरकार की उद्घोषित नीति के तहत सभी ग्राम सभाओं के ग्रामीण विद्युतीकरण कराने के संबंध में।

13–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में स्थित गोण्डा सिटी बोर्ड के सफाई कर्मचारियों को देय बकाया वेतन (छः माह से अधिक) का भुगतान कराने की व्यवस्था के संबंध में।

14–उत्तर प्रदेश की पवित्र स्थली अयोध्या को जनपद गोण्डा से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को सुधार एवं चौड़ा करने के संबंध में।

15–विधान सभा क्षेत्र गोण्डा में स्थित बालेश्वरनाथ मंदिर का विकास एवं सुन्दरीकरण उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास विभाग द्वारा करवाने के संबंध में।"

55 श्री तिलकराज बेहड़ — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–विधान सभा हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में भरबर के क्षेत्र में पेयजल की योजना का पुनर्गठन।

2–विन्दुखत्ता ग्राम, जनपद नैनीताल का राजस्व गांव की योजना।

3–हल्द्वानी, जनपद नैनीताल भावर क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिये नई योजना का पुनर्गठन ।

4–हल्द्वानी विधान सभा क्षेत्र में राजस्व गांव के साथ लगे निर्बल एवं अनुसूचित बस्तियों में विद्युतीकरण की योजना ।

5–नैनीताल जनपद में तराई क्षेत्र में बसे बंगाल से आये विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण-पत्र एवं मतदाता सूची में शामिल करने की योजना।

6–नैनीताल जनपद में बर्मा से आये विस्थापितों को भूमि एवं आवासीय योजना की योजना ।

7–नैनीताल जनपद, हल्द्वानी विधान सभा क्षेत्र में किच्छा, गदरपुर, लालकुआं में रोडवेज स्टेशन की योजना ।

8–नैनीताल जनपद में दैवी आपदा के कारण हुई भीषण तबाही को रोकने के लिये योजना ।

9–नैनीताल जनपद का मुख्यालय हल्द्वानी में बनाये जाने की योजना।

10–रुद्रपुर नैनीताल को नये जनपद के रूप में स्थापना की योजना ।

11–वर्ग–4 की भूमि की विनियमतीकरण की योजना ।

12–तराई क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिये सरकार की नई योजना ।

13–तराई क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिये पुलिस बल को नये एवं सुचारु शस्त्रों एवं साधनों की योजना ।

14–हल्द्वानी विधान सभा क्षेत्र में रुद्रपुर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल की जीर्णोद्धार की योजना ।

15–नैनीताल जनपद में प्राइमरी पाठशाला के जीर्णोद्धार की योजना।

16–नैनीताल जनपद में गदरपुर कन्या इण्टर कालेज की नई योजना।''

56 श्री नवल किशोर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–जहांगीराबाद नगर जिसकी जनसंख्या 60 हजार से भी अधिक है। महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।

2–जनपद बुलन्दशहर, बदायूं एवं मुरादाबाद के संगम पर स्थित अनूपशहर में गंगा नदी पर पैन्टून ब्रिज के स्थान पर पक्का पुल बनाने के संबंध में।

3–गांव साखनी के निकट नीम नदी पर बने छोटे से पुल से पथकर हटाने के संबंध में।

4–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को शहर से जोड़ने हेतु 152 सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने जिनमें निम्न मुख्य हैं :—

(1) अनूपशहर–आहारोड	6.5 कि०मी०
(2) तालबिबियाना से पतरामपुर वाया उगैमा	3.00 कि०मी०
(3) रूपवास से डबका वाया बगछारी	5.00 कि०मी०
(4) डिबाई से मऊइया घुसराना गैला	5.00 कि०मी०
(5) शफीनगर से गडेया गूजर	4.50 कि०मी०
(6) अनूपशहर से ऐचोरा वाया खुशालगढ़	4.50 कि०मी०
(7) कलकपुर से सतवरा वाया सुल्ला सेपरी	7.00 कि०मी०
(8) जहांगीराबाद से औरंगाबाद सड़क से जयरामपुर दैना मडैया व माधोगढ़	4.00 कि०मी०
(9) करनपुर–नूरपुर से जिरौली वाया सोहरामपुर, रौरा, मलकपुर, जयरामपुर, ढोला का नगला।	14.0 कि०मी०
(10) तौली से कतीयावली वाया जिनाई	3.50 कि०मी०
(11) नहर से चरौरा वाया अमरपुर, मौजपुर, डरौरा, बिचौला जटपुरा।	5.00 कि०मी०
(12) जहांगीराबाद से खानपुर रोड	5.00 कि०मी०
(13) विधिपुर से माधोगढ़ वाया जयरामपुर दयना व मडैटया।	2.50 कि०मी०
(14) दरावर से शफीनगर	1.25 कि०मी०
(15) अहार शिव मंदिर से औरंगाबाद ताहरपुर।	1.50 कि०मी०
(16) जसर दरवाजा जहांगीराबाद से पेंट तक	1.00 कि०मी०
(17) सासनी से डूगराजाट	2.00 कि०मी०
(18) डूगराजाट से तौली	1.00 कि०मी०

(19)	बच्चीखेड़ा से पहाड़पुर	2.00 कि०मी०
(20)	नहर की पटरी से पारलीगांव तक	1.00 कि०मी०
(21)	रचन्द्रपुर से कतिवाली	1.00 कि०मी०
(22)	जहांगीराबाद दौलतपुर मार्ग से सेकनैरा	2.00 कि०मी०
(23)	अनूपशहर बुलन्दशहर से किशनपुर का शेष भाग ।	3.50 कि०मी०
(24)	जहांगीराबाद–दौलतपुर रोड से दौका	1.2 कि०मी०
(25)	औरंगाबाद-ताहरपुर मार्ग से रसूलपुर वाया मदैया, चांसी ।	1.4 कि०मी०
(26)	ककरई से स्कूल तक	600 मीटर
(27)	सुरानागैल से सुराना हरी सिंह	1.00 कि०मी०
(28)	वीरपुर से बन्दूकपुर आश्रम	1.5 कि०मी०
(29)	भोपतपुर से नहर वाया नगला भोपतपुर	2.00 कि०मी०
(30)	तलवार से महमदपुर	1.5 कि०मी०
(31)	अनूपशहर कर्णवास रोड से नगलातलवार	1.5 कि०मी०
(32)	तलवार से गोसमी	2.5 कि०मी०
(33)	जहांगीराबाद–दौलतपुर मार्ग से पूठरी वाया करकोरा बुद्धपुर ।	3.5 कि०मी०
(34)	शेखपुर रौरा से भैय्यापुर	2.5 कि०मी०
(35)	जहांगीराबाद मणी से बैहागहना	2.00 कि०मी०
(36)	अहार मंदिर रोड से जरावर	1.5 कि०मी०
(37)	शिकोईरजवाहे से नगला नलू	1.5 कि०मी०
(38)	जहांगीराबाद ऊंचा गांव रोड से रुठा	1.00 कि०मी०
(39)	जहांगीराबाद खानपुर मार्ग से गोथनावकारौजी ।	2.00 कि०मी०
(40)	अनूपशहर अलीगढ़ रोड से देवी का नगला नम्बर–3 ।	1.00 कि०मी०

5–अनूपशहर एवं अवन्तिका देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने ।

6–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांवों व उनके मजरों में प्राइमरी स्कूल खोलने ।

7–दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8–नहर रजवाहे व माइनर की पटरियों को पक्का करने जिसमें अनूपशहर ब्रांच नहर की भगवन्तपुर से अनीवास 11.00 कि०मी०, अनीवास से सेमखैन 8.00 कि०मी०, मखैन से हीरापुर 8.00 कि०मी०, पोटा रजवाहा 19.56 कि०मी०, चरौरा रजवाहा 22.06 कि०मी०, चारौरा रजवाहा की माइनर क्रमशः खालौर 3.50 कि०मी०, गरा 4.18 कि०मी० बक्सरा 7.14 किलोमीटर ।

9–मध्य गंगा नहर जो निर्माणाधीन है, की नहर व रजवाहे व माइनर की पटरियों को पक्का कराने के संबंध में ।

10–अवन्तिका देवी मन्दिर और उसके साथ लगे 20 गांवों को गंगा नदी के कटान से रोकने के संबंध में ।

11–अनूपशहर ब्रांच नहर पोटा और चरौरा रजवाहा व उसकी माइनर में पीचिंग व घाट लगाने के संबंध में ।

12–नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं तथा टाउन एरिया के कर्मचारियों को निश्चित तिथि पर वेतन देने के संबंध में ।

13–अनूपशहर व जहांगीराबाद नगर पालिकाओं में पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत दो-दो ट्यूबवेल व एक-एक ओवर हेड टैंक के निर्माण के बारे में ।

14–जहांगीराबाद नगर में गौशाला खोलने के संबंध में ।

15–दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० व आसवानी के प्रदूषित पानी के कारण नीम नदी में उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु 8 पुलिया बनाने के संबंध में ।

16–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के सभी सरकारी नलकूपों एवं उनके गूलों की मरम्मत कराने तथा सिंचाई सुविधा प्रदत्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में सरकारी नलकूप लगाने के संबंध में ।

17–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में ।

18–दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० व आसवनी का प्रदूषित पानी लाने वाले नाले को पक्का कराने एवं उसके साथ सड़क बनवाने जिसकी लम्बाई मात्र 600 मीटर है ।

19–मऊ गांव में स्थित तालाब जिसका वर्षा में जल स्तर बढ़ जाता है, उसमें दो पाइप पातालतोड़ लगवाने जिससे अधिक पानी नीचे चला जावे ।

20–खलौर, बक्सरा-चरौरा व खुशरूपुर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ट्यूबवेल व ओवर हेड टैंक बनवाने के बारे में ।

21–ग्राम मीहरसा में एक 32 के० वी० ए० सब स्टेशन स्थापित करने के बारे में ।

22–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में नीलगायों की संख्या के कारण कृषकों की फसल बचाने हेतु उपाय करने के संबंध में।

23–ऐतिहासिक, प्राचीन एवं धार्मिक नगर अनूपशहर को औद्योगिक नगर घोषित कर नये बड़े उद्योग लगाने के संबंध में।

24–पूर्व में चीनी में 140 प्रति क्विंटल की वृद्धि, शीरे पर से कन्ट्रोल हट जाने के कारण शीरे के भाव में तिगुनी वृद्धि व अभी तक पुनः 75.00 रुपये प्रति क्विंटल चीनी के भाव में वृद्धि के कारण गन्ने का मूल्य कम से कम 65 रुपये प्रति क्विंटल करने व किसानों को गन्ने का मूल्य 1 हफ्ते के अन्दर देने के संबंध में।

25–जहांगीराबाद नगर शेखपुर रोरा, जटवाई आदि अनेक गांवों में जो ट्रांसमीशन की हैवी लाइनें गांव के ऊपर होकर जाती हैं उन्हें हटाकर दूसरे स्थान से ले जाने के संबंध में।

26–केन्द्र सरकार ने प्रत्येक सांसद की संस्तुति पर विकास हेतु प्रति वर्ष इच्छानुसार एक करोड़ रुपया दिया है, इसी प्रकार प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में कम से कम 50 लाख रुपया प्रति वर्ष विकास हेतु दिये जाने के संबंध में।

27–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सलामतपुर, जघर, गरहरा, सिरोरा अहार, मखैना, मऊ बक्सरा, खनौदा, औरंगाबाद ताहरपुर, पुठटी, मलकपुर जिरौली में जूनियर हाई स्कूल व खालौर व विरौली में हाई स्कूल खोलने के संबंध में।

28–अनूपशहर व जहांगीराबाद से परिवहन निगम की पर्याप्त मात्रा में बसें देहली, मेरठ व आगरा की चलाई जाने के संबंध में।

29–अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के अनेक प्राइमरी स्कूल अत्यन्त ही जीर्णशीर्ण भवनों में चल रहे हैं जिनमें अनेक भवन ऐसे हैं जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है ऐसे भवनों को अविलम्ब मरम्मत अथवा पुनः निर्माण कराने के संबंध में।

30–दस हजार तक के कर्ज माफ करने के भ्रामक जाल के कारण कृषकों, मजदूरों द्वारा ऋण अदा न कर पाने के कारण अब राजस्व विभाग द्वारा उन्हें जेल में डाला जा रहा है इस स्थिति से निपटने के लिये ब्याज मुक्त कर ऋण छोटी-छोटी किश्त बनाकर वसूल करने के संबंध में।

31–कृषि भार को कम करने के लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग का जाल बिछाकर बेरोजगार युवकों को काम देने तथा उनके द्वारा उस प्रकार के उत्पादित माल को बड़े उद्योगों द्वारा निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में।

32–यह सरकार जब से इस प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपहरण, लूट, डकैती, राहजनी, बलात्कार आदि सत्तापक्ष से संबंधित लोगों के द्वारा किये जा रहे हैं इनसे प्रभावी तौर से निपटने के संबंध में।"

57 श्री सुन्दर लाल लोधी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :—

1–जनपद उन्नाव के हड़हा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत बनायी गयी टंकियों से दलितों व पिछड़ी जाति को कनेक्शन नहीं दिये गये तथा उनके मुहल्ले पाइप लाइनों से वंचित होने के संबंध में।

2–जनपद उन्नाव के हड़हा विधान सभा क्षेत्र में सन् 1980 से 1990 के मध्य बनाये गये रोड जिन पर खड़ंजा लगा है व अब चलने लायक नहीं हैं जैसे नवाबगंज से जैतीपुर, पुरवा रोड से जरगांव, पुरवा रोड से रायपुर बुजुर्ग एवं जोगा सराय से करेहरू आदि अनेक मार्ग जिनको डामर (पिच) कराये जाने के संबंध में।

3–जनपद उन्नाव के हड़हा क्षेत्र जहां पर अभी अनेकों ग्राम सभायें हैं उसमें प्राथमिक विद्यालय ही नहीं हैं जैसे शुक्लापुर, नन्दाखेड़ा, दिरगंज खेड़ा आदि लगभग 20 ग्राम सभा उनमें विद्यालय खोलना।

4–जनपद उन्नाव के ग्रामीणों में व्याप्त असुरक्षा एवं भय उनके जानमाल की रक्षा तथा पुलिस आतंक से छुटकारा दिलाना।

5–जनपद उन्नाव के ग्राम पकरा हिन्दूखेड़ा, तार गांव आदि में नहर की सुविधा।

6–उन्नाव के बड़े-बड़े ग्रामों या टाउन एरिया जैसे नवाबगंज, अचलगंज पड़री आदि जनपदों तक परिवहन की बसें चलाना।

7–उन्नाव के हड़हा क्षेत्र में बेरोजगार हेतु ठोस कदम या किसानों को लाभ हेतु गन्ना मिल की स्थापना पर विचार।"

58 श्री मारकण्डेय सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :—

1–बलिया जनपद विकास कार्यों में बहुत पिछड़ा हुआ है अतः उसकी गम्भीर समस्याओं का निराकरण जनहित में किये जाने के संबंध में।

2–बलिया विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था, नये ट्रांसफामर्स लगाये जाने, बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से नागरिकों को मुक्ति दिलाये जाने के संबंध में।

3–बलिया विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्तियों एवं दियारे के इलाके में पेयजलापूर्ति कराये जाने के संबंध में।

4–जनपद बलिया में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज एवं माझी घाट का पुल को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

5–बलिया विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी के उस पार अधिक जनसंख्या वाले ग्राम प्रानपुर, ग्राम शिवपुर दियार नम्बरी तथा जबही में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के संबंध में।

6–बलिया विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बसन्तपुर में नव निर्मित प्रा० स्वा० केन्द्र को अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में।

7–बलिया विधान सभा में सिंचाई हेतु खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराने तथा दस राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के संबंध में।

8–बलिया जनपद में राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा हनुमानगंज विकास खण्ड अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में।

9–बलिया विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में।

10–बलिया विधान सभा क्षेत्र के दुबहड़ तथा हनुमानगंज विकास खण्ड में 33 के० वी० ए० के विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के संबंध में।

11–बलिया जनपद के बलिया तहसील में सर्वे के बाद अभी तक कई गांवों का कागजात तहसील में भेजने के संबंध में।

12–उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में।

13–बलिया विधान सभा क्षेत्र में बलिया नगरपालिका अन्तर्गत सीवर लाइन चालू कराये जाने के संबंध में।

14–बलिया जनपद में विधवा, विकलांग तथा वृद्धावस्था पेंशन के समय से भुगतान के संबंध में।

15–बलिया विधान सभा क्षेत्र में बलिया नगर बांध तथा बलिया धरनीपुर बांध को पिच कराये जाने के संबंध में।''

59 श्री राकेश सचान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने तथा प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में,

2–प्रदेश में ग्रामीण अंचल में संड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक गांव व पुरवे को संड़क तक जोड़ने के संबंध में,

3–प्रदेश के प्रत्येक गांव में विद्युत पहुंचाने के संबंध में,

4–प्रदेश में बन्द सैकड़ों बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनः चलाने तथा बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में,

5–जनपद कानपुर (देहात) का जिला मुख्यालय घाटमपुर में स्थापित किये जाने के संबंध में,

6–सरकार के गठन के बाद हो रहे साम्प्रदायिक दंगों एवं कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने के संबंध में उपाय,

7–रसायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के दामों में कमी लाने के संबंध में,

8–ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का चुनाव कराने एवं उन्हें विकास के लिये कारगर इकाइयां बनाने, प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों को आवश्यक भत्ता आदि देने के संबंध में,

9–प्रदेश में पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों/अधिकारियों को नियुक्ति की भांति पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में,

10–प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में,

11–प्रदेश के प्रत्येक ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

12–जनपद कानपुर (देहात) के घाटमपुर ब्लाक के अन्तर्गत बरीपाल से सिरसा मैघरी तक के लगभग 4 कि०मी० मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में,

13–जनपद कानपुर (देहात) के भीतरगांव ब्लाक के अन्तर्गत चन्दनपुर–उमरी मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में,

14–प्रदेश में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धों को समुचित पेंशन स्वीकार किये जाने एवं स्वीकृत पेंशन का वितरण प्रभावी ढंग से कराये जाने के संबंध में,

15–जनपद कानपुर (देहात) के यमुना की तलहटी में बसे ग्रामों में विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में,

16–प्रदेश में सरकार के गठन के बाद हरिजन एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं में हो रहे बलात्कार एवं उत्पीड़न को रोके जाने के संबंध में उठाये जाने वाले प्रयासों के संबंध में,

17–जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत बरीपाल–सिरसा ग्रामीण पेयजल योजना का विस्तार कर उसमें समीपस्थ ग्राम धरछुआ, मैधरी, असवारमऊ लहुरीमऊ, सहबातपुर, आदि ग्रामों को शामिल किये जाने एवं उनमें पेयजल व्यवस्था किये जाने के संबंध में, अथवा उपरोक्त ग्रामों के लिये अलग से ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण के संबंध में,

18–प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र–घाटमपुर के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव, पतारा, घाटमपुर में लड़कियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु कन्या पाठशालाओं एवं जूनियर (बालिका) हाईस्कूल की समुचित स्थापना किये जाने के संबंध में,

19–प्रदेश के जनपद कानपुर (देहात) के थाना घाटमपुर में अभिरक्षित वृहद् क्षेत्र को देखते हुए एक नया थाना साठ खोले जाने के संबंध में, जो रिपोर्टिंग चौकी है,

20–प्रदेश के जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत कानपुर से बरीपाल तक वर्तमान में चालू बस व्यवस्था में और अधिक बसों को शामिल किये जाने के संबंध में,

21–कानपुर देहात के विकास खण्ड पतारा भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से इटरी, इटरी-पसेना मार्ग लगभग 6 कि०मी० पक्का कराये जाने के संबंध में,

22–कानपुर देहात के विकास खण्ड भीतरगांव से पासीखेड़ा-उमरी-नसेनियां मार्ग लगभग 8 कि०मी० पक्का कराये जाने के संबंध में,

23–जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड घाटमपुर में हमीरपुर रोड से बरीपाल लगभग 4 कि०मी० मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में।''

60 श्री राम प्रताप सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :––

1–विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर के विकास खण्ड बभनजोत के गांव केशव नगर ग्रिट कूक नगर ग्रिट, बकसरिया ग्रिट दौलतपुर खं० रेहरा बाजार के गांव रामपुर ग्रिट रानीपुर व अचलपुर धार, जाफरपुर में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में।

2–सादुल्लानगर वि० स० क्षेत्र में कूक नगर ग्रिट से सादुल्ला नगर-रेहरा- बाबागंज होते हुए रोडवेज की बस लखनऊ तक चलाये जाने के संबंध में।

3–सादुल्लानगर क्षेत्र में कूक नगर ग्रिट से गौरा चौकी सा० नगर होते हुए फैजाबाद तक रोडवेज की बस चलाने के संबंध में।

4–सादुल्लानगर क्षेत्र में वि० ख० बभनजोत के गौरा चौकी में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में।

5–सादुल्लानगर क्षेत्र के कुआना नदी पर बादू घाट पर, अडवाघाट, कुसमौर घाट पुल निर्माण तथा विसुही नदी के सिंगार घाट पुल के निर्माण के संबंध में।

6–सादुल्लानगर क्षेत्र के गांव उजैनी कला-कूक नगर ग्रिट, जाफरपुर में राजकीय डिस्पेन्सरी खोलने के संबंध में।

7–सादुल्लानगर क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

8–सादुल्लानगर क्षेत्र के सादुल्लानगर से जाफर पुर मार्ग को पिपरा माहिम से हथियागढ़ मार्ग को, हथियागढ़ से केशव नगर ग्रिन्ट मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में ।

9–सादुल्लानगर क्षेत्र के गांवों में पेयजल के संकट को देखते हुए पूरे क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों में 10–10 हैण्ड पम्प तथा छोटे गांव में 4-4 हैण्ड पम्प लगवाने के संबंध में तथा कूकनगर ग्रेन्ट, केशवनगर ग्रेन्ट, राम ग्रिन्ट में नलकूप लगाकर एवं पाइप लाइन बिछाकर पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित कराने के संबंध में ।

10–जनपद गोण्डा में तहसील मनकापुर मे मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में ।

11–बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में।

12–किसानों के लिये रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में कमी लाने के संबंध में ।

13–प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में ठोस उपाय करने तथा जंगलों के अवैध कटान के संबंध में ।

14–जनपद गोण्डा के दक्षिणी वन प्रभाग के वाचरी के बकाये भुगतान कराने के संबंध में तथा उतरौला रेन्ज और सादुल्लानगर रेन्ज के अवैध कटानों के कुम्बिंग कराने के संबंध में ।

15–सादुल्लानगर क्षेत्र के गौरा चौकी बाजार में स्टेट बैंक की शाखा स्थापित कराने के संबंध में तथा डाकघर की स्थापना कराने के संबंध में ।

16–सादुल्लानगर क्षेत्र के सभी ग्रामों के हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में तथा खड़न्जा लगाने के संबंध में ।

17–शिक्षित बेरोजगार युवकों की गरीबी दूर करने के लिये सादुल्लानगर क्षेत्र में भारी उद्योग धंधा लगाकर रोजगार धंधे की स्थापना करने और शिक्षित एवं अशिक्षित नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में ।

18–रेहरा बाजार में किसानों एवं मजदूरों की गरीबी को दूर करने एवं गन्ना किसानों के गन्ने की पेराई सुनिश्चित कराने हेतु चीनी मिल लगाने के संबंध में ।

19–रेहरा बाजार के जनपद गोण्डा में आई० टी० आई० विद्यालय की स्थापना के संबंध में ।

20–विकास खण्ड बभनजोत एवं रेहरा बाजार के मान्यता प्राप्त लघु मा० विद्यालयों को अनुदान दिये जाने के संबंध में ।

21–गोण्डा जनपद में नवाबगंज शुगर मिल द्वारा गन्ना मूल्य किसानों को अविलम्ब दिलाये जाने के संबंध में तथा सराय खास विकास खंड रेहरा बाजार में गन्ना क्रय केन्द्र खोलने के संबंध में ।

22–विकास खण्ड रेहरा बाजार के नये नगर बाजार एवं अचलपुर चौधरी के खराब ट्रांसफार्मर बदलवाकर नये 63 कि०वोल्ट ट्रान्सफार्मर लगाने के संबंध में तथा बाबगंज बाजार के विद्युत लाइन के पुराने तारों को बदलकर नया तार लगाने के संबंध में ।

23–सादुल्लानगर क्षेत्र के त्रिभुवन नगर ग्रिन्ट विकास खण्ड मुजेहना में सोमरहा, विकास खंड रेहरा बाजार एवं अचलपुर चौधरी तथा सलेमपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के संबंध में ।

24–उ० प्र० वन निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं अधिष्ठान कर्मचारियों के छटनी को रोकने एवं उन्हें नियमित करके काम लेने के संबंध में ।''

61 श्री योगेन्द्र कुमार सागर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–बदायूं जनपद में गोरीपुरा एवं बारबरा ग्राम में दलितों पर अत्याचार,

2– बदायूं जनपद के नगर बिलसी में साधूलाल परमार्थ महाविद्यालय की विधिवत स्थापना,

3–बदायूं जनपद के नगर बिलसी के शहरी नगर की घोषणा,

4–बदायूं जनपद में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण,

5–बदायूं बिलसी में चीनी मिल की घोषणा,

6–बिलसी में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण,

7–बिलसी में अनुसूचित वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवास का निर्माण,

8–बिलसी अनुसूचित वर्ग के बेरोजगार नवजवानों को रोजगार दिलाने हेतु उद्योगों की स्थापना,

9–बिलसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित बस्तियों में निःशुल्क विद्युतीकरण,

10–बदायूं जनपद को 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति की मांग।''

62 श्री दया सिन्धु शंखधर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :––

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :––

1–बदायूं जनपद के ग्राम गौरीपुरा तथा मुहम्मदपुर मई में दलितों पर हुए अत्याचार,

2–बदायूं जनपद की तहसील बिसौली में डिग्री कालेज की स्थापना,

3–पिछली सरकार द्वारा बिसौली विधान सभा क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की घोषणा के कार्यान्वयन,

4–बदायूं जनपद के विकास खण्ड इसलामनगर एवं आंशफपुर तथा बिसौली में बेरोजगार नवयुवकों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना,

5–बिसौली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना,

6–इसलाम नगर व बिसौली विकास खंडों में सिंचाई हेतु नालियों का निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

63 श्री बासुदेव सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1–स्याना विधान सभा क्षेत्र में अनेक ग्राम ऐसे हैं, जहां प्रा० पाठशाला भी उपलब्ध नहीं है प्राथमिक आवश्यकता ग्रामीण विकास के लिये बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये विधान सभा क्षेत्र की सूची बनवाकर प्रा० पाठशालायें खुलवाई जायें । ऐसा कोई ग्राम क्षेत्र शेष न रहे जिसमें प्रा० पाठशालायें न हों ।

2–स्याना विधान सभा क्षेत्र में 2 टाउन एरिया एवं 1 नगर पालिका है तथा स्याना तहसील केन्द्र है, किन्तु एस० टी० डी० टेलीफोन की सुविधा नहीं है । खानपुर तथा बुगरासी टाउन एरिया में भी एस० टी० डी० टेलीफोन की सुविधा नहीं है, जबकि तीनों स्थानों पर व्यापारिक संस्थान हैं । अनाज एवं गुड़ की मण्डी है तथा सभी लोग एस० टी० डी० चाहते हैं । कृपया एस० टी० डी० टेलीफोन की सुविधा प्रदान कराने का कष्ट करें ।

3–खानपुर टाउन एरिया में और स्याना नगरपालिका में पानी की टंकी कई साल से बनी खड़ी है जिनके खराब होने का खतरा भी पैदा हो गया है । अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित भी किया है, किन्तु कोई इस ओर ध्यान देने वाला उपलब्ध नहीं है । कृपया बनी हुई टंकियों को अविलम्ब चालू करने में सहयोग प्रदान करें ।

4–बुगरासी टाउन एरिया, खानपुर टाउन एरिया तथा स्याना नगरपालिका से देहली के लिये डी० टी० सी० की बस सेवा का प्रारम्भ होना अत्यन्त अनिवार्य है । पूर्व में बसें रोडवेज की चली थी, किन्तु प्राइवेट बस वालों ने कन्डक्टर एवं ड्राइवर को शराब पिलाकर उन्हें समय पालन से वंचित किया फिर मार्ग से ही हटा दिया । कृपया डी० टी० सी० बसों को उपरोक्त तीनों स्थानों से अविलम्ब चालू कराये तथा जनता का दुख दूर करने में सहायक हो ।

5–चकबन्दी, कार्यालय स्याना तहसील केन्द्र ही सुचारु रूप से व्यवस्थित रखा जाये तथा तहसील परिसर में ही रखा जाये । ताकि किसानों को सुविधा रहे किसी अन्य स्थान पर इसे स्थानान्तरित किया जाना जनता के हित में नहीं होगा ।

6–विद्युत बिलों की धांधली की अनेक शिकायतें हैं, इसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है, यह विभाग किसानों की घोर उपेक्षा करता है और भ्रष्टाचार का अड्डा है । बिलों की धांधली तो साधारण बात है । ट्रांसफार्मर बिना 3000 रु० लिये बदला नहीं जा सकता, व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में सहयोगी बनें ।

7–स्याना तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय है, जहां घोर भ्रष्टाचार है । इस कार्यालय में भ्रष्टाचार का कोई प्रतिशत नहीं है जो जबान से निकल जाता है, देना पड़ता है, अन्यथा बैनामा ए० डी० एम० के यहां स्टाम्प ड्यूटी कम चार्ज लगाकर बुलन्दशहर भेज दिया जाता है । 26 जनवरी को भी इस कार्यालय मे चपरासी को छोड़कर कोई भी उपस्थित नहीं था ।

8–स्याना से खानपुर टाउन एरिया को जोड़ने वाली सड़क स्याना से 2 कि०मी० एवं खानपुर से स्याना के लिये ढाई कि०मी० निर्मित है । मात्र बीच का टुकड़ा 5 कि०मी० शेष है । यदि यह बीच का टुकड़ा भी बन जाये तो स्याना मण्डी व तहसील तक पहुंचना आसान हो जायेगा । बुलन्दशहर या औरंगाबाद से घूमकर आना पड़ता है ।

9–स्याना से ऊंचागांव खण्ड तक नहर की पटरी पर सड़क अत्यन्त खस्ता हालत में बनी हुई है । जिस पर घोड़ा-तांगा तक का निकलना दूभर है । आम आदमी नहर की पटरी की सड़क के अभाव में परेशान है । अतः इस नहर की पटरी की सड़क को स्याना से ऊंचागांव तक 16 कि०मी० मरम्मत कराने की कृपा करें, ताकि स्याना विधान सभा का आम आदमी लाभान्वित हो सके तथा तहसील व मण्डी तक ठीक समय से पहुंच सके ।

10–नहर एवं राजबाहों में इस समय पानी की अत्यन्त ही आवश्यकता है । अविलम्ब पानी छोड़ा जाये और टेल तक पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाये ।''

64 श्री पीतम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

मैं 348–विधान सभा क्षेत्र एटा से चुन कर आता हूं जो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई लिंक रोड ऐसे हैं जिन पर सैकड़ों की संख्या में गांव बसे हुए हैं । जिनकी हालत इतनी खराब है, जिस पर पैदल भी आदमी नहीं चल पाता । इन गांवों में बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो शहर तक नहीं जा पाते घर पर ही दम तोड़ देते हैं । प्रत्येक सरकार में इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है के सम्बन्ध में ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की अधिक समस्या है बहुत से गांव ऐसे हैं जहां एक भी नल इन्डिया मार्का नहीं लगा है । यही हाल एटा शहर का है । पानी की टंकियों में पानी आता नहीं है, गर्मियों के समय में एटा शहर की जनता एक-एक बूंद पानी को तरस जाती है । नलों का भी अभाव है गन्दगी का ऐसा माहौल है कि शहर की सारी नालियां बन्द पड़ी हुई हैं । सफाई तक नहीं हो पाती है । सिन्धी कालोनी के आस-पास का क्षेत्र इस समस्या से काफी प्रभावित है, अरूणानगर का यही हाल है । इस प्रदेश में पहली बार दलितों व पिछड़ों की सरकार बनी है मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र का विकास होगा । उदाहरण के लिये लिंक रोडों के नाम इस प्रकार हैं:–

1–जी० टी० रोड से जी० आई० सी० होती हुई सकीर के लिये लिंक रोड जाता है जिसकी लम्बाई 12 मी० है ।

2–गंजडुंडवारा रोड से बहानपुर से भागपुर को लिंक रोड जाता है, जिसकी लम्बाई करीब 5 कि० मी० है ।

3–अलीगंज रोड से बरौली को लिंक रोड जाता है जिसकी लम्बाई करीब 5 किमी० है ।

4–शाहबाद रोड से जिरसमी कस्बे के लिये लिंक रोड जाता है जिसकी लम्बाई 3 कि० मी० होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5–सकीट से ओछा रोड से सेना कला को लिंक रोड जाता है जिसकी लम्बाई करीब 3 कि० मी० होगी ।

6–शिकोहाबाद रोड से सकीट को रोड जाता है उसी में से लिंक रोड कवार के लिये जाता है जिसकी लम्बाई करीब 3 कि० मी० होगी ।

.7–शिकोहाबाद रोड से रिजोर के लिये लिंक रोड जाता है उसी में से एक लिंक रोड सेना कला रोड से मिलता है । जिसकी लम्बाई करीब 5 कि० मी० होगी ।''

65 श्री केदार सिंह फोनिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

''किन्तु खेद हैं कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उनके द्वारा थराली एवं जोशीमठ में घोषित महाविद्यालय (डिग्री कालेज) इसी सत्र से खोले जायेंगे ।

2–उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा ।

3–उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार से परिसीमन आयोग का गठन करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

4–उत्तरांचल संवर्ग शीघ्र लागू किया जायेगा ।

5–चमोली जिले में लगभग 750 रिक्त बी० टी० सी० पदों पर नियुक्ति हेतु जिले के शिक्षित बेरोजगारों को विशेष प्रशिक्षण का प्रयोजन किया जायेगा और इन पदों पर सभी नियुक्तियां जिला संवर्ग के नियम से किया जायेगा ।

6–पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश का मुख्य व्यवसाय मानते हुए परिव्यय में समुचित वृद्धि की जायेगी ।

7–बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु बौद्ध परिपथ का विकास द्रुतगति से किया जायेगा ।

8–जन आन्दोलन को देखते हुए सोनाली–कोठली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ।

9–अगस्तमुनी गणेशनगर, चोपड़ा दशज्यूला, कोटमा-चौमासी, नारायणबगड़–परखाल, मींग-गढ़कोट मोटर मार्गों पर

कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा तथा अन्य प्रस्तावित मार्गों को स्वीकृति देकर पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

10–राजकीय इण्टर कालेज, देवाल, अलकापुरी एवं कन्या इंटर कालेज जोशीमठ के भवनों का निर्माण इसी सत्र में किया जायेगा ।

11–उत्तरांचल में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां तुरन्त की जायेंगी ।

12–कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए केन्द्र सरकार का प्रस्ताव भेजा जायगा ।

13–पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को पर्यावरण के नियमों से छूट दिलाने का प्रयास किया जायेगा ।

14–विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी ।

15–श्रीनगर विद्युत परियोजना के लिए समुचित धन की व्यवस्था की जायेगी ।

16–विद्युत आपूर्ति हेतु चमोली जिले को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए धन की व्यवस्था की जायेगी ।

17–चन्द्रनगर, देवलकोट, पैंठी में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्तावित एवं जिला योजना द्वारा स्वीकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की शीघ्र स्थापना की जायेगी ।

18–श्री बद्री, केदार यात्रा सुगम बनाने हेतु चमोली जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ।

19–पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 250 अंशकालिक अध्यापकों, जो नियमितीकरण से छूट गये हैं, का शीघ्र नियमितीकरण किया जायेगा ।

20–सरकारी कर्मचारियों को पनिशमेण्ट में पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त करने की परम्परा को खत्म करके, पर्वतीय भावनाओं का सम्मान किया जायेगा । ''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

66 श्री राजीव कुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :–

(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12-8-91 को पारित उत्तरांचल राज्य के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा पारित कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार के प्रयास ।

(ख) उत्तरांचल क्षेत्र के लिए दिनांक 25-11-92 को गठित पर्वतीय सेवा उपसंवर्ग 1992 को तत्काल लागू करना ।

(ग) विधान सभा क्षेत्र, काशीपुर के अन्तर्गत बाजपुर क्षेत्र में महाविद्यालय का निर्माण ।

(घ) काशीपुर को जिला बनाया जाना ।

(च) विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत सीलिंग की भूमि को भूमिहीनों व हरिजनों में आवंटित करेंगे ।

(छ) विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना ।

(ज) पानीपत-खटीमा एवं टिहरी-मुरादाबाद राज्य मार्ग के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़क के अधूरे कार्य का शीघ्र पूर्ण होना ।

(झ) काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का मजरों सहित पूर्ण विद्युतीकरण एवं प्रत्येक गांव के लिए पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन ।

(ट) काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई, नहरों एवं नलकूपों की मरम्मत एवं नये-नये नलकूपों की व्यवस्था कर सिंचई उपलब्ध कराना ।

(ठ) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार सुलभ कराना ।

(ड) 11-12 सितम्बर, 93 की अतिवृष्टि से हुई जन-धन की क्षतिपूर्ति हेतु राहत राशि में वृद्धि व सुरक्षात्मक उपाय करना ।

(त) रुकी हुई स्वीकृति योजनाओं का प्रारम्भ किया जाना ।

(थ) काशीपुर में कुमायूं जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का सृजन, विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना एवं पुराने स्थापित चिकित्सालयों की सुचारु व्यवस्था ।

(द) विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में हदबन्दी एवं चकबन्दी को आवश्यक रूप से लागू करवाने के संबंध में ।''

67 श्री रणधीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :–

1–409 विधान सभा क्षेत्र चरथावल के पश्चिमी भाग जो नदी पार के नाम से जाना जाता है, जिसमें 25 गांव पड़ते हैं इन गांवों में विद्युत का अभाव बना रहता है विद्युत आपूर्ति हेतु इन गांवों में से विरालसी गांव में एक उप विद्युत ग्रह की स्थापना,

2–चरथावल विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम चिरावली में 15 विस्तरों का चिकित्सालय खोले जाने,

3–गांव रसूलपुर, काशीचारा लुहारी खुर्द के पूर्व में बहने वाले तथा गांव बधाई खुर्द, कच्छोली, कल्लरपुर के पश्चिम में बहने वाले नालों पर पुल निर्माण किये जाने,

4–विधान सभा क्षेत्र चरथावल के गांव में प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किये जाने,

5–रुहाना में सरकार ने एक नयी चीनी मिल की स्थापना की है जिसका आज तक प्रारम्भ न करने,

6–कस्बा पुरकाजी जो 409–चरथावल का कस्बा है में कोई इण्टर कालेज नहीं है, कस्बा पुरकाजी में एक इण्टर कालेज खोले जाने,

7–कस्बा पुरकाजी जो गन्ने का बाहुल्य क्षेत्र है कृषकों को अपना गुड़ शकर आदि बिक्री करने में कठिनाइयां रहती हैं। कस्बा पुरकाजी में मण्डी समिति को शुरू करने,

8–क्षेत्र चरथावल के ग्रामों नूरनगर, अब्दुल्लपुर, भोजा हेडी, मेहा खाई खेड़ी में लगभग 5 वर्षों से विद्युत के खम्भे खड़े हैं इन गांवों में गढ़े हुए खम्भों पर आज तक तार की लाइन खींचने तथा अनुमोदित विद्युत संचार करने,

9–हरिजन बस्ती इमामबाड़ा, तीरमाण, कस्बा चरथावल ग्राम न्यामू निवासियों से ट्रांसफार्मर का मूल्य अदा करने को कहा जा रहा है,

10–409–क्षेत्र चरथावल के कुछ गांवों में प्राइमरी पाठशालाओं, जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिसके कारण शिक्षा ग्रहण करने में छोटे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नये स्कूल खोले जाने,

11–ग्राम बिजपोरा, पेरेइ बड़ेरी दतियायाना के खम्भों से विद्युत तारों की काफी समय से विद्युत चोरी हो चुकी है नये तार नहीं लगाये गये हैं, नये तार लगाये जाने,

12–विधान सभा क्षेत्र चरथावल में अपहरण, लूट, बलात्कार तथा कत्ल आये दिन होते रहते हैं, इन पर अंकुश लगाने,

13–विधान सभा क्षेत्र चरथावल में बहने वाली नहरें, राजवाहे एवं नालों की कई वर्षों से लगातार सफाई न होने के कारण उनमें जल कम तथा उसका प्रवाह मन्द गति से रहता है, उसकी सफाई तथा गहरा करने के संबंध में।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

68 श्री बेचनराम

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर बहुत ही पिछड़ा व अविकसित क्षेत्र है इसके विकास हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा बालिकाओं के लिए ब्रह्मपुर तथा खोराबार ब्लाक में कोई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है जबकि ब्रह्मपुर ब्लाक में बालिकाओं का विद्यालय स्वीकृत है, उसे तत्काल खोलने,

2–गौरी घाट पुल अर्द्धनिर्मित है सिर्फ धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूरा कराये जाने,

3–इटौवा घाट पर पीपे का पुल स्वीकृत है, शीघ्र पीपे का पुल बनवाने,

4–नई बाजार–बोहावार की सड़क लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है, शीघ्र पिच करवाने,

5–गौरी घाट से बोहावार मार्ग पिच कराने,

6–गोबड़ोर में बालिकाओं का विद्यालय स्वीकृत है, खोलने,

7–नौबकारी पुलिया में सब विद्युत स्टेशन स्वीकृत है उसकी स्थापना कराने,

8–झनहा से कुवई प्यासी मार्ग की मरम्मत तथा बरसईता से कुई के बीच राप्ती नदी के बगल में स्थित छपरा के पास बन्धे के कटान की व्यवस्था,

9–विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार के अधिकांश गांव विद्युतीकरण से वंचित है जबकि कागज में विद्युतीकरण दिखाया जा चुका है। सर्वे कराकर विद्युतीकरण से वंचित गांव में विद्युतीकरण कराने,

10–चौरी-चौरा टाउन एरिया को नगर पालिका का दर्जा देने,

11–विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के अधूरे कोटे को दो महीने के अन्दर पूरा कराने,

12–मुण्डेरा बाजार क्षेत्र में शीघ्र कोई न कोई कारखाना लगाने,

13–ब्रह्मपुर ब्लाक में कोई डिग्री कालेज नहीं है शीघ्र ही डिग्री कालेज खोलने,

14– बचत तथा सीलिंग की भूमि शीघ्र ही भूमिहीनों में वितरित कराने,

15–कृपाल स्टील तथा सरैया इस्पात का कारखाना बन्द है, उसे चालू कराने,

16–काशर में गौवड़ोर में पुलिस थाना तथा कोठा में पुलिस चौकी खोले जाने,

17–डीहघाट में सब विद्युत स्टेशन खोले जाने के सन्दर्भ में,

18–पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/हाई स्कूलों/ इण्टर कालेज जिन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, को अनुदान दिये जाने,

19–विकास खण्ड ब्रह्मपुर मुख्यालय पर तथा राजधानी में खोराबार ब्लाक मुख्यालय अन्तर्गत अमहिया या मोतीराम अड्डा में कोई बालिका इण्टर कालेज नहीं है । तत्काल बालिका इण्टर कालेज खोले जाने,

20–भोया बाजार प्रदेश की दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी चमड़े की मण्डी है, चमड़े पर आधारित उद्योग लगाये जाने,

21–चौरी-चौरा ऐतिहासिक स्थल है तथा मां तरकुलही देवी स्थल जिसके महान उपासक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन्धु सिंह की प्रतिमा सहित पर्यटक केन्द्र के रूप में शासन द्वारा विकसित कराने,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22–विकास खण्ड ब्रह्मपुर में रानापार में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में कुंई प्यासी मोहनीपुर (खोराबार ब्लाक) तथा रायगंज/जंगल राम लखना में तथा सरदार नगर ब्लाक में बेलवाबाबू में तथा न्याय पंचायत ठकुराई, मुण्डेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

23–रामपुर झड़ी से बेलवार तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनवाये जाने,

24–चौरी-चौरा इटौवा घाट होते हुए अजपुरा होकर राष्ट्रीय मार्ग गगहा-बड़हलगंज से जोड़ने हेतु राप्ती नदी के गजपुर घाट पर शीघ्र पुल बनवाये जाने,

25–सरस्वती शिशु मन्दिर राजी से बलुघटा घाट होते हुए पी०डब्लू० डी० रोड नई बाजार वाली सड़क की पिचिंग कराये जाने,

26–फरेन नाले के घुटली घाट पर या रामघाट पर लघु सेतु बनावाये जाने,

27–राजधानी में पशु हास्पिटल खोले जाने,

28–चौरी-चौरा–हरैया मार्ग को लो० नि० वि० से मैसही राम दत्त के आगे पिचिंग कराये जाने,

29–सरैया से बाबू विशुनपुरा होते हुए उसरहया तक मार्ग को पिच कराये जाने,

30–ब्रह्मपुर सरकारी हास्पिटल को 30 शैय्या वाले हास्पिटल के रूप में विकसित कराये जाने,

31–पी० डब्लू० डी० रोड गोरखपुर–देवरिया मार्ग शत्रुहनपुर से बच्चा बाबू की छावनी होते हुए नई बाजार सड़क को जोड़ते हुए सड़कों को पिच कराये जाने,

32–नये उद्योग की भांति पुराने उद्योगों का भी सेल्स टैक्स माफ करने के संबंध में ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

69 श्री रमापति उर्फ रमाकान्त

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–यह कि महुआरी पड़ेरी बनचरा मार्ग जो मठसूरज गिट करजहा घाट के पास बखरा मुंडेरा बाजार मार्ग से मिलती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा (देवरिया) का प्रमुख मार्ग है, परन्तु करजहा घाट के पास बड़हरी नाले पर पुल नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अस्तु करजहा घाट के पास बड़जही नाले पर पुल बनवाने,

2–यह कि विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत होलिया भटगावां के बीच फ्रेन नाले पर पुल बनना, पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 92-93 में प्रस्तावित था। शासन द्वारा 3.68 लाख रुपये स्वीकृत थे परन्तु ग्राम्य अभिकरण सेवा विभाग, देवरिया द्वारा गलत प्राक्कलन देने के कारण अस्वीकृत हो गया। अस्तु उक्त पुल का प्राक्कलन पुनः बनवाकर पुल बनवाने,

3–यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा (देवरिया) के अन्तर्गत झांगा–पोखरभिंड मार्ग जिसकी लम्बाई 17 कि०मी० है और विकास खण्ड मोतीचक व विकास खण्ड कप्तानगंज को जाती है, का मात्र 4 कि०मी० भाग पिच हुआ है, इसका शेष 13 कि०मी० सड़क पिच कराने,

4–यह कि विधान सभा क्षेत्र हाटा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है यहां का अधिकांश गन्ना रिठिया पिपराइच गन्ना फैक्ट्री पर जाता है। यह मिल इतनी पुरानी हो गयी है कि इसकी पेराई क्षमता बहुत ही कम हो गयी है। बाध्य होकर इस क्षेत्र का गन्ना अन्य मिलों पर जाता है जबकि पिपराइच में ही एक नये मिल की स्वीकृति मिल गयी है। अस्तु प्रस्तावित नये मिल को जल्द से जल्द बनवाने,

5–यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत अरकपुर–खैरहवा-मार्ग जो विकास खण्ड मोतीचक का प्रमुख मार्ग है और इसकी लम्बाई 5 कि०मी० को पिच कराने,

6–यह कि हाटा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण अधिकतर मकान फूस या खपरैल के बने हुए हैं जिसके कारण प्रति वर्ष इस क्षेत्र में भीषण अग्निकांड होते हैं और जन धन की क्षति

होती है । हाटा तहसील मुख्यालय है और यहां से जिला मुख्यालय की दूरी काफी अधिक है । अस्तु जनहित में हाटा मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड (अग्निशमन केन्द्र) स्थापित करने,

7–यह कि राजमार्ग 28 पर स्थित ग्राम सभा पगरा से देवड़ार पिरारा होते हुए रामकोला जाने वाली रोड पर देवड़ार पिपराघाट (छोटी गंडक) पर जनहित में पुल का निर्माण कराने;

8–यह कि हाटा–कप्तानगंज सड़क, देवरिया जिले की एक प्रमुख सड़क है । इस सड़क पर मौन नाले पर हरपुर में बहुत ही पुराना एवं पतला काठ (लकड़ी) का पुल है इस सड़क पर बस एवं टैक्सियों का आवागमन होता रहता है यहां कई बार दुर्घटना हो चुकी है । अस्तु उक्त पुल को चौड़ा करके पक्का बनाने,

9–यह कि जोल्हिनिया से शंखापार होते हुए सरदारनगर जाने वाली रोड पर अकटहवा घाट मझने नाले पर पुल बनवाने,

10–यह कि राष्ट्रीय मार्ग 28 से जोल्हिनिया से देउर शंखापार भेड़िहारी अहिरौली होते हुए परसाघाट पुल तक सड़क बिल्कुल खराब है। यह सड़क सुकरौली विकास खण्ड की मुख्य सड़क है । इसे पिच कराने,

11–हाटा-पिपराइच मार्ग से विशुनपुर, मधलपुर घोर्टप सिसवा जाने वाली रोड को पिच कराने,

12–हाटा टाउन एरिया की एक भी सड़क पिच नहीं है । हाटा टाउन एरिया का मुख्य मार्ग जो विकास खण्ड मुख्य बाजार, तहसील प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र नया केन यूनियन को जोड़ती है, की लम्बाई 1 कि० मी० की पिच कराने तथा अन्य को पिच कराने,

13–यह कि हाटा टाउन एरिया में अब तक किसी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पायी है जिससे सड़कों के किनारे गंदगी रहती है । अस्तु हाटा टाउन एरिया में एक सुलभ शौचालय की स्थापना कराने,

14–टाउन एरिया हाटा के मुख्य बाजार के पानी निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है । सड़क के दोनों किनारों पर पक्की नाली निर्माण कराकर पानी के निकास की व्यवस्था कराने,

15–देवरिया ग्राम सभा में स्थित पोखरा, जहां से तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं, को तैराकी योग्य बनाने के लिये उसको गहरा करके उसके किनारों को समतल व चौड़ा करा कर सुन्दर बनाने,

16–सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गोंड़ जाति के सदस्यों को वर्ष 1981 की जनगणना रिपोर्ट में अंकित जनसंख्या के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति की सुविधा मुहैया कराने,

17–गोंड़ जाति को समस्त उपजातियों सहित अनुसूचित जनजाति घोषित कराने तथा,

18–गोंड/गोड़/गोंड़ जाति के शाब्दिक विवाद को खत्म करते हुए बिहार सरकार की राजाज्ञा दिनांक 15 फरवरी, 1991 के अनुसार उ० प्र० के गोंड जाति के सदस्यों के लिये भी राजाज्ञा जारी करने के संबंध में।"

70 श्री नरेन्द्र सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1–प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने,

2–अनुसूचित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोके जाने,

3–पंचायती राज के पुनर्गठन के बाद ग्राम सभाओं की संख्या वर्तमान को न करने,

4–दोहरी व्यवस्था समाप्त कर समान शिक्षा व्यवस्था को लागू न किये जाने,

5–बिक्रीकर समाप्त किये जाने,

6–नकल रोकने की कोई समुचित नीति न घोषित किये जाने,

7–आत्मरक्षा हेतु चरित्रवान व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिये जाने,

8–प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्डों को नियमित किये जाने,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9–प्रदेश के समस्त चौकीदारों को नियमित कर राज्य कर्मचारियों की भांति जीवन सुविधायें दिये जाने,

10–प्रदेश में हड्डी चमड़े के पैतृक कारीगरों अनुसूचित जाति (चमार) को ही जिला परिषद् के स्थान पर हड्डी चमड़े के ठेके ग्राम सभा स्तर पर दिये जाने,

11–लखनऊ–महमूदाबाद मार्ग पर यात्री परिवहन हेतु अतिरिक्त बसें चलाये जाने,

12–चहलारी घाट पुल, कटुआ घाट पुल, वासुरा घाट पुल, भुडकुड़ा घाट पुल, रामपुर मजुरा के किनारे चौकरा नदी पर पुल बनाये जाने,

13–महमूदाबाद (सीतापुर) को नया जिला सृजित किये जाने,

14–महमूदाबाद (सीतापुर) में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने,

15–चांदपुर, सदपुर, गौडैचा चौराहा, महमूदाबाद, सीतापुर में राजकीय इंटर कालेज खोले जाने,

16–महमूदाबाद-भगौली–कटेपुर मार्ग, रामपुर कलां-सदपुर मार्ग, रामपुर मथुरा-गोण्डा-देवरिया मार्ग, सदापुर-बिसवां मार्ग, दोखरा-बिसवां मार्ग, रामपुर–नानगाटे मार्ग, चांदपुर–दरिया मार्ग, चांदपुर–पैटेपुर मार्ग, कहारपुर–किराजेपुर मार्ग, इचौली कन्जाचारी मार्ग, रामपुर–अगैवा मार्ग को अमर पेड़ में परिवर्तित किये जाने,

17–नगरपालिका, महमूदाबाद में पानी की टंकी स्थापित कर सड़कों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान दिये जाने, तथा

18–राजकीय कन्या इंटर कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर को महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में।''

71 श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लाक में बिजली की घोर अनियमितता को रोकने हेतु एक बिजली के सब-स्टेशन का निर्माण,

2–मण्डी परिषद् के द्वारा लिंक सड़कों का निर्माण,

3–वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्दर जल-जमाव की समस्या का हल निकालने के लिये आवश्यक नालों तथा सीवर लाइन का निर्माण,

4–कैन्ट, वाराणसी में पेयजल की पूर्ति हेतु नलकूप का निर्माण,

5–विद्यापीठ ब्लाक वाराणसी में धराशायी हो जाने वाले नलकूपों के स्थान पर नये नलकूपों को अधिष्ठापित करने तथा बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में चकबन्दी हेतु तत्काल कदम उठाने हेतु खेतों के रक्षा 'घड़ोच' की रोकथाम करने के सम्बन्ध में।''

72 श्री राजेश अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है –

1–बरेली में लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण का बहुत बड़ा केन्द्र है इस हेतु ''काष्ठ नगरी'' घोषित करने,

2–बरेली में जरी उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है इससे बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। व्यवस्थित करने हेतु सहकारी निर्यात निगम बनाने ,

3–बरेली में बेंत उद्योग को प्रोत्साहन देने,

4–महानगर बरेली का एक मात्र जिला अस्पताल शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग के दोनों ओर बना हुआ है अतः सड़क के नीचे से अथवा ऊपर से मार्ग बनाये जाने,

5–पिछड़ी व मलिन बस्तियों में तुरन्त सीवर लाइन डलवाने हेतु व्यवस्था करने,

6–निर्बल एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये 100 मीटर तक मकान बनाने का नक्शा निःशुल्क पास करने,

7–बरेली महानगर की बढ़ती हुई आबादी के कारण पिछले कई वर्षों से पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर ओवर हेड टैंक व बिजली की निरन्तर आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था,

8–बरेली स्थित चौपुल रेलवे क्रासिंग पर अतिशीघ्र ओवर ब्रिज के निर्माण कराये जाने,

9–महानगर में एक डिग्री कालेज खोले जाने की अतिशीघ्र व्यवस्था,

10–महानगर बरेली में कन्या इण्टरमीडिएट कालेज की अतिशीघ्र व्यवस्था,

11–महानगर बरेली में ट्रान्सपोर्ट नगर की व्यवस्था अतिशीघ्र कराये जाने,

12–बरेली महानगर में मेडिकल कालेज अथवा इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना,

13–बरेली में 100 शैय्याओं का अस्पताल खोले जाने,

14–बरेली में ''विद्युत शव दाह गृह'' की स्थापना,

15–बरेली में सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में,

16–दिल्ली–लखनऊ वाया बरेली राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 पर प्रतिदिन लगभग 8,000 से 10,000 ट्रक गुजरते हैं। इसके लिये बाईपास निर्माण कराये जाने,

17–औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति,

18–बरेली में पश्चिमी उ० प्र० हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना,

19–बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 290 रु० प्रति स्क्वायर मीटर विकास शुल्क लिया जा रहा है जो अत्यधिक है। इसमें छूट प्रदान करने,

20–बरेली को वायुदूत सेवा से जोड़े,

21–बरेली महानगर को केन्द्र द्वारा निर्णीत मैगनेट सिटी की अविलम्ब घोषणा कर उसके संसाधनों को निर्गत करने,

22–प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध, दलित व पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न एवं शील हरण को रोकने हेतु त्वरित व्यवस्था करने,

23–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न व मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा

24–बेरोजगारों व नवयुवकों को रोजगार के लिये ऋण देकर कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहयोग करने के संबंध में।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

73 श्री सतीश भाटिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो रही कानून व्यवस्था, भीषण ढंग से बढ़ते अपराध, हरिजन जातियों तथा महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, नंगे घुमाये जाने की घटना पर तुरन्त नियंत्रण,

2–प्रदेश में व्याप्त भय, आतंक व असुरक्षा की भावना को मिटाने तथा भाजपा शासन के दिये गये नारे, भययुक्त समाज तथा दंगारहित प्रदेश को समाप्त करने के प्रयास को अपने ढंग से, सफल करवाने के संबंध में,

3–देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ने का डंकल प्रस्ताव हमारी अर्थ, कृषि तथा सामाजिक व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण करने के प्रयास,

4–कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों, जलालपुर देवपुर, पारा, सूर्यनगर, हसखेड़ा, गंगाखेड़ा इत्यादि में पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूप तथा हैण्ड पम्प लगवाने,

5–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु पूर्व में मांगे गये 500 इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था,

6–आलमबाग में जय प्रकाश नगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु किये जा रहे प्रयास,

7–बिजली की आपूर्ति हेतु अनुसूचित जातियों तथा गांवों के क्षेत्रों में नये कनेक्शन देने,

8–हुसेनगंज वार्ड में टूटी हुयी सड़कें बनवाने, पेयजल व्यवस्था ठीक करने हेतु तथा विद्युत की व्यवस्था ठीक करने,

9–लालकुंआ वार्ड में टूटी सड़कें, पानी आपूर्ति तथा बिजली आपूर्ति,

10–चन्द्रभान गुप्त नगर वार्ड में हैदर कैनाल नाले के बगल में बसी बस्ती के लोगों के लिए, पेयजल, सड़क तथा विद्युत व्यवस्था,

11–आदर्शनगर वार्ड की सड़के तथा पार्कों को ठीक करने,

12–जयप्रकाश नगर वार्ड में विभिन्न समस्यायें जैसे जल निकासी, सड़कें, टूटे हुए बिजली के खम्बे को ठीक करवाने,

13–सिंगार नगर वार्ड में पड़ने वाले कन्नौसी गांव में जाने

वाले तथा पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप और सड़कें बनवाने,

14–नगर लखनऊ का परिसीमन करवाने तथा वार्डों को व्यवस्थित करने,

15–लखनऊ नगर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनवाने,

16–एल० डी० ए० में कानून व्यवस्था हेतु पुलिस चौकी खुलवाने,

17–एल० डी० ए० द्वारा सड़कों को बनवाने तथा मरम्मत करवाने के बारे में समयावधि निश्चित करने,

18–औषधि कर्म में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता देने,

19–डा० अख्तर अली, सभासद, नगर महापालिका, मुरादाबाद पर जान लेवा हमले के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था समाप्त करने,

20–कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में पड़नें वाली मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय बनवाने, तथा

21–16 दिसम्बर 92 को सदन में घटित घटना की जांच के संबंध में।"

74 श्री बाबूलाल कुरील

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–मेरे आरक्षित विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में पिछले तीन वर्षों से विकास के नाम पर एक सड़क, पुलिया तथा सम्पर्क कार्यों के निर्माण के लिए व्यवस्था,

2–मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों रहीमाबाद तथा शहजनपुर दो के लिए प्रस्तावित सड़क के लिये धन के आवंटन की शीघ्र व्यवस्था,

3–मेरे उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो सड़कें जिनमें एक सफीपुर से रसूलाबाद तथा दूसरी हुलासी कुओं से दूही दौलयारपुर जो काफी दिनों से पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत है और मिट्टी डलवाने के बाद अब तक डामरी कार्य करने की कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे इस सड़क के बीसों ग्रामों का आवागमन में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है पर डामरी कार्य की व्यवस्था अविलम्ब कराने,

4–मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हैदराबाद से ऐनी खुर्द वाया कनिगांवा सड़क को बनाने की व्यवस्था, तथा

5–मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में पेयजल संकट के निराकरण की कोई व्यवस्था कराने के संबंध में । "

75 श्री मदन गोपाल वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने, प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में,

2–प्रदेश में ग्रामीण अंचल में सड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक गांव व पुरवे सड़क से जोड़ने के संबंध में,

3–प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण कराने के संबंध में,

4–प्रदेश में सैकड़ों बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनः चलाने, बेरोजगार श्रमिकों की रोजगार देने के संबंध में,

5–जनपद फतेहपुर में तहसील बिन्दकी में मुंसफी स्थापित करने के संबंध में,

6–सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था चुस्त करने व कानून व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में,

7–रासायनिक खादों व कीट नाशक दवाइयों के दामों में कमी लाने के संबंध में,

8–प्रदेश में पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में,

9–ग्राम पंचायत व जिला परिषद् के चुनाव कराने तथा प्रधानों को भत्ता देने के संबंध में,

10–प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में,

11–प्रदेश के प्रत्येक गांव को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में,

12–जनपद फतेहपुर में अमौली–बरीपाल रोड को पक्का कराये जाने के संबंध में,

13–चांदपुर लहुरीमऊ नोन नदी पर अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में,

14–जनपद फतेहपुर में नोन नदी में मानेपुर परमोरा व भरसा गांव के बीच पुल बनने के संबंध में,

15–प्रदेश में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धों को समुचित पेंशन दिलाने के संबंध में,

16–जनपद फतेहपुर में यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में विद्युतीकरण व पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में,

17–जनपद फतेहपुर, जहानाबाद क्षेत्र में उप पशु अस्पताल खोलने के संबंध में,

18–जनपद फतेहपुर में उप चिकित्सालय खोलने के संबंध में,

19–जनपद फतेहपुर में जहानाबाद क्षेत्र में खजुहा –अमौली रोड पर बसें चलवाने के संबंध में,

20–जनपद फतेहपुर, जहानाबाद क्षेत्र में राजकीय नलकूपों में नये सेट लगाने के संबंध में,

21–जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र में लगभग 85 कि० मी० सड़कों का लेपन कार्य कराने के संबंध में,

22–जनपद फतेहपुर, जहानाबाद क्षेत्र में नोनारा गांव में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में,

23–जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र मे सड़क निर्माण व विद्युतीकरण पेयजल, अस्पताल, सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के संबंध में,

24–जनपद फतेहपुर, क्षेत्र के जहानाबाद में घाटमपुर राजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने व राजबहा की सफाई, खुदाई कराने के संबंध में,

25–जनपद फतेहपुर, जहानाबाद क्षेत्र में रावतपुर माइनर को दो फलांग बढ़ाने के संबंध में।''

76 श्री मयंकेश्वर शरण सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण हेतु कोई नीति घोषित किए जाने के सम्बन्ध में ,

2–प्रदेश में व्याप्त अराजकता, हत्याओं, बलात्कारों तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए सरकार की नीति के सम्बन्ध में,

3–खरीफ उत्पादन में सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में पानी, बिजली की विकट समस्या से निपटने के लिये सरकार की क्या स्पष्ट नीति है के सम्बन्ध में,

5–पंचायती राज का स्वरूप स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में,

6–नकल अध्यादेश खत्म करके नकल रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में,

7–महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में,

8–बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के सम्बन्ध में,

9–तिलोई विधान सभा क्षेत्र की नहरों में पानी टेल तक पहुंचाये जाने के संबंध में,

10–तिलोई विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को लेपन स्तर तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में,

11–तिलोई विधान सभा में विद्युतीकरण एवं बिजली की सुचारु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

12–तिलोई विधान सभा के ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की सुचारु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

13–तिलोई विधान सभा क्षेत्र में हरिजनों के आवास के सम्बन्ध में,

14–तिलोई विधान सभा में जायस नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले बूचड़खाने को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,

15–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलोई में पुरुष एवं महिला डाक्टरों की नियुक्ति तथा अस्पताल में बिजली, पानी की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में,

16–तिलोई होम्योपैथिक अस्पताल में डाक्टर की तैनाती के सम्बन्ध में ,

17–अहरवा भवानी–सातनपुरवा–हथरोहना–हैदरगढ़ मार्ग को एवं लड़ाबाग सतपुर–जैतपुर मार्ग को तारकोल लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–ब्लाक सिंहपुर, में स्थित मदहा, नामक झील से जल निकासी की व्यवस्था एवं इन्हौना ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

77 श्री गिरीश नारायण पाण्डेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–लालगंज, रायबरेली के 30 शैय्या अस्पताल को 75 शैय्या तक उच्चीकृत किये जाने के संबंध में,

2–लालगंज, रायबरेली में सीवर व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में,

3–लालगंज, रायबरेली के कन्या हाई स्कूल की इमारत बनवाई जाने के संबंध में,

4–लालगंज, रायबरेली में प्रदेश सरकार द्वारा एक सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किये जाने के संबंध में,

5–पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह द्वारा लालगंज में एक पालीटेक्निक स्थापित किये जाने संबंधी घोषणा पर अमल के संबंध में,

6–लालगंज की विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में,

7–बैसवारा डिग्री कालेज, लालगंज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें शुरू किये जाने के संबंध में,

8–लालगंज में रोडवेज डिपो स्थापित किये जाने के संबंध में,

9–लालगंज में जल सप्लाई सुधारने हेतु एक अन्य ओवरहेड टैंक के निर्माण के संबंध में,

10–लालगंज, सरेनी व डलमऊ थानों में पुलिस सिपाहियों व सब-इंस्पेक्टरों की कमी की पूर्ति के संबंध में,

10-क–निहस्था बरहा एवं पूरे पाण्डेय मथुरा मार्ग के निर्माण के संबंध में,

11–सरैनी विधान सभा क्षेत्र के खजूर गांव रजबहा, बेहटा माइनर व अन्य तमाम नहरों में पानी के न आने के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति के संबंध में,

12–सरैनी विधान सभा क्षेत्र के तिवारीपुर, पिलखा, लछईखेड़ा, चिलौला आदि बहुत से गांवों में विद्युतीकरण के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12-क–ग्राम हुल्लापुर में गड़े खम्भों में बिजली के तार लगाकर बिजली की सप्लाई किये जाने के संबंध में,

13–चिलौला, मोहद्दीनपुर, उमरामऊ, पिलखा, कुण्डवल, करकसा में चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में,

14–ग्राम रसूलपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में,

15–सब्जी–देवपुर मार्ग पर पुल निर्माण के संबंध में,

16–ग्राम बहरामपुर पर पुलिया निर्माण के संबंध में,

17–झबरा हरदोपड़ी ग्राम के लोगों को उनके खेतों तक पहुंचने हेतु लीन नदी पर दी रपटी का निर्माण किये जाने के संबंध में,

18–ग्राम बरहा एवं जगतपुर निचकौरा में लोन नदी पर पुल निर्माण के संबंध में,

19–सरैनी विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों, इण्टर कालेजों, हाई स्कूलों में एक-एक इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में,

20–सरैनी विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में,

21–ग्राम बेहटा में पेयजल संकट के हल हेतु 6 हैण्ड पम्प एवं एक ट्यूबवेल लगाये जाने के संबंध में,

22–बेहटा कलां, बन्डई, सब्जी आदि ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का निर्माण कराने के संबंध में,

23–ग्राम घोरवारा में पुलिस उत्पीड़न के शिकार हरिजनों के पहुंच में जाने के संबंध में,

24–भीरा, गोविन्दपुर में हाई स्कूल की स्थापना के संबंध में,

25–भीरा, गोविन्दपुर में रिपोर्टिंग चौकी व पशु चिकित्सालय निर्माण के संबंध में,

26–रायबरेली जिले के सभी विकलांगों, विधवाओं को पेंशन दिये जाने के संबंध में,

27–हरिजनों एवं गरीब व्यक्तियों की कन्याओं को आर्थिक सहायता देने के संबंध में,

28–सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण करने के संबंध में,

29–ऋण वितरण में बैंकों द्वारा कमीशन खोरी रोकने के संबंध में,

30–सरैनी विधान सभा क्षेत्र के पेयजल संकट से जूझते प्रत्येक गांव में तत्काल 4–4 हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में,

31–रायबरेली-रालपुर मार्ग, रायबरेली–चहोतर मार्ग वाया भोजपुर-रायबरेली-भोजपुर वाया पूरे पाण्डेय मार्ग, रायबरेली-ऐहार-भीरा मार्ग, रायबरेली-निसगर मार्ग पर रायबरेली-सरैनी-सब्जी मार्ग पर रोडवेज बसें चलाये जाने के संबंध में,

32–पूरे प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की सहायता से संचालित सभी माचिस उद्योगों के लाइसेंस रद्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

33–सरैनी विधान सभा क्षेत्र के बाजपेयीपुर ग्राम व अन्य सभी ग्राम सभाओं में जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहां विद्यालय खोलने के संबंध में,

34–भवन विहीन विद्यालयों की इमारत बनाने के संबंध में,

35–हड्डी, खाल आदि का व्यापार जिला परिषदों से लेकर हरिजनों को वापस देने के संबंध में,

36–रायबरेली जिले में रहने वाले जिन लोगों व परिवारों के राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में,

37–अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु प्रत्येक तहसील केन्द्र पर पुस्तकालय की स्थापना खुलवाने हेतु आवर्ती अनुदान देने, उन्हें पेंशन, फण्ड देने, विधान परिषद् में अधिवक्ता प्रतिनिधि चुनने व नये अधिवक्ताओं को पुस्तकों हेतु कम से कम 20,000 रुपये का अनुदान देने के संबंध में,

38–सब्जी खपुरा ग्राम से सौरई नाले तक 2 कि०मी० माइनर खुदवाने के संबंध में,

39–जोहवा नटकी की झील का पानी निकालने हेतु ड्रेन बनाने के संबंध में,

40–तेरुखा ग्राम सम्पर्क मार्ग के संबंध में,

41–विमौरा सम्पर्क मार्ग, लोहरामऊ मार्ग के संबंध में,

42–रमईपुर कलां मार्ग के निर्माण के संबंध में,

43–मकदूमपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में,

44–चिलौला ग्राम मार्ग के निर्माण के संबंध में,

45–उत्तरा गौरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में,

46–बाजपेयीपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में,

47–डलमऊ रोड से सोडांसी तक के निर्माण के संबंध में,

48–डलमऊ से भीटी खजूर गांव मार्ग पर लेपन कार्य किये जाने के संबंध में,

49–चांदा टीकर रजौली मार्ग के निर्माण के संबंध में,

50–बेहटा सरैनी से सब्जी तक पहुरी होते हुए मार्ग के निर्माण के संबंध में,

51–सरैनी-बेहटा मार्ग से बन्डई तक मार्ग के निर्माण के संबंध में,

52–जगतपुर-निमकौरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में,

53–तेजगांव कमला नेहरू डिग्री कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।''

78 श्री अवनीश कुमार सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में बाढ़ को रोकने के लिए राम गंगा नदी पर बांध बनवाये जाने के संबंध में।

2–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में माह सितम्बर में आयी बाढ़ से रुकुमपुर के कटे बांध को दुबारा मरम्मत कर पक्का करवाये जाने के संबंध में।

3–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कृषकों को अनुदान/रकाबी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

4–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में माह सितम्बर, 93 में आयी बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की समस्त वसूली तथा ऋण स्थगित किये जाने के संबंध में।

5–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में रामगंगा नदी के किनारे बसे लगभग 50 ग्रामों में तुरन्त चकबन्दी कराई जाने के संबंध में।

6–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में रामगंगा नदी के दूसरे कनारे पर बसे लगभग 13 गांव में एक चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

7–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में राम गंगा नदी पर ग्राम बेला डांडी पर पुल बनाये जाने के संबंध में।

8–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में खण्ड समरेर, विकास खण्ड दातागंज तथा विकास खण्ड म्याऊ में एक-एक हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा एक-एक इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।

9–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज में एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में।

10–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में ग्राम उरेना, ग्राम ननई तथा ग्राम राजपुर गदरौली में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने तथा ग्राम लबहरी, विकास खण्ड म्याऊं में एक जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में।

11–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में 50 राजकीय नलकूप लगवाये जाने के संबंध में।

12–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में समरेर-बेलाडांडी मार्ग, पड़ली-ड्यूनी मार्ग, हथनी भूड-हसनपुर मार्ग, सेटडांडी–लभारी मार्ग तथा बेलाडांडी-महताबपुर मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

13–विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में कम से कम 25 ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने के संबंध में।

14–जनपद बदायूं में नील गायों को समाप्त किये जाने के संबंध में।

15–जनपद बदायूं में अपहरण, डकैती तथा हत्याओं के कारण बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का तुरन्त सुधार किये जाने के संबंध में।

16–जनपद बदायूं के उघैती थाना अन्तर्गत ग्राम गौरीपुरा में दिनांक 28-29 जनवरी, 94 की रात्रि में ही फायरिंग, लूट-पाट तथा हरिजन महिलाओं को बे-वस्त्र कर बेइज्जत किये जाने के संबंध में।

17–जनपद बदायूं में नये उद्योग लगाये जाने के संबंध में।

18–जनपद बदायूं में नई चीनी मिल खोले जाने के संबंध में।

19–प्रदेश में नकल को प्रभावी ढंग से रोके जाने के संबंध में।

20–शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने के संबंध में।''

79 श्रीमती प्रेमलता कटियार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–जे० के० जूट मिल, जे० के० काटन मिल सहित कानपुर की बन्द मिलों के सम्बन्ध में,

2–100 वर्ष से भी ज्यादा पूर्व बने जीर्ण-शीर्ण हुये वाटर वर्क्स के अतिरिक्त कानपुर में एक और वाटर वर्क्स के निर्माण के सम्बन्ध में,

3–कानपुर महानगर के नव विकसित क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

4–कानपुर महानगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

5–कानपुर में डी० ए० वी० छात्रावास छात्रों के लिये खोलने के सम्बन्ध में,

6–कानपुर महानगर की 60 से 80 वर्ष पुरानी सीवर लाइनों के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में,

7–कानपुर के गंगा बैराज के शिलान्यास में एक वर्ष का विलम्ब एवं निर्माण एजेन्सी की घोषणा के सम्बन्ध में,

8–बिठूर को ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में,

9–कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में ख्योरा कटरी के गांवों समेत चकरतनपुर, पपरिया, सक्सूपुरवा, नोनियन पुरवा, भारत पुरवा, विरान, गम्भीरपुर, हृदयपुर आदि गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

10–पनकी क्षेत्र में बालक, बालिकाओं के इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

11–कल्यानपुर कलां, कल्यानपुर खुर्द, साहब नगर, देवी

सहाय नगर, गड़रियनपुरवा, अशोक नगर, आजाद नगर, बैरी, नौबस्ता, खेड़ा नारामऊ आदि क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की योजना के पिछले 15 माह से ठप्प होने के सम्बन्ध में।''

80 डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु प्राभावी ऐक्शन प्लान,

2–नकल रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं योजना,

3–शिक्षकों के रिक्त स्थानों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना,

5–विश्वविद्यालयों के सत्र नियमन के संबंध में,

6–विश्वविद्यालयों के वित्तीय घाटा दूर करने के संबंध में,

7–प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पेंशन योजना लागू होने के पूर्व अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को शिक्षकों के समान पेंशन लाभ दिये जाने के संबंध में,

8–केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के समान राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश प्राप्ति आयु 60 वर्ष पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रदान करना तथा इसी आयु पर प्राप्त वेतन पर पेंशन की गणना तथा कम्यूटेशन की सुविधा के संबंध में,

9–विश्वविद्यालयों में नये वेतनमान के क्रियान्वयन में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ शिक्षक से कम हो जाने की विसंगति को दूर करने के संबंध में,

10–रीडर पदनाम की प्रोन्नति में सतत् तदर्थ सेवा का लाभ,

11–विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदों में नियमानुसार शिक्षाविदों को ही राजनीतिज्ञों के स्थान पर नामांकित किये जाने के संबंध में,

12–नकल विरोधी कानून समाप्त कर देने से शिक्षकों में व्याप्त भय एवं असुरक्षा को दूर करने के संबंध में,

13–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पी० सी० एस० परीक्षाओं में ''स्केलिंग'' पद्धति लागू करना,

14–सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार में जाने हेतु छात्रों को निःशुल्क बस सुविधा प्रदान करना,

15–मेधावी छात्रों को मात्र मेरिट के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना,

16–इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नये पदों का सृजन,

17–इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की विकट समस्या को दूर करने हेतु नये छात्रावास निर्माण के संबंध में,

18–छात्रों को मिट्टी का तेल कम मात्रा में मिलने तथा राशन की दुकानों से सप्ताह में मात्र एक ही दिन वितरण से व्याप्त कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में,

19–इलाहाबाद शहर उत्तरी में छात्राओं की शिक्षा के लिए राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में,

20–फाफामऊ, इलाहाबाद में राजकीय डिग्री कालेज खोला जाना,

21–इलाहाबाद शहर में स्थित विभिन्न कालोनियों के विनियमितीकरण,

22–इलाहाबाद शहर में विकसित नयी कालेनियों में नियमित विद्युत कनेक्शन देने, सड़क, नाली, सीवर लाइन बिछाने तथा समुचित जल व्यवस्था के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23–इलाहाबाद शहर में पेयजल के संकट को दूर करने हेतु नये नलकूपों की व्यवस्था,

24–शहर उत्तरी क्षेत्र के ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलने तथा नयी सीवर लाइन डालने के संबंध में,

25–नियमित रूप से शहर में बिजली उपलब्ध कराना,

26– फाफामऊ में विद्युत सप्लाई सुधारने हेतु इसे शहर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

27–अल्लापुर (भारद्वाज पुरम्), इलाहाबाद की जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जल निकास की योजना का क्रियान्वयन,

28–इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होने वाले बन्द पड़े दैनिक समाचार-पत्र अमृत प्रभात एवं नार्दन इण्डिया पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,

29–युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना,

30–बेरोजगार युवकों को उद्योग विभाग से ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में,

31–प्रदेश में जनता में व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में,

32–तीर्थराज इलाहाबाद के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए इसके समुचित विकास एवं पर्यटन का दर्जा देने संबंध में,

33–पूर्व भा०ज०पा० सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने हेतु कोई प्रभावी प्रयास करने के संबंध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

81 श्री बैजनाथ रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :—

1–जनपद बाराबंकी में रोडवेज बसों के ठहरने का कोई डिपो नहीं है जबकि दूसरे जनपदों में दो-दो डिपो हैं । यहां गोमती नगर डिपो से बसें संचालित की जाती हैं, इससे यात्रियों को आवागमन में बड़ी असुविधा होती है जबकि विभाग द्वारा बाराबंकी में डिपो हेतु भूमि खरीदी जा चुकी है ।

2–ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मुख्य मंत्री की 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की घोषणा के बाद भी अपेक्षित विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है । आज भी गांवों में सायंकल बिजली काट दी जाती है इससे जहां किसानों को शाम को असुविधा होती है, वहीं छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी में बाधा पड़ती है । अतएव सायंकाल 6.00 से बजे से रात्रि 11.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति न काटी जाय ।

3–बढ़ई जाति (पिछड़ी जाति) का मुख्य पेशा लकड़ी से विभिन्न प्रकार के इमारती व अन्य सामान बनाना है अतएव लकड़ी कटान के परमिट उन्हें दिये जायं जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके । इस समय लकड़ी के माफिया लकड़ी कटवा कर ऊंचे दाम पर बढ़ई को देते हैं ।

4–धोबी (अनुसूचित जाति) का कपड़ा धोना मुख्य पेशा है, उन्हें धुलाई के लिये दूर-दूर नाले तलाश करने पड़ते हैं । अतएव उन्हें तालाबों, नदी के घाटों का पट्टा दिया जाय तथा इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प दिये जायं ।

5–सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया जाय ।

6–कस्बा कोठी (सिद्धौर) में 33/11 के०वी०ए० का विद्युत उपकेन्द्र गत वर्षों से स्वीकृत है तथा भूमि का सर्वे हो चुका है, किन्तु इसका निर्माण न होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निजी नलकूप व उद्योग धन्धे लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और जनपद का विकास रुका हुआ है ।

7–तहसील मुख्यालय राम सनेहीघाट में महिला डिग्री कालेज हेतु चकबन्दी में भूमि सुरक्षित कर ली गयी है । महिला डिग्री कालेज की स्थापना तथा शिक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय ।

8–सुमेरगंज (बनीकोडर) में चल रहे बालिका विद्यालय को सहायता/अनुदान सूची में शामिल करके सहायता दी जाय ।

9–विकास खण्ड बनीकोडर व सिद्धौर में बालकों के लिये एक-एक राजकीय इण्टर कालेज तथा बालिकाओं के लिये कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की जाय ।

10–तहसील मुख्यालय रामसनेही घाट व हैदरगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोला जाय । राम सनेहीघाट के तहसील भवन में इसके लिये स्थान भी सुरक्षित है ।

11–रामसनेही घाट के 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाकर 132/11 के०वी०ए० किया जाय । जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत समस्या दूर हो सके ।

12–सुमेरगंज (बनीकोडर), कोटवा सड़क (बनीकोडर), तथा कोठी (सिद्धौर) को टाउन एरिया घोषित किया जाय ।

13–लखनऊ से पूरब फैजाबाद की ओर आने जाने वाली रोडवेज की सभी बसों का स्टापेज भिटरिया बनाया जाय तथा बुकिंग कार्यालय पुनः खोला जाय ।

14–भिटरिया बस स्टेशन से लेकर तहसील मुख्यालय तक स्ट्रीट लाइट (मार्ग प्रकाश) की व्यवस्था की जाय ।

15–सिद्धौर कस्बा के पूरब में एक चीनी मिल की स्वीकृति वर्ष 1992 में हो गयी थी । उसकी शीघ्र स्थापना करायी जाय, जिससे किसानों को गन्ना उत्पादन का पूरा लाभ मिल सके ।

16–सिद्धौर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके जच्चा-बच्चा प्रसूति केन्द्र की स्थापना की जाय तथा कोठी में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय।

17–सेल्हौर (बनीकोडर) में एक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना की जाय तथा विद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कर पूरे गांव का विद्युतीकरण कराया जाय।

18–नवाबगंज रजबहा की उसमानपुर माईनर जो बैरिहा पुरवा के पास कई वर्ष से फट जाती है उसे पक्का कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाय ।

19–बनीकोडर के ग्राम चौरी में जूनियर हाई स्कूल तथा फतेहगंज में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाय ।

20–सिद्धौर ब्लाक के ग्राम टेण्डवा, नसीरपुर में जूनियर हाई स्कूल तथा नूरापुर खानापुर, भोरई, रसूलाबाद, पिपरीहार में प्राथमिक विद्यालय खोले जायं तथा 1977 से चालू मुहीउद्दीनपुर शाहपुर के जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्मित किया जाय। खुले आसमान के नीचे बच्चे 17 वर्ष से पढ़ रहे हैं।

21–मवई ब्लाक के ग्राम कछिया में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाय।

22–रामसनेही घाट में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाय।

23–अहमदपुर पुलिस चौकी, थाना जैदपुर को रिपोर्टिंग चौकी बनाया जाय तथा वायरलेस सेट दिया जाय क्योंकि लखनऊ और अयोध्या के मध्य फैजाबाद रोड पर स्थित यह चौकी वी० आई० पी० के आने की सूचना नहीं दे पाती है।

24–विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत निम्न सड़कों को पक्की डामर रोड बनाया जाय :–

1–घटमापुर से दांदूपुर लकड़िया के पास गोमती नदी तक सड़क तथा नदी पर पुल का निर्माण।

2–अहमदपुर चौराहे से अहमदपुर, पारा कोठी, न्योछना होते हुए सिद्धौर तक सड़क का निर्माण।

3–सुमेरगंज से धरौली, दुलहदेपुर, नरायनपुर, मोरारपुर तक सड़क।

4–अग्निशमन केन्द्र, सुमेरगंज से मालिनपुर तक सड़क।

5–मुहम्मदपुर कीरत से कल्याणी नदी तक सड़क तथा पुल का निर्माण करके दरियाबाद से जोड़ा जाय।

6–मुहम्मदपुर उपाध्याय से मऊ गोरपुर होते हुए सनौली तक सड़क निर्माण।

7–भिटरिया से धुनौली ठाकुरान तक सड़क निर्माण।

8–बड़ेला नरायनपुर से भगवानपुर तक मंडी समिति द्वारा निर्माणाधीन मार्ग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय।

9–खेवराजपुर से वृन्दावन तक सड़क निर्माण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10–रारी के पास हवामी, बाजपुर होते हुए पोरई तक सड़क निर्माण ।

11–ककरहा से सरसा चन्दमानपुर होते हुए टेण्डवा तक सड़क तथा रारी में पुलिया का निर्माण ।

12–बहरेला नहर से भरहेमऊ, टिकरा होते हुए सैल्हौर सड़क तथा भरहेमऊ पुल का निर्माण ।

13–फैजाबाद रोड से मंडुवा किठूरी होते हुए निहालपुरवा तक सड़क ।

14–अंगदपुर से इटहुआ, राजेपुर, मऊ कुरौंधा होते हुए ककरहा तक सड़क ।

15–भानपुर कोठी सड़क से इब्राहिमाबाद होते हुए सरैयाघाट तक सड़क ।

16–हरीलालपुरवा होते हुए भानपुर तक सड़क ।

17–भीखरपुर से सरसा होते हुए भानपुर तक सड़क ।

18–भीखरपुर के उत्तर सड़क से प्रतापपुरल, निकापुर होते हुए मऊ तक ।

19–चौरी (हनुमतपुरवा) से कंवरपुर होते हुए ढेमा तक सड़क तथा कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण ।

20–सनौली से बक्श का पुरवा तक सड़क ।

21–हथौधा से हूसेपुर ककरहा होते हुए छंदवल तक सड़क ।

22–नवाबगंज से दुल्लापुर से सोहांसा होते हुए रामपुर तक सड़क तथा रारी पर पुल का निर्माण ।

25–विकास खण्ड बनीकोडर के निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाये :

1–चौरी, 2–अलादादपुर, 3–भरहेमऊ, 4–कुंवरपुर, 5–बवुरीगांव, 6–सिल्हौर, 7–पूरे दयाराम, 8–पूरे छत्रधारी, 9–सलेमपुर, 10–चौहानपुरवा, 11–पहलानपुरवा, 12–हकामी, 13–बाजपुर, 14–तिलकपुरवा, 15–गढ़ी, 16–लोध पुरवा, 17–शुकलनपुरवा, 18–लच्छीपुरवा, 19–जगतपुर, 20–कन्हईपुर, 21–बलवन्तपुरवा, 22–पहलान पुरवा (टांडा), 23–सकतपुर, 24–सकौली, 25–फतेहगंज,

26–निहाल पुरवा, 27–बाबा का पुरवा, 28–धौरथिया, 29–राघवपुर, 30–गौरवा, 31–जुड़ावन पुरवा, 32–जोरावरपुर, 33–अहिरनपुरवा, 34–ककरहा, 35–कलवारताल, 36–हथौधा, 37–सोहिलपुर, 38–बाबूपुर, 39–पूरे संतोषी, 40–अहिरनपुरवा, 41–शोभापुर, 42–बेड़सरी, 43–मिसरनपुरवा, 44–बढ़इनपुरवा, 45–करींरिहा, 46–पूरनपुरवा, 47–जोगा का पुरवा, 48–मनिक पुरवा, 49–सरसा, 50–मानपुर मोकहिया, 51–रामपुर, 52–खेवराजपुर, 53–अतरौरा, 54–इमलिहा, 55–गजपतीपुर, 56–दुल्लापुर, 57–बांसूपुर, 58–समधी का पुरवा, 59–रतौली, 60–बहरैला, 61–परताप पुरवा, 62–तिवारी पुरवा, 63–मोहम्मदपुर उपाध्याय, 64–थारूपुर, 65–घिसियावन पुरवा।

26–ब्लाक बनीकोडर के निम्न ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जायें :—

1–पूरे दयाराम, 2–सिल्हौर, 3–सोहारा मजरे किठइया, 4–रामपुर, 5–गैरिया, 6–टिकरा, 7–कुंवरपुर, 8–दांदूपुर, लकड़िया, 9–मालिनपुर, 10–पूरे पहलवान, 11–कुंवरपुर मजरे भरहेमऊ।

27–विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाय :–

1–कोठी से छतौरा होते हुए कूटीघाट तक सड़क तथा गोमती नदी में पीपे का पुल।

2–कोठी से अंचकामऊ होते हुए दयालपुर तक।

3–मोहब्बतपुर से कानपुर तक।

4–असदामऊ से सरई बेलहरी तक।

5–असदामऊ से हिम्मतपुर तुनिहां चांदपुर तक।

6–असदामऊ से न्यामतपुर तक।

7–मदारपुर चौराहा से औसानेश्वर घाट तक सड़क तथा नदी में पुल।

8–सिद्धौर से दीनपनाह होते हुए जमलापुर तक।

9–भिटौरा से अलुवामऊ होते हुए अजांवा तक।

10–भिटौरा से जयचन्द्रपुर होते हुए सालामारी तक।

11–हाजीपुर नाले के पास से डीहा अमसेसआ, टिकरिया, अतरौली होते हुए कुहरावां तक सड़क तथा रारी में पुल ।

12–बीबीपुर से सिरौली सरायपुरखू होते हुए अतरौली तक ।

13–हैदरगढ़ बाराबंकी सड़क पैगम्बरपुर बाजार से पिपरी, डीह सेमरावा, डिघावां होते हुए शिवालापुर के पास सड़क तक ।

14–कोरी से देवगहा गंजरिया होते हुए अतरौली तक ।

15–शिवालापुरवा से चांदूपुर होते हुए अतरौली तक ।

16–मांदूपुर से कौरहा पुरवा होते हुए पतथर पुरवा तक ।

17–रसूलपुर चौराहा से पश्चिम बेलावां, मीरा नगर होते हुए कमालाबाद तक सड़क तथा मीरानगर नाले में पुल का निर्माण ।

18–असदामऊ के पश्चिम सड़क से सोहावां होते हुए जुल्फीपुर तक सड़क तथा बीच में पुलिया का निर्माण ।

19–सिद्धौर के पूरब सड़क से तिलरिया तक सड़क का निर्माण ।

20–सिद्धौर के पश्चिम सड़क से अलीगढ़ तक सड़क का निर्माण ।

21–हाजीपुर के पश्चिम सड़क से श्यामनगर होते हुए मदारपुर तक सड़क निर्माण ।

22–नसीरपुर लिंक मार्ग डिघांवां तक 2.00 किमी० लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण ।

28–विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत निम्न मार्गों का विद्युतीकरण कराया जाय :—

1–नूरापुर, 2–पहाड़पुर, 3–नसीरपुर, 4–रसूलपुर, 5–चांदूपुर, 6–शिवाला का पुरवा, 7–तुनिहा, 8–सरई, 9–मुन्तजीपुर, 10–कारेदेवनपुरवा, 11–जयचन्दपुर, 12–रामदीनपुरवा, 13–दयालपुर, 14–छतौरा, 15–कुठीघाट, 16–मुहीउद्दीनपुर, 17–शाहपुर, 18–अचकामऊ, 19–मवइया, 20–इनायतपुर, 21–कोटवा,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22–मोहम्मदपुर हुसैनबक्श, 23–भोरई, 24–रसूलाबाद, 25–जफरपुर, 26–बिबियापुर, 27– बिबियापुर थाना, 28–बरगदिया, 29–मल्लाही का पुरवा, 30–असौरी, 31–नहरपुर, 32–अकबरपुर, 33–लंगोहटापुरवा, 34–मदारीपुर, 35–मुजफ्फरपुर, 36–बसनिकापुरवा, 37–शेखापुर, 38–सेमरी, 39–कुतवापुर, 40–कमलाबाद, 41–पहला, 42–बरई खेड़ा, 43–मीरानगर, 44–चौहानपुरवा, 45–डीह, 46–रहीमपुर, 47–लाला का पुरवा, 48–मंगदपुर, 49–अइमा, 50–बसन्तपुर, 51–महदेवनपुरवा, 52–रामापुर, 53–नसीरपुर, 54–सरायमांदू, 55–देवगहना, 56–भिखनापुर, 57–रैसण्डा, 58–पकरिहा, 59–तालपुरवा, 60–नरायनपुर, 61–कस्बा पैगम्बरपुर, 62–साहाबाद, 63–बदलीपुरवा, 64–हुसैनपुर, 65–रसूलाबाद, 66–कौरहापुरवा, 67–पत्थरपुरवा, 68–सरायपरखू, 69–असई, 70–गोसाइनपुरवा, 71–सुसवाई, 72–लोधपुरवा, 73–कजियापुर, 74–ऐंदीपुर, 75–गोसाइनपुरवा, 76–अचलगंज, 77–खानापुर, 78–ममयखापुर, 79–अलीगढ़,, 80–जहानाबाद, 81–बेदियामऊ ।

29–विकास खण्ड सिद्धौर के निम्न ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जायं :—

1–भरई रसूलाबाद, 2–खानपुर, 3–दयालपुर, 4–सरायनजर, 5–बेलहरी, 6–कुतबापुर 7–नकटासेहरिया।

30–मवई विकास खंड में निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाय :–

1–मवई-सिल्हौर मार्ग को रसूलपुर से परौली, मझौटा, ओहरामऊ होते हुए कछिया तक ।

2–मवई से सिल्हौर तक सड़क पर डामर लेपन तथा पुलियों का निर्माण ।

3–सलेमपुर से ढेमाघाट तक सड़क तथा कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण ।

4–रानीमऊ से सड़वाभेलू होते हुए ढेमा तक सड़क एवं कुशहरी ड्रेन पर पुलिया का निर्माण ।

5–रमई का इन्दारा से कुशहरी होते हुए जमोली तक सड़क तथा नाले पर पुलिया का निर्माण ।

6–मवई–कोटवा होते हुए नेउरा तक सड़क तथा नाले पर पुल का निर्माण।

7–गढ़ी बठौली से सिकरेहना तक सड़क तथा नाले पर पुलिया निर्माण ।

31–विकास खण्ड मवई के निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय :–

1–हाजीपुर, 2–कछिया, 3–परौली, 4–रसूलपुर, 5–सिन्नी, 6–मोहद्दीपुर मजरे जमोली, 7–अशरफपुर, 8–हारपुरवा, 9–सेउड़हरा, 10–जुनेदपुर, 11-गुलामहसनपुरवा, 12–बेलपुर, 13–सरवनटिकठा, 14–मझैटी, 15–अनार पट्टी, 16–ओहरामऊ, 17–सहजना, 18–पाराहाजी, 19–बसयागपुर, 20–कोटवा, 21–दुर्गी का पुरवा, 22–सिपहिया, 23–नयापुरवा, 24–दिगम्बरपुर ।

32–विकास खंड मवई में निम्न ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जायं :–

1–हाजीपुर, 2–बेलपुर, 3–सरवनटिकठा, 4–मझौठी, 5–कछिया, 6–सिकरेहना मजरे सलेमपुर, 7–सड़वाभेलू, 8–ढेमा के दक्षिण ।

33–रानीमऊ से ढेमा तक माइनर का निर्माण कार्य ब्लाक मवई में कराया जाय।

34–विधान सभा क्षेत्र सिद्धौर के निम्न सार्वजनिक महत्व के स्थानों का जीर्णोद्धार करके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय :–

1–श्री लालेश्वर महादेव, सिल्हौर ब्लाक–बनीकोडर,

2–बाबा पंचमदास आश्रम, जगदीशपुर गौरवा, ब्लाक–बनीकोडर,

3–बुढ़वा बाबा महादेव, तासीपुर, ब्लाक–बनीकोडर,

4–बाबा भैरवनाथ, मऊ ब्लाक–बनीकोडर,

5–शिव मंदिर महादेवन का पुरवा, ब्लाक सिद्धौर,

6–श्री दुर्गा मन्दिर, बीबीपुर, ब्लाक सिद्धौर,

7–नाथ बाबा मंदिर, कोटवा सड़क, ब्लाक–बनीकोडर,

8–सिद्धेश्वर महादेव ब्लाक–सिद्धौर ।"

82 श्री जमुना प्रसाद मिश्र

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–अमेठी विधान सभा के अन्तर्गत घोरहा विद्युत पावर स्टेशन तथा जिरहा (बड़गांव) विद्युत पावर स्टेशन का हवाला नहीं है कि कब वे चालू किये जायेंगे ।

2–अमेठी विधान सभा में तमाम पुरवों में 5,6 वर्षों से विद्युत पोल गड़े हैं तथा तमाम पुरवे हैं जहां विद्युत पोल नहीं है उनमें विद्युतीकरण कराये जाने जैसे घनापुर, देहरा, गुलालगर, परखापुर, पांडे का पुरवा, तालुकदार का पुरवा, विश्वनाथ पांडे का पुरवा, बरदहिया, ओमपोखर, ओझा का पुरवा, खेदा, रामा चौहान का पुरवा, पूरे पंडित मजरे काशीपुर, केशवपुर, टिखौली, मिश्रौली बड़गांव, जरौटा, अन्तीपुर पूरे खुशियाल मजरे, बदलापुर, पूरे ओझा मजरे गुजीपुर, जोगापुर, अकेला (नरेनी) सिलोरवर, सुक्खा का पुरवा, दया का पुरवा, मोचवा, चतुर्भुजपुर, श्री रामपुर, तेलियाना, सैदापुर, इन्छा का पुरवा, मठिया मजरे मीमी, मौजी का पुरवा, कुडवा ईश्वरपुर (मडरिका) तुला का पुरवा, श्री का पुरवा, कृष्णदेव सिंह का पुरवा, मजरे पीपरपुर, कल्याणपुर चौराहा, हारीपुर चौराहा, खड़हर लहना, पूरेफली, गुलालपुर रतापुर, वासदेवपुर, तिलोकपुर, मुकुलहिया मजरे मेवई, बील्हापुर, पीताम्बरपुर आदि ।

3–ग्राम लहना में जू० हा० स्कूल, केशवपुर, (ब्लाक संग्रामपुर) में प्रा० पा० खोलने, भादर ब्लाक में डिग्री कालेज खोलने, ढेमा में राजकीय कन्या जू० हा० स्कूल की इमारत बनवाने व अमेठी के दक्षिणी क्षेत्र में बालिका इण्टर कालेज की इमारत बनवाने के संबंध में ।

4–अमेठी-विशेसरगंज रोड पर अमेठी के पूरब रेलवे फाटक तथा पीपरपुर रेलवे स्टेशन के पास खानापुर जाने हेतु रेलवे फाटक के संबंध में।

5–अमेठी ब्लाक में सुल्तानपुर व पूरबगांव के बीच नदी पर पुल, संग्रामपुर ब्लाक में पाण्डे गांव में नाले पर पुल, मिप्रौली बड़ागांव में नहर पर पुल, लहना ग्राम में तथा मोचवा ग्राम में कचनावा ड्रेन पर पुल, जरौटा ग्राम में नाले पर पुल बनाने के संबंध में।

6–पेयजल संकट को हल करने हेतु भावलपुर जल निगम पर जनरेटर की व्यवस्था व भावलपुर, जोगापुर, भावापुर परसोइया, केशवपुर, घाघूघाट, तनवीरपुर अम्मरपुर बाजार, भादर चौराहा, सरस्वती शिशु मन्दिर भादर, ग्राम्य भारती परतोष, गोरखपुर जू० हा० स्कूल व सरस्वती शिशु मन्दिर गोरखापुर व आमपोखर लर्हना, चड़रिया में पेयजल हेतु इण्डिया मार्क–II लगाने के संबंध में।

7–निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु :–

1–टेमा से भादर पिच रोड,

2–मवइया से सोनारी, अग्रेसर होते हुए रामगंज रोड,

3–ढेमा से तालोकपुर बासदेवपुर, खड़ंजा सम्पर्क रोड,

4–खानापुर से देवहरा सम्पर्क खड़ण्जा रोड,

5–पीपरपुर से बहना, मोचवा होते हुए कल्याणपुर रोड,

6–गैरिकपुर से होते हुए हीरापुर-घटकौर वाया हीरापुर पिच रोड,

7–बसहू से कल्याणपुर तक नहर रोड पिच करना,

8–घटकौर से मई से धम्मौर तक रोड,

9–पिच रोड से बरतली ग्राम तक खड़ण्जा रोड,

10–अमयेमाफी से भीमी होते हुए टीकरमाधी तक पिच रोड,

11–नौगिरवा से आसहनी तक रोड,

12–सहवावा से सेमरा कोरारी होते हुए अमेठी मुसाफिरखाना रोड में मिलाने हेतु पिच रोड,

13–पिच रोड से मडरिया व पिच रोड से सरूवावा तक पिच रोड,

14–शारदन धनापुर मौजी का पुरवा खड़ण्जा रोड,

15–धमरावा से कोरारी गिरधरशाह तक नहर पर खड़ण्जा,

16–गोसाईगंज कोरारी खड़ण्जा रोड की मरम्मत,

17–ठेगहा से गुगवाह तक खड़ण्जा रोड की मरम्मत,

18–जिरहा से पुनपुर तक खड़ंजा रोड की मरम्मत,

19–पिच रोड ग्राम धनापुर से धनापुर जू० हा० स्कूल तक खड़ंजा रोड,

20–गोसाईगंज से पीठीपुर होते हुए गड़ेरी तक खड़ंजा रोड,

21–वियसिया से डेहरा तक सैठा विशेरगंज रोड तक पिच करना,

22–मधुपुर–विशेसरगंज मार्ग पर खड़ंजा रोड,

23–महराजपुर से डगहर तक खड़ंजा रोड,

24–महराजपुर से हनुमानगढ़ी तक खड़ंजा रोड,

25–ककवा से कोहरा होते हुए सीतारामपुर महमदपुर तक पिच रोड,

26–अमेठी किठावर रोड से कंशापुर होते हुए खदरी तक पिच रोड,

27–अमेठी–किठावर रोड से केशवपुर तक खड़ंजा रोड,

28–शीतलाबख्श का पुरवा (पुनपुर) से रामाचौहान के पुरवा तक पिच रोड,

29–करनाईपुर से ठीकरमाधी तक पिच रोड,

30–भादर-जामो रोड का पिच करना,

31–टीकरमाधी से सहरी वाया बालीपुर कस्तुरीपुर रोड,

32–बेरोजगारी को देखते हुए अमेठी में उद्योग की स्थापना।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

83 श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण करने की नीति के संबंध में,

2–नहरों के किनारे बनी सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में,

3–तहसील स्तर पर गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद में छात्र एवं छात्राओं के लिए डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,

4–झड़ीना से गढ़मुक्तेश्वर तक नाले के निर्माण के संबंध में,

5–किसानों को खाद, बीज व पानी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के संबंध में,

6–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नये राज्य बनाने के संबंध में,

7–मेरठ में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में,

8–स्व० चौधरी चरण सिंह के जन्म स्थान नूरपुर, जनपद गाजियाबाद से मेरठ तक शेष रहे कच्चे मार्गों को पक्का बनाने के संबंध में,

9–बृजघाट गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटक केन्द्र बनाने के संबंध में,

10–गढ़मुक्तेश्वर से ब्रजघाट तक बांध बनाने के संबंध में,

11–गढ़मुक्तेश्वर तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में,

12–प्राइमरी से महाविद्यालय स्तर तक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में,

13–पूठ से ब्रजघाट जनपद गाजियाबाद के मार्ग पर स्याना स्केप पर पुल बनाने के संबंध में,

14–ब्रजघाट तीर्थ स्थल पर सभी रोडवेज बसों को रुकवाने के संबंध में,

15–ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर पर "चीर घर" बनवाने के संबंध में,

16–ब्रजघाट पर विद्युत दाह संस्कार गृह बनाने के संबंध में,

17–शिक्षक युवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में,

18–गढ़मुक्तेश्वर में आई० टी० आई० खोलने के संबंध में,

19–नीम नदी, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में पुनः खुदवाने के संबंध में,

20–दतियाना जनपद गाजियाबाद में कन्या हा० स्कूल, पशु चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में,

21–गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के पुराने तारों को बदलने के संबंध में,

22–लोधीपुर सोभन सब-स्टेशन को पूरा करने के संबंध में,

23–मेरठ–बहादुरगढ़ मार्ग पर प्राइवेट बसों/परिवहन बसों के चलाने के संबंध में,

24–पूठ–गढ़मुक्तेश्वर में सरकारी ट्यूबवेल लगाने के संबंध में,

25–बहादुरगढ़ जनपद गाजियाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में,

26–आर० एस० के० राजकीय कन्या हाई स्कूल सिरभावली में खोलने के संबंध में,

27–बहादुरगढ़ सहल भदस्यना को टाउन एरिया बनाने के संबंध में,

28–गढ़पाल गंगा गौशाला (गो सदन) ब्रजघाट व गौशाला पूठ को आर्थिक सहायता देने के संबंध में,

29–तीन वर्षीय किसानों के ऋणों पर ब्याज में छूट के संबंध में,

30–गाजियाबाद–मुरादाबाद सीमा विवाद के निस्तारण के संबंध में,

31–ब्रजघाट से स्याना गढ़ मार्ग (सिकन्दरपुर होकर) के सड़क निर्माण के संबंध में,

32–सिम्भावली पेयजल योजना को पूरी करने के संबंध में,

33–भोवापुर मस्ताननगर ग्राम सभा के गन्दे पानी की निकासी के संबंध में,

34–बहादुरगढ़ में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में,

35–स्याना स्केप पर स्याना से भदस्याना तक सड़क निर्माण के संबंध में,

36–सिम्भावली से हरोड़ा, जखेड़ा, भेना नक के शेष मार्ग को पूरा करने के संबंध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

84 श्री पृथ्वी सिंह विकसित

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1–रुड़की नगर में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा अनेक केन्द्रीय कार्यालय एवं मिलट्री छावनी है । विधान सभा क्षेत्र में पीरानकलियर शरीफ जैसी ज्यारतगाह है । नगर एवं ग्रामीण अंचलों में नियमित विद्युत की सप्लाई तथा सायंकाल बिजली कटौती के संबंध में ।

2–शिवालिक पर्वत के समीपस्थ रोशनाबाद ब्लाक बहारावाद से लेकर ब्लाक भगवानपुर व मुजफ्फराबाद में यमुना के किनारे तक सामान्य रूप से नलकूप नहीं लगते हैं तथा पेयजल का भी अभाव रहता है । हर खेत को पानी देने तथा हर ग्राम में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।

3–शिवालिक पर्वतीय तलहटी होने तथा नदियों द्वारा कटाव करने के कारण कृषि योग्य भूमि को बचाने तथा ग्रामीण-जनों को उजड़ने से बचाने हेतु बांध बनाये जाने के संबंध में ।

4–सोलानी नदी जो वर्षा ऋतु में विकराल रूप धारण कर लेती है जिससे कि नदी पार के सैकड़ों गांव नगरीय क्षेत्र से कट जाते हैं । पशु तथा मनुष्य बाढ़ में बह जाते हैं उनकी सुविधा हेतु भगवानपुर ईमली खेड़ा मार्ग पर सोलानी नदी का पुल बनवाने के संबंध में ।

5–रुड़की विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी व जंगली नदियों वाला क्षेत्र है । सम्पर्क मार्गों के न होने से क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । क्षेत्र में पक्के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में ।

6–रुड़की विधान सभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग, ब्लाक-बहादरवाद तथा भगवानपुर जंगल से लगा हुआ है जहां जंगली जानवर किसानों की खेती उजाड़ रहे हैं तथा हाथियों ने अनेक मनुष्यों की जानें भी ले ली हैं । कृषि तथा मनुष्यों की रक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

7–बिहारीगढ़ से लेकर पीरान कलियर होते हुए लक्सर तक का मार्ग 20 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है, उक्त मार्ग को पूर्ण करने के संबंध में ।

8–विधान सभा क्षेत्र रुड़की अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है । क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में ।

9–विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर गंगा नहर निर्माण कार्य अत्यन्त मध्यम गति से चल रहा है, उक्त निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के संबंध में ।

10–रुड़की नगर के पीरानकलियर धनौरी तथा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों का सम्पर्क मार्ग मात्र सोलानी नदी के पुल की मरम्मत न होने के कारण अवरुद्ध है। क्षेत्र में रोडवेज की बसें भी नहीं चल रही है। पुल की शीघ्र मरम्मत कराने तथा क्षेत्र में आवागमन के संबंध में।

11–हरिद्वार जनपद का मुख्यालय मन्थर गति से निर्मित हो रहा है, मुख्यालय के शीघ्र निर्माण के संबंध में।

12–रुड़की नगर में कोई भी विज्ञान की स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था, वाणिज्य की स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यवस्था तथा छात्राओं हेतु उच्च कक्षाओं की शिक्षा व्यवस्था करने के संबंध में।

13–हरिद्वार जनपद में चीनी मिल स्थापित कराने के संबंध में।

14–पथरी नदी के दायें किनारे पर ग्राम बहादुरपुर व शानथरशाह ग्रामों को बचाने के लिए नदी पर बांध बनवाने के संबंध में।

15–रुड़की-बहादुराबाद बाई मार्ग पर पथरी नदी के बहाव के कारण सड़कों के बार-बार टूटने तथा नदी में बाढ़ आने पर वाहनों के अवरुद्ध होने को रोकने हेतु पुल निर्माण कराने के संबंध में।

16–सुरक्षा की दृष्टि से शिवालिक पर्वत की तलहटी में रुड़की विधान सभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था हेतु दो नये पुलिस स्टेशन स्थापित कराने के संबंध में।

17–रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों तथा अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की आबादी में विद्युतीकरण कराने के संबंध में।

18–रुड़की विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्क–II हैण्ड पाइप लगाने के संबंध में।

19–रुड़की विधान सभा क्षेत्र में खड़ंजा स्तर के अधूरे मार्गों को लेपन स्तर तक कराने के संबंध में।

20–रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में प्राथमिक, बेसिक पाठशालायें तथा सीनियर बेसिक स्कूल खोलने के संबंध में।

21–रुड़की नगर की सड़कों की स्थिति काफी खराब है, उनके पुनर्निर्माण के संबंध में।"

85 श्रीमती उर्मिला राजपूत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1–अनुसूचित जाति/जनजाति, कमजोर व दलित वर्ग के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अविलम्ब कदम उठाये जाने के संबंध में।

2–प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न व अपराधिक अत्याचार तथा बलात्कार की घटनाओं को रोके जाने के तथा महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संबंध में।

3–प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने, पकड़ व हत्या जैसी घटनाओं को रोकने तथा आम नागरिकों को भयमुक्त किये जाने के संबंध में।

4–उ० प्र० सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी रु० 35 प्रति हजार वास्तविक रूप में दिलाये जाने के संबंध में।

5–जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज के निकट ग्राम चाचूपुर में गंगा नदी पर पीपों के पुल का निर्माण कराया जाना।

6–जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक कमालगंज के ग्राम बहोरा, ग्राम रसीदापुर, ग्राम मझगवां तथा ब्लाक बढ़पुर के ग्राम आकलगंज, शमशेर नगर, गांव सभा महरुपुर रावी के जाटव नगला में विद्युतीकरण का कराया जाना।

7–जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक छिबरामऊ अन्तर्गत ग्राम रूपपुर में हायर सेकेण्ड्री स्कूल तथा ब्लाक कमालगंज के ग्राम बहोरा, ग्राम झसी तथा ब्लाक बढ़पुर के ग्राम गंगपुर, ग्राम पपियापुर में जूनियर हाई स्कूलों का खोला जाना।

8–जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक कमालगंज अन्तर्गत अर्धनिर्मित मार्गों कमालगंज से दरियावगंज तथा जहानगंज से ग्राम झांसी तथा रजीपुर–उधरनपुर को पूर्ण कराया जाना।

9–जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक बालग्राम में सराय प्रयाग से महर्षि निशंक इण्टर कालेज नबादा तक तथा रामाश्रम से ग्राम गंगागंज गुरौली तथा ब्लाक छिबरामऊ में ग्राम महोई से ग्राम बिर्रा गौघटा तक मार्ग निर्माण कराया जाना।

10–जनपद फर्रुखाबाद के सबसे बड़े ब्लाक कमालगंज को दो भागों में विभाजित कर कमालगंज व जहानगंज के नाम से ब्लाक बनाये जाने के संबंध में।

11–जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज में बस स्टैण्ड के निर्माण कराये जाने के संबंध में।

12–फर्रुखाबाद के ग्राम गनदपुर तुर्रा, ग्राम रुपपुर, ग्राम भवानीपुर तक राज्य परिवहन निगम की बसें चलाये जाने के संबंध में।

13–जनपद फर्रुखाबाद के नगर गुरसहायगंज में राजकीय डिग्री कालेज को खोले जाने के संबंध में।

14–नकल विरोधी अध्यादेश वापस लेने के कारण अध्यापकों में व्याप्त, भय व असुरक्षा को दूर करने के संबंध में।

15–प्रत्येक स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

16–निराश्रित विधवाओं की पेंशन हेतु बजट बढ़ाये जाने के संबंध में।

17–वृद्ध व विकलांगों को आर्थिक सहायता हेतु बजट तथा अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने के संबंध में।''

86 श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1–विधान सभा क्षेत्र रामनगर, जनपद–बाराबंकी में कोई भी बालिका विद्यालय हाई स्कूल तक नहीं है बालिकाओं हेतु इण्टर तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

2–रामनगर तहसील पर कोई भी महिला अस्पताल नहीं है जिससे महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अतः 30 बेड का अस्पताल बनवाने के संबंध में।

3–महिलाओं एवं पुरुषों हेतु प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था रामनगर में की जाय।

4–रामनगर तहसील में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराया जाय।

5–सरसवां घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय।

6–सूरतगंज–छेदा मार्ग पर टूटा पुल कठोलिया का पुनर्निर्माण कराया जाय।

7–सूरतगंज ब्लाक मुख्यालय पर बालिकाओं हेतु हाईस्कूल का निर्माण कराया जाय।

8–किशनपुर से भराय तक के मार्ग को डामर रोड बनाया जाय।

9–कस्बा सहादतगंज में बालिकाओं हेतु जूनियर हाई स्कूल खोला जाय।

10–चिरैया का पुल, ब्लाक सूरतगंज का निर्माण कराया जाय।

11–त्रिलोकपुर कस्बे से रानी बाजार तक रोडवेज की बस चलाई जाय।

12–ग्राम बिठौरा, खेतौरा, रानीगंज, रानीबाजार, छेदा आदि गांवों में विद्युतीकरण किया जाय।

13–मौसण्डी गौ को सूरतगंज रानीगंज से जोड़ा जाय।

14–मदारपुर से डनक्क पुरवा मार्ग का निर्माण।''

87 श्री भगवती प्रसाद शुक्ल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1–राजनैतिक विद्वेष के कारण कानपुर में जो भी हुआ है जिसके बारे में सरकार द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया,

2–प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और न सरकार की ओर से किसी प्रकार की संवेदना प्रकट की गई और न किसी प्रकार का आश्वासन ही दिया गया है,

3–नगरों की पानी व्यवस्था, सफाई सीवर की समस्या तथा मार्गों के मरम्मत के बारे में किसी प्रकार की योजना नहीं प्रस्तुत की गई है,

4–नगरों में नई-नई कालोनियों का निर्माण हुआ और वह कालोनियां नगर की बढ़ी हुई सीमा में भी ले ली गई हैं पर उनके विकास तथा सुख-सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है,

5–बढ़ती हुई महंगाई तथा बेरोजगारी के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई बात नहीं कही गई है,

6–प्रदेश में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये पुलिस को सक्षम बनाने तथा उसके लिये जनसुविधा आदि की कोई बात नहीं कही गयी है।''

88 श्री लल्लू सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद फैजाबाद में 220 के० वी० विद्युत स्टेशन का निर्माण कराने,

2–फैजाबाद नगर के रसूलाबाद में 33 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराने,

3–दुगवा से अरवत, भदौली माइनर से टण्डोली व पूरा बाजार से बिलासीगंज तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कराने,

4–सरायरासी से दिलासीगंज तक बंधा निर्माण कराने,

5–फैजाबाद बाईपास का निर्माण कराने,

6–राम की पैड़ी को चालू कराने,

7–फैजाबाद नगर व पूरा बाजार में बालक एवं बालिकाओं के इण्टरमीडिएट कालेज खोलने,

8–बरहटा घाट पर पुल निर्माण कराने,

9–भगवाभीट स्केप पर काजीपुर व दलपतपुर में स्वीकृत पुल का निर्माण कराने,

10–फैजाबाद नगर में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु नई पाइप बिछाने व नये नलकूप लगाने,

11–जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर व जहांगीरगंज को तहसील घोषित करने,

12–फैजाबाद नगर में अनुसूचित व पिछड़े बंधुओं के मोहल्लों में विद्युत लाइन विस्तार कराने।"

89 श्री शिवेन्द्र सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद महराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरेन्दा में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था के संबंध में,

2–जनपद महराजगंज के गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर के बन्द हो जाने से किसानों के गन्ने के मूल्य भुगतान, कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा मिल चलाने के संबंध में,

3–महराजगंज जनपद फरेन्दा,धानी, बृजमनगंज ब्लाकों में हजारों एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित करने की व्यवस्था के संबंध में,

4–महाराजगंज जनपद में हजारों की संख्या में जंगल से निकलकर नीलगाय किसानों के खेतों की क्षति कर रही हैं, इस क्षति को रोकने के संबंध में,

5–जनपद महाराजगंज के ब्लाक बृजमनगंज में सायं 6 बजे से एक बजे तक कस्बे में अंधेरा छाया रहता है उस समय विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में,

6–जनपद महाराजगंज के फरेन्दा, बृजमनगंज, धानी ब्लाकों में हैण्ड पम्पों को बनवाने के संबंध में,

7–जनपद महाराजगंज के फरेन्दा तहसील में कन्या इण्टर कालेज के बाद कन्या डिग्री कालेज खुलवाने के संबंध में,

8–जनपद महाराजगंज के टाउन एरिया आनन्द नगर के जल जमाव को नालियों की व्यवस्था करके बाहर नाले में गिराने की व्यवस्था के संबंध में,

9–फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ द्वारा टूटे बंधों का जल्द से जल्द निर्माण तथा मरम्मत के संबंध में,

10–महाराजगंज जनपद के फरेन्दा तहसील के पास शौचालय हेतु निर्माण विभाग मण्डी समिति, आनन्द नगर द्वारा धन प्राप्त कर निर्माण कराने के संबंध में,

11–जनपद महाराजगंज के वन विभाग द्वारा कर्मचारियों को जो ज्यादा दिन से कार्यरत थे, इनकी कहीं पर नियुक्ति नहीं की गयी, इन कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था के संबंध में।''

90 श्री शिवदानी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–278–चायल विधान सभा क्षेत्र जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत पेयजल का गम्भीर संकट है क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है जिसके निदान हेतु तीन विभिन्न स्थानों पर (मनौरी, नेवादा, चौराडीह में) पानी की टंकी एवं नलकूप निर्माण किये जाने के संबंध में,

2–विधान सभा क्षेत्र चायल जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सिंचाई के लिए जो नलकूप लगे भी हैं, अधिकांश बेकार पड़े हैं उन्हें तत्काल चलवाये जाने के संबंध में,

3–चायल क्षेत्र के भगवानपुर, बहुंगरा, दुर्गापुर, रहौनी, साना, सटई, इमली गांव, काजीपुर, परसरा, चौराडीह, अखऊपुर एवं पूरे विधान सभा क्षेत्र में खास कर हरिजन बस्तियों में अधूरे विद्युतीकरण को प्राथमिकता के आधारे पर पूरा किये जाने के संबंध में,

4–विधान सभा क्षेत्र चायल में सराय आकिल से बहिला जाने वाली रोड पर किलन हाई नदी पर कनैली के पास ब्रिज कारपोरेशन द्वारा लाखों की लागत से पुल का निर्माण कराया था जो दो साल में ही टूट गया उसके जांच और मरम्मत कराये जाने के संबंध में,

5–चायल विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत स्तर पर चिकित्सालय एवं सराय आकिल कस्बों में प्राथमिकता के आधर पर महिला चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने और महिला डाक्टर की नियुक्ति के संबंध में,

6–इलाहाबाद चायल में अर्द्धनिर्मित मार्गों पावर हाउस सराय आकिल से भगवानपुर, फकीराबाद से सेउथा, काजू से मनोहरगंज, मूरतगंज से पल्हाना तक, गौसपुर से उमरक्षा तक, चायल खास से जलालपुर शाना तक, बबुरा मोड़ से बलीपुर टाटा तक मूरतगंज से बदनपुर घाट तक सभी मार्गों को पक्का कराये जाने के संबंध में,

7–विकास खण्ड चायल से जी० टी० रोड से रुपहा इब्राहिमपुर नौगिरा तक, हथिया मीट से बन्तरिया तक, कशिया मूरतगंज से जलालपुर तक, बेरुआ से पकसराई तक, तिल्हापुर मोड़ सराय आकिल रोड से कोटिया तक, जठिया तक, बसुहारा से बौरगांव तक, पुरखास रोड से बिगहरा तक, पुरखास से कटैया तक, मनौरी से मोहम्मदपुर तक, भगवतपुर रोड से बेगमपुर तक, पिपरी वाली पुरटाटा मार्ग से तुरन्ती का पूरा तक इत्यादि सम्पर्क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के संबंध में,

8–चरवा से नवनिर्मित 33/11 के०वी०ए० के विद्युत उप संस्थान में एस०एम०बी०ए० का ट्रान्सफार्मर लगाकर तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–चायल क्षेत्र में उद्योग धन्धे हेतु एक फैक्ट्री लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

10–नये नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

11–ग्राम कटैया से पुरखास मार्ग पर पड़ने वाली किल नहाई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–चायल विधान सभा क्षेत्र के सभी न्याय पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग खोले जाने के सम्बन्ध में,

13–चायल विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर से क्रीड़ा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

14–चायल विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों को विद्युतीकरण की सुविधा एवं हरिजन बाहुल्य गांवों में सघन विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,

15–विकास खण्ड नेवादा के डहिया से इमलीगांव उस्मापुर से चकपिनहा की नहर पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–चायल विधान सभा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने अशिक्षित नौजवानों के लिये न्याय पंचायत योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में,

17–सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नहरों में टेल तक पानी पहुंचे इसके लिये किशुनपुर पम्प कैनाल के सभी पाइप चालू कराने के सम्बन्ध में,

18–धाता नहर प्रखण्ड के माइनर को बढ़ाकर ग्राम कटैया तक टेल बनाने के सम्बन्ध में,

19–चायल विधान सभा क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में,

20–आई०आर०डी०पी० के तहत बिचौलियों और दलालों के कमीशन कटौती को रोकने के सम्बन्ध में,

20–क–टाउन एरिया, सराय अकिल, चायल, भखारी के कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन को यथाशीघ्र भुगतान के सम्बन्ध में,

21–पूरे प्रदेश में हो रहे दंगे पर गम्भीर सम्वेदना व्यक्त करते हुये जातीय उन्माद को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में,

22–विश्वबैंक की योजना में बन रही बी०आर०सी०बिल्डिंग के मेटीरियल के जांच के सम्बन्ध में,

23–बी०एस०एस० राम गंगा कमाण्ड, इलाहाबाद द्वारा नेवादा ब्लाक के जठिया, दुर्गापुर औधन, गौरा आदि स्थानों पर कराये गये कार्यों की यथाशीघ्र जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–चायल क्षेत्र के सभी बेरोजगार नौजवानों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

25–जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अम्बेदकर ग्राम में कराये गये निर्माण कार्य के जांच के सम्बन्ध में,

26–स्वास्थ्य केन्द्रों पर भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में,

27–जिला परिषद् द्वारा निर्माण करायी गई प्रा० पाठशालाओं के भवनों के निर्माण के जांच के सम्बन्ध में,

28–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा क्षेत्र में निर्माण की जा रही बी०आर०सी० बिल्डिंग में प्रयोग की जा रही सामग्री की जांच के सम्बन्ध में।''

91 श्री राजाराम त्यागी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड के रानी खेड़ाग्राम से बंकागढ़ वाया युन्दगढ़ मार्ग पर डामर डालकर निर्माण करवाने,

2–रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या उ०मा० विद्यालय को इण्टरमीडिएट तक करने,

3–रायबरेली जिले के बछरावां कस्बे में रफी अहमद किदवई पार्क को स्टेडियम के रूप में निर्माण करने,

4–रायबरेली जनपद के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर एक फायर ब्रिगेड (अग्निशमन) की स्थापना करने,

5–रायबरेली जनपद के अन्तर्गत शिवगढ़ में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना करने,

6–रायबरेली जिले के महराजगंज विकास खण्ड के हलोर नामक स्थान पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के भवन की व्यवस्था करवाने,

7–रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बछरावां विकास खण्ड के रामपुर सुदौली में स्थित भत्रे स्तर महादेव मन्दिर का जीर्णोद्धार करने तथा पर्यटन केन्द्र बनवाने तथा सई नदी पर एक पुल बनाकर उन्नाव जनपद से जोड़ने,

8–रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील केन्द्र पर स्टेट बैंक की शाखा की स्थापना कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने,

9–रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील केन्द्र पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने,

10–रायबरेली जिले के अन्तर्गत शिवगढ़ विकास खण्ड मुख्यालय से महराजगंज तहसील मुख्यालय वाया ओसाह पाराकला जाने वाले मार्ग को कंकड़ रोड करने,

11–रायबरेली जिले के अन्तर्गत शिवगढ़ विकास खण्ड के भवानीगढ़ चौराहे से सूरजपुर वाया देहली वैली मार्ग को डामर स्तर तक निर्माण करने,

12–रायबरेली जनपद के बछरावां विकास खण्ड के अन्तर्गत सखेपुर समोहदा गांव से कुर्री सुदौली वाया सब्जी के मार्ग पर कंकड़ रोड निर्माण करने,

13–रायबरेली जिले के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर पालीटेक्निक आई०टी०आई० विद्यालयों की स्थापना करवाने,

14–रायबरेली जिले के शिवगढ़ विकास खण्ड के बडोरु ग्राम कि०मी० दो बहुदा कला लालगंज तक डामर डाल कर निर्माण करने,

15–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड के अन्तर्गत राजामऊ से पस्तौर तक सड़क में डामर डालकर निर्माण करवाने,

16–रायबरेली जिले के शिवगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत मूढ़ा से असोह वाया खजुरो, नामपुर सिघरा रोड पर डामर डालकर पक्का करवाने,

17–रायबरेली जिले के अन्तर्गत तिलोई विकास खण्ड के सेमरौता से हलोर वाया केटिवामोहम्मदाबाद माझगांव सड़क पर डामर डालकर पक्का करवाने,

18–रायबरेली जिले के महराजगंज विकास खण्ड चन्दापुर से कमई वाया डोमोपुर भुकवा गांव सड़क को डामर डाल कर पक्का करने,

19–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड में तिलेण्डा से हलोर वाया असहन जगतपुर, ओसाह मार्ग पर डामर डालकर पक्का करने,

20–रायबरेली जिले के महराजगंज विकास खण्ड में सलूथू से पाराकला वाया नरायनपुर हसनपुर मार्ग पर डामर डलवाकर निर्माण करने,

21–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड के अन्तर्गत सेहगो से पलिया मार्ग पर डामर डालकर निर्माण करने,

22–रायबरेली जिले के शिवगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत कुम्भी से दहिगंवा सड़क पर डामर डालकर निर्माण करवाने,

23–रायबरेली जिले के विकास खण्ड महराजगंज के कुसठी सागरपुर से हसनपुर वाया जमुरावां मार्ग को कंकड़ रोड बनवाने,

24–रायबरेली जिले के महराजगंज–हैदरगढ़ मार्ग के मऊ घाट नामक स्थान से जगदीशपुर नटई वाया हिन्दूगंज–मझिगवां मार्ग का कंकड रोड बनाने,

25–रायबरेली जिले में शिवगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत रीवा बारादरी से बसंतपुर चौड़िया तक कंकड़ रोड का निर्माण करने,

26–रायबरेली जिले के शिवगढ़ विकास खण्ड के नेरुथुआ बार्डर से अछई तक कंकड़ रोड सड़क निर्माण करने,

27–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड के तमनपुर से नगराम तक पक्की सड़क करने,

28–रायबरेली जिले के महराजगंज विकास खण्ड के हरदोई से कुन्दनगंज वाया ओई अटरा सड़क पर डामर डालकर निर्माण करवाने,

29–रायबरेली जनपद के शिवगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत नेरुथुआ बार्डर से कुम्हरावां वाया गुमावा तक कंकड़ सड़क निर्माण करने, जो अधूरी पड़ी है,

30–रायबरेली जिले के बछरावां विकास खण्ड के गूढ़ा से बंगागढ़ वाया चन्दापुर डामर डालकर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

31–रायबरेली जनपद के बछरावां विकास खण्ड के पहनासा तथा सरगीखड़ा ग्राम के मध्य स्थित महराजगंज ड्रेन पर पुल का निर्माण करवाने,

32–कृषकों को उनके उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ देने के लिये बछरावां मुख्यालय पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति के मण्डी स्थल का निर्माण कर मण्डी बनाना,

33–रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज तहसील मुख्यालय पर एक शीतगृह का निर्माण करवाने,

34–शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज के केटिवामोहम्मदाबाद, शिवगढ़ विकास खण्ड

के कुम्हरावां एवं बछरावां विकास खण्ड के पत्तौर ग्राम में जू०हा०स्कूल खोलने,

35–रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज विकास खण्ड में महराजगंज बछरावां रोड से राघवपुर से निकलने वाले राघवपुर-तौली मार्ग वाया घुरौना जोहिना को डामर डालकर निर्माण करवाने।''

92 श्री जगदम्बा सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया (165) में जहां कन्याओं के लिये राजकीय बालिका इण्टर कालेज तथा कोई महाविद्यालय नहीं है उक्त विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में,

2–हरैया टाउन एरिया को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में,

3–मनोरमा नदी पर मखौड़ा में पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में,

4–मखौड़ा में विद्युत उप केन्द्र एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र हरैया के 75% गांवों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र हरैया के चपिलांव, पचवस घिरौली बाबू, सूदीपुर, हसीनाबाद, हरिगांव इत्यादि में अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

7–हरैया विधान सभा क्षेत्र में अभारी बाजार एवं रायपुर में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

8–बभनान एवं मसकनवा से परशुरामपुर होते हुए लखनऊ एवं कानपुर परिवहन बसों के चलाये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र हरैया के छावनी एवं विक्रमजीत में सभी बसों के स्टापेज के सम्बन्ध में,

10–विधान सभा हरैया के ग्राम सभा गौरिया नयन एवं धनगांव में विद्युत ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में,

11–विधान सभा हरैया के भौसिया ग्राम से शुरू सरयू नहर के अविलम्ब चालू करने के सम्बन्ध में,

12–विधान सभा क्षेत्र हरैया छावनी से अमारी, खतमसराय से सिंकन्दपुर, नई बाजार से बछुआपार, बभनगावां से जाजूपुर, अमोलीपुर से

श्रृंगीनारी तक, नरसिंहपुर से श्रृंगीनारी तक, बुधईपुर से त्रिलोकपुर तक, भारतगंज से महुआपार तक, परशुरामपुर से कुशमौर घाट तक, परशुरामपुर से श्रीनगर तक मार्ग पक्का करने के सम्बन्ध में,

13–जनपद बस्ती के प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में ।''

93 श्री छब्बू पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–240–मुगलसराय की सड़क जो जोगवां, बुधवार, माईनर की पटरी 4 कि०मी० के सम्बन्ध में,

2–240–मुगलसराय कटसिला माईनर जी०टी० रोड से भोजापुर तक 5 कि०मी० पक्का बनवाने के सम्बन्ध में,

3–धानापुर राजवाहा की पटरी अलीनगर जी०टी० रोड से भोपौली तक 6 कि०मी० के खड़ंजा से लेपन के सम्बन्ध में,

4–ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत तीन उपभोक्ता पर एक खम्भा की व्यवस्था देने के सम्बन्ध में,

5–240–मुगलसराय के प्राइमरी पाठशाला, ग्राम पटपरा, कचमन, वि० ख० सकलडीहा, झांसी विकास खण्ड सकलडीहा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में,

6–विकास खण्ड नियामताबाद (ददवा) पर सरने के प्राइमरी पाठशाला के जीर्ण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में,

7–240–मुगलसराय के ग्राम बहादुरपुर में बीस क्यूसक कैनाल पम्प लगाने के सम्बन्ध में,

8–240–मुगलसराय में रामनगर नगरपालिका में पेयजल योजनान्तर्गत नलकूप एवं टंकी बनवाने के सम्बन्ध में,

9–240–मुगलसराय में 30 शैय्या का अस्पताल खोलने के संबंध में ग्राम सभा भगवारे, वि० ख० नियामताबाद में भवन निर्माण के संबंध में,

10–240–मुगलसराय क्षेत्र में 95 प्रतिशत शेष ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ण कराये जाने के संबंध में,

11–मुगलसराय में बनी बढ़वर रजबहा का पानी टेल तक पहुंचाने के संबंध में,

12–240–मुगलसराय में 50 खराब नलकूपों को बनवाने के संबंध में।"

94 श्रीमती शशिबाला भारती — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–लखीमपुर में मैलानी टाउन एरिया में सड़कों के सुधार के संबंध में,

2–भीरा में इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में,

3–ब्लाक विजुआ में शुगर फैक्ट्री के संबंध में,

4–मैलानी, भीरा, काप, किशनपुर आदि जो जंगलों के बीच में गांव हैं उनमें सामान्य जन सुविधायें मुहैय्या कराने के संबंध में।"

95 श्रीमती शशिबाला पुण्डीर — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–416–देवबन्द नगरपालिका की सड़कों के सुधार के संबंध में,

2–भायला में विद्युत सब-स्टेशन खोले जाने के संबंध में,

3–ननौता में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में,

4–सहारनपुर जनपद आतंकवाद से ग्रस्त है आये दिन आतंकवादी आकर नकुड़ गंगोह क्षेत्र में वारदातें करते हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार प्रशासन को क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है के संबंध में,

5–सहारनपुर जनपद में पुलिस में तैनात उप निरीक्षकों की संख्या प्रस्तावित उप निरीक्षकों से कम होने तथा उनकी क्षतिपूर्ति के संबंध में,

6–पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों के द्वारा 24-24 घण्टे की ड्यूटी में कटौती के संबंध में,

7–416–देवबन्द में नन्हेड़ा जखवाला के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

8–416–देवबन्द के गांव महतौली, रसूलपुर, महपुरा, उमाही दादनपुर, माधोपुर, बालुभाजरा, उमरी में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

9–416–देवबन्द विश्व प्रसिद्ध स्थान है इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाये,

10–416–देवबन्द में कुशलकी गांव में नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में,

11–भावसी रायपुर में कन्या हाई स्कूल खुलवाये जाने के संबंध में,

12–हंगावली, आभा मार्ग बनवाये जाने के संबंध में,

13–देवबन्द गैस गोदाम से जखवाला तक की खराब सड़क निर्माण के संबंध में,

14–416–देवबन्द के ठसका गांव में शुगर मिल, नानीता के पास ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा जमीन पर कोई उद्योग लगवाये जाने के संबंध में,

15–जड़ौदा पाण्डा में आई० टी० आई० खुलवाये जाने के संबंध में,

16–गंगोह-देवबन्द मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।"

96 श्री राम स्वरूप सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–ग्रामीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार जोत हदबन्दी कानून की उन खामियों को दूर करने के लिए जोत हदबन्दी कानून में संशोधन के लिए विधेयक रखने के संबंध में,

2–जोत हदबन्दी कानून के अन्तर्गत निकली अतिरिक्त भूमि और ग्राम समाज के अन्तर्गत आने वाली कृषि योग्य भूमि के पट्टे भूमिहीन खेत मजदूरों को देने का अभियान चलाये जाने के संबंध में,

3–सरकार पिछले 10 वर्षों में हुए पट्टों की जांच करके अवैध पट्टों को रद्द करके उस जमीन को भी भूमिहीनों में आवंटित करने के संबंध में,

4–कृषि समर्थन मूल्य किसानों को प्राप्त हो जाने के उद्देश्य से क्रय केन्द्र से समय से व पर्याप्त संख्या में खोले जाने के संबंध में,

5–अनुसूचित जाति के लोगों पर उत्पीड़न की कार्यवाहियां रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में,

6–स्थानीय निकायों के चुनाव के समय निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,

7–राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य में सुधार तथा समस्त विद्यालयों में स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किये जाने के संबंध में,

8–विद्युत उत्पादन पोषण एवं वितरण कार्य में सुधार करके तथा ठोस उपाय करके सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड को लाभ का संस्थान बनाये जाने के संबंध में,

9–घाटे पर चल रहे निगमों, औद्योगिक संस्थानों की प्रबन्ध व्यवस्था में आवश्यक सुधार करके उन्हें लाभप्रद बनाने का प्रयास तथा इन संस्थानों की प्रबन्ध व्यवस्था में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाये जाने के संबंध में,

10–विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों जैसे कानपुर आदि में व्यक्तिगत पूंजीपतियों द्वारा बन्द की जा रही औद्योगिक इकाइयों के संबंध में पूरी तौर से जांच करके इन इकाइयों को चालू करने के लिए कदम उठाये जाने के संबंध में,

11–भूमिहीन खेत मजदूरों, गरीब किसानों (सीमान्त व लघु) के दस हजार तक के कर्जों को माफ करने तथा राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन खेत मजदूरों, गरीब, किसानों को बुढ़ापे की पेंशन देने के लिए जरूरी विधिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।''

97 श्री सुरेश प्रताप सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं हैं। 76 कि०मी० लम्बे व 40 कि०मी० क्षेत्र में केवल तीन ही सड़कें हैं जो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती हैं। वहां लगभग 10 मुख्य यातायात मार्गों तथा लगभग 30 छोटे जोड़ने वाले खड़ण्जे पड़े लिंक रोड मार्गों के संबंध में,

2–34-मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र में लगभग 400 गांवों में केवल 80 गांवों में सुनिश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था है, शेष ग्रामों के शीघ्र विद्युतीकरण के संबंध में,

3–34-मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की भारी कमी है। 203 ग्राम सभा में केवल 120 प्राइमरी स्कूल हैं इन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण, शिक्षकों की व्यवस्था तथा शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,

4–मुरादाबाद देहात क्षेत्र में केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3 (तीन) हैं और 1 (एक) इण्टर कालेज होने के कारण साक्षरता केवल 15 प्रतिशत होने व स्नातक 3 लाख जनसंख्या में केवल 5 प्रतिशत होने पर साक्षरता में वृद्धि के उपाय के संबंध में,

5–विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद (देहात) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सितम्बर, 1993 में रामगंगा, कोसी, ठेला व रझेड़ा नदियों में बाढ़ आने के कारण जन-जीवन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त होने पर राहत हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में,

6–इस क्षेत्र की नदियों पर पुल बनाने की योजना तथा कोसी व रामगंगा के कटाव के कारण गांवों को बहने से रोकने की योजना के संबंध में,

7–विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद (देहात) में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं केवल 2 स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा छोटी डिस्पेंसरी की व्यवस्था के संबंध में,

8–पशु चिकित्सा सुविधायें भी पूर्णतः अपर्याप्त हैं। फलस्वरूप जानवरों की बीमारी के भीषण काण्ड इस क्षेत्र में होते रहते हैं। फील्ड वर्कर्स की भारी कमी है और किसान बीमार जानवरों को दूर के अस्पतालों में नहीं ले जा पाते हैं जिस कारण जानवर मर जाते हैं, इस संबंध में ठोस कदम उठाये जाने के संबंध में,

9–विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद (देहात) में औद्योगीकरण हेतु कुटीर उद्योग की स्थापना के संबंध में।"

98 श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–गैरसैंण में उत्तरांचल शिक्षा निदेशालय स्थापित करना, अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल कार्यालय भवन का तत्काल निर्माण करना तथा अपर शिक्षा निदेशक का स्टाफ व पूरे वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित गैरसैंण (चमोली गढ़वाल) में तत्काल प्रभाव से बिठाना।

2–गोचर/चमोली में डायट सेन्टर भवन निर्माण की कार्यवाही करना।

3–गोचर, गैरसैंण एवं आदिबद्री (चमोली) में तथा पोखड़ा, पावो, थलीसैंण, स्यूंसी, पौड़ी गढ़वाल में मिनी स्टेडियम बनाना।

4–जनपद चमोली के रतूड़ा (धनपुर) में चिकित्सालय भवन की स्वीकृति देना।

5–जनपद चमोली में पूर्णतः क्षतिग्रस्त राजकीय इण्टर कालेज, मेहलचौरी, राजकीय इण्टर कालेज, जाख, राजकीय इण्टर कालेज, सिद्दौली, राजकीय इण्टर कालेज, कोट, राजकीय इण्टर कालेज, रोहिड़ा, राजकीय इण्टर कालेज, उज्जवलपुर, राजकीय इण्टर कालेज, आदिबद्री, राजकीय इण्टर कालेज, लंगासू, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रुद्र प्रयाग, कर्णप्रयाग, राजकीय बालिका विद्यालय इण्टर कालेज, सिमली कनखुल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कण्डोरा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिलंगा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धनपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गैरोली, रा० उ० मा० विद्यालय, नन्दासैण, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कासुंवा, रा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लदौली सहित सभी भवन रहित विद्यालयों में विद्यालय भवनों का निर्माण करना ।

6–जनपद पौड़ी के राजकीय इण्टर कालेज, गिरपालीसैंण, बाड़ा, गुलियारी, दमदेवल, बेदीखाल, पोखड़ा, पावो, चौरीखाल, पैठाणी, चम्पेश्वर, वीरोंखाल, बैजरों, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वीरोंखाल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिपलघाट, विडोली, चोपड़ियूं, गंगाऊं, टैंठी, भोजखाल, भरोड़ीखाल, सैंधार, सकनोलीखाल, जसपुरखाल, गोलखेड़ा, जगतेश्वर, कालो तथा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोखरी के साथ-साथ अन्य भवन विहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करना ताकि छात्रों को पठन-पाठन का उचित वातावरण मिल सके ।

7–कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक विद्यालय भवनहीन हैं, सभी के भवनों का निर्माण करना ।

8–जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गडिगांव, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौखाल, पौड़ी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धांधड़खेत (पौड़ी) तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जसपुर, चमोली को विज्ञान सहित इण्टर की तत्काल प्रमुखता से मान्यता प्रदान करना ताकि वहां के छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो सके और जनता को राहत मिल सके ।

9–जिला चमोली के विकास खण्ड मुख्यालय गैरसैंण तथा जनपद पौड़ी के विकास खण्ड मुख्यालय पोखड़ा तथा विकास खण्ड मुख्यालय पावो में तत्काल रा० बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना,

क्योंकि इन विकास खण्डों में कहीं भी राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं ।

10–वर्षों से चली आ रही जनपद पौड़ी में चाकीसैंण, थलीसैंण तथा चमोली में गैरसैंण नामक स्थान पर डिग्री कालेज खोलना ।

11–राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली, चौबट्टाखाल, वेदीखाल के भवनों का अतिशीघ्र निर्माण करना तथा इन महाविद्यालयों में विज्ञान के विषय खोलने के साथ-साथ पूरा स्टाफ भेजना ।

12–विधान सभा के विगत सत्र में जितने संशोधन प्रस्ताव कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु मेरे द्वारा रखे गये थे उन पर शीघ्र प्राथमिकता देकर कार्य करना ।

13–पौड़ी तथा चमोली जनपद में शराब की बिक्री संबंधी व्यवस्था शीर्ष सहकारी समितियों को दिये जाने के शासन के निर्णय को यथावत् रखना ।

14–जनपद चमोली में भराड़ीसैंण, केदारूखल, नन्दासैंण, जसोली, नैल, रोहिड़ा, नैनीसैंण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा पुड़यानी, कफलोड़ी पुनगांव, पिण्डवाली, सिलयाणा, धारापानी (वीणा) कण्डारीखोड, टौडुडा, मकुण्डा, कण्डारा, धण्डियाल, सलियाणा, कोलसोपावो (धनपुर) में जनता की भारी परेशानियों को देखते हुए उपकेन्द्रों की स्थापना करना ।

15–जनपद पौड़ी में कुरखाल, चौरीखाल, दमदेवल, लूंगीधार, भरोलीखाल, लाछीगाड़, चोपताखाल, चौखाल, मोलखाखाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा टीला, विशल्ड, झंगरवो, सलाण झलियाणी, सैधार, जसपुर खाल, डडोलीमल्ली, सकोलीखाल इत्यादि स्थानों पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना का स्वास्थ्य के लिये छटपटाती जनता को राहत देना ।

16–उत्तराखण्ड में तमाम विभागों के निदेशालयों की स्थापना कर उन्हें पूर्ण प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार देते हुए पहाड़ में ही बैठने के निर्देश देना ।

17–कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत चमोली में सोनला–कण्डारा कोठकी–नारायणबगड़ मोटर मार्ग, कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग, गैरसैंण, पजियाणा–रोहिड़ा मोटर मार्ग, सिमली–चुलाकोट–वेनीताल मोटर मार्ग, धारकुंगी–मैखुरा मोटर मार्ग, गोचर–सिद्दौली मोटर मार्ग के जितने भी पुनरीक्षित आगणन लम्बित पड़े हैं, उन्हें तत्काल ही स्वीकृत कराना ।

18–जनपद चमोली में सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग तथा रेतोली–जसोली नये मोटर मार्ग को तत्काल स्वीकृति प्रदान करना तथा जनपद पौड़ी में पैठाणी–नोणी–सोण्ड मोटर मार्ग तथा चिपलघाट–बुरांसी–घुलेत–भरसार–नौठा मोटर मार्ग, सैधार–काणाखेत मोटर मार्ग, सोफेखाल–सुंगरखाल ललितपुर मोटर मार्ग, नोगांवखाल–तुनाखाल–पांग–जबरौली–गड़िगांव–पाले मोटर मार्ग, सराईखेत-जोगीमढ़ी–बैजरों मोटर मार्ग तत्काल स्वीकृति प्रदान करना ।

19–जनपद पौड़ी में पैंठाणी–तिरपालीसैंण–थलीसैंण–बूंगोधार–समैया देघाट मोटर मार्ग, रिखणीखाल–वीरोंखाल–केदारगली-जोगीमढ़ी-ढोण्ड–थलीसैंण मोटर मार्ग, बैंजरो–बूंगीधार–नागचुलाखाल–बछवावाण मोटर मार्ग, खिर्सू–मुसागली–दमदेवल मोटर मार्ग, वेदीखाल–भरोलीखाल मोटर मार्ग के लम्बित पड़े पुनरीक्षित आगणनों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए धन आवंटन के साथ तत्काल उपरोक्त मोटर मार्गों को बनाये जाने के कड़े निर्देश विभाग को देना ।

20–एशिया के सबसे बड़े उद्यान भरसार का समुचित विकास करना, इसी सत्र से माली प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा राष्ट्रीय शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही करना ।

21–कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत धनपुर पट्टी (चमोली), गढ़वाल, चौधान पट्टी, पौड़ी गढ़वाल को पूर्णतः विद्युतीकृत किये जाने के साथ-साथ जितने भी इस विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम सभायें एवं उपग्राम विद्युतीकरण से वंचित पड़े हैं, उन्हें तत्काल ही विद्युतीकृत करना ।

22–उत्तरांचल क्षेत्र में रिक्त पड़े हजारों अध्यापकों के पदों को हिल कैडर के तहत तत्काल एक माह के अन्दर भरना तथा अन्य विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें हिलकैडर के तहत प्राथमिकता उत्तरांचल के शिक्षित बेरोजगारों को देते हुए तत्काल भरना ।

23–पहाड़ की विषम भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम श्रेणी तक हिलकैडर लागू करना ।

24–उत्तराखण्ड की तमाम विकास योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना ।

25–पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां छोटी-छोटी ग्राम सभायें बनाना तथा छोटे-छोटे विकास खण्डों की स्थापना कराना ।

26–पेयजल के अभाव को झेलती जनता को तत्काल पेयजल उपलब्ध करना ।

27–जनपद पौड़ी में ड्वीला पेयजल योजना (पोखड़ा), चोरखिण्डा पेयजल योजना (वीरोंखाल), वीरोंखाल पेयजल योजना, पोखरी-पावों पेयजल योजना सहित तमाम अभाव ग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराना तथा जनपद चमोली के गैरसैंण ब्लाक एवं कर्णप्रयाग ब्लाक कपीरीपट्टी तथा धनपुर पट्टी के पेयजल संकट को भी तत्काल दूर करना ।

28–विद्युत की आपूर्ति तत्काल ठीक करना, कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी ट्रान्सफार्मर फुके हैं, 15 दिन के अन्दर-अन्दर बदलना सुनिश्चित करना ।

29–कर्णप्रयाग क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी कच्ची पड़ी सड़कों का पक्कीकरण करना ।

30–उत्तरांचल क्षेत्र में कार्य कर रहे वर्षों-वर्षों पुराने सभी दैनिक वेतन भोगियों का स्थायीकरण तथा जिन्हें 8-10 वर्षों बाद भी वन विभाग, जलसंस्थान, जल निगम में सेवा से निकाला गया है, उन्हें तत्काल नियुक्ति देना ।

31–अम्बेडकर ग्राम, कमलिया को चौखाल मोटर मार्ग से भगवती तलिया होकर तत्काल जोड़ना ।

32–जनपद गढ़वाल में स्यूंसी व पावो में पालिटेक्निक कालेजों की स्वीकृति देना तथा पावो में महिला आई० टी० आई० तत्काल प्रभाव से खोलना ।

33–जड़ी-बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर के वृहद स्वरूप को तत्काल प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते हुए इसकी एक शाखा थलीसैंण, गढ़वाल में खोलना क्योकि यहां जड़ी-बूटी का अपार भण्डार है ।

34–कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड केन्द्रों पर लघु उद्योगों की स्थापना करना तथा सिमली एवं पावा में इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्रियों की स्थापना करना ।"

99 श्री अमरजीत सिंह
जनसेवक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कटरी क्षेत्र के विकास एवं कटरी क्षेत्र में जाने हेतु पाण्डुनदी में पुल, परसदेपुर, भिराईपुर, खरौली, गांवों के लिये

सड़क व भैसौली को जोड़ने हेतु पाण्डुनदी में पुल बकेवर से आगे मार्ग पक्का, देवमई ब्लाक के प्रत्येक गांव में सड़क जी० टी० रोड से गंगा के तट तक जाने वाले मार्गों का निर्माण, मुगुल रोड से गंगा दोनों पट्टी में जुड़ने वाले मार्ग का पक्का होना, खजुहा से जरौली रायपुर बीच में पड़ने वाली रिन्द नदी में पुल, खजुहा-अमौली मार्ग से खानपुर, फिरोजपुर, रामपुर, जद्दूपुर, रायपुर तक सड़क नहीं बनने से 18 वर्षों से पानी न आने व चौडगरा से बकेवर मार्ग के दोनों ओर पड़ने वाले गांवों तक पक्की सड़क, सिंचाई के पर्याप्त साधन जुटाने, बिन्दकी, खजुहा, बकेवर, मलवां चौडगरा आदि कस्बों के लिये सड़क, बिजली, हरिजन 9 पिछड़े वर्ग के बाहुल्य वाले गांवों के विकास क्षेत्र के विकलांगों, विधवाओं, वृद्धावस्था के लोगों के संबंध में।''

100 डा० सरजीत सिंह डंग प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–शासन द्वारा अनुत्पादक व्यय में कमी किस तिथि से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

2–प्रदेश के कृषकों को धान, गेहूं, दलहन एवं तिलहन के लाभकारी मूल्य दिलाने।

3–नकल रोकने हेतु समुचित कार्य योजना बनाने।

4–वाहनों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने।

5–अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की जानमाल एवं सम्मान की सुरक्षा की गारण्टी देने।

6–अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त अन्य को भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने।

7–घाटे में चल रही राज्य विद्युत परिषद् की कार्य प्रणाली सुधारने।

8–ऊर्जा में गैर परम्परागत स्रोतों के उपयोग की स्पष्ट कार्य प्रणाली बनाने।

9–बेरोजगारी दर को कम करने के स्पष्ट एवं सुनिश्चित कार्यक्रम बनाने।

10–औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को समुचित सुरक्षा एवं प्रोत्साहन देने।

11–पहले से राज्य योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यों को इस वर्ष पूर्ण करने ।

12–कृषि कार्यों में काम आने वाले, बीज, कीटनाशक दवाओं, खाद, उर्वरकों इत्यादि के दामों में कमी करने ।

13–कृषि एवं उद्योग हेतु अबाधित एवं ठीक वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति करने ।

14–प्रदेश में बुनकरों पर बकाया ऋण माफ करने तथा उनकी वसूली रोकने ।

15–प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों, उग्रवाद, साम्प्रदायिक दंगों, जातीय संघर्षों पर प्रभावी नियंत्रण करने ।

16–भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु कारगर उपाय करने ।

17–गोहत्या बन्दी कानून लागू करने हेतु प्रयास करने ।

18–भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों हेतु सरकारी सेवाओं में आरक्षण बढ़ाने ।

19–मिर्जापुर नगर में पेयजल की भीषण समस्या के हल हेतु नई पाइप लाइन बिछाने, नये ट्यूबवेल लगाने तथा हैण्ड पम्प निर्माण कराने ।

20–मिर्जापुर के क्षेत्र विकास खण्ड में ग्राम हरिसिंहपुर, तिलठी, भटेपरा इत्यादि में समुचित सिंचाई सुविधा हेतु ट्यूबवेल निर्माण कराने ।

21–मिर्जापुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुरूप एक और विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना करने ।

22–मिर्जापुर जनपद के नगर सहित सभी ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण कराने ।

23–मिर्जापुर नगर में दो नये इण्टरमीडियेट कालेज छात्राओं हेतु खोलने ।

24–मिर्जापुर जनपद में नगर के निकट एक नया राजकीय उद्योग लगाने ।

25–मिर्जापुर जनपद चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क पट्टी, सुई, स्पिरिट, दवा इत्यादि दिलाने ।

26–विंध्याचल मेले का प्रान्तीयकरण करने ।

27–विन्ध्याचल स्थित विंध्य विकास परिषद् की कार्य प्रणाली भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं से मुक्त रखने ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

28–मिर्जापुर के गंगा किनारे बसे हुए ग्रामों और नगर के हिस्से को गंगा के कटाव से बचाने ।

29–गंगापार भटौली घाट में एक नये पक्के पुल का निर्माण करने ।

30–मिर्जापुर के कालीन उद्योग तथा अलौह धातु वसा उद्योग को प्रोत्साहन देने ।

31–मिर्जापुर जनपद में लालगंज विकास खण्ड की गंगहरा न्याय पंचायत में पड़ने वाले सभी ग्रामों को पक्की सड़क एवं पुलों से जोड़ने की कोई घोषणा नहीं की गई है ।''

101 श्री मन्नू लाल कुरील

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आदिवासी क्षेत्र मानिकपुर, जनपद बांदा के कोल जाति के आदिवासियों के जीवकोपार्जन हेतु कोई योजना बनाने के संबंध में,

2–बांदा जिला के कस्बा राजापुर से फतेहपुर के महेवा घाट पर जमुना नदी में पुल के निर्माण के संबंध में,

3–पाठा पेयजल योजना को सुचारु रूप से चालू कराने के संबंध में,

4–बांदा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के संबंध में,

5–बांदा जिले के कस्बा मऊ में 30 शैय्या के अस्पताल के निर्माण के संबंध में,

6–बांदा जिले के कस्बा मऊ में बालिका इण्टर कालेज खोलने के संबंध में,

7–बांदा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में मानिकपुर से धार कुन्डी तक की सड़क, मऊ से राजापुर तक की सड़क के निर्माण के संबंध में,

8–बांदा जिले के धार्मिक क्षेत्र चित्रकूट, कालींजर को पर्यटन स्थल घोषित कर उनका विकास करने के संबंध में,

9–मानिकपुर क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में परिवहन निगम की बसें चलाने के संबंध में,

10–बांदा जिले के कस्बा मानिकपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,

11–बांदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों को खोलने के संबंध में,

12–बांदा जिले में कर्वी को जिला बनाने के संबंध में,

13–मानिकपुर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्राइमरी एवं जू० हा० स्कूल खोलने के संबंध में ।''

102 श्री मयंकर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद बहराइच व सीतापुर के मध्य घाघरा नदी में चहलारी घाट के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

2–बहराइच रोडवेज बस स्टेशन पर कार्यशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

3–बिक्रीकर समाप्त किये जाने (की घोषणा की जाय) के संबंध में,

4–किसानों से कर्जों की वसूली रोकने व उनका उत्पीड़न बन्द करने तथा दस हजार रुपये तक सभी भूमिहीन, अनुसूचित जाति, छोटे रोजगारी व किसानों का कर्जा माफ करने के संबंध में,

5–साठ वर्ष से अधिक वृद्ध महिलाओं व पुरुषों को 150 रुपये मासिक पेंशन दिये जाने के संबंध में,

6–भूमिहीन, अनुसूचित जाति तथा निर्धनों को एक भैंस व एक गाय दुधारू पशु दिये जाने के संबंध में,

7–महसी व फखरपुर विकास क्षेत्र के जो गांव घाघरा कटान में कट कर बह गये हैं, वहां के निवासियों को अन्यत्र बसाये जाने के संबंध में,

8–विकास खण्ड हुजूरपुर, तजवापुर तथा महसी के उन सभी ग्रामों को जिनकी आबादी पन्द्रह सौ व उससे अधिक है, उसे निकट के पक्के मुख्य मार्ग से पक्का सम्पर्क मार्ग बनाकर जोड़ने के संबंध में,

9–विकास खण्ड हुजूरपुर में रमवापुर से सिसैय्या वाया हरिहरपुर तथा प्रेमीदास कुटी से चिलवरिया स्टेशन, प्रेमीदास कुटी से रत्तापुर, जिगनिया छत्रपाल तक पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

10–विकास क्षेत्र फखरपुर व हुजूरपुर के मध्य सरयू नदी में जगतापुर घाट व सिकही घाट तथा खोथवा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

11–विकास क्षेत्र फखरपुर, तजवापुर, महसी तथा हुजूरपुर की समस्त ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

12–विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत मझारा तौकली में भकोसा, शिवपुरा के लिये सरयू तथा चन्दहा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

13–विकास क्षेत्र तजवापुर में बडनापुर तथा खैरा में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में,

14–विकास क्षेत्र हुजूरपुर के अन्तर्गत चाकूजोत तथा सुखनदिया पर एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

15–विकास क्षेत्र महसी के अन्तर्गत पिपरी तथा विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत भिलौरा बोसू गजाधरपुर, नन्दवल में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में,

16–फखरपुर, बडनापुर, महसी व हुजूरपुर इन चारों विकास क्षेत्र मुख्यालय पर एक-एक महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में,

17–फखरपुर, महसी, तजवापुर व हुजूरपुर विकास खण्ड की समस्त न्याय पंचायतों में प्रत्येक पर एक राजकीय हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में,

18–बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिये जाने अन्यथा जब तक उनके रोजगार का प्रबन्ध न हो बेरोजगारी का भत्ता दिये जाने के संबंध में,

19–ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोगों का कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें पचास हजार रुपये देकर कुटीर उद्योगों की स्थापना के संबंध में,

20–मौर्या जाति के लोगों को सब्जी उत्पादन हेतु निःशुल्क बोरिंग तथा बिना ब्याज ऋण सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट्स तथा लागत मूल्य उपलब्ध कराने तथा सब्जी व्यवसाय करने हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में,

21–निषाद, गोडिया, कहार वर्ग के सभी परिवारों को नदी, तालाब, पोखरों में भागीदारी स्वामित्वपूर्ण दिये जाने हेतु,

22–लोहार व लोनिया वर्ग के लोगों को लोहारी तथा मिट्टी कार्य हेतु पांच वर्षों के लिये बिना ब्याज के दस हजार का ऋण दिये जाने के संबंध में,

23–अनुसूचित जाति के लोगों की सुअर पालन तथा चमड़े व अन्य रोजगार हेतु बिना ब्याज का ऋण दिया जाय । अनुसूचित जाति के लोगों को पूर्णतया ब्याज मुक्त किये जाने के संबंध में,

24–कुम्हारों को मिट्टी के कार्य हेतु मिट्टी निकालने के लिये तत्काल प्रत्येक कुम्हार परिवार को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर दिये जाने के संबंध में,

25–धोबी जाति के लोगों को दस हजार रुपया तक बिना ब्याज के ऋण दिये जाने के संबंध में जिससे वह आधुनिक ढंग से अपने व्यवसाय में सुधार कर सकें,

26–भुर्जी जाति के लोगों को उनको लाई, चूड़ा व भूजा का कुटीर उद्योग लगाने हेतु बिना ब्याज का ऋण दिये जाने के संबंध में,

27–कुर्मी वर्ग के कृषकों को अधिक अन्न उत्पादन हेतु ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण तथा खाद के ऋण को ब्याज मुक्त किये जाने के संबंध में,

28–यादव वर्ग को पशुपालक घोषित करके प्रत्येक परिवार को दुधारू पशु व्यापक स्तर पर मुहैय्या कराकर लघु डेयरी खुलवाने तथा रख-रखाव हेतु सम्पूर्ण डेयरी पर आने वाले व्यय पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने हेतु,

29–बहराइच जनपद में लोधी वर्ग सर्वोत्तम पिछड़ी जाति है उसके विकास हेतु कुटीर उद्योग व पशुपालन हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में,

30–लोहार व बढ़ई वर्ग के लोगों को लोहा व लकड़ी सुलभता से उपलब्ध कराने तथा आधुनिकतम प्रशिक्षण के साथ ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराने के संबंध में,

31–पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण व अनुसूचित जाति को तत्काल आरक्षण दिये जाने के संबंध में,

32–गड़रिया वर्ग के लोगों को नई प्रजाति व पुरानी प्रजाति की भेंड़ पालन में सुविधा तथा उनके कच्चे माल ऊन को आधुनिकतम ढंग से उपयोग करने हेतु कुटीर उद्योग ब्याज मुक्त ऋण देकर स्थापित कराने के संबंध में,

33–15 प्रतिशत गरीब सवर्णों को सर्वत्र आरक्षण दिये जाने के संबंध में,

34–माली वर्ग के लोगों को पुष्प क्यारी हेतु पट्टे पर जमीन तथा अनुदान दिये जाने के संबंध में,

35–नाई व दर्जी वर्ग के लोगों को अपने परम्परागत रोजगार को आधुनिक ढंग से विकसित करने के लिये अनुदान दिये जाने के संबंध में।"

103 धनराज यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की हदबन्दी (बन्दोबस्त) कराये जाने के संबंध में,

2–असहायिक विद्यालयों को अनुदान दिये जाने के संबंध में,

3–सिद्धार्थनगर जनपद को उद्योग शून्य जिला घोषित करके रोजगार को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में,

4–फेल हो रही बान गंगा नहर एवं जमींदारी सिस्टम की नहरों को भरपूर पानी देने के लिये सरयू नहर परियोजना की राप्ती, बाम (फरेन्दा ब्रान्च) की खुदाई कराये जाने के संबंध में,

5–सिद्धार्थनगर जनपद के गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

6–कपिलवस्तु (पिपरहवा) को पर्यटक स्थल एवं बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित करने के संबंध में,

7–जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन, नौगढ़ का नाम परिवर्तन करके 'सिद्धार्थनगर' रखने का प्रस्ताव प्रदेश शासन की ओर से रेलवे को संस्तुति किये जाने के संबंध में,

8–सोहांस-लोटन पक्की सड़क पर कूड़ा नदी पर लोग निर्माण विभाग द्वारा पुल बनवाये जाने के संबंध में,

9–उस्का-धर्म सिंह मार्ग के शीघ्र निर्माण किये जाने के संबंध में,

10–वृद्धों, विकलांगों एवं निराश्रितों, विधवाओं को पेंशन अनिवार्य रूप से दिये जाने के संबंध में,

11–बर्डपुर-लोटन एवं उस्का बाजार में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में।"

पी० एस० यू० पी०–एल० 16 विधान सभा (23) 815–1994 (डी० टी० पी०) ।